राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 44 सवां दिवस [संख्या 16

मंगलवार

दिनांक 2 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

[उद्योग, योजना, शिक्षा, जनसम्पर्क, गृह, जनस्वास्थ्य, अकाल सहायता, भू-जल मण्डल, स्वायत्त शासन, उद्योग, सहकारिता, कृषि विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 186

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न संख्या 187।

राज्य योजना आयोग

187. श्री **प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेडा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार की तरह राज्य योजना आयोग बनाने का विचार है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह की अपील केन्द्रीय योजना मंत्री ने राज्य सरकार को की है? यदि हां, तो इस तरह के आयोग का गठन कब तक कर दिया जायेगा?

योजना मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) विचाराधीन है।

(2) अंतिम निर्णय पर निर्भर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यह सही है कि प्लानिंग कमीशन ने ए. आर. सी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अगस्त के महीने में राज्य सरकार को लिखा था कि राज्य के अन्दर प्लानिंग कमीशन का अपाइन्टमेंट किया जाये?

दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मंत्री महोदय को जानकारी है कि मद्रास के के अन्दर प्लानिंग बोर्ड का गठन किया जा चुका है और अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि वे बंगाल के अन्दर शीघ्र ही प्लानिंग बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं? मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि यह एक अहम मसला है और जबकि दूसरे प्रान्तों में इसके बनाये जाने की शुरुआत हो चुकि है तो राजस्थान भी इस मामले में क्यों पीछे है और इसके गठन के बारे में अब कब निर्णय लिया जा रहा है?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय प्रश्न एक के उतर में मैं यह बता चुका

(श्री चन्दनमल बैद)

हूं कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसलिये यह कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में इस पर निर्णय ले लिया जाये। यह एक अहम प्रश्न है। इस पर योजना मंत्री भी विचार करेंगे और उसके साथ ही साथ मंत्री मण्डल भी विचार करेगा और उसके बाद कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आठ महीने का समय तो हो गया है और सरकार अभी तक इस पर विचार कर रही है। हर प्रश्न के अन्दर सरकार की ओर से यही उत्तर दिया जा रहा है वह विचार कर रही है। यह कह कर सरकार इस प्रश्न को टालना चाहती है। आप क्यों नहीं इस पर जल्दी निर्णय लेते हैं? कितने समय के अन्दर इस पर निर्णय ले लेंगे यह बता दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : कोई समय की सीमा बताने में असमर्थ हूं। यह प्रश्न मंत्री मण्डल के समक्ष जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा। इसमें कितना समय लगेगा यह नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह।

अनिवार्य शिक्षा

188. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अनिवार्य शिक्षा कानून अब तक अमल में न लाने तथा उसके अनुसार कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

(2) अब सरकार की अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम लागू करने की क्या योजना है? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) इसका मुख्य कारण वित्तीय अभाव इस कानून की धाराओं का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान भी है। अतः निर्धन लोगों को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते दंडित करना उचित नहीं होगा।

(2) उपरोक्त कारणों से अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने में कठिनाई है। फिर भी शिक्षा के विकास एवं प्रसार के लिये सरकार सतत प्रयत्नशील है और इस दिशा में शालाओं को खोलकर एवं उन्हें क्रमोन्नत कर शिक्षा प्रसार की कार्यवाही की जाती है।

श्री मोहरसिंह : योजना क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि योजना क्या है और कब तक आप इसको पूरा करना चाहते हैं? 75 तक आप इसको पूरा कर देंगे तो इसके बारे में आपने क्या योजना बनाई है? सरकार आश्वासन देती है तो क्या यह भी आश्वासन मात्र ही है?

शिक्षा मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : योजना अनिवार्य शिक्षा की है। परन्तु इसमें कुछ आर्थिक दिक्कतें मौजूद हैं और कानून के जरिये भी हम काश्तकारों के लड़कों को अनिवार्य शिक्षा के लिये बाध्य नहीं करना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको काश्तकारी में योग नहीं दें। केवल अक्षर ज्ञान के लिये ही उनको

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
भेज दिया जाये और जो उनका वास्तविक कार्य है उसमें बाधा हो, यह हमारा लक्ष्य नहीं है।

श्री मोहरसिंह : कानून बनाने के पहले यह बात क्यों नहीं सोची गई ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : लक्ष्य बना दिया गया है कि यह काम करना है।

श्री मोहर सिंह : तो इसमें अब कोई संशोधन कर दीजिये।

श्री नारायण सिंह मसूदा : किसानों के बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाना चाहते हैं परन्तु उनकी जो वास्तविक दिक्कत है उसको भी देखना पड़ता है।

श्री मोहर सिंह : क्या संसार में ऐसा भी कोई काम है जिसमें दिक्कत नहीं आती हो ?

एक माननीय सदस्य : यह योजना कागजों तक ही सीमित रह गई है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : कागजों तक ही सीमित नहीं है। अनिवार्य शिक्षा है और इसके लिये एक हजार प्राइमरी स्कूल इस वर्ष खोले जा रहे हैं। सारी पापूलेशन को कवर करने के लिये धीरे-धीरे यह प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रावतराम (छापर) : क्या कम्पलसरी एजूकेशन की जो सरकारी नीति है उसको बदल दिया गया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नीति को बदला नहीं गया है। इस समय हमारे सामने आर्थिक कठिनाईयां है। 1975 तक 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा देने का लक्ष्य है किन्तु इसको पूरा करने के लिये करीब एक लाख टीचर होने चाहिये। अभी हमारे पास 50 हजार टीचर हैं। इसके लिये कितना बड़ा प्रावधान चाहिये जो कि इस समय नहीं है। इन दिक्कतों को भी देखना चाहिये।

श्री रावतराम : वित्तीय स्थिति कमजोर है इसलिये कम्पलसरी एजूकेशन पूर्णतया आप लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक्ट बनाने की आपको क्या आवश्यकता थी ?

प्रश्न सं. 189

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राम चरण, श्री नन्दलाल बैरवा, श्री गोपीलाल, श्री जगमोहनसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री करणसिंह।

राजकीय कर्मचारियों की पत्नियों द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्र

190. **श्री करण सिंह** (डीग) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के कौन कौन से ऐसे सरकारी कर्मचारी है जिनकी पत्नियां समाचार-पत्र प्रकाशित करती हैं तथा जिनके पत्रों को राजस्थान सरकार ने विज्ञापन के लिये मान्यता प्रदान कर दी गई है ? इन पत्रों को 1971–72 में कितनी धनराशि

(श्री करणसिंह)
के विज्ञापन प्रदान किये गये ? तालिका सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या मान्यता प्रदान करते समय सम्पादक की शैक्षणिक योग्यता का आधार नहीं देखा जाता ? यदि कोई आधार है तो वह क्या है ? इन सम्पादिकाओं की शैक्षणिक योग्यता की तालिका सदन के पटल पर रखें

(3) क्या यह सही है कि ऐसे राज्य कर्मचारी अपना कार्यालय छोड़कर अपनी पत्नियों के समाचार-पत्रों का काम करते है ? यदि हां तो राज्य सरकार उनको दंडित क्यों नहीं करती और कर्मचारियों को इस प्रकार के कार्य बन्द करने का क्या उपाय कर रही है ?

(4) क्या यह उचित नहीं कि भविष्य में उन्हीं नये समाचार-पत्रों को राज्य सरकार मान्यता प्रदान करे जिनके सम्पादक पत्रकारिता का डिप्लोमा लिये हुए हों ?

(5) क्या मान्यता की समाजवादी नीति बनाने में राजस्थान के पत्रकारों का सहयोग लिया जा रहा है ? यदि हां तो किस प्रकार ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क विभाग (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(1) विभाग के पास इस प्रकार का कोई रेकार्ड नहीं है।

(2) सरकारी विज्ञापन नियम 1962 के अन्तर्गत ऐसी कोई अनिवार्यता निर्धारित नहीं ।

(3) इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया. अतः किसी कर्मचारी को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(5) जी हां, सरकार ने निर्णय लिया है कि पत्रों को मान्यता देने या हटाने के बारे में एक समिति के परामर्श के पश्चात् ही कार्यवाही की जावें। इस समिति में समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है जो समाजवादी नीति के अनुरूप ही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : जानकारी प्राप्त क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो महिलाएं पत्र प्रकाशित करती हैं या सम्पादिका है, वे किस किस की पत्नियां हैं और उनके पति सरकारी नौकर हैं, यह जानकारी इस विभाग को उपलब्ध नही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेडा) : आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी देता हूं। आपके विभाग के असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं उनकी धर्म पत्नी एक अखबार निकालती है, वे उसकी सम्पादिका हैं। अखबार निकालना कोई अपराध नहीं है। परन्तु इससे जो दिक्कत सामने आ रही है ऐसे अखबार जिनकी 100150ही प्रतियां प्रकाशित होती है, और जिन्होंने इसको रोजगार का जरिया बना लिया है, जिनका जरिया विज्ञापन प्राप्त करने का है, एक असिस्टेन्ट डाइरेक्टर की पत्नी अखबार निकालती है और उनको

Page No. 5

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
एक हजार रुपये का एडवरटाईजमेंट साल भर में दिया जाता है और उसके मुकाबले जो अच्छे अखबार निकलते हैं उनको किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया जाता है तो इस प्रवृत्ति को रोकना बहुत जरूरी है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जानकारी प्राप्त करके इसकी जांच करें और ऐसी प्रवृत्तियों को रोकें।

श्री अध्यक्ष : नो स्पीच ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले की क्या आप जानकारी करवायेंगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसमें थोड़ा सा वे अखबार का नाम भी बता देते तो उससे मुझे कार्यवाही करने में सहूलियत रहती। उनका जो आरोप है उसकी जांच करके जो भी कार्यवाही करना वांछित होगा की जायेगी।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी जिनकी पत्नियां समाचार-पत्र प्रकाशित या सम्पादित कर रही हैं वे किन 2 की पत्नियां है और उसकी जानकारी करने में आपको क्या आपत्ति है? लेकिन पति के इन्फ्ल्यूएन्स से पत्नियां काम करें, समाचार-पत्र निकालें तो इससे मनी एक्सटार्ट होती है। यह महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान व्यापी प्रश्न है। कई पत्नियां पति के प्रभाव का यूज करती हुई बिजनेस करती हैं तो इसको स्टाप करना चाहिये। माननीय सदस्य प्रद्युम्नसिंह इनमें से एक पति को जानते हैं। अच्छा नाम है उसका उल्लेख कर दें तो दूसरे पतियों के नाम का भी पता लग सकेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं वे बता देंगे।

श्री करन सिंह (डीग) : 'नारी मंगल' 'कर्म ज्योति', राजस्थानी गाइड' और 'नई शिक्षा' इन चारों पत्रों का तो मुझे मालूम है जिनकी सम्पादिकाएं राज्य कर्मचारियों की पत्नियां हैं। इसके अलावा मन्त्री महोदया खुद जानकारी कर लेंगी।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करना सरकार का कर्त्तव्य है और उसकी रोकथाम करना भी सरकार का कर्त्तव्य है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जो जानकारी दे रहे हैं उसके अलावा भी मैं खुद जानकारी करूंगी और जो इस मामले में अनियमितताएं और आक्षेप की बात बताई जाती है, उसमें जो दोषी पाये गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रश्न को स्थगित कर इसकी जानकारी करके सदन को जानकारी दी जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जो कुछ भी कार्यवाही की जायगी उसकी सूचना सदन को दी जायगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष, प्रश्नकर्ता ने जानकारी चाही है कि कितने रुपये के विज्ञापन दिये गये हैं और इन्होंने नाम भी बता दिये तो यह खुद ही मालूम करले कि किन किन राज्य कर्मचारियों की धर्मपत्नियां हैं ये ताकी सदन को मालूम हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा स्केन्डल है। सदन के माननीय सदस्य जागरूक होकर इसको रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : जांच करने को कहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जानकारी तो दे दी जाय कि कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं?

श्री अध्यक्ष : जांच करने के लिए कहा है उसके अलावा और क्या चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हजारों रुपयों का घपला है और हजारों रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : विज्ञापन कितने रुपयों के दिये गये हैं और किन किन को दिये गये हैं उसकी सूची में अभी दे दूंगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्नियों के नाम बतायें कि कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं उसकी सूचना देने का क्या आधार है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो नाम बताये गये हैं उसकी सूची सदन में दे दूंगी।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : इसकी जानकारी डिपार्टमेंट के पास में है। आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी दी जाय और इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रश्न को बाद में ले लें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : किन किन पत्रों को कितने कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं इसकी सूची यदि आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिन चार अखबारों के नाम दिये गये हैं उनका बता दें कि कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो पत्र महिलाओं द्वारा सम्पादित अथवा प्रकाशित किये जा रहे हैं उनमें से किन किन को 71-72 में कितने कितने रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं उसकी सूची इस प्रकार है:—

जनता साप्ताहिक	1452 रु.
आपकी आवाज साप्ताहिक, जोधपुर	235-62 रु.
साप्ताहिक, जयपुर	702-84 रु.
ज्योतिष मार्तण्ड, मासिक, जयपुर	1175-76 रु.
नारी मंगल, त्रैमासिक, जयपुर	1250-00 रु.
लहर मासिक, अजमेर	1670-90 रु
लोक सम्पर्क मासिक, जयपुर	965-00 रु.
राजस्थान दैनिक, जयपुर	548-00 रु.
प्रेरणा साप्ताहिक, जयपुर	803-00 रु.
घुमक्कड़ साप्ताहिक, जयपुर	4495-96 रु.

श्री करणसिंह : यह जो राशि बताई गई है वह एक ही विभाग द्वारा दिये गये विज्ञा-

(श्री करणसिंह)
पन की बताई गई है या समस्त विभागों द्वारा दिये गये विज्ञापनों की रकम है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सार्वजनिक सम्पर्क निदेशालय द्वारा दिया गया है उसका जिक्र किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक मुश्त दिये गये हैं या अलग अलग दिये गये हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह ब्यौरा देने असमर्थ हूं इस समय कि अलग अलग दिये हैं या एक मुश्त दिये गये हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल

आर. ए. सी. बटालियन नं. चार में नियुक्तियां

191. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर. ए. सी. बटालियन नम्बर 4 बीकानेर हैडक्वार्टर में कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये और क्या इसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के रिक्रूटमेंट का 28 प्रतिशत का निर्धारित कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) आर. ए. सी. बटालियन नम्बर 4 में पिछले एक साल में किस किसको प्रमोशन दिया गया? कृपया उनकी सूची, नियुक्ति की तिथि व शैक्षणिक योग्यता सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। गत वर्ष इस बटालियन में कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रमोशन हुआ? क्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रमोशन निर्धारित कोटे के अनुसार पूरे किये गये हैं?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) इस बटालियन में सन् 1971 में 35 तथा 1972 में 28 व्यक्ति भरती किये गये थे जिनमें सन् 1971 में 2 तथा सन् 1972 में 4 व्यक्ति अनुसूचित व जनजातियों के भरती हेतु हाजिर हुए थे जिन्हें भरती किया गया। इन व्यक्तियों का 28 प्रतिशत का निर्धारित कोटा पूरा करने के लिए उम्मीदवार ही उपस्थित नहीं हुए थे। अतः यह कोटा पूरा नहीं हो सका।

(2) इस बटालियन में सन् 1971 में 20 तथा सन् 1972 में 55 सिपाहियों की पदोन्नति की गई थी जिनमें 1 सिपाही श्री बुद्धराम नं. 639 अनुसूचित जाति का था। सिपाहियों के पदोन्नति के लिए एक बोर्ड नियुक्त किया जाता है जिसके द्वारा परीक्षा लेकर मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाती है। पदोन्नति के लिए वर्तमान में कोटा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : यदि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग नहीं आते हैं तो क्या स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं या भर दिये जाते हैं दूसरे लोगों से?

श्रीमती कमला बेनीवाल : शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग उपस्थित नहीं होते हैं तो दूसरे लोगों से स्थान भर दिये जाते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपस्थित नहीं होते हैं या भरती नहीं किये जाते हैं वास्तविकता क्या है ?

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, उनका नहीं लेना होता है तो उनको टाल दिया जाता है और उत्तर यहां पर यह दिया जाता है कि उपस्थित नहीं थे। क्या प्रोमोशन में भी उपस्थित नहीं थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अगर यह उत्तर गलत है तो इसमें जिस अधिकारी की गलती होगी उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री **रावतराम** : उम्मीदवार आते हैं भरती होने के लिये लेकिन उनको टाल दिया जाता है और रेकार्ड में उनका नाम नहीं आता है। इसलिये आपके पास में क्या रेकार्ड रह सकता है ?

श्री **दिनेश डांगी** (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि क्या आपको मालूम है कि पुलिस में इनका रिजर्वेशन 28 पर्सेन्ट से कम है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 28 पर्सेन्ट राजकीय सेवाओं में रिजर्वेशन है। लेकिन पदोन्नति के लिये कोई रिजेर्वेशन नहीं है ?

श्री **दिनेश डांगी** : इनीशियल एपाइन्टमेंट के लिए भी पुलिस में 28 प्रतिशत से कम है इसकी क्या आपने जानकारी ले ली ?

श्रमती कमला बेनीवाल : कम है इसकी मन्जूर किया है इसका कारण है कि उम्मीदवार उपस्थित नहीं होते हैं अगर उपस्थित होते तो भरती का कोटा पूरा हो जाता, लेकिन कुछ ही व्यक्ति उपस्थित होते हैं।

श्री **दिनेश डांगी** : 28 पर्सेन्ट के अन्तर्गत भरती करने की कोशिश की है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में रिजर्वेशन 28 पर्सेन्ट से कम है इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस सेवा में और अन्य सेवा में प्रतिशत बराबर होना चाहिये। पुलिस में प्रतिशत कम है 25 पर्सेन्ट ही है।

श्री अध्यक्ष : आपने सूचना दी है वह ठीक करा लेंगे।

श्री **रावतराम** : जब उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त स्थानों को केरी फारवर्ड नहीं किया जाता है जिससे कि शेडयूल्ड कास्ट के लोग पहुंच सकें भरती के लिए।

श्री**मती कमला बेनीवाल** : केरी फारवर्ड का प्रयोग नहीं होता है

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : सरकार ने जब घोषणा की है तो केरी फारवर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन की घोषणा की गई है सेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के एपाइन्टमेंट के लिए तो राजस्थान सरकार की पुलिस विभाग में क्या नीति है ? यह जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री **मीठालाल** (लालसोट) : केन्द्रीय सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति के लिए

Page No. 9

(श्री मीठालाल)
कल्याण समिति हैं उसके सुझाव के आधार पर आपको एक हिदायत भेजी है कि जिन विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो उनकी जगहें खाली रखी जायं। क्या ऐसी हिदायत आपको प्राप्त हुई है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी मैं जानकारी कर लूंगी कि इसके अन्दर जो कार्यवाही करना वांछित था वह की गई है या नहीं की गई है। आज तक नहीं की गई है तो आयन्दा जरूर की जायगी।

श्री दिनेश डांगी : राजस्थान में कुछ विभागों में अनुसूचित जाति और जनजातियों का कोटा पूरा नहीं किया गया है जैसे पुलिस में। मुश्किल से जिले में एक कान्स्टेबल मिलता है। आर.ए.सी. अलग है और पुलिस अलग है। इस प्रकार का जवाब तो जरूर दिया जाता है कि पूरा करेंगे प्रतिशत लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया है जब कि अन्य सेवाओं में पूरा किया गया है और कहीं कहीं पर तो ज्यादा भी हो गया है, लेकिन पुलिस एक ऐसा विभाग हैं जहां पर नहीं किया गया है। आज वहां अनुसूचित जातियों के केसेज रजिस्टर्ड तक नहीं होते हैं पुलिस विभाग में अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने की तो बात दूर....

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न के द्वारा जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है उसकी जांच करवाली जायगी और जांच के पश्चात् जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया है कि वे हाजिर नहीं हुए यह गलत है। भरती की तारीख पर मैं लड़कों के साथ गया था। उनकी हैल्थ, उनकी हाइट और सब चीजें सबसे अच्छी थीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को गैर हाजिर दिखाया गया है। यह बड़ा गम्भीर विषय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, रिश्वत से अपाइन्टमेंट होते हैं। मंत्री महोदय से क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं कि उपस्थित नहीं होते हैं तो खाली रहती है। आप यह जानते हैं कि फलां थाने में खाली जगह हैं उसके बावजूद खाली रह जाय यह कैसे सम्भव है। इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार।

राज्य खेल कूद परिषद्

192. **श्री केदारनाथ (गंगानगर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य खेलकूद परिषद् का गठन कब हुआ था ?

(2) परिषद् के गठन से अब तक कौन कौन पदाधिकारी रहे हैं ? वर्ष वार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं ?

(3) खेलकूद परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष राज्य तथा केन्द्र सरकार से द्वारा मनोनीत कितने पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

Page No. 10

(श्री केदारनाथ)

(4) क्या खेलकूद परिषद् को सरकार कोई अनुदान देती है ? यदि हां, तो यह धन राशि कितनी है ? वर्षवार ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या खेलकूद परिषद् से अन्य संस्थायें सम्बद्ध की जाती है ? यदि हां, तो क्या उनका भी प्रतिनिधित्व इस परिषद् के गठन में सीधे लिया जाता है ?

(6) खेलकूद परिषद् को राज्य सरकार के अतिरिक्त और भी कहां से अनुदान प्राप्त होता है ? यदि हां, तो कहां से कितनी राशि ?

राज्य मंत्री शिक्षा (श्री जुझारसिंह) :

(1) राजस्थान राज्य खेलकूद परिषद् का गठन 1957 में हुआ था।

(2) स्थापना से अब तक निम्न पदाधिकारी रहे हैं:–

अध्यक्ष : श्री कनेटकर 57–58

श्री पूनमचन्द विश्नोई, 58 से 71 के अन्त तक।

कार्यवाहक अध्यक्ष : श्री वी. एन. काक, श्री विश्नोई के बाद से 72 तक निरन्तर।

अवैतनिक मंत्री : पहले श्री आर. डी. खन्ना व बाद में श्री वी. एन. काक।

उपाध्यक्ष : श्री वी. एन. काक, 10-10–58 से 12–5–63 तक

उपाध्यक्ष (अधिशासी) श्री वी. एन. काक, 13–5–63 से अब तक।

कोषाध्यक्ष : कुमारी एल. बी. लूटर, 10–10–58 तक।

श्रीमती लीला खन्ना, 14–4–67 तक।

श्रीमती सावित्री भारतीय, 17-5-68 तक।

श्रीमती रानी उर्मिलादेवी मसूदा, 11–5–69 तक।

कुमारी के.के. तर्वे, 12–5–69 से निरन्तर

सचिव : श्री के. जी. हुसैन, जून, 67 तक।

श्री बी. के. शर्मा, जुलाई, 1967 से निरन्तर।

(3) वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष निम्न अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं:–

भारत सरकार के अधीन:–

(1) अध्यक्ष, इन्स्ट्रूमेण्टेशन लिमिटेड कोटा

(2) डायरेक्टर, पंजाब नेशनल बैंक,।

राज्य सरकार के अधीन:–

(1) अध्यक्ष (कार्यवाहक) राजस्थान खेलकूद परिषद। उपरोक्त पदों के लिए श्री वी. एन काक अवैतनिक पदाधिकारी हैं और न राज्य सेवा में हैं और न केन्द्रीय सेवा में हैं।

इसके अलावा श्री. वी. एन. काक राजस्थान स्टेट होटल कारपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। श्री काक उक्त कारपोरेशन की सेवा में काण्ट्रेक्ट सर्विस पर हैं।

(श्री जुझारसिंह)

(4) खेलकूद परिषद् को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान मिलता है, जिस का वर्षवार ब्यौरा संलग्न है।

(5) जी हां। उनका कोई प्रतिनिधि परिषद के गठन में नहीं होता।

(6) परिषद् को अनुदान राज्य सरकार के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से भी मिलता है। प्राप्त अनुदान का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केदारनाथ : राज्य सरकार का स्पोर्टस कौंसिल के चेयरमैन नियुक्त करने के लिये आखिर मिनिमम क्राइटेरिया क्या है ? क्या कवालिफिकेशन है ?

श्री जुझारसिंह : उनको एड–मिनिस्ट्रेटिव एक्सपोरियेंस के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या काक साहब को थोड़ा भी खेलकूद का अनुभव है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : क्या काक साहब मल्टी परपज आदमी हैं ? ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें उनका नाम नहीं है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अनेक पदाधिकारी हटे लेकिन मि. काक अब तक उसी पद पर चले आ रहे हैं ?

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या राज्य सरकार खेलकूद परिषद् का पुनर्गठन कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : राज्य सरकार राजस्थान खेल-कूद परिषद् का शीघ्र ही पुनर्गठन कर रही है। उसमें सभी प्रकार की मेम्बर–शिप का भी पूरा ख्याल रख रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : श्रीमान् काक साहब को न किसी खेल का अनुभव है और न उनको किसी खेल का पता है। राज्य में खेल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उनको वहां से जल्दी हटाया जाये ताकि राजस्थान खेलकूद परिषद् खेलों की दिशा में और आगे बढ़ सके।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : होटल कारपोरेशन है तो काक साहब चलायें, स्पोर्ट्स कौंसिल है तो काक साहब चलायें। एग्रीकल्चर प्रोग्रेसिव फार्म है तो काक साहब चलायें। क्या राजस्थान में केवल काक साहब में ही काबिलियत है ?

एक माननीय सदस्य : जरूर कुछ खास काबिलियत होगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ऐसी ही एक्स्ट्रा-आर्डिनरी काबलियत है तो उनको मुख्य-मंत्री बना दो।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : जरूर उनमें कोई काबलियत होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनमें मक्खन लगाने की काबिलियत है, श्रीमान जी।

श्री केदार नाथ : एक व्यक्ति एक ही बार में कई संस्थाओं में पदाधिकारी बनता है, क्या राज्य सरकार इस उसूल को मानती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं हो सकता है। यह मुख्यमन्त्री जी ही कह सकते हैं। एक होना चाहिए या अनेक होने चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या शिक्षा संस्थाओं के मेम्बर्स को नहीं लिया जायेगा ?

श्री केदार नाथ : एफीलियेटेड संस्थाओं के मेम्बर्स को क्या उसमें नहीं लेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी जब तक शिक्षामन्त्री नहीं बने थे तब तक लेकिन शिक्षा मन्त्री बने तब उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था। अब वह शिक्षा मन्त्री नहीं हैं। तो क्या यह हो सकता है कि उनको खेल-कूद परिषद् का अध्यक्ष बना दिया जाये ? (विराम) इसका उत्तर दे दीजिये। उन्होंने शिक्षा मन्त्री पद के नाते त्यागपत्र दिया था। अब चूंकि वह शिक्षा मन्त्री नहीं हैं तो क्या सरकार वापिस रिवाइव करना उचित नहीं समझती?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल): इतनी छोटी सी बात से मुझे सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका पुनर्गठन कब तक हो जायगा और जिन प्रतिनिधियों की बात कही गई है, उनके को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या नहीं?

श्री नारायणसिंह मसूदा : पुनर्गठन शीघ्र ही किया जाएगा। सभी विचारों का समन्वय करके बनाया जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय · · ·

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : शीघ्र शब्द की सीमा बता दी जाये। अध्यक्ष महोदय, इस शीघ्र शब्द की परिभाषा दे दी जाये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान परिषद् की अवधि कब समाप्त हो रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस उत्तर के साथ ही मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दें।

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब आ जाने दीजिये।

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्यों को कुछ गलत फहमी है। मैं निवेदन करदूं कि राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल के खेलों का स्तर हिन्दुस्तान के काफी ऊंचा माना जाता है

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा उत्तर नहीं आया।

श्री नारायणसिंह मसूदा: वर्तमान परिषद् की अवधि 12 मई को समाप्त हो रही है।

श्री केदारनाथ : अब यह नये गठन में नया पैटर्न इवोल्व हुआ है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं इसका अध्यन करना पसन्द करूंगा।

श्री केदारनाथ : क्या सही है कि नियमानुसार इसमें एफीलियेटेड संस्थाओं के 1/3 सदस्य होंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो ज्ञान होना चाहिए।

श्री केदार नाथ : क्या यह सही है कि लोकसभा के 3 मेम्बर बतौर नामिनी वहां पर कार्य करेंगे ?

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : काक साहब··

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह जानकारी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : यह आल इंडिया स्पोर्ट्स कौंसिल का पेटर्न है।

श्री खेतसिंह : उसमें काक साहब मेम्बर हों–यह जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट। श्री निरंजननाथ आचार्य !

जन सम्पर्क मंत्री को डिस्क्रिशनरी ग्राण्ट के रूप में प्राप्त राशि

193. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जन-सम्पर्क मंत्री को डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट के अन्तर्गत 1969-70 एवं 1970-71 में जो राशि प्राप्त हुई वह किस प्रकार खर्च की गई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, जन-सम्पर्क (श्रीमती कमला बेनीवाल) : वर्षवार विवरण सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें यह बताया कि पत्र र और सम्वादाता के जलपान आदि के लि सम्बन्धित मंत्री द्वारा वर्ष 19 6 70 में 8,098 रुपये दिये गये तथा वर्ष 1970-71 में 13,639 रुपये दिये गये।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रुपया पत्रकारों के सम्मान में चाय आदि टी-पार्टी आयोजित करने के लिये खर्च किया जाता है–क्या यह सही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो मंत्री को स्वेच्छा अनुदान राशि प्रदान होती है वह आम तौर पर डी. पी. आर. ओ. के यहां भेज दी जाती है और जो भी रुपया उनको मिलता है वह उसका उपयोग करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने प्रश्न किया, किस प्रकार खर्च किया जाता है, जो रकम दे दी, वह कैसे खर्च की जाती है–इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न प्रकार का है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : व्यवस्था यह है, मंत्री महोदय स्वयं खर्च नहीं करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो पी. आर. ओ. होते हैं उनमें राशि बांट देते हैं और वहां सम्वाददाता, लेखक, पत्रकार इस प्रकार के जो व्यक्ति आते हैं उनके स्वागतार्थ अथवा चाय पार्टी के लिए वह खर्च करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आठ हजार खर्च ओरिजिनल ग्रान्ट से, पांच हजार बाई एप्रोप्रियेशन, कुल 13 हजार–यह 1970-71 में खर्च हुआ, 1969-70 में 8 हजार खर्च हुआ, यह कम रहा तो पांच हजार एप्रोप्रियेशन से लिये हैं–इसका खर्च किस प्रकार से हुआ, क्या आवश्यकता, एमर्जेन्सी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
पैदा हुई जिसमें पांच हजार यह अलग खर्च करने पड़े ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, इसका विवरण मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैं बाद में बता सकती हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी खर्च में कटौती का प्रस्ताव चल रहा है, यह हो रहा है कि धनराशि किस तरह से बचायी जाय, दिवालियापन हम पर हावी हो रहा है तो यह आठ हजार का डिफ्किशन समाप्त किया जा सकता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : विभिन्न विभागों में आर्थिक कटौती करने के लिए कौनसी मद में कटौती की जाय–इसका एक्जामिनेशन होकर जो कमी की जा सकती है। यह उसमें है या नहीं–यह नहीं कहा जा सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपने प्रस्ताव किया है उसके अतिरिक्त, चूंकि यह मसला आपके और सदन के बीच में आ गया है, जल पान का मसला–इस जल पान को, आठ हजार के को, आप उपयुक्त नहीं समझती तो राय दे सकती हैं कि मुनासिब होगा इसे काटना।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं जांच करने के उपरान्त ही कुछ कह सकती हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी खुद की इच्छा के लिए कह रहा हूं।

प्रश्न संख्या 194

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह।

ग्राम पाल में ट्यूब वैल

194. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पाल तहसील जोधपुर में ट्यूब वैल लगाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या इन कुओं से जोधपुर शहर को पानी वितरित हो सकता है ? यदि हां, तो उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद):

(1) जी हां।

(2) केवल एक।

(3) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

डूंगरगढ़–बीदासर सड़क के नीचे आई भूमि का मुआवजा

159. **श्री रावतराम** (छापर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ से बीदासर (चूरू) सड़क जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी थी, उसके नीचे आने वाली काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब, और नहीं तो क्या ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जी नहीं। अकाल राहत कार्य

Page No. 15

(श्री परसराम मदेरणा)
के अन्तर्गत बनी सड़कों को भूमि लोगों से उनकी रजामन्दी से बिना मुआवजे के ली जाती थी इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, डूंगरगढ से बीदासर सड़क बनी है, और अकाल राहत कार्य से प्लान में ली जा रही है तो जिन काश्तकारों की जमीन उसमें आई है उनकी रजामन्दी ले ली है ? वह रजामन्दी देने के लिए तैयार हो गये हैं कि यह सड़क में ले ली जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : अकाल राहत कार्य में कुछ सड़कों का काम हाथ में लिया गया और उनमें जो जमीन आ गई उसका मुआवजा तो नहीं दिया गया लेकिन राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि जमीन का लगान राइट आफ कर दिया जाय और जमीन काश्तकार के खाते से निकाल कर सरकारी खाते में दर्ज कर दी जाय ।

श्री रावतराम : क्या सरकार की नीति है कि जहां अकाल सहायता कार्य में सड़क बनेगी वहां काश्तकार की जमीन बिना मुआवजे के ले ली जायगी और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा भविष्य में ?

श्री परसराम मदेरणा : बिना मुआवजा नहीं, रिजम्प्शन ।

श्री रावतराम : रिजम्प्शन का क्या मतलब हुआ, अध्यक्ष महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : जमीन का मुआवजा नहीं दिया जायगा ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : रिजम्प्शन का प्रश्न नहीं, मैं नीति का प्रश्न पूछ रहा हूं, जो सड़क फेमिन के अन्तर्गत बनेगी, उनमें जो जमीन आयेगी उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने मुआवजा नहीं देने का निर्णय इसलिए लिया था कि राजस्थान के अन्दर अकाल सहायता के अन्तर्गत हजारों काम प्रारम्भ किये गये, उन हजारों कामों के अन्दर कम्पेन्सेशन देने से, क्योंकि खर्च भारत सरकार से जो कुछ हमें सेन्ट्रल असिस्टेन्स के रूप में मिल रहा था उसमें इसका किसी प्रकार का प्राविजन नहीं था, इसके अलावा जो प्रावधान रहता था वह पी. डब्ल्यू. डी. में रहता था, इर्रीगेशन में रहता था उनके पास धनराशि नहीं थी, पूरा का पूरा खर्च हो गया राहत कार्यों के लिये क्योंकि राहत कार्य मुख्य लक्ष्य था, लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने का । अब उन कामों में सैकड़ों लोगों की जमीन आती है, वह ले ली जाय । इसके लिए यह निर्णय ले लिया गया कि लगान राइट आफ कर दिया जाय और उनके खाते से निकाल कर सरकारी खाते में ले ली जाय ।

श्री मोहरसिंह : यह निर्णय कब लिया गया ?

श्री रावतराम : जो सड़कों में जमीन आई, क्या उसका लगान माफ कर दिया है ? इसके साथ ही जो सड़क के लिए पत्थर

(श्री रावतराम)
चाहिये वह पत्थर उस जमीन में से निकाला गया, खेत में से, वहां पर खान के पत्थर पड़े हैं और खेत खराब हो गये हैं– उसके लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री परसराम मदेरणा : व्यक्तिगत खेत में से ग्रेवल निकाला या धंधाला निकाला गया....

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) : धंधारा !

श्री परसराम मदेरणा : धंधारा कहते हैं, धधाला कहते हैं– वह निकाला गया– यह जानकारी नहीं है। लेकिन हमने यह भी आदेश दे रखे हैं कि जहां आवश्यकता हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट जहां पर से सड़क निकालना चाहता हो, और उस सड़क को डाइवर्शन दे सकता हो तो डाइवर्शन दे दिया जाय। सम्भव हो तो डाइवर्शन से निकाल दिया जाय लेकिन काम बन्द नहीं होना चाहिये। डाइवर्शन नहीं दे सकते हैं, सड़क का टुकड़ा नहीं करना है, तो यह प्राविजन है कि वह काम करना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार के आदेश हैं। आप कह रहे हैं कि खेत से ग्रेवल एक्सप्लोइट किया गया, क्वेरी बन गई है तो यह मेरी जानकारी में नहीं आया है।

श्री रावतराम : लगान के बारे में नहीं बताया ? लगान माफ कर दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने आदेश राजस्व विभाग को दिये हैं, उसकी क्रियान्विति उस स्टेज पर होगी।

श्री रावतराम : यह आदेश कब दिये थे आपने ?

श्री परसराम मदेरणा : आदेश 1969 में दिये थे।

श्री मोहरसिंह : मुआवजा न देने का निर्णय कब लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : मुआवजा नहीं देने का निर्णय 1969 के पहले भी था, 1969 में इसको किया गया।

श्री मोहरसिंह : इस प्रकार का निर्णय गया है, यह निर्णय आप नहीं ले सकते कानून और संविधान के अन्तर्गत कि किसी की जमीन को बिना मुआवजा ले लें। कोई जमीन रिजम्प्शन में नहीं ली जा सकती ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द निवेदन करना चाहूंगा। क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि किसी की जमीन यदि ले ली जाय और उसको मुआवजा नहीं दिया जाय तो यह एक बहुत गलत बात है, गलत ट्रेडीशन है। लीज का सवाल आप अलग रखिये। अगर किसान की जमीन उसके अन्दर आने वाली है, आप दो चार बीघा ले लेते हैं और उसका मुआवजा नहीं देते हैं तो यह अवैध और गलत तरीका नहीं है ? मंत्री महोदय का उत्तर क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि जब वह यह कहते हैं, सरकार की तरफ से जिम्मेदार मंत्री यह कहते हैं कि सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि मुआवजा नहीं दिया जाय ? यह अजीबोगरीब व्यवस्था है। राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से अनुदान नहीं मिलता है, उसमें से थोड़ा सा भी रुपया मुआवजे के तौर पर गरीब किसान को देना सरकार उचित नहीं समझती है ?

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इस सम्बन्ध में बराबर सदन में चर्चा हुई है लेकिन सरकार रवैया बदलती नहीं है, निष्ठुर, बहरी, होकर रहती है। इस प्रकार क्या लोगों पर अत्याचार करने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है ?

श्री मीठालाल (लालसोट) : बिल्कुल राजा-महाराजाओं की तरह करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार का न ऐसा मानना है और न राज्य सरकार आश्चर्य की बात मानती है। मेरा अनुभव है, राहत कार्य जहां कहीं भी प्रारम्भ किये गये लोगों से जमीन हमेशा सड़क के लिए ली जाती रही है, और कहीं भी किसी आदमी ने खेत में से सड़क नहीं निकालने दी हो—ऐसा देखने में नहीं आया। लोगों का उद्देश्य यह रहता है कि अकाल राहत कार्य खुलें ताकि लोगों को राहत समय पर मिल जाय। यह कार्यवाही शुरू की गई है, इसके बजाय रिक्वीजीशन की कार्यवाही करते हैं तो लाखों को राहत देने का जो लक्ष्य है, वह लोगों को समय पर नहीं दे सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया। इसके साथ ही यह निर्णय किया, उसमें अगर कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था करते तो करोड़ों रुपये में कम्पेन्सेशन पहुंचता। राज्य के जो वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन थी उसको देखते हुए यह सम्भव नहीं। साथ ही लोगों ने एतराज नहीं किया, कहीं कुछ हुआ हो, लोग खेत में खड़े हो गये हों—ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने सहयोग दिया है। उन्हें पहले बता दिया जाता है कि जो तुम्हारी जमीन ले रहे हैं इसका कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा।...

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार की व्यवस्था में एक हद तक लोगों को मजबूर किया जा रहा है, कोएरस किया जा रहा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत शिकायत है, बहुत गरीब किसान तबाह हैं, सरकार बिल्कुल सुनने की इच्छा नहीं रखती और कर कर निराशा उत्पन्न हो गई है, किसी जगह उनको न्याय नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं, यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, सरकार को वतीरा, गम्भीरतापूर्वक विचार करके बदलना चाहिये। अगर नहीं बदलती है तो यह बहुत असंतोषजनक व्यवस्था है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक, उदारतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेगी ?

श्री रावतराम : आपने फरमाया कि राजस्व विभाग को लगान माफ करने के आदेश दिये हैं। मैं आपको सूचना देता हूं। आज तक कोई लगान माफ नहीं हुए, इतने साल हो गये। आपके आदेश का क्या हुआ ? क्या इसकी जांच करेंगे कि जो आपके यहां से आदेश दिए गए हैं वे राजस्व विभाग में कैरी आउट हुए हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास जानकारी नहीं है कि कितने मामलों में रेवेन्यू को राइट आफ करके उनकी जमीन सरकारी खाते में डाल दी गई है। अगर आदेशों का अमल नहीं हुआ है तो राज्य सरकार इस प्रकार के कदम उठाएगी जिससे अमल जल्दी से जल्दी किया जाए ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

Page No. 18

श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय को सब मालूम है। वह इस बारे में जानबूझकर इग्नोरेन्स प्लीड करके कहते हैं कि जानकारी प्राप्त की जाएगी और यह किया जाएगा, वह किया जाएगा। मंत्री महोदय को सब पता है। वह जानबूझकर नहीं कह रहे हैं, यह मेरी निश्चित धारणा है। क्या आप इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : जानबूझकर सदन में सूचना नहीं रख रहा हूं, इस बात की आपने कृपा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन एक निवेदन करदूं कि 1971 के अन्दर और उससे पूर्व जो अकाल के सम्बन्ध में कलेक्टर्स कान्फरेंस बुलाई थी उसमें आइटम था कि राजस्व अधिकारी को पाबन्द किया जाए जो जमीन सड़क के नीचे आ गई है, उसकी लैंड रेवेन्यू को राइट आफ किया जाए। कई हजार केसेज हैं, एक मामला नहीं है, रीलीफ वर्क एक हैं। इसलिए यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितना अमल हुआ कितना नहीं। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में आश्वासन दिया है, अगर अमल के अन्दर कमी रही है तो राज्य सरकार आश्वासन देती है कि जल्दी से जल्दी इस आज्ञा को क्रियान्वित कराएगी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक सिद्धांत की समस्या की बात पर आकर्षित करना चाहूंगा। जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग वकील कर सकते हैं, सैक्शन 80 के अन्तर्गत राज्य सरकार को नोटिस देते हैं, उनको तो सरकार सम्मानपूर्वक मेज पर बिठाकर बातचीत करेगी, मुआवजे की व्यवस्था करती है और गरीब का मालिक तो राम ही है। हजारों आदमी ऐसे हैं, गरीब किसान हैं, जिनको एक कौड़ी का मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी जमीनें डूब में आ गई, उनकी जमीनें सड़क के अन्दर आगई, उन पर लगान लिया जाता है और मुआवजा नहीं दिया जाता। चपत मारना और रोने नहीं देना, क्या यह उचित व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री रोशनलाल शर्मा : महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार ने डिसीजन लिया, अमल नहीं कर रहे हैं, अधिकारीगण।

भारत–पाक युद्ध की स्थिति में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

196. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(क) सन् 1971 के भारत–पाक युद्ध की स्थिति में राजस्थान में किन किन व्यक्तियों को कब कब, किस किस आरोप में, डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स एवं इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

Page No. 19

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(ख) किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध तत्संबंधी कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और किनके विरुद्ध नहीं, और क्यों? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) इन गिरफ्तार व्यक्तियों को किस किस आधार पर कब कब छोड़ा गया ?

(घ) इन व्यक्तियों में कौन कौन ऐसे हैं जिनको इसके पूर्व भी ऐसे कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर अभी तक अपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है इसलिए उत्तर देने में असमर्थ हूं। इसका मैं अगली बार उत्तर दे दूंगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह प्रश्न मैंने 40 दिन पहले दिया गया था, वह अवाइड करना चाहती हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगली बार उत्तर दे दूंगी। जानकारी सही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर पंचायत समिति के ग्रामों में उच्च माध्यमिक स्कूल

197. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर पंचायत समिति में ग्राम अरणाय, सरनाऊ सूंतड़ी एवं सांचोर में राजकीय माध्यमिक पाठशालायें खोलने की मांग जनता की ओर से सरकार को पेश की गई है ? अगर हां तो कब-कब ?

(2) उक्त स्थानों पर राजकीय उच्च प्राथमिक पाठशालायें कब तक खोल दी जायेंगी ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) सत्र 1971—72 में जनता द्वारा ग्राम अरणाऊ, सरनाऊ एवं सूंतड़ी व सांचोर में राजकीय माध्यमिक पाठशालायें खोलने का मांग-पत्र इस विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(2) सत्र 1972—73 के बजट में 1000 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। प्राथमिक पाठशालायें क्रमोन्नत करते समय उक्त स्थानों की आवश्यकताओं पर भी विचार कर लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

राजस्थान भू-जल मण्डल

198. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या भू-जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान भू-जल मण्डल की स्थापना कब हुई थी ? स्थापना से लेकर

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
31–3–1971 तक कितनी हानि व आय हुई? कृपया वर्षवार तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1970–71 में मण्डल द्वारा रिग्स खरीदे गए थे? यदि हां तो कुल रिग्स का मूल्य व प्राप्ति की दिनांक एवं किसके द्वारा सप्लाई किया गया, बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि खरीदे गये रिग्स स्पेयर पार्ट्स के अभाव में काम में नहीं आ रहे हैं?

(4) स्पेयर पार्ट्स न खरीदने का क्या कारण था? यदि स्पेयर पार्ट्स खरीदे गये तो उनको खरीदने का आदेश कब दिया व कब कितने मूल्य के प्राप्त हुये?

मंत्री भू-जल मण्डल (श्री चंदनमल बैद) : (1) राजस्थान भू-जल मंडल की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा सन् 1956 में हुई। तत्पश्चात् सन् 1962 में इस विभाग को वाणिज्य विभाग घोषित किया गया। उसके पश्चात् लाभ हानि खाते तैयार किए गए, जिसके लाभ एवं हानि की सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है। वर्ष 1970–71 का लाभ हानि खाता अभी तैयार किया जा रहा है।

(2) इस विभाग द्वारा सन् 1970-71 में कोई रिग नहीं खरीदे गए।

(3) इस विभाग के कोई भी रिग स्पेयर पार्ट्स के अभाव में बंद नहीं रही।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब से भू-जल मण्डल चलना शुरू हुआ है आज तक घाटा हो रहा है और 1969–70 में घाटा 38.35 लाख तक पहुंच चुका है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कई रिग्स आज तक खराब पड़े हैं, काम नहीं आए। स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। स्पेयर पार्ट्स की लगातार मांग की जाती है और रिग्स ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं।

श्री चंदनमल बैद : जो जानकारी थी मैंने दे दी। मुझे मालूम नहीं, माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कई रिग्स स्पेयर पार्ट्स के अभाव में पड़ी हुई हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है, घाटे की जानकारी दे रहे हैं, या मंत्री महोदय सारे प्रश्न की जांच करायेंगे?

श्री चंदनमल बैद : प्रश्न इतना है कि आप फरमा रहे हैं कि स्पेयर पार्ट्स के कारण रिग्स बंद पड़े हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि यह घाटे की व्यवस्था, सन् 1962 से, जबसे यह मण्डल स्थापित हुआ है, आज तक 8 लाख से लेकर इस साल 38 लाख तक, चल रही है। इस तरह की व्यवस्था या कोई योजना है कि घाटे को बदला जाए। इसके साथ-साथ ज्यों–

Page No. 21

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
ज्यों घाटा बढ़ता जाता है, ऑडिट फीज बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री चंदनमल बैद : घाटा बढ़ रहा है तो टर्नोवर भी बढ़ा है। आप तो ग्रोस लोस को देख रहे हैं। ऑडिट फीज, कन्ट्रीब्यूशन, डिप्रीसिएशन और इन्टरेस्ट ग्रान कैपीटल निकालें तो जितना घाटा बता रहे हैं उतना नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : टर्नोवर बढ़ने से घाटा बढता है ?

श्री चंदनमल बैद : ऑडिट फी की बात कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरा पहला प्रश्न है कि घाटा किस तरह से हटाया जाएगा या इस तरह से चलता रहेगा ? हर साल 40 लाख अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड रन करने के लिए घाटा देना पड़ेगा, यह व्यवस्था कब तक जारी रहेगी ?

श्री चंदनमल बैद : अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड जो कार्य कर रहा है, उसकी फीज जो हम देते हैं उसको अगर बढ़ा दें तो शायद घाटा कम हो सके लेकिन जिस तरीके से वह काम कर रहा है फीज बढ़ायेंगे तो किसानों के लिए अच्छा काम नहीं होगा इसलिए घाटा कुछ हद तक बरदाश्त करना पड़ेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या यह सही है कि प्राइवेट जो लोग काम करते हैं उनसे अण्डरग्राऊंड वाटर बोर्ड ज्यादा देता है रेट्स ?

श्री चंदनमल बैद : हमारी जो रिग्स हैं जिस तरह से उनकी मांग हैं, प्राइवेट पार्टीज काम नहीं कर पा रही हैं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में प्रकाश की व्यवस्था

199. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जयपुर शहर की किन-किन कच्ची बस्तियों में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है और अब प्रकाश की व्यवस्था कब तक किस प्रकार कराए जाने की योजना है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : प्रकाश की व्यवस्था सभी कच्ची बस्तियों में उपलब्ध है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि 31 दिसम्बर, 1971 तक सम्पूर्ण कच्ची बस्तियों में प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि कच्ची बस्ती कालीवाड़ा, छीपीवाड़ा में एक भी बिजली का बल्ब नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : बिजली तो पहुँचा दी गई है।

Page No. 22

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं पहुंचा दी गई है।

श्री परसराम मदेरणा : बिजली के जितने खम्भे होने चाहिए उतने नहीं हैं। मुझे जानकारी मिली है कि 35 कच्ची बस्तियों में जहां बिजली नहीं थी, 31 दिसम्बर, 1971 तक दी गई है, उसके बाद 30 जनवरी को मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय सदस्य भी मौजूद थे।

माननीय सदस्य ने वहां पर भी ऐतराज उठाया था और आप से निवेदन किया गया था कि जिन कच्ची बस्तियों में बिजली की व्यवस्था नहीं है आप उनके लिये कहिये लेटर रिमाइन्डर के रूप में भी दिया गया उस लेटर का जवाब ही नहीं दिया। जिन तीन चार बस्तियों की बात कह रहे हैं मैं स्वयम् जांच कर लूंगा कि व्यवस्था है या नहीं। जितने पोइन्टस आप कह रहे हैं उतने पोइन्टस न हों।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लट्टू ही नहीं है।

अमरघाटी और रणकपुर आदि कच्ची बस्तियों में खम्भे ही नहीं है। लट्टू की तो बात ही क्या की जाय। गढ्ढे भी नहीं हैं। आमेर के रास्ते में पश्चिमी साइड पर बस्ती बसी हुई है। मैंने सूची और नक्शा भी जिन महानुभाव ने मांगा उनको दे दिया।

क्या हसनपुरा कच्ची बस्ती बलाइयान में सन् 62 से 30 खम्भें यादगार के बतौर नीचे और ऊपर से बिना तार खींचे खड़े हैं?

श्री परसराम मदेरणा : एक एक कच्ची बस्ती में क्या स्थिति है यह मैं नहीं निवेदन कर सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी बात सुन लीजीये।

श्री परसराम मदेरणा : हसनपुरा के बारे में अलग से नोटिस देते तो उत्तर दे देता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने कच्ची बस्तियों के बारे में पूछा है। उसमें हसनपुरा भी एक कच्ची बस्ती है। सन् 1962 से 30 खम्भे लगे हुए हैं अशोक स्तम्भ की तरह खड़े हुए हैं। बल्ली का उपयोग करने के लिये उखाड़ उखाड़ कर बल्ली का उपयोग किया जा रहा है लट्टू लगाने की बात तो दूर रही बिना तार खींचें ही वे खम्भे खड़े हैं यादगार के रूप में। कोई जानकारी हो तो बता दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : वे तो झंडे लगाने के लिये लगाये गये थे। आप गलत उपयोग कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : छोटी-छोटी बातों का इस तरह से उत्तर नहीं दे सकता हूं। पर्टीकुलरली आप प्रश्न पूछते तो मैं इनका जवाब देता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चुनाव के समय खम्भे लगा दिये जांय, आश्वासन दे दिये जांय और खम्भे खड़े हों और उनमें तार न खींचे जांय लट्टू का लगाना तो दूर रहा।

(व्यवधान शोरगुल)

Page No. 23

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बार बार मंत्री महोदय यही कहते हैं कि जानकारी नहीं हैं तो मेरे साथ चलें और जानकारी करें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : अशोक स्तम्भ राष्ट्रीय सम्मान सूचक चिन्ह है। माननीय सदस्य ने ये जो शब्द कहे हैं वे उनको वापिस लें। यह राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान।

(व्यवधान शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्लीज सिटडाउन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या जांच करेंगे यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा ?

श्री अध्यक्ष : गौरी पूनिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके पास :

(व्यवधान शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों का अपमान किया है। समाजवादी समाज के मंत्री जी से कहूंगा ...

(शोरगुल व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अशोक स्तम्भ की बात कह कर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : किस संदर्भ में बात कहीं है जरा समझिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अशोक स्तम्भ के बारे में कहा है यह अपमान है राष्ट्र का।

(व्यवधान, अध्यक्ष)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको इसका निर्णय करना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : राष्ट्रीय चिन्ह के लिये इस प्रकार कहना राष्ट्र का अपमान करना है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतिहास की बात है। आपकी बपौती नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपने और हमने मिल कर बनाया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम भी प्यार करते हैं और आप से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज की हम कद्र करते हैं। आप तो थैले बना बना कर उनमें सब्जी खरीदते हो।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : प्रेम होता तो यह बात नहीं कहते और विरोध करते।

(करतल ध्वनि)

इस तरह राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सदन का, आपको थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिये जब चाहे उठकर इन्टरप्ट करने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

मकराना मारबल फैक्ट्री

200. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आज दिन तक मकराना में कुल कितनी मारबल फैक्ट्रियां लग चुकी हैं ?

(2) क्या मकराना इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित हो चुका है ? अगर हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) मकराना में अब तक 96 मारबल फैक्ट्रियां लग चुकी हैं।

(2) जी हां। जिलाधीश नागौर द्वारा मकराना को दिनांक 28–12–61 को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था।

श्रीमती गौरी पूनिया : मैं चैलेन्ज करती हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापिस लें जो उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह के लिये कहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मेम्बर बोल रहा है और आप बीच में बाधा डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कहा वे अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(व्यवधान)

श्रीमती गौरी पूनिया :

(अश्रव्य)

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया द्वारा बोलने पर)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती गौरी पूनिया।

(शोरगुल व्यवधान)

श्रीमती गौरी पूनिया : (अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वापिस लेने में बेशर्मी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने ठीक उपयोग किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुन ही नहीं पाये कि क्या पूछा गया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : दुबारा जांच करा लेंगे। मेरे पास 61 के हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : 11 वर्ष जब हो गये हैं तो कौन–कौन सी सुविधायें दी गई हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिस एरिया को औद्योगिक क्षेत्र के लिये एक्वायर किया जाना था, जिन–जिन पार्टीज से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये तो किसी ने भी नहीं दिये। प्रारम्भ में भी मांगे गये नहीं दिये। उनकी मांग यह है कि जहां फैक्ट्री लगायी गयी हैं उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाय। जिस क्षेत्र को घोषित किया उसके लिये आवेदन पत्र

(श्रीमती कमला बैनीवाल)
नहीं आये तो कलेक्टर ने लिखा कि जहां फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उनको घोषित कर दिया जाय। 50 परसेन्ट मामले घोषित किये जा चुके हैं और बाकी चल रहे हैं।

श्रीमती गौरी पूनिया : सब ही जानकारी रखते हैं राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में मारबल एक माना हुआ उद्योग है फिर भी इस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिये कहां तक विकास कर रहे हैं प्रकाश डालें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो स्थिति सामने आयी है उसको मैंने आपके सामने रखा है। माननीय सदस्या को विश्वास दिलाते हुए निवेदन करूंगी कि कोई कठिनाई होगी तो उसका निपटारा किया जावेगा हम इस उद्योग की प्रगति के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकोर।

भूमि विकास बैंक बालोतरा

201. **श्रीमती मदन कोर :** (पचपदरा) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. बाड़मेर जिले में एक भूमि विकास बैंक बालोतरा में स्थित है ?

2. इस बैंक का संचालक मंडल के कितने व कौन सदस्य हैं एवं इस मडल का कब चुनाव हुआ ?

3. क्या यह सही है कि बैंक के संचालकों के चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्र बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो यह क्षेत्र कितने हैं और इनका सीमांकन किस तिथि एवं किस प्रकार किया हुआ है ?

4. किस किस निर्वाचन क्षेत्र से कौन संचालक निर्वाचित हैं ? कृपया संचालकों के नाम व पते बतायें।

(5) क्या इस भूमि विकास बैंक मडल पर कोई सरकारी या गैर सरकारी सदस्य मनोनीत है ?

(6) क्या बाडमर जिले में बालोतरा के अलावा अन्य कोई भूमि विकास बैंक है ? यदि हां, तो क्या नाम है ?

राज्य मंत्री सहकारी विभाग (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। बाड़मेर जिले में भूमि विकास बैंक बालोतरा में स्थित है।

(2) उक्त बैंक के संचालक मंडल में उपनियमानुसार दस सदस्य होते हैं किन्तु वर्तमान में निम्न संचालन पदासीन है:

1. श्री बलवन्तसिंह — अध्यक्ष
2. श्री गंगाराम — सदस्य
3. श्री जालिमसिंह
4. श्री हिम्मतसिंह
5. श्री सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बाड़मेर।
6. उप जिलाधीश, बालोतरा
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बालोतरा।
8. श्री दलजीतसिंह, प्रतिनिधि, राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,

संचालक मडल मे निर्वाचित दो सदस्यों के अयोग्य हो जाने के कारण स्थान रिक्त है। इसके वर्तमान संचालक मंडल का चुनाव दिनांक 5-11-69 को हुआ था।

(श्री जुझारसिंह)

(3) जी हां, यह सत्य है कि बैंक के संचालकों के चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्र बनाये हुए हैं। वे निर्वाचन क्षेत्र 6 हैं जो निम्न है:

1. बालोतरा निर्वाचन क्षेत्र
2. कनाना " "
3. जसौला " "
4. बाड़मेर " "
5. सिवाना निर्वाचन क्षेत्र
6. कृषि सहकारी समिति क्षेत्र।

इन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन दिनांक 10-10-69 को संचालक मंडल द्वारा किया गया एवं इसका अनुमोदन दिनांक 5-11-69 को आम सभा में किया गया है।

(4) निर्वाचित क्षेत्र एवं उनसे निर्वाचित सदस्यों के नाम व पते निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या 1	निर्वाचन क्षेत्र 2	प्रतिनिधि संचालक 3	पता 4
1	कृषि स.स.	श्री बलवन्तसिंह	ग्राम देवन्दी, त. सिवाना
2.	जसौला	श्री गंगाराम	ग्राम डोली, त. पचपदरा
3.	कनाना	श्री हम्मतसिंह	ग्राम जसोला 28-3-72 को सबूत किये गये
4.	सिवाना	श्री जालमसिंह	संडप 28-3-72 त. सिवाना को सबूत किये गये।
5.	राजकीय मनोनीत सदस्य	सह. रजि. समिति, बाड़मेर	
6.	"	विकास अधिकारी बालोतरा	
7.	"	उप जिलाधीश, बालोतरा	
8.	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,	श्री दलजीतसिंह जयपुर के।	
9	बालोतरा	रिक्त	
10	बाड़मेर	रिक्त	

(5) जी हां। उक्त भूमि विकास बैंक में जो गैर सरकारी एवं सरकारी सदस्य मनोनीत हैं वे निम्न हैं:

(1) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बाड़मेर।

(2) उप जिलाधीश, बालोतरा।

(3) विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा।

उपरोक्त तीनों सदस्य रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा राजकीय प्रतिनिधि मनोनीत किये गये हैं।

(4) श्री दलजीतसिंह —प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विक-

Page No. 27

(श्री जुझारसिंह)

बैंक लिमिटेड, जयपुर। इनको राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा मनोनीत किया गया है।

(6) जी नहीं बाड़मेर जिले में उक्त बैंक के अतिरिक्त कोई भूमि विकास बैंक नहीं है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि भूमि विकास बैंक के विविध निर्वाचन क्षेत्रों में कौन 2 से गांव और तहसीलें सम्मिलित हैं और उनके बनाने का आधार क्या है।

श्री जुझार सिंह : यह तो संचालक मंडलों के प्रस्तावों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं और इनके लिये आम सभाओं ने मन्जूर किये हैं।

श्रीमती मदन कौर : यह तो ठीक है। पर आधार क्या हैं?

श्री जुझारसिंह : सब जगह के प्रतिनिधि इसमें आ जाने चाहिए यह आधार है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐतराज हैं कि भूमि बन्धक बैंक बालोतरा के जो निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं वे पूरा प्रतिनिधत्व नहीं देते। पचपदरा के तीन निर्वाचन क्षेत्र हैं और बाढ़मेर के दो बनते हैं इस आधार पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने बना रखे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह गलत हैं।

श्री जुझार सिंह (सांचोर) : यह गलत बता दिये थे, पर बाद में बना दिये हैं।

श्री मीठालाल (जालसोट) : श्री अध्यक्षजी, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। हरिजनों को लूटा गया है। उनको बरबाद कर कर दिया गया है गरीब हरिजनों को लूटा गया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोतर के लिये

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के अतारांकित प्रश्नोत्तर

फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन–पत्र

186. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, साझीदारा कानून के अधीन फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिये कितने आवेदन-पत्र गत 5 वर्षों में आये? प्रति वर्ष की अलग अलग संख्या बतायें।

(2) आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने के बाद कितना समय रजिस्ट्रेशन में लगता है? कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना समय रजिस्ट्रेशन में लगा? यदि देरी हुई, तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 तथा साझेदारी कानून के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनका वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन पत्रादि नियमानुसार

(उद्योग मंत्री)

पूर्ण प्राप्त होने पर रजिस्ट्रेशन में दो से दस दिन लगते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन में कम से कम दो और अधिक से अधिक 10 दिन लगे।

(2) साझेदारी कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु साधारणतया 15-20 दिन का समय लग जाता है। इनके रजिस्ट्रेशन में कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा एक माह लगा है।

रजिस्ट्रेशन में देरी होने का कारण पार्टियों द्वारा अनियमित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है तथा विभाग द्वारा बताई गई अनियमितताओं को पार्टियों द्वारा काफी विलम्ब से पूरा करना है। यही देरी का कारण बनता है। पार्टियों द्वारा फीस समय पर न भेजना भी विलम्ब का कारण होता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कोटा में रेडियो स्टेशन

189. **श्री रामचरण (अटरू) : श्री नन्दलाल बैरवा, (पाटन) : श्री गोपीलाल, (पीपल्दा) : श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में डिवीजनल हैडक्वार्टर पर रेडियो स्टेशन हैं? यदि हां, तो कोटा डिवीजन हैडक्वार्टर पर रेडियो स्टेशन क्यों नहीं है? राज्य में रेडियो स्टेशन कहां कहां हैं?

(2) क्या सरकार कोटा डिवीजनल हैडक्वार्टर पर भी रेडियो स्टेशन चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1, 2) जन सम्पर्क विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है। रेडियो स्टेशन की स्थापना आदि का कार्य भारत सरकार का है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभागों पर बकाया राशि

60. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 31 मार्च, 1971 से समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य सरकार की कितनी बकाया रकम किस किस विभागों में निकलती है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस बकाया वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर योजना बनाई गई है?

उत्तर

(1) 31 मार्च, 71 तक राज्य सरकार के विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय विभागों में क्रमशः बकाया राशि रु. 4.91 लाख एवं रु. 2.44 लाख बकाया निकलते हैं।

राज्य सरकार के विभागों की बकाया तालिका 'क' पर एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों की बकाया तालिका 'ख' पर अंकित है।

(वित्त मंत्री)

(2) राज्य स्तर व विभागाध्यक्ष स्तर पर बकाया वसूली शीघ्र करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

फलोदी तहसील क्षेत्र के गांवों का सर्वे

61. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील क्षेत्र के गांवों का सर्वेक्षण जियोलोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया द्वारा किया जा चुका है और उसमें कई गांवों में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धि की सम्भावना बताई गई है? यदि हां, तो सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्राप्त हुई व उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर

(1) जी हां, इस रिपोर्ट के आधार पर ही जहां जहां जल उपलब्धि सम्भव है, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं बनाई जा रही हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस विषय में जियोलोजिकल सर्वे ग्राफ इन्डिया कार्यालय से भी सम्पर्क स्थापित किया गया था किन्तु यह रिपोर्ट उनके यहां से भी उपलब्ध नहीं हो सकी, अतः सदन की मेज पर इस वक्त नहीं रखी जा सकती।

(2) यह रिपोर्ट मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी और इसी रिपोर्ट को आधार मान कर जहां पर पानी मिलने की सम्भावना है वहां से आस-पास के गांवों को मिला कर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के काश्तकारों को सहायता

62. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के काश्तकारों के लिये केन्द्रीय सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से कई योजनाएं स्वीकृत की हुई हैं? अगर हां, तो वे क्या क्या योजनाएं हैं?

(2) उपरोक्त योजनाएं कब से प्रारम्भ की गई? उन योजनाओं में प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी खर्च हुई? कितनी कितनी राशि प्रति वर्ष लेप्स हुई?

(3) ए.आर.सी. द्वारा राज्य में क्या क्या योजनाएं कब कब स्वीकृत की गई? कितनी राशि की स्वीकृति की गई? इन पर कितना खर्चा हुआ तथा कितनी राशि प्रति वर्ष लेप्स हुई?

उत्तर

1 जी हां, केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत सहायता से राजस्थान में लघु कृषक विकास योजनाएं अलवर, भरतपुर एवं उदयपुर में तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास योजना, अजमेर, एवं भीलवाड़ा में स्वीकृत की हुई है

(कृषि मंत्री)

2. उक्त योजनाएं राज्य में दिसम्बर 1970 से अप्रेल 1971 के बीच संस्था पंजियन अधिनियम के अन्तर्गत पंजिकृत होना प्रारम्भ हुई हैं। प्रत्येक योजना का पंजीकृत दिनांक निम्न है।

1. अलवर 1–12–70
2. उदयपुर 7–1–71
3. भरतपुर 10–70
4. अजमेर 1–71
5. भीलवाड़ा 7–1–71

इन योजनाओं में फरवरी 72 तक निम्न राशि स्वीकृत तथा खर्च हुई है।

लघु कृषक विकास योजना

	70–71	71–72	रकम खर्च
	राशि स्वीकृत हुई		
अलवर	5.00	13.00	1.73
भरतपुर	6.00	24.20	6.23
उदयपुर	3.50	16.30	0.79
कुल	14 50	53.50	8 82

सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास योजना

अजमेर	0 90	13.50	12.15
भीलवाड़ा	0.896	15.00	11.31
कुल	0.1796	28 50	23.73

1970–71 में जो राशि स्वीकृत की थी, वह 71–72 वर्ष के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। इस प्रकार से कोई राशि लेप्स नहीं हुई है :

ए. आर. सी. द्वारा राज्य में निम्न योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं:–1. भूमि विकास की, 2. नारंगी उत्पादन की व 15. लघु सिंचाई योजनाएं (कुल 17 योजनाएं) उक्त स्वीकृत योजनाएं योजना अवधि में 10.63 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृत की जा चुकी है। विवरण सूची में देखिये। इनमें से 10 योजनाएं के वर्ष वार निर्धारित लक्ष्य

(कृषि मंत्री)

एवं होने वाले खर्च का विवरण सूची 2 पर अंकित है : शेष सात योजनाओं में अभी कार्य शुरू हुआ है व ऋण वितरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है इन योजनाओं में संस्थागत व्यय उपलब्ध कराने में प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं जिनकी प्राप्ति में कमी रहने पर राशि लेप्स न होकर आगामी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों में जोड़ दी जाती है।

इन योजनाओं की क्रियान्विति में होने वाला प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार वहन करती है। इस हेतु आवंटित बजट व उसमें होने वाले खर्च का विवरण सूची '3' में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बांसवाड़ा जिले के वन

63. श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के निर्माण के पूर्व जिला बांसवाड़ा में वनों की क्या स्थिति थी ? इनमें कितने गांवाई जंगल थे और कितने रिजर्व ?

(2) राजस्थान के निर्माण के पश्चात् बांसवाड़ा जिले में वनों से राज्य सरकार को कितने धन की प्राप्ति हुई ? अब कितने गांवाई जंगल और कितने रिजर्व जंगल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) वर्तमान में जिले में जंगलों के संवर्धन के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनायें प्रारम्भ की हैं और उन पर अनुमानित कितना धन व्यय किया जायगा ?

(4) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा जिले के वनों की कटाई राजस्थान के निर्माण के पश्चात् बड़ी निर्दयता से हुई ? यदि नहीं, तो पहले बांसवाड़ा जिले की वर्षा का क्या औसत था और अब क्या है ?

उत्तर

(1) वैज्ञानिक आधार पर वनों का प्रबन्ध नहीं होने से आदिवासियों द्वारा ठीक ठीक कटाई तथा बाद में रक्षा पूर्ण नहीं होने से वन परिमार्षित हो गए थे। बस्ती से दूर के वनों की साधारणतया स्थिति ठीक थी। कोई गांवाई जंगल नहीं थे और न रिजर्व ही थे।

(2) राजस्थान निर्माण के बाद औसतन 4.72 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय हुई है। गत दस वर्षों में हुई आय की सारिणी संलग्न है। अभी कोई जंगल न गांवाई है और न रिजर्व ही। सारे वन 1386.14 वर्ग किलोमीटर रक्षित हैं।

(3) बांसवाड़ा जिले में वनों के संवर्धन के लिये निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं:––

(1) केन्द्र पोषित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत 3000 हैक्टर परिमार्षित वनों का पुनरुद्धार कार्य एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के आवास व्यवस्था हेतु चौकी का निर्माण–7,00,000/–रु.

(वन मंत्री)

(2) केन्द्र पोषित ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्रेश योजना के अन्तर्गत 800 हैक्टर परिमार्षित बनों के सुधार कार्य–1,90,000/–रु.

(3) अकाल सहायतार्थ कार्य में परिमार्षित वनों के पुनरुद्धार एवं भू-संरक्षण कार्यों का संधारण किये जाने में–48,000।–रु.

(4) गत 2 वर्षों में काटे गये 240 हैक्टर कूपों की सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु बाड लगाना–32,000।–रु.

इस तरह वर्ष 1972–73 में इन योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले कार्यों पर 9,70,000।–रु. व्यय होने का अनुमान है।

(4) जी नहीं। वनों का कटान एवं विकास कार्य राज्य द्वारा स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार कराया जाता है जो कि 10 वर्ष की एक योजना होती है। इस वर्किंग प्लान का कार्य-काल समाप्त हो गया है। इसलिये पुनः पुराने कार्यों का अध्ययन कर नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्किंग प्लान बनाने की कार्यवाही चल रही है। वनों की स्थिति गिरने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान हैं जो जनसंख्या बढ़ने के कारण बढ़ते जा रहे हैं और वनों की क्षमता उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले वर्षा का औसत 32–35 इंच था–सूखे के वर्षों को छोड़कर औसत अब भी यही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पाली जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियां

64. श्री **सुखलाल सेंणचा** (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं तथा कौन कौन सी समितियां लाभ अथवा हानि पर कार्य कर रही हैं ?

(2) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. पाली द्वारा उन्हें पिछले एक साल से कोई राशि की साख सीमा निर्धारित की है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में सात क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं। ये समितियां 30–6–71 को लाभ व हानि में निम्न प्रकार थीं—

लाभ वाली समितियां

1. रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.
2. सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.
3. सोजतरोड क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.

हानि वाली समितियां

1. जैतारण क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.
2. गणेश क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. खारची

(सहकारिता मंत्री)

3. रानी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.

4. पाली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.

2. जी हां, पिछले एक साल में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. पाली द्वारा निम्न क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को उनके नाम के आगे अंकित राशि साख सीमा निर्धारित की है।

1. रायपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. 95000 रायपुर।

2. गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. खारची 50,000/–

3. सोजतरोड क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. 1,00,000–सोजतरोड।

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. पाली द्वारा कृषकों को ऋण

65. **श्री सुखलाल सेंणचा** (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत दो साल की अवधि में केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली ने किसानों को कितना ऋण दिया है? यदि ऋण नहीं दिया तो क्यों? तथा आगामी खरीफ की फसल में कितना ऋण किसानों को बांटा जायगा?

उत्तर

गत दो साल की अवधि में केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली ने किसानों को निम्न प्रकार के ऋण वितरण किये :–

1969–70	32,56,521
1970–71	22,17,829

अतः ऋण न देने के कारणों का प्रश्न नहीं उठता। आगामी खरीफ की फसल पर कितना ऋण दिया जावेगा, यह बैंक की वसूली एवं राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक के बकाया ऋण चुकाने पर ही निर्भर करता है। इस समय बैंक आगामी खरीफ फसल पर कितना ऋण दे सकेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

बीकानेर जिले की शिक्षण संस्थाएं

66. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

बीकानेर जिले में किस किस स्तर की राजकीय सहायता प्राप्त कुल कितनी सस्थाएं कहां कहां हैं?

उत्तर

सूची संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़ा जिला घोषित करने का आधार

67. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के विभिन्न जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित करने के क्या आधार हैं?

(2) बीकानेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित न करने के क्या कारण हैं?

(श्री भीमसेन)

(3) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर में बीकानेर जिले की अपेक्षा बड़े, मध्यम एवं लघु उद्योग अधिक हैं तथा पूंजी विनियोजन भी अधिक है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा जो आधार निर्धारित किये गये हैं उनका विवरण संलग्न है। राज्य सरकार ने ऐसे कोई जिलों की घोषणा नहीं की है।

(2) बीकानेर भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों में नहीं आता अतः घोषित नहीं हुआ।

(3) जी हां।

पंजीकृत लघु उद्योग जिला उदयपुर व जोधपुर में बीकानेर से अधिक है एवं भीलवाड़ा में कम है। औद्योगिक दृष्टि से जिलेवार ब्यौरा प्रश्न के पैरा 1 में दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

पाखण्ड ग्राम के नाम का परिवर्तन

68. श्री **मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नाथद्वारा तहसील में पाखण्ड नामक ग्राम का नाम परिवर्तन हेतु पंचायत ने कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्राम का नाम रामपुरा कर दिये जाने में कोई कठिनाई अनुभव करती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रस्त व प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कोटा डिवीजन में चोरी, डकैती आदि की घटनाएं

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा डिवीजन में 1970 से 72 तक कितनी डकैतियां, चोरियां व कत्लें कहां कहां किस जिले में किस किस तारीखों को हुई ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि जहां जहां डकैतियां अथवा चोरियां हुईं उसका पुलिस द्वारा नकद व माल आदि बरामद कर लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पुलिस स्टेशनों की स्टेशनरी

70. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिये प्रतिवर्ष कितनी स्टेशनरी किस मात्रा में उपलब्ध की जाती है ?

(2) क्या यह स्टेशनरी एक पुलिस स्टेशन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस कमी की पूर्ति किस प्रकार की जायगी ?

(श्री मोहरसिंह)

(3) आजकल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी किस प्रकार इस कमी की पूर्ति करते हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेशानुसार सन् 1961 में प्रत्येक पुलिस थाने के लिये प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्टेशनरी की मात्रा निर्धारित की गई थी जिसकी सूची संलग्न है।

(2) निर्धारित मात्रा आम तौर से पुलिस थाने के कार्य के लिये पर्याप्त समझी जाती है।

(3) कुछ बड़े थानों में इस कमी की पूर्ति जिले के अन्य छोटे थानों की मात्रा मे से एडजैस्टमेन्ट कर की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि दिनांक 24-3-1972 को श्री भग राज चौधरी द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी जिसमें जालौर जिले के कतिपय गांवों में ग्रामीण चरागाह विकास योजना के अन्तर्गत जंगलात विभाग द्वारा तारबन्दी किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया था। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य बजट पर चल रही बहस के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं।

(2) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च 1972 को भारत पाक युद्ध के दौरान कपास निगम द्वारा पर्याप्त मात्रा में कपास न खरीदनें से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। यह मामला भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अत: इसे स्वीकृति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य बजट पर चल रही आम बहस के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी बजट की बहस के उत्तर के दौरान स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक पर विचार।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, अलवर व भरतपुर जिलों में...

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब सरकार से मांगा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मेरा स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : आपने दुबारा लिखकर भेजा नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर के सम्बन्ध में जहां मारपीट की गई थी कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ...

श्री अध्यक्ष : वह आपने दिया नहीं। वह अलग अलग था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टैकनिकली तो एक ही है । उसी विषय का दो ने दिया है ।

श्री अध्यक्ष : विषय वही है तो I will examine it.

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस करने से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक यह नियम रहा है कि मंत्री मण्डल के सदस्य अपनी पार्टी के निर्देश के अनुसार अपनी सम्पत्ति की जानकारी मुख्य मंत्री जी को दें । तो आज जब हम खेती बाड़ी की सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं तो हम सब विधायकों का और मन्त्री मण्डल के सदस्यों का यह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि हम सब अपनी अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा अपनी पार्टी को दे दें क्योंकि हमारा असर दूसरों पर पड़ेगा । हमारे मोड आफ लिविंग का असर जन साधारण पर पड़ेगा ।

आज से पहले मन्त्री मण्डल के सदस्य और सभी विधायक अपनी अपनी कान्स्टीट्यूऐन्सी में गये और बड़ी बड़ी फीस्ट में सम्मिलित हुए । कोई बात नहीं । अब आइन्दा जब कहीं जावें तो बजट की भावना का पूरी तरह से पालन करें । हर तरह से बचत करें और अपने पेट पर पट्टी बांध कर बचत करें । वे जैसा उपदेश देते हैं कि पेट पर पट्टी बान्धकर नये टैक्स को जनता वहन करे तो इसका उनको भी अनुकरण करना चाहिये और इसके लिए जरूरी है आइन्दा से मंत्री मण्डल के सदस्य किसी बड़ी फीस्ट में शामिल न हों ।

डिनर के साथ डांस और म्यूजिक होते हैं । यह लाइफ का हिस्सा है । पर पांच सौ हजार हजार की फीस्ट में शामिल होना व्यर्थ में खान पान की बरबादी करना अनुकरणीय नहीं है । आप हजारों की सभा में जाइये उनको एड्रेस करिये । प्रदर्शन का रूप उस गेदरिंग को दीजिये और उसके नतीजों पर अमल करिये । पर फीस्टों से बचिये । बजट पर बहस करने से पहले ये दो बातें कहना मैंने जरूरी समझा है और इसलिए निवेदन कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट का एक मेन्टल पहलू भी है । हमारे वित्त मंत्रीजी हैं । मैं समझता हूं कि फोर आल टाइम टु कम जो वित्त मंत्री बनेंगे वे डेट में आवेंगे, डेट में ही जीएंगे और डेट में ही रिटायर हो जावेंगे । इतना बड़ा डेट राजस्थान के सिर पर आज है ।

इतने बड़े डेट को नेशनल डेट कमीशन भी नहीं बदल सकता । सरटन प्रिन्सिपल पैटर्न आफ डेट को बदल पाना उनके लिये आसान नहीं होगा । एलोकेशन के आधार इसीलिये ये नहीं बदल पाते । आज तक जितने चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस पार्टी के बने । राजस्थान बनने के बाद कांग्रेस की ही मिनिस्ट्री रही । केन्द्र में भी कांग्रेस की ही सरकार रही । आज हमसे आप बात करते हैं कि नेशनल डेट कमीशन के सामने पेश कर दें सब । यह अच्छा है पर मैं समझता हूं कि अभी तक तो आप अपनी बैकवर्डनेस की परिभाषा ही नहीं दे पाये । आप अपनी चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स के सामने अपना केस पेश नहीं कर पाये । मैं आपकी मारफत निवेदन

Page No. 37

(श्री केदारनाथ)

करना चाहता हूं अगर आप चाहते हैं सेन्ट्रल फिजिकल स्टेट बदले इसके लिये जितना पैसा सेन्ट्रल से लें अन-प्रोडक्टिव स्कीम्स में वह राइट आफ होना चाहिये। यह आपका क्लेम है नेशनल डेट कमीशन की बात करते हैं, इसके लिये दूसरा आल्टरनेटिव है देश में नेचुरल केलेमिटि फन्ड बनाया जाय। यह स्टेट लेवल पर नहीं आता है. नेशनल लेवल पर आता है। सेन्टर उसकी देनदार है। मैं समझता हूं इस केस को इस ढंग से पेश करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा. अबके स्टेट के मुख्य मंत्रियों के कान्फ्रेन्स में हमारे मुख्य मंत्री न भाषण में यह कहा—The centre is giving a new focus to develop plants at ground level devoting special attention to those section of the population or regions which have so far been neglected. It shall now see to strengthen the weakest limbs. मैं समझता हूं इससे पहले अध्यक्ष जी, डा. गाडगिल ने एक फारमूला तय किया था। डवलपमेंट के हिसाब से वेजेज देते थे। पर केपिटा के हिसाब से वेजेज देते हैं, पर अब बदलना चाहिये। जो स्टेट ज्यादा बेकवर्ड है उसके लिये अध्यक्ष महोदय, एक फारमूला इवोल्व हो गया। सारे हिन्दुस्तान में एक मिनिमम स्टेन्डर्ड तय हो जायगा स्टेटे के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कितना होना चाहिये। अगर सेन्टर उस खर्चे को मीट नहीं करता है तो यह उसकी देनदारी है। डवलपमेंट पर जितना पैसा लगे वह सेन्टर की देनदारी होनी चाहिये। अगर आप यह नहीं समझते तो मैं नहीं समझता कि अलोकेशन का पेटर्न बदले। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं है जब प्लानिंग कमीशन के सामने कोई स्कीम ले जाते हैं-प्लानिंग कमीशन ने फैसला तय कर लिया कि 5—7 साल जो भी स्कीम के कान्सट्रक्शन में पैसा लगेगा, सेन्टर देती है पर रेकरिंग एक्सपेन्डिचर स्टेट को देने पड़ेंगे। आपके रिसोर्सेज है नहीं इसलिये आप रेकरिंग स्कीम पेश नहीं कर पाये। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी राजस्थान सरकार कभी वर्ल्ड बैंक के सामने नहीं गई और जो स्टेट वर्ल्ड बैंक के सामने गई, यू. एन. ओ. के मारफत, डवलपमेंट के मारफत गई, उनको पैसा मिला है। आज आपने अमेरिका से पैसा लेना बन्द कर दिया, यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास जाने के लिये आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, आपका फाईनेन्स डिपार्टमेंट, क्यों नहीं आपको राय दे पाये कि उनके पास अप्रोच की जाये ? क्यों नहीं आप अब तक उनके पास कोई स्कीम लेकर नहीं गये ? आपको कोई स्कीम तैयार करके उनके पास जाना चाहिये ताकि आपको पैसा मिल सके। जो इकोनोमिक वातावरण बने वह स्टेट को पेश किया जाय लेकिन यहां तो कोई जानता नहीं, कौन इसको मूव करेगा। और मैं नहीं समझता इन हालातों के बीच कोई मूव करेगा। आज अध्यक्ष जो, प्लान का अलोकेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है और नान प्लान का अलोकेशन फाइनेन्स डिपार्टमेंट करता है। खर्चा आपके पास है, यह कन्वेन्शन है। जितना रेवेन्यू का अनकवर्ड गेप है वह सेन्टर देगा। आप उस अनकवर्ड गेप को मीट नहीं कर पाये। इसलिये मैं सोचता हूं राजस्थान की हालत को देखते हुये वह अलोकेशन के पेटर्न की मांग करेगा। अध्यक्ष महोदय, यही चीज नहीं है

(श्री केदारनाथ)

जब राजस्थान केनाल के प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपया खर्च होगा तो उसके लिये यू. एन. ओ. के मारफत स्कीम पेश की ? अगर आपने पेश की होती तो आपको पैसा मिल जाता । आज अन्डर ग्राऊन्ड वाटर बोर्ड बना हुआ है । कहां कहां मीठा पानी है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाय, यह आपने नहीं किया । अगर आप यह सब करते तो आज राजस्थान का नक्शा बदल जाता । आपका कितना एम्पलायेमेन्ट बढ़ता, कितना लोगों का आज स्टेन्डर्ड बढ़ता, यह राजस्थान का नक्शा ही बदल जाता मगर कौन पेश करे, यह पेश भी होगी तो उसको परस्यू नहीं करते । इन कामों को पेश करने के लिये हमारे यहां से फारन में कोई नहीं जाता । ट्रेनिंग के लिये फारन चले जायेंगे, टूर के लिये फारन चले जायेंगे लेकिन इस काम के लिये फारन नहीं जाते–पैसा लेने के लिये कोई जाता ही नहीं है । कोई इकोनोमिस्ट जाय, कोई इस बात का स्पेसलिस्ट जाय और वह वहां जाकर मूव करे । डा. राजकिशन ने यू. एन. ओ. में मूव किया परन्तु राजस्थान की तरफ से कोई नामिनी नहीं पहुँचा । मैं यह बात कर रहा हूं स्टेट और सेन्टर के फाइनेन्सेज के बारे में वह स्टेज आ गई है कि हम बहुत कुछ करा सकते हैं, अगर हमारे इन्डस्ट्रियल पालिसी का बेसिस चेन्ज नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है । अगर आज भी हम यह सोचते हैं कि वेस्टर्न कन्ट्रीज से पैसा ले, फारन के मिनिस्टर्स यहां आये और यहां के मिनिस्टर्स फारन चले जांय और उससे आप यह समझे कि हम सोसलिस्टिक पेटने ले आयेंगे गलत है । अब प्राईवेट सेक्टर की वेल्यू नहीं रही है, उनकी कीमत नहीं रही है । आप आजकल के जो फार्म है उनको नेशनालाइज कीजिये उनकी पेईंग केपेसिटि क्या है, आपको मालूम पड़े । टैक्स इवेजन कैसे होता है, इसको आप मालूम नहीं करते, फारन कैपिटल को आप युटिलाइज नहीं करते उद्योगों को आप नेशनलाईज नहीं करते या ज्वाइन्ट उद्योग जो पहले तय किया हुआ है–चीफ मिनिस्टर बंगाल ने कहा है कि हमारी मिक्स्ड इकोनोमी फेल हो गई है । हिन्दुस्तान में अगर आप बेसिक फन्डामेन्टल इन्डस्ट्रियल पालिसि में चेन्ज नहीं लाते और आप यह कहते रहे कि 400 नल कूप खोदने हैं, छोटे मोटे एम्पलायमेंट देने है, इरीगेशन के साधन देने हैं तो अध्यक्षजी, इनके देने से यह समझें कि सोसलिज्म आ जायेगा गलत है । आज प्राइवेट सेक्टर में कन्ट्रोल की ज़रूरत है । ज्यादा एफिसियेन्सी आये तो लाजमी आप को यह टेबिल तय करनी पड़ेगी । जो सोशलिज्म की थ्योरी में विश्वास करते है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दें । प्राइवेट सेक्टर में इविल्स है उनको हटायें । आपने पालिटिकल वर्क्स का कभी विश्वास नहीं किया । कोई केडर आपने इसका तैयार नहीं किया नतीजा क्या हुआ ? आज पब्लिक सेक्टर घाटे में है । मिसमेनेजमेंट है, मजदूरों में असन्तोष है और उसका घाटा प्राइवेट सेक्टर उठाता है यह सारा फेल हो गया । अब प्राइवेट सेक्टर का एक्सटेन्सन हो, यह गलत है ।

आज हम कहते हैं खेती बाड़ी की सीमा निर्धारित की है । मैं मानता हूं लेकिन जब हम यह बात कहते हैं बात कहना तो आसान है लेकिन इम्प्लीमेन्टेशन उतना

(श्री केदारनाथ)

आसान नहीं है। अगर आप नारों पर जिन्दा रहना चाहते हो, इन्दिरा गांधी को खुश करना चाहते हो, तो आपका मेन्डेट आये। केबिनेट की मीटिंग बुलाई उसकी कापी हमारे पास नहीं भेजें। चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेंस करते हैं तो उसको हाऊस की टेबिल पर रखनी चाहिये। कृषि भूमि की सीमा लोवर कर दी 30 से 18 कर दी लेकिन जो गाईड लाइन दी है सेन्ट्रल रिफार्म कमेटी ने वह भी जोड़ दीजिये—इससे कोई ऐतराज नहीं। 30 स्टेन्डर्ड एकड़ के बाद कितनी सरप्लस लैन्ड आई, सारा प्लान क्यों फेल हुआ, क्यों नहीं इसको आप लागू कर पाये? 10–12 साल का वक्त था क्या आपने 18 एकड़ के प्रिवेन्टिव स्टेप्स ले लिये, क्या आपने सर्वे कर लिया, कितना लैन्डर्स आपको मिलेंगे, कितनी जमीन आपको मिलेगी और आप सोचते हैं हम इधर उधर करके इम्पलीमेन्टशन कर पायेंगे तो वह आपकी गलत फहमी है। अगर आप चाहते हैं जितनी शेयर क्राप्स है उनका इन्टरेस्ट सेफगार्ड हो तो मैं 18 को ही मानता हूं इरिगेशन सेन्ट परसेन्ट हो। अगर आप विलेज लेवल पर, तहसील लेवल पर, लैन्डलैस कमेटी का एक निर्माण कर दें, और शेयर प्रापर्टी का निर्माण करदें केवल आफिसियल के भरोसे यह इम्प्लीमेंट नहीं कर पायेंगे। विलेज कमेटी बन जायेगी और आप स्पाट पर जायेंगे तो परिवार के नाम पर कितनी जमीन है. माइनर के नाम पर कितनी जमीन है, यह सब आपको स्पाट पर मालूम पड़ जायगा वर्ना जिस लैण्डलैस के लिए आपने आपना प्लैज किया है घोषणा—पत्र में, कुछ समय आपका रास्ता देखेगा यदि आप रिफार्म्स चाहते हैं तो मेरे सामने जापान की हिस्ट्री है मेरे सामने चाइना की हिस्ट्री है, मेरे सामने एशिया के और दूसरे कन्ट्रीज की हिस्ट्री है, अध्यक्ष महोदय, लैण्ड रिफार्म्स के नाम पर सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में हुए हैं और सबसे कम इम्पेक्ट भी यहां ही हुआ है उसकी मशीनरी को आप गियर-अप नहीं कर पाते, आप उसको टोन-अप नहीं कर पाते। मेरा कहना है कि आप विलेज लेविल पर कमेटी बनाओ तब कहीं जाकर इसका इम्पेक्ट होगा वर्ना 10-15 रोज के बाद हम सवाल पूछेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम सवाल पूछेंगे कि कितनी सरप्लस लैन्ड आई तो जवाब मिलेगा कुछ नहीं आई और अगर थोड़ी बहुत आई तो वह अनकल्चरेवल लैण्ड आई है और इसके ऊपर भी कब्जा है। आप ताज्जुब करेंगे अध्यक्ष महोदय कि पिछले पांच दस सालों में मैं तो हमेशा से यह मानता हूं कि इस देश में आहिस्ता आहिस्ता लैण्ड के फ्रेगमेन्टेशन होंगे क्योंकि बरडन आफ पापुलेशन बढ़ रही है, आप इन्डस्ट्रियल बेस नहीं बना रहे हैं काटेज इन्डस्ट्रीज नहीं चला रहे हैं तो क्या होगा कि जो छोटे किसान कहीं स्टेण्ड नहीं करते है वह कहां जायेंगे? वह लैण्डलैस हो रहे हैं आपके सामने। या तो फिर आपको काप-रैटिव फार्मिंग को लाइये, ऐसी क्लाइमेट तैयार करिये, उनको ऐसा इनीशियेटिव दीजिये, ऐसे रिफार्म्स कीजिये, ताकि कोआप-रैटिव फार्मिंग हो जाये वर्ना छोटे किसान कहीं के नहीं रहेंगे। आप किस के लिए सीलिंग कर रहे हैं? अगर आप इनकी बाडीज नहीं बनाते, विलेज लेविल पर कमेटी नहीं बनाते कोई लैण्ड आर्गेनाइजेशन नहीं बनाते, और उनकी कमेटी नहीं बनाते तो

(श्री केदारनाथ)

आपका इम्पेक्ट हमेशा के लिये खतम हो जायेगा। दरसल आप हिन्दुस्तान को सोशिलिस्ट पाथ पर लाना चाहते हैं मैं समझता हूं कि मेरे पास आज मान लें कि दस बीघा जमीन है और मैं कभी काश्त नहीं करने गया और लेबर को वेज पर रखकर काश्त कराता रहा तो इसका इम्पेक्ट गलत है। हमारे बीच में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं ज्यादातर लोगों के पास खेतीबाड़ी के धंधे हो सकते हैं मैं उनको छूट दे सकता हूं लेकिन जिनके पास और दूसरे मीन्स आफ लिवलीहुड हैं, दूसरे साधन हैं, एलाइड मीन्स आफ एम्पलायमेन्ट हैं, उनको स्पेयर नहीं किया जा सकता। आप लैण्ड गिविंग का नारा देना चाहते हैं तो आपको इस फिलासफी में विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप सीलिंग ईमानदारी से लाना चाहते हैं तो गाइड लाइन दी है उनके ऊपर चलकर आपको अपनी मशीनरी को सुधारना होगा। आप विलेज लेवल पर कमेटी बनाओ और जिन्होंने दस साल एन्क्रोचमेन्ट किया है, उनका एन्क्रोचमेन्ट वापिस कर दो उनसे जमीन छीन लो। आपने गैर काश्तकारों की जमीनों को तो रेगुलेराइज कर दिया, सन् 60 तक की रजिस्ट्रीज को रेगुलेराइज कर दिया, एक पब्लिक सरवेन्ट ने रिटायर होने के बाद में फार्म बना दिया और वेज ओनर्स से खेती करवाते हैं ऐसी फिलासफी हमें नहीं सीखनी चाहिए। आपको एन्क्रोचमेन्ट के बारे में नयी एप्रोच लानी पड़ेगी, खेती के लिए नयी एप्रोच लानी पड़ेगी। आपने कभी सर्वे कराया? आपने कभी यूनीवर्सिटी लेवल पर स्टड़ी करवाई? नहीं करवाई। फिर आप मुझे बताओ कि आप किस को बसाने जा रहे हैं? कितने लेण्डलेस हैं, कितने लोगों को आपने लैण्ड का अलाटमेन्ट कर दिया है? जिस स्टेट के पास इस तरह के डेटाज नहीं हों और गलत डेटाज के ऊपर आप अपने रिफार्म्स करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमेशा खतरनाक होते हैं। डेटाज आपके पास नहीं हैं, डेटाज कनफिलक्ट करते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेन्ट से आपका मेल नहीं खाता है, सेन्ट्रल सर्वे कमिशन कुछ कहता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका कुछ कहता है तो फिर आप ही बतायें कि राइट डाइरेक्शन में किस तरह वर्क किया जा सकता है। इनमें जो डिस्पेरिटीज हैं वह मैं आपके सामने बयान नहीं करना चाहता हूं।

दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, जो अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग आ रही है उसके बारे में। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से बजट स्पीचों में इसकी चर्चा हो रही है। पहले मुख्य मत्रीजी कहते रहे कि आल इन्डिया लेवल पर वातावरण बन रहा है और एक माडल बिल हमारे सामने पेश होगा। इसका मतलब यह है कि लगातार तीन साल तक आपने लोगों को मौके दिये कि वे इल्लीगल पार्टीशन कर लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दस साल पहले जिस व्यक्ति ने प्लाट खरीदा दस हजार को ऊपर को आबादी वाली जगह पर उसकी कीमत आज काफी बढ़ गयी। उसका फायदा कौन उठा रहा है? जहां आप लैण्ड टू दी टिलर कहते हैं वहां आपका हाउस टू दी ड्वेलर का भी नारा आपको देना चाहिए। आज से दस साल पहले किसी ने एक प्लाट खरीदा और उसकी कीमत 500 रुपये दी और आज उसकी कीमत 50 हजार हो गयी तो इसकी कीमत कैसे बढ़ी? म्युनिसिपैलिटी ने एफर्ट्स की,

(श्री केदार नाथ)

बिजली आई, पानी आया और कुछ काम गवर्नमेंट लेवल पर हुआ इसलिए इस प्लाट की कीमत बढ गई। तो इसके बीच में जो लोग हैं उनको मुनाफा नहीं देना चाहिए। क्या आपने कभी सर्वे की है? क्या आपने कभी सेन्सस की है कितने शहर दस हजार की ऊपर की आबादी के हैं और उनमें कितने प्लाट्स वेकेन्ट हैं और किस किस के तीन तीन प्लाट्स हैं, कितनी कमर्शियल शाप्स हैं इस बारे में आपका कोई सर्वे नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप जितने भी खाली प्लाट्स हैं उनके ऊपर आप कब्जा करलो। अगर सरकार 6 महीने पहले यह नीति घोषित कर देती तो ट्रान्जेक्शन बन्द हो जाते। गंगानगर में जमीन की कीमत 60 हजार रुपया एक मुरब्बा की है और उसका बेचान होता है तो 30 हजार रुपये के हिसाब से और बीच में टैक्स की चोरी हो जाती है। शहरों में यह हुआ कि किसी रूलर के पास प्रापर्टी है तो उसने अपनी प्रोपर्टी को बेच दी, आज बड़े केपेटिलिस्ट जमीन जायदाद बेच रहे हैं। कानून बनाते समय उसमें खामियां लगादी और जब कहेंगे तो जवाब आयेगा हम क्या करें लीगल एक्सपर्ट की राय हमारे खिलाफ है। जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है वह सबसे निकम्मा ला का डीपार्टमेंट है। सारे कानूनों में लूपोल रखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो शहरों में प्रापर्टी की कीमत बढ़ी है उसको आप सोशियेलाइज कीजिए। यह किसी व्यक्ति की नहीं है, यह हमारी और आपकी सबकी साझी है। इस कीमत में सबका हिस्सा है। न तो प्लाट के मालिक का है और न किसी और का है यह तो हमारा और आपका सबका हिस्सा है। अगर एक के पास एक ही प्लाट है और लैण्ड कम होने के कारण प्लाट पर कन्सट्रक्शन नहीं करा पाया तो आप उसको स्पेयर कर दीजिए लेकिन जिसके पास तीन तीन और चार-चार प्लाट्स हैं, कामर्शियल शाप्स है और 25 पर्सेन्ट लोग इसके ऊपर डिपेण्ड करते हैं और ह्यूज प्राफिट अर्न करते हैं उनको आप मत बकसो। दूसरे जो लैण्डलैस हैं उनमें उस प्रापर्टी को बांटो तब मालूम पड़ेगा कि हाउस टू दी ड्वेलर्स का नारा आपने दिया है। एक तरफ तो पैलेशियल बिल्डिंग्स हैं, आपको मालूम है कि बिल्डिंग इन्डस्ट्री कितनी कास्टली हो गयी और एक तरफ स्लम्स हैं। आप सोशियेलिस्ट पाथ पर चलना चाहते हैं तो आप ही बतावें कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? आप समस्या का हल नहीं पा सके। आप बन्द कीजिए इस टेन्डेन्सी को कि दो मन्जिल से ज्यादा किसी की भी बिल्डिंग न हो। एक्विजीशन की कार्यवाही सिम्पलीफाई हो। एक्वायर करके लोगों को बांट दीजिए लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। पिछले दस सालों से आप बात करते हैं कि एक्वीजीशन की कार्यवाही बड़ी काम्पलीकेटेड है और आपके सामने मुश्किल थी कि इतना बड़ा कम्पन्सेशन कौन देगा तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने शहर की प्रापर्टी की सीलिंग 5 से 7॥ लाख की की है दूसरी स्टेट्स में 1॥—2 लाख की है। अध्यक्ष महोदय, इतनी डिस्पेरिटी किस बात की है? आप देखलें कि 5 आदमी के परिवार में कितनी आमदनी होनी चाहिए, चाहे किसान का काम हो, चाहे कामर्शियल शाप हो, चाहे इन्डस्ट्रियल यूनिट हो, चाहे नौकरी करता

(श्री केदार नाथ)

हो, चाहे और धंधा करता हो, आखिर आप को सेक्शन बनाना चाहिए कि 5 आदमियों के ऊपर कितनी आमदनी होनी चाहिए। आपके कम्फरटेबल लिविंग पर सीलिंग बांध दीजिए, इसमें कोई एतराज नहीं है। पांच लाख शहरों के लिए और 12 एकड़ देहातों के लिए यह डेस्पेरिटि चलने वाली नहीं है। इस डिफरेंस को मिनिमाईज करने के लिए, आपको इस फर्क को मिनिमाईज करने के लिए, कुछ करना होगा। पचास हजार, एक लाख रुपया कर दीजिए। आज गंगानगर में क्या हालत है? वहां एक मुरब्बे की कीमत, चाहे वह नाली में ही हो, उसकी आम कीमत आज एक लाख रुपया है। उसको भी छोड़ दें तो भी एवरेज कीमत चालीस हजार रुपया है। पच्चीस बीघा में से सात बीघा से ज्यादा पर काश्त नहीं होती। मैं इस हाउस के माननीय एम. एलेज को इन्वाईट करता हूं, आप आईए और देखिए। आप इनको पूरा इर्रीगेशन दीजिए तो बीस बीघा जमीन ही काफी है। सेंट पर्सेंट इर्रीगेशन हो, रेनफाल हो और नीचे का पानी मीठा हो, ट्यूबवेल्स हों तो 15-20 बीघा जमीन ही काफी है। इर्रीगेशन फैसिलिटीज पूरी हों तो दो फसलें हो सकती हैं और इतनी जमीन से ही काम चल सकता है। शहरों में पांच लाख की सीलिंग हो और हमारे देहातों में 18 एकड़ जमीन हो तो यह मेल नहीं खाता। इस शहर को ही ले लीजिये तो इस शहर में भी पांच छः लाख से ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सिवाय रूलर्स की या जागीरदारों की कुछ प्रोपर्टी को छोड़ कर आप किसी की प्रापर्टी को एक्वायर नहीं कर पायेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? केवल स्लोगन हो जाएगा, मास विक्ट्री जो लोगों ने आपको दी है तो लोगों को प्लीज करने के लिए आपने अपने बजट भाषण में कह दिया, भाषण दे दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने और तालियां पिट गईं, अखबारों में न्यूज निकल गई और वाहवाही हो गई लेकिन इसका जब रिजल्ट आप देखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? प्रॉपर्टीज एक्वायर होंगी नहीं, दूसरी तरफ स्लम्स साफ होंगे नहीं, झुग्गी झोंपड़ी की समस्या हल होगी नहीं, झुग्गी झोंपड़ी वाले बसे नहीं, लैंडलेस बसे नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका नतीजा बड़ा भयानक होगा। अभी, अध्यक्ष महोदय, इस देश में प्लाण्ड इकोनोमी में विश्वास है, कुछ लोग डवलपमेंट और प्लाण्ड इकोनॉमी में विश्वास नहीं करते हैं उनकी बात छोड़ दीजिये, लेकिन जो डेमोक्रेटिक मैनर में विश्वास करते हैं और अगर आप डेमोक्रेटिक मैनर से इस कैपिटलिस्ट पाथ को सोशलिस्टिक पाथ पर कन्वर्ट नहीं करते हैं तो इसकी जो रंजिश होगी, इसका जो गुस्सा होगा वह बड़ा भयानक होगा, उसको आप सम्भाल नहीं पायेंगे। इसलिए मैं कांग्रेस के माननीय एम. एलेज को, कांग्रेस के पोलिटिकल लीडर्स को, निवेदन करना चाहता हूं कि आप देहातों में जायं, बस्तियों में जायं और आप इस [illegible] को चैनेलाईज करें। अगर आपने इस ओर कोई प्रयास नहीं किया, लोगों को इस फिलॉसॉफी में चेंज नहीं किया और उनके दिमाग को खुला छोड़ दिया तो इससे जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ेगा वह इतना भयानक होगा कि इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेसेज को

(श्री केदार नाथ)

मोबीलाईज कीजिये, जो यूथ लेंडलेस हैं, मेन पावर है, उसको मोबीलाईज कीजिए और उनको सही डायरेक्शन दीजिए। जो ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी है, जो इन्एफिशियेंसी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज हैं, उनको दूर कीजिये।

तो मैं आपके सामने इसी सम्बन्ध में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात कही। आपने कहा कि छः हजार टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, बड़ी खुशी की बात है। मगर दूसरे लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या होगा? डॉक्टर्स का क्या होगा? कितनी पोस्टें आपने क्रियेट की हैं? कितने डॉक्टरों को एम्प्लाय करेंगे? ठीक है, उनके लिए आपने 250 रुपये मासिक का प्रावधान कर दिया और पांच हजार रुपया उनको दवादारू के लिये भी देने की बात कर दी। यह भी पैसिफिक एप्रोच है। जो शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे बी. ए. पास हैं उनको डेढ़ सौ रुपया और जो एम. ए. पास है उनको 250)रु. दे देंगे, यह भी ठीक है। इंजीनियरों का पूल बना दिया, यह भी ठीक है। मगर ये लोग कौन हैं? इनमें अधिकतर हायर क्लास के बच्चे हैं, पांच दस पर्सेंट को छोड़ दीजिये। लेकिन इनमें अधिकतर नेग्लेक्टेड तबके के लोग नहीं हैं। जो प्राईमरी पास करके बेकार हैं जो मिडिल पास करके बेकार हैं, जो मैट्रिक पास करके बेकार हैं, उन लोगों के बारे में क्या है? क्या स्लोगन है आपका और जो लोग इल्लिट्रेट एम्प्लायमेंट के रास्ते पर हैं उनके बारे में आपके पास क्या क्रेश प्रोग्राम हैं? आप जानते हैं कि राजस्थान में सिर्फ 15 पर्सेंट सिचाई से खेती बाड़ी होती है और बाकी सारा इलाका डेजर्ट है। मानसून की वेगेरीज पर डिपेंड करते हैं, चार साल फेमिन रहता है, तो एक साल रैनफाल होता है। इन लोगों के अण्डर एम्प्लॉयमेंट का सवाल है। आप किस मैनर से इनको एम्प्लायमेंट देंगे? आज फण्डामेंटल राइट में अमेंडमेंट भी करिए लेकिन इसके साथ ही साथ राइट टू वर्क भी फण्डामेंटल राइट में इफेक्टिव होना चाहिए। राइट टू वर्क मिलना चाहिए। एक इंसान काम चाहता है, आपसे, रोजी चाहता है। आप मकान, जमीन के एलॉटमेंट और फाइनेंस पर सीलिंग की बात करते हैं तो राइट टू वर्क का अधिकार भी इस देश में आपको देना होगा। परसनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इस देश में हंगामा कौन लोग करते हैं? पांच पर्सेंट लोगों ने हंगामा मचाया और कॉस्टीट्यूशन में फण्डामेंटल राईट को तब्दील नहीं होने दिया। जो लोग बड़ी 2 प्रापर्टीज़ के मालिक हैं वे ही लोग राइट टू वर्क का फण्डामेंटल राइट देने से इन्कार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में बिलो पावर्टी लाइन में कितने लोग हैं।

About 40 of the rural population and 50 of the urban population is bound to be living below the minimum 324 and 486 per capita per annum in the areas respectively at 68-69 price level. It means that at the beginning of the fourth plan above 223 million people lived below it. To bring down the poverty line, they suggested annual investment of six hund-

(श्री केदार नाथ)

red crores to one thousand crores for this purpose.

आज हिन्दुस्तान में 50 पर्सेंट शहरों में और 40 पर्सेंट देहातों में बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं जिनको जिन्दा रहने के लिए सब्सिस्टेंस अलाउन्स नहीं मिलता। लिविंग वेज की बात छोड दीजिये, मेक्जिमम स्टेंडर्ड आफ लिविंग की बात छोड दीजिये, कम्फरटेबल लिविंग की बात छोड दीजिये, लेकिन जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जिन्दा हैं उनके बारे में क्या सोचा है? राजस्थान तो उससे भी ज्यादा कमजोर हालत में है। यहां से सिक्स्टी टू सिक्स्टी फाईव पर्सेंट तक बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। जब तक आप इनके बारे में फण्डामेंटल चेंज नहीं लायेंगे, लैण्ड में, इण्डस्ट्रीज के पैटर्न में चैंजेज नहीं लाते तब तक मैं समझता हूं कि आप बेकारी की समस्या को तय नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, जब हम बेकारी की बात करते हैं तो यूथ के पास जाएं, आपने ऐजूकेशन में फिलहाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। अगर क्वांटिटी एक्सप्रेशन से देखा जाय तो राजस्थान ने बड़ी तरक्की की है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। लेकिन इसकी क्वालिटी को देखिये। आज के बच्चे पढ़े-लिखे बच्चे जिस समाज को बदलने जा रहे हैं क्या अपकी एजूकेशन उससे मेल खाती है? नहीं मेल खाती है। आज डिग्निटी आफ लेबर नहीं चाहते। मेन्यूअल लेबर करना नहीं चाहते। उसमें अन एस्थेटिक सैंस पैदा हो रहा है यूथ के सामने पिक्चर क्लियर नहीं है। एजूकेशन सिस्टम को फंडामेंटली चैंज करने की जरूरत है।

तो, मान्यवर, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां इण्डस्ट्रियल लेबर रिलेशन की बात भी हिन्दुस्तान में है। यूनियन्स ने फैसला किया है। लोकसभा ने ग्रेच्यूएटी स्कीम का बिल पास कर दिया है, बोनस एक्ट में तब्दीली लाने के लिए 7–8 एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी है, लेकिन राजस्थान में हालात बिगड़े हुए हैं, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट को लेबर के बारे में पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। आपको लेबरर्स के लिए निर्मित एडवाइजरी बॉडीज में बैठकर तय करना होगा। यूनियन्स की मान्यता का सवाल है, नेगोशियेशन्स के द्वारा सारे डिस्प्यूट्स को तय करवाइए, जो लेबर अनरैस्ट फैला हुआ है उसको रोकने की कोशिश कीजिए। केवल यह कह देने से कि हमने मिनिमम वेजेज बढ़ा दिऐ हैं या उनकी सैलेरी में थोड़ी बढ़ोत्तरी कर दी है तो इससे आप इनके रिलेशन्स में ज्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। आज आपके यहां के प्रोडक्शन की क्या हालत है? हमारी शुगर फैक्ट्री है, बीकानेर की ऊन मिल है, जो पब्लिक सैक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में जैसी गड़बड़ी रहती है, उसके बारे में आप इनके लेबर रिलेशन्स को देखें। जब तक डिस्सेटिस्फेक्शन मैक्जिमम लिमिट तक नहीं पहुंच जाता लेबर डिपार्टमेंट इण्टरवीन नहीं करता। जब तक स्ट्राईक का नोटिस नहीं आ जाए, हड़ताल हो जाये और 107 और 151 की कार्यवाही की जाये तब इण्टरवीन करता है। तो क्यों नहीं आप इस एप्रोच को बदलते? आप क्यों नहीं इस प्रश्न को सुलझाते है? क्यों नहीं ऐसी मशीनरी को

(श्री केदार नाथ)

इवॉल्व करें ताकि इन्डस्ट्रियल रिलेशन सुधरे। इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, अब मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ वह है टैक्सेशन के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि जो खेती का काम करते हैं, उन्हें मालूम है कि आज कॉस्ट ग्राफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई है। खाद पर आपने टैक्स बढ़ा दिया और उसके बाद अनाज पर टैक्स बढ़ जाये। इसके बाद बीजों की कीमत बढ़ जाये, इसके अलावा बिजली का खर्चा जो आप इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिये देते हैं और खेतीबाड़ी के लिये देते हैं, दोनों की रेट्स में कितना फर्क हैं? जो क्रेडिट पॉलिसी है, उसको सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। रिजर्व बैंक के एक डिप्टी चेयरमैन हैं, उसकी यह रिपोर्ट है—जितना पैसा आज तक दिया गया है उसमें मारजीनल किसान को बिलो एक पर्सेन्ट मिला है। 75 पर्सेन्ट आज हमारे राजस्थान में मारजीनल किसान हैं और उनके पास में इकोनामिक होल्डिंग के नजदीक सी जमीन है। आप जानते हैं कि यह टैक्सेशन किस पर है? ऐसे टैक्सेज जिनसे कि खेती बाड़ी के प्रोडक्शन में रुकावट हो, जिससे डिस्पेरिटी बढ़े, इम्बेलेंस बढ़े, प्रोडक्शन की मशीनरी में कास्ट बढ़ जाये, तो ऐसे टैक्सेज को आप वापिस कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। चना, दाल, अनाज और खाद पर आपने टैक्स को बढ़ा दिया है। अब वक्त आ गया है कि एक्साइज और सेलसटैक्स का इन्टेग्रेशन होना चाहिये। एक सेन्ट्रल ला के तहत टैक्सेशन का यूनिफिकेशन होना चाहिये और जो राज्य का डिवीजनल हिस्सा आये वह उसको मिल जाये। एग्रीकल्चर इकोनोमी और नान-एग्रीकल्चर इकोनामी, इसका एक यूनिफाइड टैक्सेशन हो। परन्तु बजट में इसके लिये कोई इन्डीकेशन नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, मान्यवर, कि जब तक आप लिकर और सिनेमाज पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे मेन्टल हेल्थ ऑफ पापूलेशन बिगड़ती चली जायेगी। आपको आज नये इन्सान को पैदा करना है, नई सोशल फिलोसाफी को पैदा करना है, तो मेन्टल हेल्थ ऑफ पापूलेशन को बिगड़ने से रोकना जरूरी है। लेकिन लिकर और सिनेमा पर आप कन्ट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपने इसको एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया है।

25 तारीख को आपने टेन्डर इनवाइट किये हैं–मैंने सुना है कि ये टेन्डर आपने शराब के लिये इनवाइट किये हैं। एक्साइज का जो ला है, उसके रूल 2 के तहत आपने टेन्डर इनवाइट किये है। ये टेन्डर आपके पास आ गये हैं। 25 तारीख तक ये देने थे। आम तौर पर यह प्रेक्टिस है और जैसी कि मेरी जानकारी है, आमतौर पर यह प्रेक्टिस है कि एक व्यक्ति ने हाइएस्ट टेन्डर दे दिया तो उसके छोटे भाई ने दूसरा सेकेन्ड लोएस्ट टेण्डर दे दिया और तीसरा टेन्डर उसके किसी रिश्तेदार ने दे दिया। परन्तु ये सब टेन्डर एक ही फेमिली के होते हैं। उनमें से पहला एक हाइस्ट पांच लाख का, दूसरा दो लाख का और तीसरा एक लाख का, तो ये टेन्डर हो गये और टेन्डर खुल गये। हाइस्ट टेण्डर वाले को इजाजत दी जाती है। 28 तारीख को आर्डर दे दिये गये हैं। जिसका हाइस्ट टेन्डर था वह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वह आर्डर

(श्री केदारनाथ)

सेकेन्ड नम्बर वाले को मिल जाता है जब कि ये टेण्डर एक ही फेमिली के होते हैं, उसी के भाई का होता है, तब वह क्यों पहला टेण्डर मन्जूर करने की स्वीकृति देगा, चार लाख का इसमें उनको नुकसान है। वह जानता है कि दूसरा टेन्डर भी उसकी ही फेमिली का है। तो यह नुकसान किसको होता है? सीधा अर्थ है राज्य कोष को नुकसान हो रहा है।

श्री चन्दनमल वैद वित्त मंत्री : एक स्पष्टीकरण कर दूं। एक आफ सेट प्राइस रख दी गई है। पिछले साल जितने में टेन्डर गया था उससे 50 प्रतिशत ज्यादा होगा। और इससे कम में किसी का भी टेन्डर एकसेप्ट नहीं किया जायेगा। इसलिये नुकसान का कोई सवाल यहां पर नहीं है।

श्री केदारनाथ: मेरी नॉलेज में यह बात आई, इसलिये यहां पर निवेदन कर दी है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो अंग्रेजी शराब है उसका ऑक्शन होना चाहिये आप इस मोनोपोली को तोड़े। इससे आपको पैसा मिलेगा। तीन महीने पहले शोभाराम जी ने घोषणा की थी वे चुप हो गये। मालूम नहीं क्या राज है इसके पीछे? आप इसका ऑक्शन क्यों नहीं करते? ओपन मार्केट में आने से आपको अधिक पैसा मिलेगा, आपको फायदा होगा। किसी की मोनोपोली टूटती है तो टूटने दीजिये, हम इसको तोड़े। आज हम मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली तोड़ रहे हैं, इन्डीस्ट्रियेलिस्ट की मोनोपोली तोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर की लिमिट तोड़ रहे हैं, तो शराब की यह जो मोनोपोली है उसको आप क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? अगर आप इस मोनोपोली को तोड़ते है तो आपकी रैवेन्यू बढ़ेगी। आपको ख्याल होना चाहिये कि हमारा टोटल इनवेस्टमेन्ट कितना हुआ है? तीन प्लानस के अन्दर और चौथी प्लान के अन्दर कितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान स्टेट में किया गया है और इस टोटल इन्वेस्टमेंट में कितनी रिटर्न हमको मिली है, और उससे हमारी कितनी असेटस बनी है? यह हमारे सामने आना चाहिये कि हमारी असेटस् क्या है और लाइबिलिटीज क्या है? यह किताब हमको परसों मिली है। यह किताब अगर दस-पन्द्रह रोज पहले मिल जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। यह कन्ट्रोलर एण्ड ऑडीटर जनरल आफ इन्डिया की रिपोर्ट है। यह किताब हम को पहले मिल जाती तो इसके कुछ आंकड़े देख कर यहां पर पेश करते। यह किताब अब दे रहे हैं जब कि बजट पर चार दिन की बहस समाप्त हो रही है। कितना पैसा आजकल खर्च किया है, और कितनी असेट्स अब तक क्रियेट कर दी गई हैं और इसके क्या कारण है, क्या इसके लूपहोल्स हैं, क्या शार्टफाल हैं? आप इसकी स्टडी करिये ताकि इकोनॉमी को बोल्ड करने में फायदा हो।

अन्त में यहनिवेदन और करना चाहता हूं कि इसका पोलिटिकल आसपेक्ट क्या है? टैक्सेशन के प्रपोजल्स आपने रख दिये हैं। आबियाना की ट्रेडर्स भी आपने बहा दी है। कुछ रिफार्म्स की तरफ स्टेप्स आपने उठाये हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वह आदमी नहीं हूं कि बजट पर आपको कम्पलीमेन्टस् पेश न करूं और उसकी आलोचना ही करूं परन्तु मैंने तो इसका आब्जेक्टिव्यू आपके सामने पेश किया है, और यदि

(श्री केदार नाथ)

आप इसका इम्पेक्ट कायम करना चाहते हैं, तो आपकी जो फाइनेंसिंग मशीनरी है, उसको सुधारें। मंत्रिमण्डल के जो दस साथी हैं वे अपने लीविंग को सुधारें। हम कुछ बदलें। जनता के सामने नये नमूने पेश करें। अपना एप्रोच ऐसा करें जिससे कि ब्यूरोक्रेसी में जो कमजोरियां हैं, वे दूर हों। इससे इम्पलीमेन्टिंग स्टेज पर भी फायदा होगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बजट की बात आपके सामने रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : महारावल लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखूं उसके प्रथम मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सूक्ष्म में निवेदन करूंगा, जिसका सम्बन्ध हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था से बहुत नजदीक, ताल्लुक और निकटतम सम्बन्ध रखता है, और वह है आज की पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में समझौता वार्ता जो अभी अभी मई में समाप्त हुई है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि संघर्ष में कोई लाभ नहीं है। बीती ताहि बिसार दे और आगे की सुधि ले। यदि इस देश के अपने पड़ौसियों के साथ उसके सम्बन्ध अच्छे होते हैं, खास कर के पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध अच्छे होते हैं, तो यह पाकिस्तान के लिये हितकर होगा ही किन्तु सारे भारतवर्ष के लिये भी हितकर होगा और इस तरह हम आंख मीचकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिये उटपटांग खर्चा नहीं करेंगे, इससे हमारे खर्च में मितव्ययता आयेगी और उत्पादन के सम्बन्ध में, योजना के सम्बन्ध में द्रुत गति से हम आगे बढ़ सकेंगे। खासकर के राजस्थान के सम्बन्ध में जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान से निकट सम्बन्ध है, अगर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच समझौता होता है तो राजस्थान के लिये भी यह लाभप्रद होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने सीलिंग के संबन्ध में, शहरी सम्पत्ति और कृषि सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार की रीति और नीति के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। मैं जब तक कोई कानून नहीं बनता है तब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जहां तक कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति पर सीमा निर्धारण करने का सवाल है मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि राजस्थान की सरकार ने जो कुछ भी कानून पारित किये उनका इम्प्लीमेन्टेशन, उनकी क्रियान्विति ईमानदारी के साथ नहीं हुई। अगर पक्षपात सरकार बरतती है, अगर शासनारूढ़ दल के साथ मिले-जुले लोग हैं उनके लिये एक अलग मापदण्ड अपनाती है और अन्य लोगों के लिए दूसरा मापदण्ड अपनाती है तो मैं समझता हूं यह सीलिंग जो सरकार लाना चाहती है कृषि-भूमि के सम्बन्ध में यह लाना और न लाना बराबर होगा। मैंने अभी देखा है कि मैसूर ने सीलिंग 10 स्टेण्डर्ड एकड़ पर किया है। राजस्थान न मालूम क्या करना चाहेगा ? लेकिन धीरे-धीरे मुझे यह लगता है कि भारत सरकार की यह नीति है कि सारी जमीनों का काम्युनेलाइजेशन कर दिया जाय, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और सहकारी खेती लागू की जाय। अगर यह व्यवस्था सरकार को करनी है तो इस सम्बन्ध में सरकार को

Page No. 48

(श्री लक्ष्मणसिंह)

घोषण। करना चाहिए ताकि लोगों के मन में जो शंका है उसका निवारण हो जाय। इन चीजों को वर्षों तक दोहराना, इन चीजों को सरकार धीरे-धीरे अपनी रीति-नीति से आगे बढ़ाती है तो यह मेरे ख्याल से संतोषजनक व्यवस्था नहीं है।

जहां तक शहरी सम्पत्ति का संबन्ध है मैं उस संबंध में कुछ भी अभी नहीं कहना चाहूंगा, खास करके कोई प्रदेश की सरकार शहरी सम्पत्ति का निर्धारण 5 लाख और कोई 2 लाख और कोई 4 लाख करें और इस तरह की विभिन्न व्यवस्थाएं इस देश के अन्दर होती हैं तो केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि एक कानून सारे देश के अन्दर कायम करने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार 6-7 साल से देख रहा हूं कि राजस्थान के बजट घाटे के बजट हुआ करते हैं। यह घाटे की परम्परा लगातार 10–12 साल से चली आ रही है, और माननीय वित्त मन्त्री को यह घाटे की बजेटिंग की व्यवस्था विरासत में मिली है। आंकड़ों का मेरा यह अनुभव है कि आय के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताये जाते हैं और खर्च के आंकड़े घटाकर बताये जाते हैं। सिद्धान्तः मैं यह समझता हूं कि आय को अगर पांच पर्सेन्ट तक एहतियातन रूप से घटाकर बताया जाय और खर्च के आंकड़ों को अगर 5 प्रतिशत तक बढ़ाकर बताया जाय तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी कि जिसके द्वारा सरकार स्वयं अपने आपको धोखा दे और जनता को भी धोखा दें। अगर आय मान ली जाये कि 211 करोड़ की बताई जाती है और 190 करोड़ की ही होती है और अगर व्यय 228 करोड़ का बताया जाता है और 260 करोड़ का व्यय होता है तो यह मेरे खयाल में कोई बजेटिंग नहीं है। यह बजेटिंग खामियों से भरपूर है।

उपाध्यक्ष महोदय, 700 करोड़ के करीब इस राज्य पर कर्जा है और 90 करोड़ के ओवरड्राफ्ट हैं। बजट में जो घाटा बताया जाता है 31 करोड़ का वह भी मेरे खयाल में 40 करोड़ तक पहुंच जायगा। एक कर्ज की किश्त जो भारत सरकार को अदा की जायगी वह 42 करोड़ रुपये की है। इस सम्बन्ध में कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। इस बजट के अन्दर कोई गुन्जायश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कि जिसके द्वारा राजस्थान आगे द्रुत गति से बढ़ सके। उत्पादन, वितरण और कीमतों का नियन्त्रण जब तक नहीं होता है तब तक स्थिरता, स्टेबिलाइजेशन पैदा नहीं हो सकती है। जब तक प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन और प्राइस पर कन्ट्रोल आप नहीं करते तब तक स्टेबिलाइजेशन होना असम्भव है।

मैं माननीय वित्त मंत्री के भाषण का एक एक्सट्रेक्ट, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा है—

"...यहां मैं राज्य पर बढ़ती हुई कर्जे की देनदारी का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इस समस्या के युक्तिसंगत समाधान

(श्री लक्ष्मण सिंह)

पर ही राज्य की वित्तीय स्थिरता निर्भर है। सच तो यह है कि कर्ज का निरन्तर बढ़ता हुआ बोझ लगभग सभी राज्यों के वित्तीय सन्तुलन को बिगाड़ रहा है। इसलिए हमारा ख्याल है कि केन्द्रीय सरकार को बिना देर किये एक नेशनल डेट कमीशन कायम करना चाहिये जो कि राज्यों की कर्ज की देनदारी की समस्या का गहराई से अध्ययन करे और उसको कम करने के उपायों के बारे में सुझाव दे। अन्य राज्यों के मुकाबले यह समस्या हमारे राज्य के लिए अधिक जटिल है, क्योंकि हमारे ऊपर ऋण का भार हमारे साधनों और आबादी के अनुपात में कहीं अधिक है। हमारे ऊपर कर्ज का कितना ज्यादा बोझ है, इसका अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 मार्च, 1972 तक बजट के तखमीनों के अनुसार राज्य सरकार पर कुल 643.16 करोड़ का कर्ज था और 1972–73 में ऋण को देनदारी के लिए हमें 95.96 करोड़ खर्च करना पड़ेगा जिसमे 41.90 करोड़ ब्याज और 54.06 करोड़ मूलधन का किश्त का चुकारा शामिल है। केवल भारत सरकार को ही ऋणों की अदायगी के लिए 29.46 रुपया ब्याज के रूप में और 36.53 करोड़ रुपया मूलधन के किश्त के रूप में चुकाना पड़ेंगे।"

इससे स्पष्ट होता है कि ऋण के मूलधन की खाली एक किश्त और ब्याज की रकम करीब–करीब एक समान पड़ जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविक रूप से देखा जाय तो गरीब–गराब होता जा रहा है और पर केपिटा आमदनी बढ़ती नहीं है बल्कि घटी है। बेकारी बढ़ी है और कर्जा भी बढ़ा है तो उसके साथ महंगवारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्राइसेज चेंजिग कामोडिटीज, माल की ओछत और नाणें की बहुतायत इस देश के अन्दर लगातार हम देखते आ रहे हैं। ऐसी ही समस्याओं के अन्तर्गत राजस्थान के कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ, उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। इतनी बढ़ती हुई महंगवारी को देखते हुए एक मध्यम श्रेणी का कर्मचारी क्या तो पहने, क्या खाये, क्या बच्चों को पढ़ाये और अपना सम्मानपूर्वक जीवन किस तरह से व्यतीत करे। इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने विवशतापूर्वक, मैं तो कहूंगा कि झक मारकर फैसला किया और कर्मचारियों को दिया। उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उसके साथ–साथ में यह निवेदन करूंगा सरकार से कि कामन मैन, गरीब आदमी, आम जनता के लिए आपने क्या किया ? सरकारी कर्मचारी तो एक प्रिविलेज्ड क्लास है, लेकिन आम जनता के लिए दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगवारी के अन्दर सरकार ने क्या किया ? भुखमरी, तवालत, रिश्वतखोरी बस यह है। आपने 6 हजार नये अध्यापकों को रोटी रोजी से लगाने का ऐलान किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन यह तो एक रेकरिंग समस्या है। आप जब तक शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक शिक्षा के मामले में कुछ नहीं बना सकेंगे। नियन्त्रण में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर इसको नहीं किया तो 5–6 साल में फिर यह समस्या पैदा होगी। मैं तो यही कहूंगा कि इस पिछड़े हुये राजस्थान में

(श्री लक्ष्मणसिंह)

औद्योगीकरण के लिए ठोस काम होना चाहिए। ठोस काम लेने चाहिए। केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने टाइम्स आफ इण्डिया के अन्दर पढ़ा, वह एक्स्ट्रैक्ट मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। 28-4-72 का यह एक्स्ट्रैक्ट है—

"Out of an allocation of Rs. 1688 crores for the continuing schemes in the Fourth Plan, Rajasthan's share is about 88.11 crores-about 5.2 per cent. This dismal picture about Central investment in Rajasthan during the Fourth Plan indicates that very few big industries are proposed to be set upin this State in the Central sector. According to the Ministry-wise investment out of a total outlay of Rs. 774.47 crores proposed to be invested by the union Ministry of Steel, Heavy Engineering and Industrial Development, Rajasthan's share is only Rs. 9.41 crores for projects in the State. This includes Rs. 6.21 crores invested in the Machine Tool Factory at Ajmer. Rs. 3.10 crores in instrumentation Ltd. Kota, and about Rs. 10 lakhs in Steel Works. Further, out of a total investment of Rs. 560.61 crores investment on new schemes for the entire country, Rajasthan's share is nil".

अगर इस तरह से केन्द्र के द्वारा राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जायेगा तो राजस्थान की हालत बद से बदतर निश्चित रूप से होगी। माननीय वित्तमंत्री जी ने मकानों के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये कहा है कि उन्होंने 60-59 मकान बनाने की घोषणा की है। यह राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए एक शर्मनाक बात है। मेघालय जैसी जगह के लिए तो यह हो सकता था। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के लिए यह शर्मनाक बात है। लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। खाने के लिए अनाज नहीं है। लोगों के पास जो एक कटोरा है, वह भी छीन लेना चाहते हैं। नमकीन जैसी खाने की चीज है, उस पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। हाथ से बनाने वाला साबुन है, उस पर भी टैक्स लगाना चाहती है सरकार। अगर सरकार के हाथ इतने लम्बे हैं तो सरकार को कुछ और करना चाहिए। अगर सरकार इस प्रकार की काटेज इण्डस्ट्रीज पर टैक्स लगाती है तो मैं इस बात में सहमति प्रकट करने में कतई विवश हूं। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार ने चांदी पर टैक्स लगाया है। इस प्रकार का टैक्स शायद किसी अन्य राज्य में नहीं है। कभी यह था कि एक तोला चांदी 6 आने में मिलती थी। यह 40-45 साल पहले की बात है। गरीब आदमी चांदी खरीद कर अपनी धर्मपत्नी को पहनाता है। घर में रखता है। आज भी किसान यह नहीं जानता है कि उसकी जो बचत है, उसको बैंक में रखे। हां, मैं यह मानता हूं कि इस आदत में अब परिवर्तन आ रहा है। जितनी जल्दी यह आये अच्छा होगा। लेकिन आज की हालत मैं कहना चाहूंगा कि यह जो चांदी पर

Page No. 51

(श्री लक्ष्मणसिंह)

टैक्स लगाया है, यह मध्यम श्रेणी और किसान लोगों के हितों पर कुठाराघात है। चांदी 6 रु. बढ़कर आज इतनी हो गई है। जब से कांग्रेस ने 20 वर्षों से लगातार राज्य किया है। मैं इस निश्चित अभिमत पर पहुँचा हूं कि वर्तमान राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुये यह राज्य एक अनर्थक इकाई है। एक अन्-इकानामिक यूनिट है। वैबिल यूनिट नहीं है। वैसे जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात से यह है। लेकिन आर्थिक रूप से ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल कारपोरेशन की तरह है। इस सदन पर भी यह संज्ञा दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं निवेदन करूं कि वह दिन दूर नहीं है कि अगर यही व्यवस्था रही तो हमारी कर्जदारी एक हजार करोड़ तक पहुँचेगी। ग्लोरीफाइड म्युनिसिपल कारपोरेशन भी हम नहीं रहेंगे। हमारी को-आपरेटिव स्टोर जैसी स्थिति भी नहीं रह जाएगी। इसका इलाज क्या है अगर मैं कहूं कि This unfortunate State is doomed with debt, draught, deficits and overdrafts, तो वास्तविकता से परे नहीं होगा। आज गरीबों की हालत देखी जाये तो 15-20 साल पहले जो थी उस पर विचार करें। एक कुर्ता या एक धोती की क्या कीमत थी? मोटे कपड़े, साड़ी, घाघरे की क्या कीमत थी? आज खाद्यान्न की क्या स्थिति है? मेरे ख्याल में हमारी ईमानदारी भी ऐसे निम्नस्तर पर आगई है कि आज ईमानदारी भी बहुमूल्य वस्तु हो गई है। Honesty is the best policy यह लोग कहा करते थे। मगर Dishonesty is the best policy यह मैं देख रहा हूं। इस सम्बन्ध में आप विचार नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में यह सदन सहमत नहीं होगा। शायद एक हद तक जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह समझा जाय कि पागलपन है, लेकिन कटु सत्य कहने में मुझे पशोपेश नहीं है। इस आर्थिक संकट, इकानामिक एमर्जेन्सी का मूल कारण क्या है? मैं यह समझता हूं कि राजस्थान पश्चिमी और पूर्वी दो भागों के अन्दर विभाजित है। एक राज्य दो भागों में विभाजित है, इनमें से एक भाग अरावली पर्वत माला के पूर्व में है, एक पश्चिम में है। इन दोनों भागों की समस्या आम और इमली जितनी भिन्न है और यह मेरा निश्चित अभिमत है कि गत सत्रह साल, अठारह साल से पश्चिमी भाग के प्रति सरकार की उपेक्षाकृत वृत्ति रही है, पश्चिमी भाग को दबाया गया है जब कि विकास समान होना चाहिए। आज हमारी प्लानिंग की व्यवस्था भी है वह कम से कम दो प्लानिंग बोर्ड अगर हों, और प्लानिंग का निर्णय केबिनेट स्टेज पर हो तब भी मेरे ख्याल से कुछ न कुछ संतुलित प्लानिंग हो सकता है। वरना पूर्वी भाग का प्लानिंग और किस्म का है, पश्चिमी भाग का प्लानिंग और किस्म का होना चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जैसलमेर सोलह हजार स्क्वायर मील का एक जिला है। अब यह तो एक मखौल है, भले ही जैसलमेर की जन संख्या बहुत कम हो, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सोलह हजार स्क्वायर मील हो यह मेरी समझ के बाहर है, संसार भर में कोई एक डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल सोलह हजार स्क्वायर मील नहीं होगा, यहां तक कि भूतपूर्व जयपुर रियासत का क्षेत्रफल सोलह हजार स्क्वायर मील था। आज अगर आप जोधपुर में जायं, बीकानेर में जायं तो

(श्री लक्ष्मण सिंह)

गन्दगी दिन व दिन बढ़ती जा रही है। बीकानेर की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल उपेक्षाकृत व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि छोटी इकाई के अन्दर जीवनी शक्ति विशेष है और आज हमारा केन्द्र सुदृढ़ है। मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं, स्ट्रोंग सेन्टर होना चाहिए और आज हमारे केन्द्र की सुदृढ़ता ऐसी है कि जो स्वतंत्रता के पश्चात् पहले कभी नहीं रही, शायद 1952 में रही हो। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं यह तो नहीं कहता कि क्या होगा, लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि पांच साल के भीतर अगर पश्चिमी और पूर्वी भाग को दो राज्यों में विभाजित किया जाय तो पश्चिमी भाग को भी लाभदायक होगा और पूर्वी भाग को भी लाभदायक होगा। यह कोई अनपेट्रियोटिव बात नहीं कहता, एक जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, जब मैंने देखा, पंजाब हरियाणा का विभाजन हुआ तो पंजाब और हरियाणा की प्रगति बढ़ी। गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन हुआ तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के लिए यह हितकारी हुआ। तो जब मैं यह देखता हूं कि पश्चिमी भाग राजस्थान और सारे देश से बिल्कुल भिन्न है, उसकी आर्थिक समस्या भिन्न है उसके डवलपमेंट का मार्ग है, जो विकास का रास्ता है, वह भी बिल्कुल अलग है और वहां पर पेयजल की समस्या है वह भी महान जटिल है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल जैसी योजना के लिए सिर्फ साढ़े सात करोड़ रुपया स्वीकार हो यह एक शर्मनाक बात है। यह एक राष्ट्रीय योजना है। अगर विश्व बैंक या यू. एन. ओ. के सामने जाकर लोन लाया जाय तब भी कुछ न कुछ हो सकता है लेकिन वह राजस्थान सरकार करे ऐसा मैं नहीं समझता और खास करके सत्रह वर्ष से, सुखाड़िया जी यहां नहीं हैं, अगर वह होते तब फिर भी मैं कहता, मैंने बराबर यह कहा कि सत्रह वर्ष में उदयपुर की ओर जितना ध्यान दिया, उसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन उदयपुर पर जितना ध्यान दिया उतना पश्चिमी क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। जब भूतपूर्व बीकानेर जैसी छोटी रियासत कर्ज लेकर येन केन प्रकारेण सात वर्ष में गंग कैनाल ले आई तो आश्चर्य की बात है, राजस्थान कैनाल बीस साल तक भी कोई प्रगति नहीं करती है और सात करोड़, दस करोड़ रुपया सालाना खर्च करके संतोष कर लेते हैं, जब कि इस पर खर्च दो सौ करोड़ रुपया होना चाहिए। दो सौ करोड़ रुपये खर्च करके भी इस कैनाल को पूरा किया जाये तो सन्तोषजनक व्यवस्था होगी। मैं अनुभव करता हूं कि राजस्थान के एक भाग की समस्याएं दूसरे भाग की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न हैं, तो हमको इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए और मैं तो यह सोचता हूं कि अगर पांच बरस के लिए इन दोनों भागों के अन्दर अलग राज्य होता है, अलग कैबीनेट होती है, अलग फैमिन कोड होगा है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी समस्याएं, जिस भाग की जन संख्या कम है, जहां पेय जल की समस्या है उस भाग की समस्याएं जो कि दूसरे भाग की समस्याओं से विभिन्न हैं, हल हो सकती हैं। वह भाग उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है और राजस्थान कैनाल भी आ सकती है। भेड़ की ऊन, मटन, हाइड्स और बोन्स की व्यवस्था हो सकती है और दूसरी इन्डस्ट्रीज

(श्री लक्ष्मणसिंह)

भी आ सकती है। हमारे सामने इजराइल का उदाहरण है, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया का उदाहरण भी है। यह भी सूखे मुल्क थे, लेकिन वहां पर खुशहाली आई है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट का फर्स्ट रीडिंग है, इस लिए मैं मेरे क्षेत्र के लिए तो केवल एक ही समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा और वह है कमला आभा बांध की। कमला आभा बांध सोम नदी पर स्थित है, सोम नदी सलूम्बर तहसील, जो कि उदयपुर जिले की एक तहसील है, और डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील की सीमा निर्धारित करती हुई बहती है। वहां पर कमला आमा एक छोटा सा गांव है जहां पर बांध बांधने का सर्वे हो चुका है। आसपुर तहसील सूखी तहसील है और वहां पर कोई बड़ी नदी नहीं है। अगर यह कमला आभा बांध बंध जाता है तो उदयपुर जिले और डूंगरपुर जिले को आसपुर तहसील के लिए बहुत लाभदायक होगा और आज जो आसपुर तहसील के लोग सूखा अनुभव करते हैं, जो पिछड़े गरीब लोग हैं, उनके अन्दर एक हद तक खुशहाली आयेगी, यह मेरा निवेदन है।

सरकार यह कहती है कि समाजवाद और लोकतन्त्रवाद के अन्दर सरकार का विश्वास है। सरकार का किस हद तक लोकतन्त्रवाद के अन्दर विश्वास है यह तो सरकार ही जानती है लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं समझता हूं कि धीरे धीरे सरकार का लोकतन्त्र के अन्दर विश्वास घटता जा रहा है। धीरे धीरे सरकार अपनी नीतियों को इस ओर ढालती जा रही है कि जिसके द्वारा देश के अन्दर एक ही दल और एक ही नेता रहे जैसे अफ्रीका और एशिया के कितने ही देशों के अन्दर व्यवस्था है। 29 वां संविधान का संशोधन जो पार्लियामेंट के अन्दर रखा गया, उसके अनुसार अगर सरकार चाहे तो किसी को भी दस हजार रुपये की मिल्कियत हो वह दस रुपये देकर ले सकती है। इसके साथ साथ यह भी कर दिया कि किसी को कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं रहेगा। कोर्ट में जाने से भी उस व्यक्ति को रोक दिया जाता है। इससे बेहतर तो यह ही हो कि सरकार यह कह दे कि जिस किसी की सम्पत्ति भी सरकार लेना चाहती है वह बिना मुआवजा दिये ले लेगी। बहुत से राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है। और कोर्ट के अन्दर न जाने देना, यह तो मेरे ख्याल से जनतंत्र के सिद्धांत पर कुठाराघात है, यह लीगलाइज्ड डेकाइटी है। यह कानूनी डाका है। अगर यह भी होता संविधान के संशोधन में कि मार्केट वेल्यु का एक तिहाई हिस्सा या एक आधा हिस्सा दिया जायेगा मुआवजे के रूप में तो भी वह जस्टिशियल इश्यु होता और कोई भी आदमी फरियाद लेकर कोर्ट में जा सकता। लेकिन यह चांटा भी लगाना और रोने भी नहीं देना। तो इसको सरकार अपनी नीति समझती होगी पर मैं अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार रखता हूँ जब तक कि देश के अन्दर फ्रीडम आफ स्पीच है, तो मैं इस संशोधन को लीगलाइज्ड डेकाइटी मानता हूँ और कानूनी डाके की संज्ञा देता हूँ।

फ्रीडम आफ स्पीच के बारे में भी, अभी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की वार्ता मरा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

में हुई तो इस देश के अखबार-वालों को, प्रेस रिप्रेजेन्टेटिव्ज को मरी में जाने की इजाजत हमारी सरकार ने नहीं दी। मैं समझता हूँ, यह प्रेस के प्रिविलेज पर कुठाराघात है। सीलिंग लगाना अखबारों पर कि 10 पेजिज से ज्यादा कोई भी अखबार नहीं छाया कर सकेगा यह भी मैं समझता हूँ, सरकार के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके संबंध में सरकार की रीति और नीति संदिग्ध मालुम होती है।

रेडियो के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि मेघालय के अन्दर चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का निरन्तर रोजाना प्रचार किया, विरोधी पक्षों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा, यह सरकार की नीति है लेकिन यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

अभी प्रश्नोत्तरकाल में एक प्रश्न में यह पूछा गया कि सड़कों के नीचे जो जमीन दब जाती है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। अगर लाखों रुपये की सम्पत्ति सरकार ले ले और मुआवजा नहीं दे और उसको कोर्ट में भी नहीं जाने दे और उसका वितरण सरकार उचित रूप से और निष्पक्ष रूप से करे तो यह ठीक नहीं है अगर वह गरीबों और भूमिहीनों को लाभ दे तब तो मैं मानता हूं कि सरकार एक सामाजिक दृष्टिकोण अपना रही है लेकिन यह कौनसा न्याय है, कि गरीब लोगों की जमीन ले लेना एक एक बीघा, दो दो बीघा, उनको कोई मुआवजा न देना ? यह 29 वां संशोधन अभी आया है लेकिन 29 वां संशोधन तो मेरे ख्याल से कानून के रूप से तो सरकार कभी से अपना रही है, मुआवजा न देना, गरीबों की जमीन ले लेना, यह भी मेरे ख्याल से इसी दशा के अन्दर जो कदम है, अधिनायकवाद है, डिक्टेटरशिप का द्योतक है। तो मैं विशेष निवेदन नहीं करूंगा और फर्स्ट रीडिंग जो इस बजट के सम्बन्ध में है उस पर दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट माननीय वित्तमंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसको मैं 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा' के बजट की संज्ञा दूंगा। क्योंकि एक ओर तो सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात पर जहां वित्तमंत्री ने कर लगाए हैं वहां गरीब की दाल नहीं छोड़ी और साबुन को भी नहीं छोड़ा जिसको विधवायें थोड़ासा कास्टिक सोडा और तेल लगाकर बनाती है और बाजार में बेचकर गुजारा करती हैं। इस बजट में जो भयानक वित्तीय स्थिति राज्य की प्रस्तुत हुई है, वह काफी चिंताजनक है। वैसे तो राजस्थान में जब से रियासतों का एकीकरण हुआ है केवल एक साल को छोड़कर सदा घाटे के बजट प्रस्तुत होते रहे हैं और इस बजट में भी 31 करोड़ का घाटे का बजट प्रस्तुत है और यह ओवरड्राफ्ट की बीमारी नई नहीं। इस समय 90 करोड़ से कुछ अधिक है। इसके अतिरिक्त कर्जा भी बहुत है। 650 करोड़ का कर्जा है लेकिन इस कर्जे के अन्दर एक बहुत बड़ा अंश अकाल के कारण, राजस्थान की स्थिति के कारण, जो कर्जा पैदा हुआ है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण पैदा हुआ है, वह इसके अन्दर जिम्मेदार हैं। राजस्थान में अकाल एक आम बात है। अनेकों वर्षों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अकाल पड़ते आए हैं और राजस्थान के बजट को चाटते रहे हैं। अगर आप अकाल की स्थिति को देखें तो बहुत गम्भीर है। 1968-69 में जो अकाल पड़ा, मेरे खयाल से राजस्थान में 100 वर्ष पहले ऐसा अकाल नहीं पड़ा। राजस्थान के 31500 गांवों में से 27 हजार गांव अकाल की चपेट में आए और कम से कम नहीं तो 30 लाख पशु उस अकाल के अन्दर मर गए। उसके बाद जो अकाल 1970-71 में पड़ा 23 जिलों में भी दस हजार से ज्यादा गांव चपेट में आ गए। आज भी 3700 गांव अकाल की चपेट में हैं और ज्यादा गांव अकाल के सिलसिले के अन्दर दर्ज होते चले आ रहे हैं।

मैं इस बात के लिए यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ सम्बन्धों में अपना दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है और यह बहुत आवश्यक हो गया है कि प्रांतों को ज्यादा फाइनेन्शल आटोनोमी दी जाए, प्रांतों को ज्यादा शक्ति दी जाए। अगर जो मान्यतायें चल रही हैं, कहीं पर प्रांत अपनी संख्या के आधार पर भारत सरकार से पैसा मांगते हैं और कहीं क्षेत्र के आधार पर तो उन आधारों को या उन मान्यताओं को लिया जाए तो राजस्थान का कभी भला नहीं होने वाला है। मान लीजिए बम्बई है, महाराष्ट्र है, यह भौगोलिक बात है कि करोड़ों खरबों रुपये एक्साइज ड्यूटी वहां के लोगों से प्राप्त होती है क्योंकि वहां बंदरगाह है। अगर आप राजस्थान समूचे को देखें तो यह प्रकृति की बात है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और आबादी बहुत कम है लेकिन न्यायपूर्ण दृष्टिकोण यही भारत सरकार का हो सकता है कि सारी स्थिति भारत सरकार देखे, सारी स्थिति को वह अनुभव करे और जितना भी अकाल के संबंध में कर्जा इस सरकार पर चढ़ा है, वह भारत सरकार को निश्चित रूप से समाप्त कर देना चाहिये। भारत सरकार यदि इतना नहीं कर सकती तो कम से कम भारत सरकार को यह तो जरूर करना चाहिए कि राजस्थान नहर के निर्माण के संबंध में जितना भी पैसा है वह सारे का सारा भारत सरकार अपने सर पर उठाए और जब तक राजस्थान नहर निर्मित न हो जाए और सारा सिंचन आरंभ न हो जाय भारत सरकार को सारे कर्जे समाप्त कर देने चाहिए। जब राजस्थान नहर से पूर्ण सिंचन आरंभ हो जाए उसके बाद आर्थिक स्थिति कुछ और हो सकती है।

एक दुर्भाग्य गरीब और पिछड़े हुए राज्य का यह भी होता है कि उसके पास फाइनेन्शल रिसोर्सेज नहीं हैं। अब आपका फाइनेन्स कमीशन है या आपका प्लानिंग कमीशन है। वे उसी हिसाब से आपको पैसा देते हैं जिस हिसाब से आप अपना पैसा उसमें बता सकें। आप कहेंगे कि हम इतना खर्चा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। इस दृष्टिकोण को आपको मुकम्मिल रूप से बदलने की आवश्यकता है।

इस बजट के अंदर जो वित्तीय साधनों को जुटाने का प्रयत्न किया गया है, वह वही पुराना दकियानूसी बात है। आशा की जाती थी और बजट में कहा जाता है, आज जिस तरह से जिस आशा से कांग्रेस पार्टी को देश के लोगों ने जिताया है, गरीबी दूर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करने के नारे पर, बेरोजगारी दूर करने के नारे पर, समाजवाद लाने के नारे पर, इस बजट के अन्दर कोई दिशा उस प्रकार की नहीं है, कोई इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं है। यह बजट किसी तरीके से भी अपनी पिछली लाइन को नहीं छोड़ना चाहता। जितनी टैक्सिज पोलिसी है यह फ्यूडल है, कैपीटलिस्ट है। डाइरैक्ट कर लगाते हैं या लैंड रेवेन्यू बढ़ाते हैं, सारे की सारी पोलिसीज फ्यूडल और कैपीटलिस्ट नीतियां चली आ रही हैं। इसके अलावा सोर्सिज पैदा करने के संबध में सिवा इसके कि 6 फैक्टरीज के लिए इन्टेंट मिल गया है और 4 फैक्ट्रीज के लिए आप और इन्टेंट प्राप्त कर लेंगे, इस बजट में प्रावधान नहीं है। ग्लास बोर्ड, स्कूटर्स, सोडा एश, थ्री व्हीलर्स की और कैल्शयम कारबोनाइट की फैक्ट्रीज लगा देंगे और जो आपने आज तक वादे किये थे कि जोधपुर के अन्दर ट्रैक्टर की फैक्ट्री लगा दी जावेगी, कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा, उस दिशा मे न कोई संकेत है और न कोई प्रोग्रेस है। सारा का सारा बजट पूंजीवादी मनोवृत्ति से प्रेरित है और बाकायदा वह मनोवृत्ति सारे बजट में मौजूद है।

पब्लिक सैक्टर को किस तरह से ठीक किया जावेगा, क्या दुर्दशा है, किस प्रकार नेशनेलाइज करके नये रिसोर्सेज पैदा किये गये, उस ओर कोई संकेत नहीं है। आपके जो पब्लिक सैक्टर हैं उनकी हालत काबिले रहम है। गंगानगर शुगर मिल्स के प्रश्न को ले लीजिये। यह बाकायदा घाटे में चल रहा है। सन् 1961 में रिकवरी 19.9 परसेन्ट थी वह घट कर 8.1 परसेन्ट रह गयी। 1969 में 3.73 हजार का घाटा हो गया, 1970 में $1\frac{1}{2}$ लाख से ऊपर का घाटा हो गया। इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं हुआ। एक 1200 एकड़ का फार्म शुगर फैक्टरी के साथ अटैच किया गया था। आडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि शुगर फैक्टरी को जितना घाटा है उसका फार्म जिम्मेदार है। पिछले वर्ष 40 एकड़ में खड़ा गन्ना फैक्टरी के लोगों ने जला दिया। मजदूरों ने रोका। जिस प्रकार पूंजीपति काला धन छिपाता है उसी तरीके से भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे। इस प्रश्न को यूनियन ने उठाया लेकिन इन्क्वायरी नहीं की।

सारे भारतवर्ष में विभिन्न रियासतों में रोडवेज से करोड़ों रुपये का फायदा हो रहा है। हरियाणा में 90 परसेन्ट से अधिक रूट्स नेशनेलाइज कर दिये गये, पंजाब में 43 परसेन्ट रूट्स नेशनेलाईज कर दिये गये, गुजरात में 51 परसेन्ट रूट्स नेशनेलाइज कर दिये गये, मध्य प्रदेश ने 34 परसेन्ट रूट्स नेशनेलाइज कर दिये, महाराष्ट्र ने 74 परसेन्ट रूट्स नेशनेलाइज कर दिये, चंडीगढ़ सैंट्रलो एडमिनिस्टर्ड था तो 100 परसेन्ट रूट्स नेशनेलाइज कर दिये लेकिन राजस्थान में केवल 7.4 परसेन्ट रूट्स नेशनेलाइज किये गये। सन् 1964 में पर किलोमिटर 22 पैसे प्रोफिट था वह 67 में 13.4 नये पैसे पर किलोमिटर लोस में कन्वर्ट हो गया। होगा क्यों नहीं? राणावत वेतन कमीशन की सिफारिशें सारे डिपार्टमेन्ट्स में लागू हो जांय, वेज बोर्ड आ जाय, लेकिन यहां नहीं लागू करना चाहते। 30 दिन रोडवेज बन्द रही। सरकार को 6-7 लाख का नुकसान हो जाय और उपेक्षा से देखते रहे। मैनेजर्स को चेन्ज किया। यह दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति आज पब्लिक सैक्टर के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सम्बन्ध में है और इस प्रकार एक शेख-चिल्ली तरीके से पैसा लगाते हैं। अलवर में एक बैकन फैक्ट्री लगायी। 19 लाख का एस्टीमेट था। 45 लाख आज तक खर्च कर दिये लेकिन अब तक स्टार्ट नहीं हुई, पिगरी फार्म। कूलर्स लगा दिये और 8 लाख सालाना नुकसान हुआ।

1.32 म. प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने बीट रूट फैक्टरी गंगानगर में शुरू करने के लिये भारत सरकार से 80 लाख प्राप्त किये। अप्रेल के महीने में वह चालू कर देनी चाहिये थी। 200 बीघा जमीन में आपने चुकन्दर लगवाया जिसका बीज हिन्दुस्तान से नहीं, जर्मनी से आता है, और इस बीज को बोने के बाद आज तक आपकी यह फैक्टरी प्रोडक्शन में नहीं आई। कार्बोनेशन प्लांट प्रोडक्शन में नहीं आया। 120 लाख रुपया खर्च हो चुका है लेकिन सारा का सारा चुकन्दर जो किसानों ने दिया वह बर्बाद हो गया, किसानों को आधा पैसा मिला और नतीजा यह हुआ कि चुकन्दर की आपको शराब बनानी पड़ी। एक नौरंगलालजी आप पता नहीं कहां से पकड़ लाये, वह यू. पी. की किसी शुगर फैक्टरी में ड्राफ्ट्समैन था, उसको 2500 रुपये की तनख्वाह पर चीफ इन्जीनियर आप बनाकर लाये और सारी की सारी फैक्टरी में करप्शन हो रहा है। आज पर्चेजेज में करप्शन है, और दूसरी बातों में करप्शन है। यह तो आपकी स्थिति है पब्लिक सेक्टर भी अन्डरटेकिंग्स में।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर मजदूरों के लिये कोई चीज नहीं है। आज सवाई माधोपुर की सिमेंट फैक्टरी है, वहां के मजदूर चाहे वे इन्टक के हों, चाहे तिरंगे झण्डे के हों, अगर वे हड़ताल करते हैं तो साहू जैन की मदद के लिये हमारी सरकार उन मजदूरों के सर कुचलने के लिये आ जाती है, उनको जेल में डाल सकती है। लेकिन आपकी इतनी माइन्स हैं, आपकी स्टोन क्वेरीज हैं, हमारे यहां जिप्सम है, फुलर्स अर्थ है या आपकी कोटा स्टोन की माइन्स हैं, या आपका राक फास्फेट है, इसको आप नेशनलाइज करने का नहीं सोचते। आपने एक छोटासा तजुरबा जंगलात के अन्दर किया। आपने अपने ही अधिकारियों से जंगलात मे प्लान्टेशन करवाया और आपको 50 लाख रुपये का फायदा हुआ। आप ऐसी और भी स्कीम्स बना सकते थे। जिप्सम के बारे में मैं अर्ज करूं, सारे भारत के अन्दर केवल बीकानेर में ही जिप्सम पैदा होता है, और जिप्सम कम्पनी जिसके कि आप हिस्सेदार हैं, वह आज लाखों रुपया कमा रही है। क्यों नहीं आप इस सारी इन्डस्ट्री को खुद ले लेते? आप वहां फर्टलाइजर फैक्टरी कायम कर सकते हैं। आपका ओपन कास्ट माइनिंग का प्लान आज वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। 15 साल हो गये जब आपने घोषणा की थी कि आप ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे, आपके देखते देखते नेविली के अन्दर ओपन कास्ट माइनिंग चालू भी हो गया और उनको दस करोड़ रुपये का फायदा हुआ, लेकिन आपका ओपन कास्ट माइनिंग अभी सेठी साहब की किताबों में ही पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जमीन और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो भी घोषणाएं सरकार ने इस बजट के अन्दर की हैं, वे थोथी घोषणाएं हैं। सरकार की नीति जमीन के बारे में अस्पष्ट है। राजाओं और महाराजाओं के पास जो 26 लाख एकड़ जमीन थी, उसमें से 25 लाख एकड़ जमीन उन्होंने 5करोड़ रुपये में बेच दी। सीलिंग के सम्बन्ध में आपने जो घोषणा की वह सारी की सारी आपके सामने स्पष्ट है। सारे राजस्थान के अन्दर आपने 33500 फैमिलीज ऐसी बताई जो कि सीलिंग से अफेक्टेड होंगी और उनके पास 16,05,328 एकड़ जमीन आपने एक्स्ट्रा बताई। लेकिन आपका परफरमेन्स क्या हुआ आज तक आपने 16,000 एकड़ जमीन से ज्यादा सीलिंग के अन्दर अवाप्त नहीं की। अकेले गंगानगर की ही मिसाल आप ले लीजिये। आज 12 हजार केसेज गंगानगर में सीलिंग के पड़े हुए हैं। 8 हजार केसेज डिसाइड हुए और उन 8 हजार केसेज में केवल 45 बीघा जमीन सीलिंग के द्वारा प्राप्त हुई। आप कोटा का केस ले लीजिये। कोटा के अन्दर 4,114 केसेज आपने बनाए। 1,33,825 बीघा जमीन लेने की बात थी पर आज तक केवल 10 बीघा जमीन प्राप्त की। बूंदी में 2,703 केसेज थे जिनमें से आपको 1,17,118बीघा जमीन मिलने वाली थी पर वहां भी आप को केवल 351 बीघा एकड़ जमीन मिली।

इसके बाद बरकत साहब ने जब यह घोषणा की कि सीलिंग की सीमा घटाई जावेगी तब उधर फिर उन जमीनों का बंटवारा होना शुरू हो गया। अकेले गंगानगर में बरकत साहब की घोषणा के बाद दो करोड़ रुपये के स्टाम्प बंटवारे की रजिस्ट्रियां करने के लिये लोगों ने खरीदे। और जो 60 हजार की जमीन थी उनकी केवल दस दस हजार की रकम की रजिस्ट्रियां हुईं। इसके लिये तलाक हुए। नब्बे नब्बे साल के बूढ़ों ने अपनी बीबियों को तलाक दिये। और 95 साल के बूढ़े के नाम रजिस्ट्रियां कर दी गईं। जिसकी शादी को तीन दिन हुए और कह दिया कि मैं तो अपनी बीबी से जुदा हूँ।

श्री मीठालाल (लालसोट) : तलाक की परम्परा कब चली आपके यहां ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्वतन्त्र हो जाऊं मुझे तलाक मिल जावे तो। उपाध्यक्ष जी, इस हिसाब से देखें तो सारे राजस्थान में पचास साठ करोड़ के स्टाम्प खरीदे गये होंगे।

श्री मीठालाल : ये भी रजिस्ट्री कराकर आये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रजिस्ट्री तो आपकी मैं करा दूंगा अच्छी तरह से। ऐसी करूंगा, याद रक्खोगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आता हूं टैक्सों पर। दाल पर टैक्स लगाया है हमारे वित्त मंत्रीजी ने मोंठ को मक्का और जौ के साथ शामिल कर दिया। वित्त मंत्रीजी को मोठ की रोटी का बड़ा शौक है।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर इन्होंने दाल पर टैक्स लगाया है। आज ये गरीब के लिये कोई प्रोटीन भी नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

छोड़ना चाहते। इनके पास तो केले हैं आम हैं। काजू या ड्राई फ्रूट्स हैं। इनको भी एक्सपोर्ट करते हैं। फौरिन एक्सचेंज इनसे कमाते हैं। एक केवल दाल बचाई है जिसका प्रोटीन का लाभ गरीब ले सकता है पर वह भी इस राजस्थान सरकार को चुभ रही है कि गरीब को प्रोटीन कैसे मिल गया इतना सस्ता? यह तो वैसा ही किस्सा हो गया।

अन्धेरी नगरी, अन्धेर राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। जिसकी गरदन जितनी मोटी नजर आई उस पर फन्दा उतना ही मोटा फिट कर दिया। सुबह से शाम तक भट्टी के सामने बैठकर हलवाई नमकीन बनाता है, मिठाइयां बनाता है, अनपढ़ जिसके पास और कोई काम नहीं है 24 घंटे आग के आगे अपने को झौंकता है, उसके नमकीन पर टैक्स लगा दिया।

श्री चन्दनमल बैद : 30 हजार की लिमिट है। उसके ऊपर टैक्स है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका क्या अर्थ हुआ? 200 रुपया की दिन भर में मिठाई बनावें, मुश्किल से उसमें से दस पन्द्रह रुपया मुनाफा कमाए उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया।

श्री चन्दनमल बैद : 200 रुपया रोज की जो मिठाई बेचे तो उसको मैं पूंजीपति हलवाई मानता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर आपको यह भी देखना होगा कि उसका मुनाफा क्या है? आप कौनसी ऐसी रा मैटीरियल मिठाई बनाने का सामान उनको उचित रेट पर देते हैं। मसाला फ्री नहीं देते उसको।

एक माननीय सदस्य : टैक्स तो कन्जूमर पर पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर चीज वह दूसरी जगह से ऊंचे से ऊंचे भाव पर लाता है। दस पंद्रह रुपये से ज्यादा नहीं कमा सकता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यह टैक्स बहुत गलत है और मैं इसका विरोध करूंगा उपाध्यक्ष महोदय।

हां जो पुराने तरीके से मिठाई नहीं बनाकर नये तरीके के दुकानदार हैं, मिष्ठान भण्डार हैं, बड़े बड़े रैस्टोरेन्ट्स हैं, छोटू मोटू जैसा हलवाई है। उस पर आप लगाते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है।

फिर अगर आपको लगाना ही है तो स्लैबसिस्टम से लगाइये यह टैक्स।

आपने एडहाक तरीके से इरिगेशन पर टैक्स जड़ दिया। पांच एकड़ वाले पर भी और दो सौ मुरब्बा वाले पर भी। बढ़ाइये जरूर बढ़ाइये पर जिस जिसके पास जैसी जितनी जमीन है, उसके अनुपात से लगाइये। टके सेर भाजी टके सेर खाजा मत करिये। जिसकी गरदन मोटी देखी उसी पर फन्दा मत फिट करिये। हर टैक्स को स्लैब से लगाइये। मिठाइयों पर भी स्लैब से रखिये टैक्स।

श्री चन्दनमल बैद : 30 हजार से नीचे माफ और ऊपर टैक्स है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इरिगेशन की भी बात करता हूं टैक्स लगाने में मुख्य प्रिन्सि-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पल यह होना चाहिये कि सारे टैक्स स्लैब सिस्टम से लगें।

जहां तक खेती बाड़ी के सामान पर टैक्स लगाया है यह बिल्कुल ही नाजायज है और मैं इसका पूरी तरह से विरोध करूंगा। खाद पर टैक्स लगाया। यह ठीक है कि आज हरित क्रान्ति हुई है पर इस टैक्स को भी छोटे किसानों पर जिनके पास अनार्थिक जोत है, मत लगाइये। क्या आप चाहते हैं वह अपने खेत में खाद नहीं डाले और वह भी आधुनिक साधनों को काम में लेकर खेती कर सके? अगर खाद को आप इतना मंहगा कर देते हैं कि वह उस छोटे किसान की सामर्थ्य से बाहर निकल जाय तो यह हरित क्रान्ति के लिए आपका घातक कदम होगा। आप इसको भी बड़े किसानों पर लगाइये और स्लैब सिस्टम से लगाइये।

जहां तक आपने कार पर टैक्स लगाया है वह स्वागत योग्य है। ठीक है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर जहां स्कूटर, टैम्पो, पब्लिक केरियर पर टैक्स लगाया है यह आम आदमी पर गरीब तबके पर आपने बोझा डाला है। प्राइवेट केरियर पर भले ही लगा लें। पर इससे सामान महंगा होगा ट्रक वालों का तो हाल यह है कि डीजल महंगा, टायरों के भाव आसमान में और ऊपर से यह आपका कर भार, तो इसका सारे का सारा इम्पैक्ट मिडिल क्लास या लोअर क्लास वालों पर पड़ता है, साधारण लोगों पर पड़ता है, इसलिए यह अनुचित है आप इसे हटा लें।

शराब पर तो उम्मीद करता था कि आप आचार्य तुलसी के परम भक्त हैं तो इस कारण टैक्स लगाने के बजाय इसे बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे। इस बात की तो सारा राजस्थान आपसे आशा लेकर चलता था। पर आज आचार्य तुलसी का भी असर आप पर नहीं है ऐसा लगता है। आप पर आपके साथी मंत्रियों का ज्यादा है, जिनका खयाल करके आपने इसको बन्द नहीं किया लगता है।

इसी तरह मैथिल पर आपने टैक्स लगाया है। एक तरफ आप कहते हैं छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज पनपें, लोगों को रोजगार मिले, दूसरी तरफ उनकी उपयोगी चीजों पर आप इस तरह से टैक्स लगाते जावेंगे तो उन इण्डस्ट्रीज का पनपना तो मुश्किल हो जावेगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैथिल वाई प्रोडक्ट है, नया हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बाई प्रोडक्ट नया हुआ है तो उसे एनकरेज करना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : आपको यह जानकारी नहीं है। यह बहुत बड़ी पूंजी पति इण्डस्ट्रीज में पैदा होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर लगा दीजिए, मुझे ऐतराज नहीं होगा।

लेकिन टैक्स लगाते समय आप उस अरबन लैंड को भूल गये जिनकी कीमतें आज सैंकड़ों गुना बढ़ गई हैं। आपने इसी असेम्बली में अरबन लण्ड टैक्स बिल पास भी किया। पास हुआ यह 64 में और आज तक एक पैसा रिकवरी का आपने इसमें नहीं किया है। सैंकड़ों प्लाट बिक गये, बन गये, पर आपने एक से भी एक पैसा वसूल नहीं किया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आप कार्मशियल-रेजीडेन्शल के लिए बनाई गई इन बड़ी बड़ी और आलीशान बिल्डिगों पर टैक्स लगाते तो इस प्रकार के दूसरे जन साधारण पर भार बनने वाले टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं रहती। इसी से आप करोड़ों की आमदनी कर लेते।

अन्त में, मैं कह दूं कि आज जो भी इण्डस्ट्रीज आप लगाते हैं जो एग्जिस्टिंग इण्डस्ट्रीज हैं उन सब में संकट पैदा कर दिया है। जब से यह संकट पैदा हो गया है। मैं छोटी सी इण्डस्ट्री लेता हूं। गंगानगर में सारे के सारे भट्टे बन्द पड़े हैं। उन भट्टों के बन्द होने के कारण पी. डब्लू. डी. की रोड्स बन्द पड़ी है, विकास के सारे काम बन्द पड़े हैं। कलक्टर गंगानगर ने बार बार लिखा है लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अरविन्द कोल फैक्टरी को सप्लायर का काम दे रखा है। 20 करोड़ का स्टाक गंगानगर में सीज किया है। एक तरफ अनुपम कोल सप्लायर है जो आपको 47 हजार सालाना देता है लेकिन उनको ने देकर साबू को दिया जो अशोक होटल में 200 रुपये का कमरा लेकर बैठा हुआ है और सुबह से शाम तक रेल्वे एम्पलाईज को करप्ट करता रहता है उसका दिन-रात का धन्धा ही यह बना हुआ है। आपके सामने एक लिस्ट लाया हूं पेश करने के लिये जो फैक्टरी पैदा नहीं हुई मेरे रायसिंहनगर में, उनके नाम लाईसेन्स इश्यू किये हुये हैं। आप इसकी जांच करवा लें। 40 फर्म्स बिलकुल फ्राड हैं जो न भादरा में हैं और न नोहर-गंगानगर में हैं। आइल और रोलर फैक्टरियों के नाम से चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में करोड़ों रुपयों का ब्लेक बनाते हैं। आज स्थिति यह है कि बोर्डर पर पक्के बेरक्स बन रहे हैं, जो इन भट्टों के बन्द होने से सारे काम बन्द पड़े हैं। इन 200 भट्टों में यदि एक भट्टे में 500 आदमी भी काम करने वाले हैं तो 300 के हिसाब से 10 हजार मजदूरों की रोजी गंगानगर से आपने छीन ली है।

अन्त में बेरोजगारी के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। बेरोजगारी के सम्बन्ध में आपने कुछ कदम आगे बढ़ाये हैं और उन कदमों का मैं स्वागत करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद: धन्यवाद।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: लेकिन आपके उन कदमों से सारी बेरोजगारी हल हो जायगी ऐसा नजर नहीं आया। आपके राजस्थान के अन्दर ...

(बीच में व्यवधान होने पर)

ये आपके आंकड़ों के हिसाब से ही बता रहा हूं। 10 हजार एस. टी. सी. लोग बेरोजगार है, पांच हजार इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। ये सब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही दे रहा हूं-एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के आंकड़ों के हिसाब से है और कम से कम 300 डाक्टर और अब तो 500 डाक्टर हो गये हैं जो सारे राजस्थान के अन्दर बेरोजगार हैं (पुनः व्यवधान होने पर) अब 900 के करीब अन-एम्पलाईड हैं। यह ठीक है आपने गांवों में बेरोजगारी दूर करने के लिये कहा था और उनको 10 महीने का काम देने का भी कर दिया लेकिन यह भी आपकी कृपा का प्रोग्राम नहीं है, भारत सरकार की कृपा का प्रोग्राम है।

श्री चन्दनमल बैद : भारत सरकार और हम तो एक ही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसमें आपका इनिशियेटिव नहीं मानता हूं। यह भारत सरकार का इनिशियेटिव है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो भारत सरकार लेण्ड रिफार्म की हिदायत देता तो उसको तो कत्ल कर रहे हैं, उसका तो गला घोंट रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं हम कोई गला नहीं घोट रहे हैं। इन टोटो मान रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन इंजीनियर्स को कोआपरेटिव सेक्टर में कामर्शियल एस्टेट में, इण्डस्ट्रियल एस्टेट में, एन्गेज करने की बात थी, आपने कहीं भी किसी इंजीनियर को यह गारन्टी नहीं दी है। जो 90 परसेन्ट कर्जा देते हैं और 10 पर्सेन्ट खुद बीयर करें यह जो प्रणाली है वह आपकी एग्रो इण्डस्ट्रीज है, उसके मुताबिक है लेकिन वह माल बिक जाएगा। उसका पूरा टर्न ओवर हो जायगा, इसकी क्या गारन्टी है? यह ठीक है दो साल के बजाय तीन साल कर दी लेकिन मैं यह पूछता हूं जो जोब्स खुद आपके डिपार्टमेन्ट में हैं उसमें उसको आप परमानेन्ट शक्ल में क्यों नहीं लगाते हैं? राजस्थान के लिये 150 इंजीनियर्स की मांग है। यू. पी. को इंजीनियर्स की काफी जरूरत थी लेकिन आपने उनके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। उसको पंजाब के इंजीनियर्स लगाने पड़े। 400 के करीब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अण्डर हैं, आप उसकी पब्लिसिटी करेंगे लेकिन जो खुद बेरोजगार इंजीनियर्स हैं आप क्यों नहीं उनको लगाते हैं? आज स्थिति यह है कि जब पढ़े लिखे इंजीनियर्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमेन के पास जाते हैं तो वे कहते हैं तुम पैदा ही क्यों हुये? (विराम) यह जवाब तो वित्त मंत्रीजी देंगे कि पैदा क्यों हुये और इसके अतिरिक्त स्थिति यह है कि राजस्थान के इंजीनियर को कोई प्रोविन्स लेने को तैयार नहीं है लेकिन आज दूसरे प्रोविन्स के इंजीनियर यहां खपा लिये जाते हैं। दूसरे कोई प्रान्त हमारे इंजीनियर्स को नहीं लेता है लेकिन हमारे यहां दूसरे प्रोविन्स के इंजीनियर्स को यहां रिक्रूट करते हैं। आपका जो पूल है इंजीनियर्स का उसमें इन 450 इंजीनियर्स का कुछ करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं वित्तमंत्री जी का ध्यान राजस्थान नहर की ओर दिलाना चाहता हूं। आज राजस्थान नहर की स्थिति बड़ी दयनीय है। राजस्थान नहर को यदि ये चाहते तो आज 134 मील के बेस का प्रोग्राम था और वह पूरा हो जाता लेकिन आज 134 मील का न होकर केवल 80 मील का रह गया है। राजस्थान नहर की एक मील की प्रोग्रेस एक साल है। राजस्थान को 6 करोड़ पहले मिल गया, 7 करोड़ अब मिला, 3 करोड़ आपको और मिला, दो करोड़ और लेने की बात करते हैं लेकिन यह रुपया युटिलाईज नहीं हुआ है, यह मैं चेलेन्ज करता हूं। राजस्थान की सरकार ने किसी को 50 लाख का एडवान्स कर दिया, किसी को 40 लाख का एडवान्स कर दिया और किसी को 60 लाख का एडवान्स कर दिया। सारा का सारा पैसा इस तरह से दे दिया गया है। 71 करोड़ को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
मशीनरी खरीदी गई और जिसका मामला एस्टीमेट कमेटी में 64 में आया। सारी की सारी मशीनरी युटिलाईज नहीं हुई। राजस्थान नहर के सम्बन्ध में, इसके निर्माण के सम्बन्ध में, आपकी घोर उपेक्षा चल रही है और फिर स्थिति यह रहने वाली है कि खुद का पता नहीं कितने ऐरिया में इनको पानी मिलने वाला है। आपकी रिपोर्ट छपी हुई 70-71 में 5 लाख एकड़ पानी राजस्थान नहर इर्रीगेट करेगी यह आपके सदन में प्रस्तुत है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी दल की ओर से और कोई सदस्य नहीं बोलेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : मैं क्लोज करूंगा। दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, 12 लाख एकड़ कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट को दे दी। आपके नहरी विभाग ने लिखकर दे दिया। असली 7 लाख एकड़ ऐसी जमीन थी जिसमें कोई कानून नहीं लगा था लेकिन उसको भी आपने कालोनाईजेशन डिपार्टमेंट को दे दी। नतीजा यह हुआ वह भूमि भूमिहीनों को अलाट कर दी। किसी को 100 बीघा जमीन दे दी तो किसी को 200 बीघा और किसी को 300 बीघा और आज हजारों बीघा जमीन सिंचित क्षेत्र के नाम से दी है लेकिन वह जमीन सिंचित नहीं है और सारी वसूली सिंचित क्षेत्र के नाम से हो रही है। सरकार उनसे वसूल कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : भंवरलाल भदादा।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मै वित मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण विधान सभा के सामने रखा लेकिन यह चित्र बहुत ही चिन्ताजनक है और हम लोगों को इस बात के लिए सोचने के लिए विवश करता है कि इस संकट से हम कैसे उभरें ? आज जिन लोगों ने हमें चुनकर यहां पर भेजा उनको हमसे बड़ी आशायें हैं, बड़ी अपेक्षायें हैं और उनका यह मानना स्वाभाविक है कि हम उनके कष्टों को और उनकी तकलीफों को दूर करेंगे और उनकी गरीबी और बेकारी का निवारण करेंगे लेकिन हम जब इस बजट पर गौर से विचार करते हैं तो इस दिशा में हमारा कदम बहुत कम लगता है और निश्चित अवधि में हम कुछ करना चाहते हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता। जहां तक कष्टों का सवाल है मैं कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत कष्ट तो हमारी नौकरशाही की वजह से हैं जो हमारी रीति-नीति और कार्य प्रणाली के साथ बराबर गद्दारी करते हैं और जो कुछ हम सोचते है और करना चाहते हैं उसके विपरीत वे निर्णय लेते हैं। और कदम उठाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी समाजवादी समाज व्यवस्था का लक्ष्य पूरा हो, जनता की गरीबी दूर हो और बेकारी का निवारण हो तो हमको सबसे पहले इस सर्विस क्लास का नये ढंग से निर्माण करना पड़ेगा। यदि यही इसका स्वरूप रहता है और इसका रूप नहीं बदलता है, कार्य प्रणाली नहीं बदलती है, तो हम कितनी भी घोषणायें करें, कितनी भी रीति नीति और कार्यक्रम यहां पर रखें लेकिन वह

(श्री भंवरलाल भदादा)

कभी भी साकार नहीं होगा और जनता आज से भी अधिक पीड़ित दुखी, परेशानी में रहेगी और उनके कष्ट, उनकी गरीबी और उनकी बेरोजगारी उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ इस ओर भी वित्त मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आज 76.4 करोड़ रुपये का हमारी राजस्थान सरकार पर कर्जा है लेकिन इसके होने का क्या कारण है इसके संबंध में भी कभी उन्होंने क्या विचार किया है ? मैं समझता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि हमारी जो बहुत सी लागत पूंजी है उसका प्रापर उपयोग नहीं हो रहा है उसका यह रिटर्न राज्य सरकार को नहीं मिलता है इसलिए उसके ऊपर ब्याज लगता रहता है और वह बराबर बढ़ता जाता है, जुड़ता रहता है। इस प्रकार से हमारी कर्जदारी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं भीलवाड़ा जिले के कुछ बांधों की। कल एक बांध का जिक्र किया गया था कि 40 लाख रुपया उसके ऊपर लग चुका है ऐसे ही एक और छोटा सा बांध है जिसके ऊपर 22 लाख रुपया खर्च हो चुके हैं और एक रायथलिया का बांध है जिसके ऊपर 19।। लाख लग चुका है। इस प्रकार से 1 करोड़ रुपये की लागत लग चुकी है। वह डेडइन्वेस्टमेन्ट के रूप में पड़ी हुई है इनके ऊपर 2–3 लाख का काम और करा दिया जाये जैसे नहर और मोरियों का बनाया जाना तो एक करोड़ रुपये की जो लागत लगी है उसका रिटर्न राज्य को मिलना शुरू हो सकता है इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इस प्रकार के जो अधूरे काम हैं जो कि थोड़ी लागत लगने से राज्य को राजस्व दे सकते हैं और जिनसे उत्पादन भी बढ़ सकता है, और देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है, बेकारों को रोजगार दिया जा सकता है। ऐसे–कार्यक्रमों को वित्त मंत्री महोदय को अपने बजट में प्राथमिकता देनी चाहिए और उन कामों के लिए बजट में प्रावधान रखना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि इस बजट में इन कामों के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं रखा गया है।

इसी प्रकार से मैं सड़कों के संबंध में भी कहना चाहता हूं। अभी घोषणापत्र में रोजगार देने के लिए सड़कों को प्राथमिकता देने के संबंध में कहा गया है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"गांवों, कस्बों और शहरों में सार्वजनिक निर्माण की आवश्यकतायें बहुत बड़ी और कई तरह की हैं। गांवों में सिंचाई, नहरें, खुली नालियों, चकबन्दी और भूमि को समतल बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। गांवों और शहरों के बीच ज्यादा और बेहतर सड़कें बनाना जरूरी हैं। ग्राम केन्द्र में अनाज भन्डारों, हाट व्यवस्था, स्कूलों, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों आदि सुविधाओं की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सड़क निर्माण आदि कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस बजट में सड़कों के लिए बहुत ही कम प्रावधान किया गया है। मैं भीलवाड़ा जिले के लिये रखे प्रावधान की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। जहां गये वर्ष 15 लाख रुपये रखे गये

(श्री भंवर लाल भदादा)

थे वहां इस वर्ष सिर्फ 3 लाख 60 हजार रुपये इस काम के लिये रखे गये हैं जिससे मैं समझता हूं कि सड़कों का निर्माण नहीं होगा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी बल्कि यह अधिकांश पैसा सरकारी आफिसरों की तनख्वाह में खर्च हो जायेगा । इसी तरह से हम लोग इस बात को देखते हैं कि हमारे राज्य का करोड़ों रुपया आज डेड इनवेस्टमेंट हो रहा है उसको हम सजीव कर दें और उसको लाभ की स्थिति में ला सकें तो मैं समझता हूं कि हमारी वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि जिन वायदों को हमने जनता से किया है उनको इसका लाभ मिलने लगेगा इसलिये इस बारे में हम लोगों को गहराई से सोचना चाहिये और वित्त मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ सिंचाई के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आज बांधों की डूब में जिनकी जमीन आई है, जिन लोगों के कुए डूब में आये हैं उनको वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाता है और मुआवजा मिलता भी है तो इतना कम मिलता है कि न तो वे मकान बना सकते हैं, न कुआ खुदा सकते हैं और न अपनी जमीन को अच्छी तरह से आबाद करके उसके ऊपर उत्पादन कर सकते हैं । यह आज की हमारी समाजवादी व्यवस्था से मेल नहीं खाता है । हमें चाहिये कि जो डूब में आवे उनको पूरी आबाद करके जमीन दें, नया कुआ बनवाकर सौंपे उनको मकान बनाकर दें इस प्रकार से उनको पूरी तरह से सेटल करके व्यवस्थित करके उनको जीवन-यापन करने का अवसर दें । मैं समझता हूं कि इस रीति-नीति को हम स्वीकार करेंगे और मुआवजा देने की बात मकान कुए और जमीन के डूब में आने के पूर्व ही पूरा करने का निर्णय लेंगे । यही बात सड़कों के बारे में कही जा सकती है और वह करना चाहिये । यदि इस दिशा में हम तत्परता नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यह असन्तोष का कारण बनेगा और जो वायदे हमने जनता से किये हैं उसके विपरीत यह बात होगी ।

इसके साथ ही साथ बिजली के बारे में कल भी जैसा जिक्र किया गया कि काश्तकारों को बहुत ही ऊंचे दर पर बिजली मिलती है जब कि बड़े बड़े इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स को चीप रेट पर बिजली की उपलब्ध हो जाती है । इसके अलावा जब वे अपने कुए पर बिजली लेने के लिये बिजली विभाग में जाते हैं तो उनको महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके बाद भी उनको बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है । ऐसी स्थिति में हम कैसे आशा कर सकते हैं कि किसानों को इस बात का विश्वास होगा कि इस परिवर्तित परिस्थिति में उनके लिये कुछ अनुकूलताएं पैदा हुई हैं, उनको सुख सुविधाएं मिलने की आसानी हुई हैं । यह जब तक विश्वास नहीं होगा कि एक काश्तकार को एक ही महीने के अन्दर अन्दर सारी फैसेलिटीज होकर कुए पर बिजली मिल जायेगी तब तक नहीं कहा जा सकेगा कि उनके सम्बन्ध में हमने कोई अच्छी बात की है ।

साथ ही ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में भी वित्त मंत्री महोदय का ध्यान खींचना

(श्री भंवर लाल भदादा)

चाहता हूं । मंत्री महोदय को इस बात का पता है या नहीं लेकिन जहां तक हमारे क्षेत्र की जानकारी है शिड्यूल्ड बैंक से आज किसानों को किसी प्रकार का लोन नहीं मिल रहा है न उनको अपने पम्पिंग सेट के लिए लोन मिल रहा है न अच्छे खाद और बीज के लिए लोन मिल रहा है और न उन्हें अपने अन्य साधनों के लिए किसी प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध है । जब तक ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होने लगेगी तब तक हम यह नहीं कह सकते कि जो हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है उसकी उपयोगिता और उपादेयता सही दशा में हुई है । इस लिए मैं अर्ज करूंगा वित्त मंत्रीजी हमारे निवेदन को सुनेंगे (विराम) ।

शिड्यूल बैंक जो किसी प्रकार का ऋण इस वक्त काश्तकार बन्धुओं को नहीं दे रहे हैं, उनके सम्बन्ध में ऐसी नीति निश्चित की जावे कि जिससे उनको समय पर लोन मिल सके । शिड्यूल बैंक वाले कहते हैं कि वे तो दस माइल के एरिया के अन्दर ही ऋण देंगे लेकिन दूरस्थ काश्तकारों को कहां से लोन उपलब्ध होगा ? भूमि विकास बैंक में भी, उनकी एप्लीकेशन्स कई 2 वर्षों से (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) पेंडिंग पड़ी हुई है लेकिन ऋण नहीं मिल पारहा है । अब एक और स्कीम हमारे क्षेत्र में, भीलवाड़ा जिले में मार्जिनल फार्मिंग की शुरू की गई है । 16 हजार काश्तकारों की लिस्ट तैयार हुई है लेकिन कुल मिला कर चार सौ काश्तकारों को लोन स्वीकृत किया गया है और इन चार सौ को भी मुश्किल से दो लाख रुपया दिया गया है । यह रुपया भी स्थानीय भूमिविकास बैंक ने ओन फण्ड में से दिया है, इसके पास पैसा पहुंचा नहीं है । अपेक्स भूमि विकास बैंक से । परिणाम यह हो रहा है कि काश्तकार को जो आगे रुपया मिलने वाला है उनके हिस्से का वह भी नहीं मिल पा रहा है । आज वहां के काश्तकारों को मारे मारे फिरना पड़ रहा है । और उन काश्तकारों को अपने गांव में जाना मुश्किल हो गया है । वे अपने गांवों में भी नहीं जा पा रहे हैं और निष्क्रमणार्थी होकर भीलवाड़े में पड़े हुए हैं क्योंकि जो काम उन्होंने शुरू कर दिए उनकी मजदूरी का पैसा देने की भी उनकी स्थिति नहीं है । काम अधूरे पड़े हुए हैं । बारिश सिर पर आ जाएगी महीने डेढ़ महीने में जिससे न काम पूरा हो सकेगा और न वह अपने देनदारों को ही रुपया दे सकेंगे । परिणाम यह होगा कि महाजन की शरण में जाना पड़ेगा और जो हमने सुविधाएं देने का इरादा किया है उसके विपरीत तीन चार पर्सेन्ट ब्याज पर रुपया उधार लेकर उन्हें काम करने को बाध्य होना पड़ेगा । इसलिए जो भी स्कीम हम हाथ में लें उसको ठीक ढ़ंग से क्रियान्वित करें, समय पर क्रियान्वित करें, इस बात को हम देखें, इसकी नितान्त आवश्यकता है ।

सड़कों के बाबत भी एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं । जब हम देखते हैं कि शहरों की सड़कों पर और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर काफी पैसा खर्च होता है और गांवों की सड़कों पर और खास तौर से कच्चे रास्तों को दुरस्त करने के लिए हमारे बजट में प्रावधान नहीं होता है तो हम ग्रामीणों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुख-सुविधाओं के लिए हम प्रयत्नशील हैं ।

(श्री भंवर लाल भदादा)

मैं तो यह निवेदन करूंगा कि कुछ दिनों तक के लिए हम शहरों की सड़कों को और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को, प्रायरिटी देना छोड़ कर गांवों को जोड़ने वाली और गांवों के रास्तों को मिलाने वाली सड़कों को प्रायरिटी दे दें और उसमें जितने भी अपने साधन हैं उनको लगा दें तो ज्यादा उपयोगी होगा और इससे हमारी कथनी और करनी का भेद भी उजागर नहीं होगा बल्कि जनता को विश्वास होगा कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही हम करने को तत्पर भी हैं और इसमें जुटे हुए हैं।

इस मौके पर सहकारिता और पंचायती राज के बारे में भी राज्य सरकार का ध्यान खींचना चाहूँगा। इस समय भीलवाड़ा जिले में 700 सहकारी समितियां हैं जिनमें से नाइन्टी परसेन्ट सहकारी समितियां डिफाल्ट हैं और इनके डिफाल्ट में होने की वजह से सहकारी समितियां निष्प्राण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बजट में जो कर प्रस्ताव हैं उनके विरोध में या पक्ष में ही अपने सुझाव सीमित रखें, लम्बा चौड़ा भाषण रिपीट करते जायेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा।

श्री भंवरलाल भदादा : बजट के संदर्भ में ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सामने जो बजट है उसी तक सीमित रहें और भी बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जो चीफ व्हिप साहब ने लिस्ट दी है उसके अलावा हम भी बोलने वाले हैं।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : माननीय सदस्य नए हैं और मेटिरियल स्पीच हो रही है इसलिए और समय दिया जाय।

श्री सांवरमल मोरा (श्री माधोपुर): जो नए सदस्य आए हैं उनको तो पूरा मौका मिलना चाहिए बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी मजबूरी है।

श्री भंवरलाल भदादा : मैं संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं और जो बजट से सम्बन्धित मामले हैं उन्हीं बातों पर बोल रहा हूं। अगर हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बजट की चर्चा बोगस चर्चा होकर रह जाएगी। हमने अपने बजट में जनता की गरीबी और बेकारी दूर करने की बात कही है। इस बजट को इसके अनुरूप बनाने के लिये हम चर्चा नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी यह सारी चर्चा बेकार होगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेकारी दूर करना चाहते हैं और बजट को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज हमारी सहकारी समितियां निष्प्राण हो रही हैं उनको सजीव करने के लिए अगर न सोचें, इसके लिए बजट में प्रावधान न रखें, इनके बारे में विचार न करें, तो कैसे हम कह सकेंगे कि हमारा बजट समाजवाद की दिशा में जा रहा है?

इसके साथ ही पंचायत राज के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। हम

(श्री भंवरलाल भदादा)

चाहते हैं कि हमारे देश की गरीबी और बेकारी दूर हो किन्तु अभी तक हमने पूंजी के बल पर अपनी योजनाओं का निर्माण किया है और इन योजनाओं के फलस्वरूप हम कर्जदार से कर्जदार होते गए हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम देश की अतुलित श्रम शक्ति का उपयोग करें। हम इस प्रकार से श्रम शक्ति को सक्रिय करें कि हमारे विकास कार्य गतिशील हो सकें और अच्छी तरह से सम्पन्न हों। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वह पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराए ताकि ये पंचायतें, नवीन पंचायतें, ग्राम निर्माण के कार्यक्रम में, ग्राम विकास के कार्यक्रम में, गरीबी हटाने के कार्यक्रम में और बेकारी हटाने के कार्यक्रम में, हाथ बंटा सकें ताकि जो हमारे स्वप्न हैं और जिस स्वप्न को हम पूरा करना चाहते हैं वह पूरा हो सके।

हम गांवों में समानता की बात लाना चाहते हैं लेकिन आज गांवों में अस्पृश्यता जिस भद्दे रूप में विद्यमान है उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे और इसके लिए इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं करेंगे तो अस्पृश्यता का कलंक गांवों में बना रहेगा और हमारी योजनाएं निरर्थक साबित हो जावेंगी। आप और हम सब जानते हैं कि आज अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों का समर्थन कांग्रेसजनों को, हम लोगों को, प्राप्त हुआ है लेकिन आज हम उनके लिये केवल बिजली, नल और पानी की सुविधा कर दें और इतना ही करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लें तो यह उचित बात नहीं होगी। यह भी तो कहीं पर मिलेगी जहां ये सुविधाएं पहुंच गई है। जहां बिजली पहुंच गई है वहीं पर तो बिजली मिलेगी और जहां नल पहुंच गये हैं वहां पर ही तो नल से पानी मिलेगा लेकिन आज कितने गांवों में सुविधाएं पहुंची हैं? आज गांवों में हरिजनों की हलात ऐसी है कि वे शुद्ध पीने के पानी से भी वंचित हैं, उन्हें गन्दा पानी पीना पड़ता है दो दो माइल से पानी लाना पड़ता है। ऐसे हजारों गांव हैं जो इन स्कीम्स के अन्तर्गत नहीं आए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हरिजन भाइयों के लिए कम से कम इतना तो हो ही जाय कि अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था एक वर्ष के अन्दर अन्दर प्रत्येक गांव में हो जायेगी ताकि आयन्दा इस बात की शिकायत सुनने को नहीं मिले। 400 नलकूपों की बात बजट में कही गई है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारी योजनाएं बनती हैं और उसके बाद योजनाएं यों की यों ही पड़ी रह जाती हैं। आगे जाकर ये योजनाएं हमारे लिए भार भी बन जाती हैं। भीलवाड़ा जिले में 20-25 नल कूप खुदे पड़े हैं, तैयार हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सा विभाग इन को चलाएगा। कृषि विभाग चलाएगा या जल विभाग चलाएगा या और कोई विभाग चलाएगा। तो यह भी हमारी निष्क्रियता का एक प्रमाण है। इसलिए अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में जल्दी तय कर लें कि कौन विभाग इन्हें चलाएगा और इनकी व्यवस्था देखेगा। इन पर मोटरें लगाने का भी सवाल है। जिन कुओं पर पांच लाख रुपया लगा दिया उन पर मोटरें लगाने के

(भंवर लाल भदादा)
लिए पांच दस हजार रुपया नहीं लगा इससे एक करोड़ की योजना बेकार पड़ी रहे यह उचित नहीं है। हमको इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए जो जनोपयोगी काम स्वीकृत हैं उनको शीघ्र ही चालू करना चाहिए।

भीलवाड़ा जिले का माईका का उद्योग बिल्कुल दयनीय स्थिति को प्राप्त हो चुका है। माइका ओनर्स में मजदूरों का करोड़ों रुपया बकाया है और वह मजदूरों को कई महीने बीत जाने पर भी नहीं मिल रहा है। इसके बारे में उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया जाय जो इस माईका उद्योग की स्थिति का अध्ययन करे और मजदूरों को उनकी मजदूरी का यथा समय भुगतान हो सके इस बात की व्यवस्था करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं कुछ कर प्रस्तावों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर वित्त मंत्रीजी ऐसा समझते हों कि दालें और गेहूं किसी विशिष्ट वर्ग द्वारा ही उपयोग में लिया जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। आज सामान्य जन इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इस लिये गेहूं और दालों पर वे उसी कर को प्रभावशाली रहने दें जो पहले है।

इस प्रकार रसायनिक खाद के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये। सीलिंग कानून संशोधन के बाद 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीलिंग हो जाने पर कोई बड़ा काश्तकार नहीं रहेगा। अतः सामान्य काश्तकार पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा।

साबुन और हलवाई उद्योग पर टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह उद्योग है वह लोगों को रोजगार देता है। इस दृष्टि से इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

यह कह कर कि हाथ बने साबुन पर कर की छूट का दुरुपयोग इस गृह उद्योग पर कर लगाना ठीक नहीं होता है मेरा निवेदन है कि होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन को एक्टिव करना चाहिये। इसका यह मतलब तो नहीं है कि जिस चीज से लोगों को रोजगार मिलता है, उससे हम लोगों को वंचित कर दें अथवा उनके लोगों पर कर का बोझा डाल दें। छोटे हलवाइयों द्वारा बनाए सामान पर लगाये कर के बारे में कहना चाहूंगा कि इनके लिये हिसाब किताब रखना संभव नहीं होगा और इस से तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देना है। जो हलवाई दो दो रुपये की मिठाई बेचता है वह किस तरह से इसका हिसाब रखेगा ?

श्री **उपाध्यक्ष** : इस पर सेल्स टैक्स नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने बजट भाषण पढ़ लिया होगा।

श्री भंवरलाल भदादा : मैं इसी पर निवेदन कर रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि इससे भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात है और इस पर मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं। (घंटी) मैं इन सुझावों के अलावा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, इस संबन्ध में राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये (घंटी) और जो हमारा डेड इनवेस्टमेंट है उसको सक्रिय करने

(श्री भंवर लाल भदादा)

के बारे में विचार करना चाहिये । इस बारे में बजट में प्राविजन होना चाहिये और इसके कर:प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर भी वित्त मंत्रीजी को गौर करना चाहिये । वित्त मंत्रीजी ने हमारे राज्य की जो वस्तुस्थिति हमारे सामने रखी है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरमल मोर ।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपका और हमारा इस विधान सभा में आने का सबसे पहला मौका है । हम देहात और शहरों में जाते हैं । और जब हम हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम विधान सभा में जाकर के हमारे क्षेत्र की, हमारे जिले की और राजस्थान की बात कहेंगे । लेकिन यहां आकर के जब देखते हैं तो एक तबका ऐसा है जो कि सरकार की खुल करके आलोचना करता है, उसे गाली देता है, खरी खोटी वह सरकार की आलोचना करता है, उससे आप डरते हैं और उन्हें बोलने का मौका देते हैं। दूसरा एक पक्ष वह है जो कि सरकार का खुला समर्थन करता है, जो सरकार का पक्ष है, उसे सही सही बात कहने का मौका भी आपकी तरफ से नहीं मिलता है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि हम पूरी तरह से कोई बात यहां पर नहीं रख सकें, क्योंकि हमारा यह पहला मौका है लेकिन फिर भी एक मौका आप हमें दीजिए । आप हमें इन बातों को समझाइये जिससे कि आगे हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकें, हमारे क्षेत्र की और हमारे जिले की राजस्थान की भावनाओं को इस सदन के समक्ष रख सकें । इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमें निश्चित रूप से भविष्य में प्रोत्साहित करेंगे ।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया और उन परिस्थितियों का जो लेखा जोखा पेश किया है, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं । लेकिन आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, की जनता ने जिस शान से कांग्रेस को बहुमत दिया है. वह राजस्थान की जनता इन चुने हुए विधायकों से यह अपेक्षा करती है कि वे विधान सभा में जाकर के हमारी भावनाओं को साकार रूप दे सकेंगे ।

मै आपसे निवेदन करूंगा सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या के बारे में। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से करीब 1000 नई स्कूलें 1000 मिडिल स्कूलें खोलने का तय किया है और इसके लिए करीब 6000 अध्यापकों को रोजगार दिया जायेगा । निश्चित तौर पर इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हल होगी । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी भर्ती के लिये एक प्रणाली तय कर देनी चाहिये । एक मेरिट का आधार तय कर देना चाहिये जिससे की इनकी नियुक्ति में किसी किस्म की कोई शिकायत न रहे कि कौन अध्यापक को किस तरह से ले लिया गया है । मैं आपसे निवेदन

(श्री सांवरमल मोर)
करूंगा कि आप इस बात के ऊपर गौर कीजिये और निश्चित तौर पर एक रास्ता आप तय करवाइये। मैं आपसे निवेदन करूं कि बेरोजगारी की बात चलती है तो इसके ऊपर जोरदार नारा समाजवाद का, बेरोजगारी को मिटाने का दिया जाता है। परन्तु यह बेरोजगारी उत्पादन बढ़ने से दूर होगी, किसान के खेत में बिजली देने से दूर होगी, कल कारखाने खुलने से यह बेरोजगारी दूर होगी। इसलिये आप एक निश्चित प्रोग्राम राजस्थान सरकार से तय करवाइये कि इतने साल में, बारह महीनों में, या दो साल में राजस्थान के हर गांव में बिजली आप दे देंगे। अगर आप बिजली दे देते हैं तो इससे आपकी रैवेन्यू बढ़ेगी और साथ ही किसानों में खुशहाली बढ़ेगी और जो बेरोजगारी की आप बात करते हैं वह दूर होगी। इसलिये जैसे हरियाणा ने कदम उठाया है और गांव गांव को बिजली पहुँचाई है, उसी तरह से राजस्थान में भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि यहां के लिये सरकार एक प्रोग्राम बनावे और राजस्थान के किसान को बिजली दे। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार आज बिजली विभाग में है वह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां ज्यादातर बिजली की शिकायत है। यह दो फसली इलाका है, अच्छी उपज होती है आत्म-निर्भरता के हिसाब से यहां पर अच्छा अनाज पैदा होता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को गौर से सोचिये और यह तय करवाइये कि राजस्थान के किसान को बिजली निश्चित रूप से समय पर मिलेगी।

शिक्षा के लिये जैसा कि हमारे बजट में है, प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया जायेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं चुनावों के समय लोगों में यह तमन्ना थी कि उनके क्षेत्र में सेकेन्डरी स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल खुलें, कालेज खुलें, और इसके लिये बजट में जैसा कि आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है और अब इसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इस पर भी सोचा जाना चाहिये।

अब मैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जब वित्तमंत्री जी अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे उन्होंने राजस्थान के अन्य जिलों के साथ साथ सीकर का नाम भी लिया। सीकर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किये आज करीब 12 महीने या डेढ़ साल हो गया लेकिन आज तक वहां पर औद्योगिक दृष्टि से कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है और न कोई उद्योग का कार्यक्रम दिया गया है।

रासायनिक खाद के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। हमारे जिले में खण्डेला (सलेदीपुरा) एक ऐसी जगह है जहां पर रासायनिक खाद का कारखाना खोला जा सकता है। आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सरकार को और हिन्दुस्तान की सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिलों में जिन्हें पिछड़ा घोषित किया गया है उनकी जो वाजिब मांग है उसको पूरा करें।

चिकित्सा के बारे में भी मेरा यही सुझाव है। इस बजट में न कोई औषधालय

Page No. 72

(श्री सावर मल मोर)

खोलने का प्रावधान है और न हास्पिटल खोलने का कोई प्रावधान है। जो बातें शिक्षा के क्षेत्र में कही जा सकती हैं वे ही इसके बारे में भी लागू हैं। इसके लिए बजट रखें ताकि उन कामों के बारे में भी विचार किया जा सके।

बजट के सिलसिले में जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा पंचायती राज के बारे में तो पंचायती राज्य के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में 8 साल हो गये हैं पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। पंचायतों की कैसी स्थिति है, जिला परिषदों की कैसी स्थिति है और कितना खर्चा इस राजस्थान सरकार का लगता है, आप उसको देखें। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा भारी खर्चा पंचायत समितियों पर होता है और उनमें पार्टी बाजियां चल रही है, और सबसे बड़ा काम जो आज पचायत समिति में रह गया है वह सिर्फ अध्यापकों के ट्रान्सफर करने का।

जिन पर नये टैक्स लगाये गये हैं उनमें गोटा भी है। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सीकर जिले के खण्डेला शहर में काफी मात्रा में गोटा तैयार किया जाता है और हिन्दुस्तान में अन्य जगहों पर गोटा वहां से जाता है। हजारों गरीब मुसलमान और हजारों दूसरे लोग इस काम को करते हैं। इसलिए आपके टैक्स का सीधा उनके ऊपर असर पड़ेगा, और हिन्दुस्तान में जहां गोटा जाता है आज वहां से वे लोग उस गोटे को मंगाना बन्द कर देंगे। सूरत को वहां से गोटा जाता है, दिल्ली को गोटा वहां से जाता है, अहमदाबाद को गोटा वहां से जाता है, लेकिन टैक्स की वजह से जब खण्डेले का गोटा मंहगा पड़ेगा तो वे वहां से गोटा न मंगाकर दूसरी जगह से मंगायेंगे। नाज पर टैक्स लगाने के बारे में निवेदन करूंगा कि नाज पर टैक्स लगा रहे हैं वह कतई उचित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं नाज पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इस टैक्स लगाने के बजाय जो प्राइवेट मोटर सर्विस चला रहे हैं उनको बन्द करके उनका राष्ट्रीकरण किया जाय। जो फिजूलखर्ची पंचायत समिति और जिला परिषदों में हो रही, उसको रोकें और दूसरे साधन जुटाने का प्रयत्न किया जाय ताकि हमारे वित्तीय साधन पूरे हो सकें।

मैं आपसे निवेदन करूंगा इस बात के लिए कि सीकर, चूरू और झुन्झुनूं ये तीन ऐसे जिले हैं जहां कि कोई नहर नहीं आ सकती है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर लिफ्ट से पानी पहुँचाया जा सकता है। हमारा जिला और दो ये ऐसे जिले हैं जहां पर 150-150 फीट के करीब पानी गहरा है। किसान अपने खेतों पर बिजली लगाना चाहते हैं और कुए खोदना चाहते हैं. लेकिन किसानों के पास साधन नहीं हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे लिफ्ट से वहां पानी पहुँचाया जा सके और इन जिलों की खुशहाली का बहुत बड़ा श्रेय आपको और आपकी सरकार को मिल सके।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ अपन फिजूलखर्ची को रोकने की बात करतें हैं वहां पर फिजूलखर्ची अपनी तरफ से भी नहीं होना चाहिए।

(श्री सावरमल मीर)

मैं शराब के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि शराब एक ऐसी चीज है कि गांधीजी शराब को वैश्यावृति से भी अधिक घृणित मानते थे। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस वायदे को सरकार ने किया है उसको पूरा करना चाहिए और शराब को रोकना चाहिए, और मैं हिन्दुस्तान की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शराब की वजह से जो घाटा हो हिन्दुस्तान की सरकार उसको पूरा करे और शराब को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको पुन: धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने घन्टी नहीं बजाई। मुझे ज्यादा बोलने का अभी तजुर्बा नहीं है। मैं पुन: धन्यवाद देता हूँ। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट का प्रश्न है आज करीब 10 वर्ष बाद मैं इसी सदन में एक नये परिपेक्ष्य में बैठा हुआ हूँ। 10 वर्ष पहले जब मैं निर्वाचित होकर इस सदन का सदस्य बन कर आया और जिस तरह का बजट उस समय पेश किया गया था उसी तरह का आज भी बजट हमारे सामने है। लेकिन परिस्थितियां इन वर्षों में बहुत कुछ बदल गई हैं। खास तौर से गत दो वर्षों ने हमारे देश में एक तूफान को खडा किया है। जनता ने कुछ आशा और कुछ विश्वास व्यक्त किये हैं। उनकी कुछ आकांक्षाएं हैं। जनता ने एक मासिव मेन्डेट देकर कांग्रेस को इस बात का अवसर दिया है कि वह देश में गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के कारगर उपाय सोचे। हमें इस बात का अवसर दिया है कि हम देश का एक ऐसा नक्शा तैयार कर जनता के सामने रखें कि जिससे हमारे देश का अवरुद्ध विकास खुल जाय और वह निरन्तर गतिशील होकर आगे बढ़ने के अवसर पा सके।

समाजवाद केवल शब्दों या वाक्यों का ही कोई समूह नहीं है। समाजवाद एक जीवन-दर्शन है, और उस जीवन दर्शन का सीधा सम्बन्ध हमारे बुद्धिवाद हमारी विचारधारा और हमारे अन्त:मन से है। हमारी जनता हम से काफी आकांक्षा रखती है। आज हमारे देश में असमानता है। जो एक आर्थिक, सामाजिक, असमानता हमारे देश में जिस तरह की है यदि यह कायम रहती है तो समाजवाद का लक्ष्य हम से बराबर कोसों दूर बना रहेगा। हमें डिस्पेरिटीज का मुकाबला करना है। उसके लिए हमें कुछ कदम लेने पड़ेंगे। उस सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता है। जहां तक राजनैतिक असमानता का प्रश्न है मैं मानता हूं कि यदि आर्थिक गरीबी है तो राजनैतिक गरीबी भी इस देश में अभी तक विद्यमान है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाय। मेरे पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने कहा उन्होंने राजनैतिक गरीबी का ही इजहार किया है। कुछ लोगों को ज्यादा बोलने का अवसर मिला, कुछ लोग नहीं बोल सके, वह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

(श्री मनोहर कोठारी)

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है यद्यपि वह समाजवाद की ओर हमारा एक कदम हो सकता है, लेकिन सम्पूर्ण रूप में वह हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है। गरीबी वर्षों का हमारा एक रोग है। पीढ़ियों और शताब्दियों का वह रोग है। उसे मिटाने के लिए हमें कुछ संकल्प करना पड़ेगा, कुछ हमें प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी, और कुछ हमें अच्छे मार्ग ढूंढने पड़ेंगे, ताकि हम उसको मिटा सकें। लेकिन केवल गरीबी का नारा लगाते रहें और समाजवाद की बात करते रहें, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें कोई महत्वपूर्ण राह नहीं मिलने वाली है।

आज की आवश्यकताओं से एक तरह से जो वंचित है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज हमारे देश की वह जनता जो अधिकांश में गांवों में रहती है, 80 पर्सेन्ट जनता गांवों में रहती है, निवास करती है, उसके खर्च करने की कितनी ताकत है? जैसा कि समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य ने अभी यहां पर एक सूचना दी कि हमारे देश में आम आदमी की, आम व्यक्ति के खर्च करने की कितनी ताकत है उसमें हमें देखना पड़ेगा। सन् 1960-61 में इस संबंध में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने दल का गठन किया था। उसने वह बताया कि कम से कम एक व्यक्ति के जीवन-यापन के लिए 20 रुपये मासिक की आवश्यकता होगी और इस तरह से यदि 5 सदस्यों के एक परिवार की बात हम लें तो 100 रुपये की न्यूनतम आवश्यकता किसी भी एक परिवार के लिए हो सकती है। यह बात 1960-61 की है। आज सन् 1972 में चीजों के भाव इतने बढ़ गये हैं कि मैं समझता हूं कि आज वे दुगने तिगने तक पहुंच गये हैं। उस स्थिति में हम कम से कम 200 रुपये एक परिवार के लिए न्यूनतम राशि नहीं समझ सकते तो मैं समझता हूं कि हमारे सोचने के ढंग में बड़ी गलती रह जायगी। 200 रुपये की सीमा से नीचे आज जितने भी हमारे देश के लोग हैं वह सब आज अर्थाभाव के संकट में बुरी तरह से ग्रस्त हैं। उनके सामने अनेक समस्याएं हैं, गरीबी कितनी बड़ी आफत होती हैं, यह तो गरीब आदमी ही जानता है हमने जितनी विकास प्रक्रिया सोची, वह शहरों को केन्द्र मानकर सोची है। जितनी योजनाएं बनाईं, तो शहर ही हमारी निगाहों के बीच में रहे हैं। गांव नहीं रहे हैं। भले ही जयपुर की रौनक बढ़ी हो। बड़े बड़े शहरों की रौनक बढ़ी हो लेकिन इस रौनक से हमारे प्रान्त की प्रगति हुई हो, यह नहीं है। क्योंकि हमने सामुदायिक विकास योजनाएं गांवों के विकास के लिए बनाईं। लेकिन उनका सीधा प्रभाव कस्बों पर पड़ा है जो कि न तो शहरों की श्रेणी में आते हैं और न ही गांवों की श्रेणी में आते हैं। मैं जिस नाथद्वारा से आया हूं, वहां गरीब अमीर सैंकड़ों पर्यटक आते हैं लेकिन नाथद्वारा के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा गया है क्योंकि कस्बों की योजना ही बनी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कस्बों और गांवों में विशेष ध्यान दें। मैं वित्तमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप शहरों का ध्यान छोड़ दें। आप गांवों में आयें। छोटे छोटे कस्बों

(श्री मनोहर कोठारी)

ये आयें। तभी समान रूप से इस युग को लाभ दे सकेंगे। (हर्षध्वनि) आप आवास की सुविधा ले लीजिये। हमारी सरकार ने आवास के लिए बहुत कुछ किया है। भू-आवंटन किया हैं। अच्छे अच्छे मकान खड़े हो गये हैं। मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार से हमारी सरकार ने एक अर्ध विकसित पूंजीपति वर्ग पैदा कर दिया है। सरकार ने यह नहीं सोचा है कि किस परिवार के रहने के लिए कितनी आवश्यकता है। बड़े बंगले बने हुये हैं। सरकार ने अधिक से अधिक ऋण और जमीन उनको दी हैं। लोगों को जो प्लाट दिये गये हैं, उनमें से कई ऐसे हैं कि उन्होंने आधे हिस्से में मकान बना लिया है और आधा हिस्सा अधिक कीमत पर बेच दिया है क्यों कि आज जमीन की किती अधिक कीमत हो गई है। यही नहीं जो भूमि उनको निवास के लिए दी गई थी, उन्हीं मकानों को धड़ल्ले से लोग किराये पर उठा रहे हैं। आज जमीन की कीमत क्या हो गई है? इसलिए आप सोचें कि हमारे देश की खासकर विकास करने की जो प्रक्रिया है, वह शहरों की है। आज आवसीय भू-खण्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। नाथद्वारा कस्बे में म्युनिस्पिलटी धड़ाधड़ प्लाट बेचती जा रही है। वह प्लाट किसको मिलते हैं? नाथद्वारा के जो मूल नागरिक हैं वह तो प्लाट भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो बम्बई के रहने वाले लोग हैं, वह खरीद रहे हैं। 180 रु. प्रति वर्ग गज के भाव से नाथद्वारा के लोग नहीं खरीद सकते हैं। वहां तो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आटा मिल जाता है। दो एक रुपया मासिक मिल जाता है। किसी को मन दो मन अनाज मिल जाता है। किसी को मन्दिर के प्रसाद के रूप में कुछ मिल जाता है। ऐसी स्थिति में भूमि की और निवास की समस्या है। लोग गलियों में सड़ रहे हैं। इसकी ओर नहीं सोचा जा रहा है। हम इस बारे में बार बार यहां पर निवेदन कर चुके हैं। हमारे यहां नगर विकास न्यास की योजना बनायें। वह योजना कौन बना रहा है, पता नहीं है? मास्टर प्लान बनाइये। इधर जमीन बेचते जा रहे हैं। नगर विकास न्यास की योजना आप हिण्डौन में बना सकते हैं। लेकिन नाथद्वारा के लिए नहीं। मैं तो कहूंगा कि पिछले 20 वर्षों में नाथद्वारा के लिए आपने कोई विकास कार्य नहीं किया है। नाथद्वारा में सरकार की ओर से कुछ भी तो नहीं किया गया है। अस्पताल की बिल्डिग ले लीजिये। स्कूल भवन ले लीजिये। हाई स्कूल बिल्डिग ले लीजिये। गर्ल्स कालेज, मिडिल स्कूल, ये सब ठिकाने के वक्त की हैं। आपने बनाई हैं तो तहसील बिल्डिग बनाई है। मुंसिफ मजिस्ट्रेटी की बिल्डिग बनाई है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे जनता को क्या मिलने वाला है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार को सोचना चाहिए। खासतौर से इन कस्बों की जो दुर्दशा हो रही है, मैं समझता हूं कि उसे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इस सारे बजट को देखने के बाद मुझे एक बात से बहुत निराशा हुई है। सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं दिखाया गया है। बाल विवाह और दहेज के बारे में 1957-58 में कानून बना है। वह हमारे प्रान्त में भी लागू है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के ध्यान में एक भी ऐसा मामला आया है? किसी एक भी मामले का आज

(श्री मनोहर कोठारी)
तक चालान किया गया हैं ? दहेज आज भी राजस्थान में लिया जा रहा हैं। अफसोस यह है कि कानून बनाकर उसको बालाये ताक रख दिया जाता है। हमारी नाक के नीचे सैकड़ों बाल विवाह किये जाते हैं। दहेज लिये जाते रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री मनोहर कोठारी : मेरे तो 7 लड़के हैं, श्रीमान् ! लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि मैंने 4 बच्चों की शादियां की हैं, एक में भी दहेज लेने की बात स्वीकार नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय, बालसुधार के सम्बन्ध में भी कानून बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि प्रोबेशन एक्ट लागू है। जो बच्चे किसी गलती से कोई जुर्म कर लेते हैं, तो अदालत उनको अवसर देती है। उनको मौका देती है। उनको सुधरने का अवसर दिया जाता है। लेकिन हमारी सरकार ऐसा कोई भी कार्यक्रम अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है। कुछ अधिकारियों के जरिये से उनको कराना चाहती है। उसमें क्या होता है, क्या नहीं इसकी कोई चिन्ता नहीं है। यह कार्य मानवीय दृष्टि से होना चाहिए। ऐसे सामाजिक संगठनों को तैयार किया जाना चाहिए जो कि बालसुधार के कार्य अपने हाथ में ले सकें। जहां बाल-सुधारों का काम हाथ में लिया गया है, वहां के समाजसेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को यह अवसर मिले और फिर देखें कि उनकी क्या प्रगति होती है। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी कुछ प्रगति हो सकती है। वर्ना आज स्थिति वह है कि कहीं भी विकास नहीं हो पाया है। इससे चरित्र में कमियां आती हैं जो आये दिन हम देखते हैं। अमरीका में भी आज इस तरह की योजना है। दूसरे देशों में भी इस तरह की व्यवस्था है कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह का बाल-सुधार कार्य हाथ में लिया हुआ है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों में खास तौर पर राजपूत, जाट, गूजर,-ऐसी जातियों में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। जब मैं बीमारी कहता हूं तो मैं उसे बीमारी इसलिए मानता हूं कि औरतों को एक जगह से दूसरी जगह भगाया जाता है। उसके बाद में पुलिस की बन आती है। उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों लोग उसके आधार पर पलते हैं और पुलिस के माध्यम से लोगों को जलील और परेशान किया जाता हैं। उनके झगड़े चुकाने की बात होती है वह सैकड़ों में नहीं होती बल्कि हजारों में झगड़े चुकते हैं और बेकार लोगों को उससे परेशानी होती है। समाज के अन्दर जो यह समस्या है, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को सख्त से सख्त इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस बीमारी का निराकरण हो सके और लोग इससे निजात पा सकें।

एक माननीय सदस्य : इस पर टैक्स लगाने का सुझाव देना चाहते हैं ?

श्री **मनोहर कोठारी :** टैक्स लगाने की बात नहीं कह रहा हूं। आप समझते नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : यह टैक्स लगाने की बात नहीं है।

श्री रामसिंह कुडी (जायल): आप बजट पर बोल रहे हैं या समाज कल्याण पर ?

श्री मनोहर कोठारी : आपसे ज्यादा जानता हूं, श्रीमान्, थोड़ा अवसर दीजिये। यह समाज कल्याण का ही सवाल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में राज्यपाल महोदय ने एक ऐसे पुनीत अवसर पर, जब हमारे देश में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बड़े जोर से इस बात की घोषणा की थी कि 1972 तक हम सम्पूर्ण राजस्थान में मद्य निषेध नीति लागू कर देंगे। लेकिन आज जब मैं दो वर्ष के बाद मद्य निषेध नीति की स्थिति को देखता हूं तो थोड़ा मुझे अफसोस होता है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दुःख होता है। गांधीजी की जन्म शताब्दी के पुनीत अवसर पर लिया गया निर्णय यदि हम बदल सकते हैं तो हमारे सारे निर्णय एक अर्थ में अविश्वसनीय निर्णय होंगे क्योंकि यह राज्य सरकार अपने निर्णय का दृढ़ता से अमल नहीं कर सकती है। यह एक ऐसी बात है जिस पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना पड़ेगा। मद्य निषेद के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कई माननीय सदस्यों ने कहा भी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक तरफ कुछ जिलों में शराबबन्दी का कार्यक्रम लागू किया जाय और दूसरी तरफ आम सड़कों पर देशी शराब की दुकान का हरी, पीली और लाल बोतलों और प्यालों का विज्ञापन किया जाय, नित नये लाइसेन्स लोगों को दिये जायं और शराब के ठेकेदारों को कहा जाय कि निश्चित सीमा के अन्दर तुम्हें शराब बेचनी होगी—तो क्या यह शराबबन्दी के लिए लिये जाने वाले निर्णय हो सकते हैं ? शराबबन्दी की ओर बढ़ते हुए कदम हो सकते हैं ? आखिर ऐसी कौनसी बात है कि जिससे सरकार शराब बन्दी लागू नहीं करना चाहती ? अगर करना चाहती है तो दो तरफा नीति सरकार की इस सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिए।

शिक्षा के सम्बन्ध में हम देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के अन्दर शिक्षित और तकनीकी बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बेकार जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के पूल की व्यवस्था की गई है। डाक्टरों के लिए भी कुछ आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जैसे अर्द्ध-विकसित प्रान्त में तकनीकी लोगों के लिए कोई काम ही नहीं है ? यदि है, तो यह लोग क्यों बेकार बैठे हुए हैं ? मालूम पड़ता है कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह स्थिति आज है कि गांवों में लोगों को बीमारी से मुक्ति देने के लिए कोई डाक्टर नहीं है। गांवों में इतनी पर्याप्त सुविधा भी नहीं है कि दवा-दारू का अपना अधिकार ले सकें। दवाखानों की कमी है, डाक्टरों की कमी है, लेकिन फिर भी डाक्टर बेकार बैठे हुए हैं। एक तरफ हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर कई इंजीनियर्स की जगह खाली है, लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर्स बेकार बैठे हुए हैं; पूल में बैठे हुए सरकार से दो सौ, ढाई सौ रुपये पाते हैं। क्या ढाई सौ रुपये में आज इंजीनियर के स्टेटस के आदमी की दैनिक

(श्री मनोहर कोठारी)

आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है? व्यांस प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया कि राजस्थान से इंजीनियर्स मांगे गये, लेकिन हमारी सरकार सोती रही और वहां उन लोगों की पूर्ति हरियाणा और पंजाब से कर ली गई। राजस्थान सरकार की यह स्थिति वास्तव में गम्भीर है। मैं समझता हूं कि युवा वर्ग में इससे स्वभावतः जोश उत्पन्न होता है और उनमें असंतोष फैलता है और क्रांति की दिशा में सोचने का अवसर जानबूझ कर उन लोगों को देना चाहते हैं जो बेकार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां पर कई प्रतिष्ठान हैं, जिस प्रकार हिन्दुस्तान मशीन एण्ड टूल्स में आपने कुछ लोगों को अवसर दिया है। इसी तरह से और जगहों पर भी अवसर दीजिये ताकि वहां पर इन लोगों को खपाया जा सके। यदि यह नहीं हुआ तो इसका नतीजा यह होगा कि जो कुछ भी वह सीखे हुए हैं, जो कुछ भी उनका अनुभव और जानकारी है-वह सब भूल जायेंगे और अन्त में जाकर इन लोगों को दर-दर भटकने को मजबूर होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, दूसरी तरफ सार्वजनिक शिक्षण संस्थायें चल रही हैं। हमारे यहां पर जो अधिकारी वर्ग है उस अधिकारी वर्ग के बच्चे हैं वह पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ गांवों के अन्दर जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है, स्कूलों के सिर ढकने के लिए मकान तक नहीं हैं। उनके लिए खेलने की व्यवस्था नहीं है। आज एक तरफ हमारे यहां शिक्षा का थोड़ा प्रबन्ध है, उनमें सरकार अच्छी शिक्षा देने में भी असमर्थ है, दूसरी तरफ स्कूलों में खेल की व्यवस्था नहीं है। खेल के नाम से कुछ पैसे लिए जाते हैं, इस तरह की फीस वसूल की जाती है, लेकिन बड़े बड़े कालेजेज और स्कूलों में भी खेलने की समुचित व्यवस्था नहीं है। परिणाम यह होता है कि युवा वर्ग भटक कर आर. एस.एस. शाखा की ओर भागता है। उनके दिमाग को यह तबका जबर्दस्ती विकृत बनाने और उन्हें देशद्रोही बनाने का काम करता है। इसके अन्दर केवल छात्र ही नहीं, अध्यापक भी हैं जो स्कूलों में आर. एस. एस. की शाखाएं चलाते हैं। ऐसे कई स्कूलों में शिक्षित अध्यापक हैं जो आर. एस. एस. की शाखाएं चलाते हैं, आप चाहें तो मैं साबित कर सकता हूं। पिछले दिनों मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों में से जो आर.एस.एस. और जमायते इस्लामी में भाग लेने वाले लोग हैं उनको रोकेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। वह कार्यवाही कहां हुई, कब हुई-इस बात की आज तक भी जानकारी नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : देशद्रोहिता के आरोप के अन्दर तो आपके कांग्रेसमैन पकड़े गये हैं डी. आई. आर. के अन्दर, जिनका प्राटेक्शन किया जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब आता तो आपको पता लग जाता कि डी. आई. आर. में कौन पकड़े गये थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह कांग्रेस के कार्यकर्त्ता थे।

श्री मनोहर कोठारी : आप संतोष रखिये। थोड़ा सुनने का माद्दा रखिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : माननीय सदस्य को चोट लगी इसका मतलब यह है जो माननीय सदस्य ने कहा वह सही है।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नाथद्वारा में राजस्थान संस्कृत कालेज, महाविद्यालय चलता रहा है। देश के मूर्धन्य साहित्यकार, मूर्धन्य विद्वान हमारे वहां पर पैदा होते रहे हैं, वहां से अनेक आचार्य, प्रधानाचार्य बनते रहे हैं। लेकिन मैं आज उसकी स्थिति देखता हूं तो उस कालेज की हालत यह है कि उसे मिडिल स्कूल के स्तर पर लाकर रख दिया गया है। जहां से संस्कृत के आचार्य निकलते थे, मार्कण्डेय जैसे विद्वान नाथद्वारा संस्कृत महाविद्यालय के प्रिन्सिपल थे, खाण्डेनाथ शास्त्री जैसे बहुत बड़े विद्वान वहां पर प्रोफेसर थे और उस महाविद्यालय से निकलते हुए यह संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान देश में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उस महा विद्यायल की यह दुर्दशा कर दी है कि उसको मिडिल स्कूल के स्तर पर लाकर रख दिया गया है। उसकी बिल्डिंग भी सरकार ने नहीं बनाई है, वह ठिकाने के वक्त की बिल्डिंग है। वह अपर्याप्त बिल्डिंग है। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इस तरह की स्थिति चल रही है। राज्य सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि हम इसे प्राच्य विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। हमारे यहां के भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के और मुख्य मन्त्री जी की उपस्थिति में, नाथद्वारा महाराजा के आगमन पर यह घोषणा की गई थी, राज्य सरकार चाहे और सहयोग करे तो नाथद्वारा से और धर्म के मानने वाले बहुत से लोगों के द्वारा लाखों रुपया प्राच्य विश्वविद्यालय के लिए दिया जा सकता है। इस घोषणा का बड़े जोर से स्वागत किया भूतपूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा और मुख्य मंत्री की उपस्थिति में यह घोषणा हुई फिर भी प्राच्य विश्वविद्यालय बनाने की बात हमारे पर नहीं होती है, बल्कि बेकार शिक्षित लोग पैदा करे–ऐसे विश्वविद्यालय बढ़ाते जा रहे हैं। तीन विश्वविद्यालयों की इस प्रान्त को आवश्यकता नहीं थी। ऐसे विश्वविद्यालय तो बनाते हैं किन्तु प्राच्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ध्यान नहीं देते।

दवाखानों के अभाव की बात मैं निवेदन करूं। हमारे यहां पर नाथद्वारा के दवाखाने की दुर्दशा जो है वह देखते ही बनती है। 24 हजार की आबादी है। यह केवल नाथद्वारा कस्बे की आबादी बता रहा हूं। उसके आसपास के गांवों में कोई दवाखाना नहीं है। एक डाक्टर रहते हैं, दवाइयों के लिए केवल 11 हजार रुपए की व्यवस्था है। पट्टियां नहीं मिले। प्रति व्यक्ति के लिए यदि दवाइयां हैं तो दो पैसे की हैं। क्या आप समझते हैं कि यह दवाइयों का प्रबंध काफी होता है? आज उस इलाके में हम, दुर्भाग्य से, दोहरी गुलामी के शिकार रहे हैं, एक तरफ जागीरी क्षेत्र में यद्यपि कोई जागीरदार नहीं। मंदिर के जो महाराज हैं वे हमारे पास अधिकारी थे लेकिन जागीरदार की तरह उनके अधिकार थे। इसलिए हम लोग दोहरी गुलामी से पिसे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र का विकास होता है, नाथद्वारा को नगण्य किया जाता है क्योंकि हम लोग दुर्दशा में रहे हैं। लेकिन

(श्री मनोहर कोठारी)

अब नाथद्वारा का विकास अवरुद्ध नहीं रह सकता। अगर राज्य सरकार इस दृष्टि से विचार नहीं करती तो मुश्किल समस्या होगी। अब नाथद्वारा के लोग इस जमाने में अपने आप को असहाय नहीं मानेंगे और उसके लिए राज्य सरकार जिस भाषा में समझती है उस भाषा में मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं सिचाई के प्रबंध की बात पर निवेदन करना चाहता हूं। मेरी तहसील में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दो तीन सिंचाई की ऐसी योजनायें हैं, जिनको सरकार ने हाथ में ले रखा है। उनमें से दो-तीन 4 करोड़ की योजनायें हैं। हर साल 20 हजार रुपए, एक लाख रुपए, दो लाख रुपए की व्यवस्था की जाती है। ऐसी छोटी छोटी योजनायें कब बनकर पूरी होंगी, कोई नहीं कह सकता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे मेवाड़ का सबसे पुराना जो बांध है अमरचंदिया जिसके पाल पर होकर मोटरें दौड़ा करती थीं, पाल टूट गई है। मोटरों का रास्ता नीचे से एक जगह पर निकाला गया है। पाल नीचे गिर कर पानी में पड़ गई है मैंने प्रश्न किया है, लेकिन प्रश्न का क्या होने वाला है? आज वह पाल जो बची हुई है, एक तरफ दीवार बनी हुई है, जो रिटेनिंग वाल है, वह पहली बार ही बरसात में जाएगी और 5 गांवों को तबाह करेगी, हजारों बीघा जमीन बेकार हो जाएगी। मैंने वहां एग्जीक्यूटिव इंजनीयर को मौके पर लेजा कर बताया कि इस बांध की क्या हालत है, क्या आप अनुभव नहीं करते कि वह बरसात में टूट जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल टूट जाएगी। मैंने कहा, अगर टूट जाएगी तो आप क्या व्यवस्था करते हैं? उन्होंने कहा, सरकार को लिख कर भेजते हैं। इसके पानी की तरफ मिट्टी डाल कर थोड़े समय के लिए रिटेन किया जाए। मैंने पूछा, यह स्थाई व्यवस्था है? उन्होंने कहा दो तीन साल के बाद यह भी बह जाएगी, तो इतना बड़ा बांध जो जयसमंद बांध के पानी का है, उसको रिटेन करने का प्रबंध नहीं है। इंजीनीयर्स ने कहा आगे का नाका बांध कर स्क्रैप करने की आवश्यकता है लेकिन इसके लिए राज्य सरकार सक्षम है, तभी हम हाथ में ले सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस संबंध में थोड़ा आतुरता से सोचे, वह देखे, कई लोगों के जन-जीवन का प्रश्न है। अगर यह बांध टूट जाता है तो 5 गांव नीचे बसे हुए बरबाद हो जायेंगे, मवेशियों और बाल बच्चों को नुकसान हो सकता है। सरकार को फिलहाल बरसात के लिए जैसा इंजीनियर कहते हैं रिटेन करने की जरूरत है और आगे का नाका नए सिरे से बांध कर स्क्रैप करने की आवश्यकता है...

श्री उपाध्यक्ष : शेष अनुदान की मांगों पर।

श्री मनोहर कोठारी : ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। एक खास मुद्दा और निवेदन करना चाहता हूं। नाथद्वारा की नगरपालिका, नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत बनी है। संबंधित मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि नाथद्वारा में लाखों आदमी बाहर से

(श्री मनोहर कोठारी)

प्रति वर्ष आते हैं इसलिए नाथद्वारा में अगर टेम्पल टाउन की व्यवस्था की जा सके तो अच्छा होगा। इसका मतलब कुछ लोग चुने हुए प्रतिनिधि हों, टेम्पुल बोर्ड बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा उनका पदेन सदस्य हो चीफ एग्जीक्यूटिव आफीसर, टेम्पुल बोर्ड का है, उसका हो। कुल मिला कर उन लोगों को आकर्षित कर सकता है कि बाहर से आने वाले लोग दान के रूप में नाथद्वारा के विकास के लिए कुछ दें। लोग देते हैं, हमारे यहां कालेज भवन एक व्यक्ति ने बनाया, हास्टिल का भवन उसी व्यक्ति ने बनाया। राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की यह भवन बनने के बाद बाकी लेबोरेटरी की बिल्डिंग हम बनायेंगे लेकिन वह आज तक नहीं बनी। सरकार पैसा नहीं खर्च करती। इस स्थिति में इस वर्ष नहीं हो सकता लेकिन और तो और बिल्डिंग को टेकोवर करने के बाद भी रिपेयरिंग का जो खर्चा है, उसके लिए प्रिन्सीपल, दर दर की ठोकरें खाकर, दुकान दुकान पर, कह रहे हैं कि सरकार ने हमें सूचना दी है कि आप मेहरबानी करके इस भवन की रिपेयरिंग के लिए चंदा इकट्ठा करवा दो। दुःख होता है कि जो भवन दानदाता ने बना कर दिया, राज्य सरकार ने टेकोवर किया, उसके बाद रिपेयर के लिए दरदर की ठोकरें खाना, मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसा कालेज भवन है जिसकी रिपेयर आम जनता से चन्दा एकत्रित करके की जाती है? यह समझ में नहीं आता, लेकिन हो रहा है। गर्ल्स सेकेण्डरी स्कूल के लिए राज्य सरकार ने 25 हजार रुपये स्वीकार किए कि इसकी लेबोरेटरी बनाई जाए। शिक्षा विभाग में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने वह रुपया गर्ल्स मिडिल स्कूल पर खर्च किया। लेकिन लेबोरेटरी आज तक बेकार पड़ी हुई है। शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए जिसके लिए रुपया सैंक्शन हुआ, वह काम नहीं हो सका, जिसके लिए सैंक्शन नहीं था, वह काम वहां हो गया और अब वहां जब लोगों से कहा जाता है कि इसके लिए 25 हजार हमने सैंक्शन किया, तो राज्य सरकार इस बारे में थोड़ा विचार करे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछे कि यह पैसा आपने कहां खर्च किया, कैसे किया और क्यों किया?....

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी आप शिवचरणजी से ले लेते।

श्री मनोहर कोठारी : उनको मालूम है। आपके जमाने में खुद ने मंजूर किया लेकिन वह लेबोरेटरी के लिए था वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, उसके बजाय मिडिल स्कूल में पैसा खर्च हो चुका है।

श्री पूनमचंद विश्नोई (भीनमाल) : भोपालगढ़ में बिल्डिंग बनाई गई थी।

श्री मनोहर कोठारी : सारी व्यवस्थायें और योजनायें सर्विसेज के हाथों पूरी हो रही हैं। टेम्पुल टाउन की योजना बनायें उससे आप नगरपालिका को भी लाभ होगा, नगरपालिका बनें। जो लोग कुछ नामीनेटेड हों इसके लिए स्पेशल प्रबन्ध किया जाए, बाहर से चुन कर आते हैं नगरपालिका अधिनियम के तहत, वे तो हैं उसके अतिरिक्त टेम्पुल बोर्ड का पदाधिकारी और चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर

(श्री मनोहर कोठारी)

जो टेम्पुल बोर्ड पर सरकार नामीनेट करती है, उस अधिकारी को रखना चाहिए कि जिससे अर्थ संग्रह हो सके। इससे नाथद्वारा के विकास के लिये अच्छा लाभ होगा।

दूसरा मैंने यह निवेदन किया कि नगर विकास न्यास नाथद्वारा में तत्काल स्थापित होना चाहिये। 184 रुपये वर्ग गज में जमीन खरीदने की शक्ति नाथद्वारा की जनता में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक महत्वपूर्ण मुद्दा और निवेदन करना चाहता हूं। सारी योजनायें अधिकारी वर्ग बैठ कर तैयार करते हैं। वे अधिकारी जो परम्परा से दकियानूसी, परम्परागत अप्रगतिवादी वे योजनायें बनायेंगे, समाजवाद का नक्शा, उनके हाथ का चार्ट बने, सरकार सोचती हो कि समाजवाद पूरा हो जावेगा यह केवल मात्र ख्वाब है? इसलिये मैं कहता हूं कि ये महत्वपूर्ण और बड़ी–बड़ी योजनायें, समाजवाद का नक्शा जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाना होगा। जब कमिश्नरियां तोड़ दी गयीं तो जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये डी. आई. जी. के ओफिस किस बात की बला हैं,? ये क्यों नहीं तोड़े जाते? कई अधिकारी व्यर्थ बैठे हुए हैं। सेक्शन ओफिसर, फिर असिस्टेन्ट सैक्रेटरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी, जोइन्ट सेक्रेटरी, एडीश्नल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी ये क्या हैं? मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि सफेद हाथियों को वे वश में करना चाहते हैं। इनका उपयोग किसी दूसरी जगह किया जाय खर्च की बात छोड़ दीजिये। जनता के द्वारा करों का पैसा वसूल करके सर्विसेज को तनख्वाह चुकाना ही मात्र रह गया है यह कतई वाजिब नहीं होगा।

चांदी के सामान के साथ चान्दी के गहनों को भी जोड़ दिया गया है। गहने सामान नहीं हो सकते। सामान के माने हैं थाली, कटोरी, गिलास, लोठा आदि। ये तो बड़े लोग रखते हैं। इन पर टैक्स पांच परसेन्ट दस परसेन्ट कर दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम यह समझते हैं कि छोटे किसान शादी और अन्य मौकों पर चांदी के गहने खरीदना आवश्यक समझते हैं, इन गहनों को वस्तुओं में जोड़ कर उन पर टैक्स लगायें वह कतई उचित नहीं होगा। आस–पास प्रदेशों में जो रेट्स लागू हैं उनको भी देखना पड़ेगा और उसी दायरे में टैक्स लगें।

मोटर व्हिकल टैक्स की हालत यह है कि हमारी गाड़ियां जब मध्य प्रदेश में जायं तो ओपरेटर्स तो तीन महीने का टैक्स वसूल किया जाय, गुजरात में जायं तो एक महीने का वसूल किया जाय और उनकी गाड़ियां राजस्थान में आयं तो हम 25 परसेन्ट ही वसूल करते हैं। आप स्वयं ही विचार करिये कि मध्य प्रदेश में 3 महीने का टैक्स और गुजरात में 1 महीने का और हमारे यहां कम तो कैसे लाभ होगा?

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में बजट में प्रावधान किया है, पीने के पानी के सम्बन्ध में प्रावधान किया है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव किये हैं उनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बजट किसी भी स्टेट का, किसी भी राष्ट्र का, एक दर्पण है जिसमें आकांक्षायें, जो वादे जनता से किये हैं, सरकार ने किये हैं, पार्टी ने किये हैं, समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, गरीबी मिटाने के लक्ष्य, दर्शाये गए हैं तथा उस ओर इस बजट में हमने हमारी आर्थिक नीतियों को कहां तक ढाला है, ये मुख्य मुद्दे हैं, उन पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, टैक्सेशन ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो कि किसी स्वस्थ सोसाइटी के लिये आवश्यक हैं। प्रोडक्शन के क्षेत्र में सोशलिस्ट कंट्रीज् हैं उनमें पब्लिक सेक्टर और कोओपरेटिव सेक्टर दो ऐसे सेक्टर हैं जिनमें की प्रोडक्शन को महत्ता दी जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये प्रोडक्शन मिलता है।

हमारे यहां जो बजट है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कोओपरेटिव सेक्टर, समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, एक मानी हुई प्रथा है। उसको प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन में स्थान देने वाली बात है। स्वयम् हमारी मान्य प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपने विचार दिये हैं:—

"No other instrument is so potential, powerful and full of social purpose as the Co-operative movement is and it is only instrument capable of securing economies of large scale work without generating the evil consequences of concentration of economic power"

जहां हमारी प्रधान मंत्री कोओपरेटिव सेक्टर को यह स्थान और तरजीह देना चाहती है समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, वहां प्रोडक्शन के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में सहकारिता को राज्य में स्थान न दें यह उचित नहीं हैं।

कमियां नजर आती हैं। जैसे कोओपरेटिव सेक्टर में शुगर मिल्स केशोरायपाटन यह फैल हो गया। चल नहीं सका। कुछ अन्य कोओपरेटिव सोसाइटीज में राजस्थान में प्रयास किये लेकिन वे फैल हो गये और चले नहीं। लेकिन कभी हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसके कारण की ओर नहीं गये। यह मान कर चलें कि कोआपरेटिव पद्धति का दोष है यह गलत है। इसका दोष नहीं है। दोष सरकारी मशीनरी का है जिनको कोओपरेटिव एक्ट के तहत या दूसरी बातों के तहत एन्ट्रस्ट कर दी जाती हैं ये सारी योजनायें जैसे केशोरायपाटन शुगर मिल्स की बात करता हूं। उसके इन्चार्ज थे रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसाइटीज, जो सीनियर आई.ए. एस. केडर के अफसर होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े कर्मचारी के रहते हुए क्यों घाटा हुआ? इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

(श्री जगमोहन सिंह)

दूसरी ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं, पोलिटिकल दृष्टि से जो कैपेटेलिस्ट्स थे उनको इरेडिकेट करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हमारी मशीनरी, ऑफिसर्स जिनसे कोओपरेटिव अन्डरटेकिंग्स को एक्जीक्यूट कराना चाहते हैं, मैनेजमेंट कराना चाहते हैं, उनकी विचारधारा, उनके कन्सेप्शन्स और थिंकिंग अब तक नहीं बदले हैं और दूसरे पूंजीपति लोग भी इस कोशिश में रहते हैं कि इन अधिकारियों या और किसी माध्यम से कोओपरेटिव सेक्टर फेल हो। सहकारी बाजार कायम किये, वे घाटे में गये। कौन जिम्मेदार है ? कोओपरेटिव सेक्टर नहीं। वे अधिकारी जो अनक्वालिफाइड थे और इनके इन्चार्ज थे। अनाप-शनाप चीजें खरीदना। इसलिये यह स्थिति बनी। इसके लिये यहां पर कोई केडर नहीं है। इन सारी चीजों की कमियां हैं। दूसरी स्टेट्स में देखिये। महाराष्ट्र में देखिये, आंध्र में देखिये। कितनी कोओपरेटिव सोसायटीज ओफिसर्स के द्वारा रन की जा रही हैं इसका कारण यह है कि वहां के राज्य में आफिसर्स का केडर है जो कि कोओपरेटिव माइन्डेड, सोशलिस्ट माइन्डेड हैं या कोओपरेटिव्ज की प्रोब्लेम्स हैं उनसे अच्छी तरह से परिचित और प्रशिक्षित हैं। हमारे यहां तो यह पद्धति है कि आई.ए.एस. ओफिसर है उसको क्वालिफिकेशन में हैड ऑफ डिपार्टमेंट बनाना है।

यह जो हमारी प्रणाली है इसको अगर थोड़ा बदलें और समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निश्चित धारणा बना कर चलना चाहें तो कोआपरेटिव के बिना प्रोडक्शन में, डिस्ट्रिब्यूशन में और मार्केटिंग में हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यह मेरी निश्चित धारणा है।

इसके लिये आफीशियल्स का केडर तैयार करें।

हम चाहते हैं कि फिक्स्ड इकानोमी लेकर चलना। इसके लिये पब्लिक सेक्टर, कोआपरेटिव सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अपनी-अपनी जगह चलें। इनका सबका अपना योगदान हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने में आना चाहिये। इसमें भी कोआपरेटिव सेक्टर को हमें अधिक तरजीह देनी होगी।

अब सहकारी समितियों को, अगर खाद बांटने का काम दिया गया तो खाद तैयार करने के कारखाने लगाने का काम भी इसी सेक्टर में आना चाहिये। ट्रैक्टर आदि बांटने का काम भी इसी सैक्टर में है तो इनको तैयार करने के कारखाने लगाने का काम भी इसी सेक्टर में आना चाहिये। भूमि विकास बैंकों के साथ वितरण का कार्य भी हमारे हाथ में आना चाहिये।

तो जब तक हम इस तरह की लाइन और सीमाएं नहीं डालेंगे तब तक समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंच नहीं पायेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा ग्राम सेवक सहकारी समितियां पंचायत स्तर पर बनाई हुई हैं अब, उनका जो मैनेजमेंट का केडर है जिस पर गांवों की इकानोमी डवलप करने का भार है, हर तरह का ऋण दिलाने, वसूल करने और उसका हिसाब रखने आदि का दायित्व जिस पर है उसकी तनख्वाह आज 125 रुपये

Page No. 85

(श्री जगमोहन सिंह)

सिर्फ दी जाती है। महंगाई भत्ते का प्रश्न नहीं। इन्क्रीमेंट का और किसी ग्रेड का भी प्रश्न नहीं। जिसको टी. ए. डी. ए. नहीं मिलता। तो इस व्यवस्था की तरफ भी ध्यान देना होगा। उनको समुचित वेतन देना होगा। तब जाकर थोड़ा काम भी ठीक तरह से होगा।

टैक्सेशन के लिये अर्ज करूं कि हम सोशलिस्ट कन्ट्रीज की पद्धति को देखें पहले। इन देशों में रोजमर्रा की आवश्यक चीजों पर कभी टैक्स नहीं लगता। लग्जरी गुड्स पर और दूसरे सामानों पर लगता है। इसी तरह अगर हमने नेसेसिटीज की चीजों पर टैक्स लगाया तो समाजवाद के लक्ष्य की तरफ नहीं बढ सकते।

जैसे आपने टैक्स लगाया फरटीलाइज़र पर। इसका असर हर काश्तकार पर और अन्त में खाद्यान्न के उत्पादन पर पड़ेगा जो कि नैसेसिटी की चीज है। वित्त मंत्रीजी ने कहा कि काश्तकार खुशहाल हो गया है इसलिये टैक्स लगना चाहिये। अगर इसका कोई स्टडी टीम बना कर मूल्यांकन किया जाय तो पता लगेगा कि इसमें कितनी वास्तविकता है। मैं कह सकता हूं कि नहीं है।

आज किसान के पास जितने साधन हैं वैज्ञानिक उपकरणों के वे सारे के सारे सरकारी ऋण पर हैं और उसका भार उस पर बराबर बना रहता है। फिर वह जो प्रोड्यूस करता हैं उसकी कीमतें कभी स्थिर नहीं रहतीं और कभी-कभी तो उसको अपने प्रोड्यूस की पूरी कीमतें लागत मात्र सीमा तक भी नहीं मिलती। फिर ऊपर से प्रकृति का प्रकोप कहीं हो गया तो फिर तो सभी कुछ चौपट है। तो यह खुशहाली की बात करना हवाई की बात करना है।

आज दुनिया का कोई भी व्यापार ले लीजिये इण्डस्ट्री ले लीजिये। सब अपने प्रोड्यूस की लागत कीमत को ध्यान में रखकर उसकी मारकेट वैल्यू स्थिर करते हैं। पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ ऐसा नहीं है।

आज कृषि उत्पादन का तो यह हाल है कि अगर किसी बम्बई के व्यापारी ने तय कर लिया कि भाव नीचे गिराना है या ऊपर चढ़ाना है तो सारे मार्केट में अपना लाखों रुपया फैंक कर कोई चीज खरीद लेगा या बाजार में निकाल कर फ्लड ला देगा। परिणाम स्वरूप भावों में कभी तेजी आ जावेगी और कभी गिरावट आ जावेगी।

तो काश्तकार के काम में आने वाली किसी चीज पर टैक्स लगाना उसकी खुशहाली तो दूर उसके पेट भरने तक पर अंकुश लगाना है। इसलिए मेरा कहना है कि फर्टीलाइजर पर से टैक्स हटा दिया जावे। सिंचाई पर आपने टैक्स बढ़ाया यह भी अनुचित है।

एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने इस टैक्स का नाम दे रखा है बिक्री कर। मैं कहता हूं आप इसका नाम खरीददार टैक्स रख दीजिये। क्योंकि इसका भार तो आकर खरीददार पर पड़ता है बेचने वाला अपनी जेब से नहीं देता। खरीददार से वसूल करता है। तो इस टैक्स का ना खरीददार रख देने से भ्रान्ति पैदा नहीं होगी

(श्री जगमोहन सिंह)

फिर अगर बिक्री कर आप इसका नाम रखना ही चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ इसके ढांचे में परिवर्तन करिए कि यह टैक्स दुकानदार अपने मुनाफे में से दे। तब तो आपका यह कहना भी ठीक होगा कि हमने एक डिजर्विंग तबके पर टैक्स लगाकर अपने खजाने में वृद्धि की।

आपने चांदी के गहनों पर टैक्स लगाया। चांदी के गहने गरीब आदमी पहनता है तो इस तरह से इसका भार भी सीधा गरीब आदमी पर पड़ता है और इस तरह से यह टैक्स लगाना सोशलिस्ट पैटर्न से डेविएशन होने वाली बात है। इसलिये इस टैक्स को भी वापिस लिया जाना चाहिये।

फिर इन टैक्सों से व्यापारी पर कोई असर नहीं पड़ता, यह सारा तो खरीददार पर भार है। तो (विराम)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में है। थोड़ा ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे बोलने का मौका मिला है, निवेदन करना चाहता हूं। कोटा जिले का जो क्षेत्र है और उसमें जो चम्बल का ऐरिया है, उसके माध्यम से यह समझा जाने लगा है कि यहां चम्बल आ जाने के कारण से बहुत अच्छा क्षेत्र बन गया है लेकिन जो वास्तविकता है उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले का जो चम्बल बान्ध है उसका पानी सिर्फ चार तहसीलों में से आधा आधा गया है और उसमें भी आधा आधा हिस्से में पानी की पिलाई होती है। उसका फायदा कोटा से ज्यादा बूंदी को मिला है और मध्य प्रदेश को मिला है। हम यह मानकर चलें कि कोटा के चम्बल बान्ध से सारी जगह सिंचाई हो गई है, वह गलत है। कोटा जिले में बांरा, शाहबाद, छीपाबड़ौद, छबड़ा, अटरू, इनके लिए योजना का सर्वे कराया गया था जो कि नदी पर आते हैं। इनको आगामी योजना में रखा जावे। ये 8-10 तहसीलें बिना पानी के पड़ी हुई हैं। इसी तरह लिफ्ट सिंचाई योजना से छबड़ा, छीपाबड़ौद और हिंगलोट जो पुरानी योजना है उसको लिया जाय तो ये क्षेत्र सिंचित हो सकते हैं और मेरा निवेदन है कि इस योजना को प्राथमिकता दी जाय।

शिक्षा के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि जो सारा बजट रखा है वह प्राइमरी के लिये रखा है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत से ऐसे कस्बे हैं जिनकी संख्या 10-12 हजार के करीब है और जो म्यूनिसिपल टाउन कहलाते हैं उनमें हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं हैं। इसकी मांग भी हम लोग 8-10 साल से कर रहे हैं। इसके कई आश्वासन मंत्री महोदय ने दिये। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कुछ तरमीम करके बजट में प्रावधान किया जाय।

सड़कों के बारे में निवेदन करूं, कोटा जिले में सड़कों की हालत बहुत खराब है। पिछले 10 साल से कोई मेन्टीनेन्स उन सड़कों पर नहीं हो रहा है। सड़कों पर बसें और मोटर गाड़ियों की चलने की बात तो दूर है, बैल गाड़ियां भी उन सड़कों पर ठीक तरह से नहीं चल सकती हैं। नई सड़कों के काम को हाथ में नहीं लिया जाय तो कम से

(श्री जगमोहन सिंह)

का पुरानी सड़कों की मरम्मत अवश्य होनी चाहिये।

शफाखाने के बारे में निवेदन करूं। जो बजट पुराना था वही का वही चला आ रहा है कोटा जिले के शफाखाने पर दो पैसे फी आदमी का हिसाब आता है। दवाओं का जो बजट है, पट्टियों का जो बजट है हर डिस्पेंसरी का खास तौर से गवर्नमेंट डिस्पेन्सरी का बढ़ना चाहिये। मेरे यहां जो इलाका है उसमें केवल एक तहसील में छबड़ा में शफाखाना है जहां पर 20-20, 25-25 माइल से मरीज आते हैं। मरीज लोग आसानी से आ और जा नहीं सकते हैं। रोड्स की हालतें भी खराब हैं। उनको आने-जाने में काफी दिक्कत रहती हैं। चिकित्सा की दृष्टि से काली गांव है वहां पर चिकित्सा के साधन खोले जावें ताकि चिकित्सा ठीक तरह से हो सके।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ छबड़ा हैड क्वार्टर है एस. डी. एम. का। ज्युडिशियल सेपेरेशन किया गया था तो एक कोर्ट मुंसिफ मजिस्ट्रेट का किया गया था लेकिन उसे वहां न करके अटरू में कर दिया गया। आज वहां स्थिति यह है कि न कोर्ट की बिल्डिंग है, न वकीलों के लिये कोई जगह है, न धर्मशाला है। बड़ा दुःख है सारे वकील छबड़ा में रहते हैं, परमानेन्ट रूप से उनके वहां मकान हैं। जेल भी छबड़ा में हैं और बड़े दुःख की बात है आज हम बचत की बात करते हैं। आज सारे कैदी अटरू छबड़ा से जाते हैं और आते हैं। लाखों रुपया उनके आने और जाने पर अब तक खर्च हो चुका है। अगर उस कोर्ट को जो सब डिविजन पर बनी हुई है अगर कोर्ट को चीफ जस्टिस की दृष्टि से देखा जाय तो उसको छबड़ा में ही स्थापित किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो यह बताना चाहता हूँ कि बजट को काफी गंभीरता से पढ़ा गया है काफी हमारे सम्माननीय सदस्यों से उसको सुनने का अवसर मिला है। राज्य सरकार ने अपने बजट में आश्वासनों और घोषणाओं की बात की है। मुझे दुःख हुआ आखिर घोषणाओं और आश्वासनों से कैसे काम चलेगा क्योंकि हमारी सारी नीतियां नौकरशाही हैं। और यह नौकरशाही की नीतियां बढ़ती जा रही हैं। इस बजट के प्रस्तावों की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं परन्तु अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना मेरा कर्तव्य है इसलिये कुछ सुझाव देने की मैं आवश्यकता महसूस करता हूँ। खास तौर से पिछले आम चुनावों में हमें जनता ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन सब महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में शोषण को रोकने की जो बात कही, खुशहाली लाने की जो बात कही, असमानता को मिटाने की बात कही और बंटवारा की बात कही है उनको पूरा करना है। मैं सदन के सदस्यों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश करूंगा कि केन्द्रीय भूमि सुधार आयोग के अनुरूप

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सीलिंग की बात कही जिसको राज्य सरकार ने भी अपने कैबिनेट स्तर पर विचार किया है मैं समझता हूं इसने दबा हुआ तबका, शोषण रहित तबका, कितना फायदा उठा सकता है। आज मैं कहूँ हमारे घोषणा पत्र के अन्दर, हमारी नीतियों के अन्दर शहरी सम्पत्ति की सीलिंग की बात महत्वपूर्ण है। आज भी इस जयपुर शहर में दो हजार पत्नी पतियों के परिवारों को एप्लीकेशन्स इस वर्ष सीलिंग के डर के मारे कोर्ट में पड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं आज सीलिंग की बात बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यों ज्यों हम ढील करते जायेंगे हमारे सामने धर्म संकट पैदा होता जायगा। आज पिछले साल को लेकर हम देखें तो काफी संख्या में करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा के स्टाम्प पिछले एक साल के अन्दर उन्होंने अपने-अपने लोगों के नाम कराने की दृष्टि से खरीदे हुये हैं। मैं समझता हूं कि एक करोड़ की स्टाम्प की लेन-देन इस साल हुई है। वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट में शीघ्र लागू करने की बात कही है, मैं समझता हूँ निश्चित तौर से यह एक समानता की बात है, जो बंटवारा किये जाने का प्रश्न है निश्चित रूप से एक नई स्थिति पैदा होने वाली है। मैं एक बात और कहने की आवश्यकता महसूस करता हूं बजट में पुराना विवरण दिया गया है क्या ही अच्छा होता उसका एक क्रिटिकल व्यू भी प्रस्तुत किया जाता और बजट में नये ढंग से प्रावधान का प्रश्न पैदा होता।

इस बजट में जहां तक करों का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि खास-तौर से जो कर लगाये गये हैं वे काफी सोचकर लगाये गये हैं, परन्तु क्या इन सभी से समाजवाद आ जायेगा ? जिस प्रकार से साबुन, ट्रैक्टर और उसके पुर्जे, रसायनिक खाद और मोटर और मोटर के पुर्जों पर टैक्स लगाया है। हम भी चाहते हैं कि कारों पर टैक्स लगे लेकिन जैसे टैम्पू है और जो खास तौर से लोग लोन लेकर टैम्पू चला रहे हैं इस पर अधिक टैक्स लगाना क्या सामान्य जनता के ऊपर टैक्स लगाना नहीं है और इस पर टैक्स का बोझा उस आदमी के ऊपर क्या नहीं पड़ेगा जिसने कि लोन से अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया हुआ है ? कारों पर टैक्स लगा ठीक है लेकिन टैम्पू वगैरह के ऊपर टैक्स का लगाना समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से मिठाई और नमकीन के बारे में जो टैक्स लगाया है मेरी राय में आज वित्त मंत्री जी के पास और मुख्य मंत्री जी के पास हलवाई समिति के डेपुटेशन आ रहे हैं और निश्चित रूप से यह डेपुटेशन अपनी मांगों को निप-टाने की दृष्टि से आये हैं और वह चाहते हैं कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगे लेकिन मेरी राय में कहना चाहता हूं कि आज सारे सदन के अन्दर और सारे राजस्थान की जनता के अन्दर, जनता का प्रतिनिधि आज तक वित्त मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से या राज्य सरकार के किसी भी मंत्री से नहीं मिला होगा जिसने उनके सामने जनता की बात रखी हो कि इस टैक्स को समाप्त करो। आखिर वही लोग आये हैं जिनका सम्बन्ध बिजनेस से है यह मिठाई और नमकीन पर जो टैक्स लगाया है यह उन लोगों के ऊपर लगाया है जिनका कि टर्न-ओवर 30 हजार रुपया सालाना से अधिक है। इसका छोटे रेस्टोरेन्ट वालों पर असर नहीं होने वाला है बल्कि जो बड़े-बड़े

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

व्यापारी और हलवाई हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में जो आज चोर बाजारी चल रही थी कि इन्सपेक्टर के डर की वजह से इसको चैन्ज कराना चाहते हैं इसलिए जो टैक्स लगाया हैं उसका मैं निश्चित रूप से समर्थन करता हूं।

खासतौर से हाथ से साबुन बनाने वाले लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि यह टैक्स बिल्कुल गलत हैं क्योंकि आज घरों के अन्दर बैठकर घर घर के अन्दर जो साबुन बनाने वाले लोग हैं वे न तो हिसाब रखने की स्थिति में हैं और न वे दुकान पर बेचने की स्थिति में हैं। आज और उनके ऊपर टैक्स लगता है तो मैं मानकर चलता हूं कि उससे उनको काफी नुकसान होने वाला है और वे इस धन्धे को छोड़ देंगे। सरकार की नीति है कि लघु उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाये तो ऐसी स्थिति में लघु उद्योगों का विस्तार नहीं होने वाला है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे कम से कम हाथ से साबुन बनाने वाले लोगों को इस कर से छूट दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं मैं खास तौर से यह भी कहना चाहूंगा कि खेतिहर लोगों को इस बजट से दोहरा धक्का लगा है। एक ओर तो टैक्स के लगने से रसायनिक खाद की कीमत बढ़ जायेगी और दूसरी तरफ ट्रैक्टर के पार्ट्स पर टैक्स लगने से भी किसानों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। चाहिए तो यह था कि हरित क्रांति के लिए कृषकों को और ज्यादा छूट दी जानी चाहिए थी लेकिन छूट देने के बजाय उनके ऊपर और टैक्सेस का बोझा डाला है। ऐसी स्थिति में रसायनिक खाद के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वह ठीक नहीं कहा जा सकता। वैसे आज तक हम देखते आये हैं कि रसायनिक खाद को प्राप्त करने में वही सक्षम हैं जो कि बड़े बड़े अधिकारी या सेठ हैं। आज भी हम देखते हैं कि जयपुर के आसपास काफी लम्बे चौड़े फार्म बने हुए हैं वे या तो बड़े बड़े अधिकारियों के हैं या फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं। ऐसी स्थिति में आज खेती के नाम पर जो कालाबाजारी का धंधा करते हैं रसायनिक खाद मिलती भी थी तो उन्हीं को मिलती थी। आज यदि इस रसायनिक खाद के ऊपर और टैक्स लगता है तो ग्रामीण किसान कभी हिम्मत नहीं करेगा कि वह इसका उपयोग करे, इसलिए ऐसी स्थिति में हमारे वित्त मंत्री महोदय को इस दिशा में सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र किया है। बजट भाषण में कहा गया है कि क्रेश प्रोग्राम भी रखे गये हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले साल से इस कार्यक्रम को चालू किया गया था और मेरा कहना है कि निश्चित रूप से यह कार्यक्रम फेल हुआ है और इसके अन्तर्गत काम पूरे नहीं हुए हैं और सारा का सारा सरकार का पैसा लैप्स हो गया है। निश्चित रूप से मैं मानकर चलूंगा कि क्या प्रशासन इसके लिये जिम्मेदार नहीं है? पार्टी में तय किया, कैबिनेट ने निर्णय लिया लेकिन पी. डब्लू. डी. और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर अमल नहीं किया।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

तो क्यों नहीं जिन जिन अधिकारियों के कारण यह कार्यक्रम फेल हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और इसके लिये एक कमेटी बनाई जाये और वह कमेटी इसकी जांच पड़ताल करें। बजट भाषण में इस बारे में कोई ठोस बात नहीं कही गयी है। स्पष्ट है कि यह कार्यक्रम फेल हो गया है और हमें दुख है कि वित्त मंत्री यह कहते हैं कि पिछली बार यह कार्यक्रम फेल होगया और अब इस काम को शुरू से कर रहे हैं। मुझे दुख है और यह कहने में मैं पीछे नहीं हटता कि इस ओर सरकार कुछ नहीं कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ संबंध जुड़ा हुआ है इन्जीनियर्स का। निश्चित रूप से एक हजार इन्जीनियर्स को रोजगार देने की योजना एक पूल बनाकर करने की थी। पिछले बजट भाषण में भी इसके बारे में कहा गया था लेकिन पूछना चाहता हूं कि इस बारे में क्या हुआ? इस पूल का क्या नतीजा निकला? मुझे कहते हुए दुख है कि सरकार के ऐसे कार्यक्रम अभी तक कागजों के ऊपर ही पड़े हुए हैं। अगर सरकार युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं दे सकती तो फिर सरकार क्या करेगी? यही नहीं युवावर्ग के लिये मैं तो कहूंगा कि जिसने कांग्रेस को पिछले चुनावों में विजय दिलाई हम सोचें कि इस दिशा के अन्दर कांग्रेस की सरकार जिसमें हम 145 की संख्या में यहां बैठे हैं इनके पहुंचने का भी कारण सही माने में सोचें तो निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी को है कि हमको जिताकर भेजा है और इसके लिए उन्होंने मेहनत की है। यह युवा पीढ़ी जो सन् 47 में शिशुकाल में थी, जिस बालक का जन्म भी नहीं हुआ था और जन्म हुआ भी था तो वह केवल 4–5 साल का बच्चा था उसने पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त किया, उसने वोट दिलाये भी। इसलिये युवा वर्ग के लिए आज इस सदन को कोई योजना बनानी चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी की जैसी मान्यता है कि वे कुछ करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि वे इस बारे में विशेष ध्यान देंगे। आज की युवा पीढ़ी का युवक दरदर भटक रहा है नौकरी के लिए आफिसेस में जाता है और उसको आफिसर्स टरका देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्हें क्यों फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है? अब तीन साल के बाद वित्त मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने एक महीने के अन्दर युवा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। मैं इसके लिये तो माननीय मुख्य मंत्री जी का मुक्त कण्ठ से स्वागत करता हूं लेकिन मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से युवा वर्ग को नयी दिशा मिलेगी। मगर मुझे इसका डर है कि राजस्थान सरकार के प्रशासक इस कार्य को एक महीने में पूरा कर सकेंगे भी या नहीं? मुझे आज भी इसके लिए घबराहट होती है। अगर एक महीने में इस युवा बोर्ड की स्थापना हो जायेगी तो युवा वर्ग इस सदन का और मुख्य मंत्रीजी का मुक्त कण्ठ से स्वागत करेंगे। ऐसी स्थिति में बजट स्पीच के 38 पैरा में बेरोजगार इन्जीनियर्स को रोजगार देने पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिए पिछली बार के बजट में भी कहा गया था और योजना बनाने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि ऐसी योजना कागजों पर पड़ी है।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

रिक्शा और टेम्पू वालों को ऋण की बात कही गयी है, क्या सरकार बता सकती है कि इस मद के अन्दर कितना लोन उनको दिया गया है? अब तक तो इन्जीनियर्स ही बेकार थे और अब डाक्टरों के भी बेरोजगार होने की बारी आ गयी है। डाक्टर भी बेरोजगार हो गये हैं और तो और आगामी सत्र में मैं सोचता हूं कि लेडी डाक्टर्स निकलेंगी निश्चित रूप से वे भी बेरोजगार होने वाली हैं। इस बात को भी सरकार को सोच लेना चाहिये कि आज डाक्टर बेरोजगार हैं और डाक्टरनियां भी बेरोजगार हो जायेंगी। इसका निश्चित रूप से हल निकालने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा तो इसका बुरा नतीजा निकलेगा। अगर बुरा नहीं मानें तो कहना चाहूंगा कि सरकार सीरियसली इस प्रश्न पर नहीं सोच रही है और भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है इसको नहीं सोचा जा रहा है। आंकड़ों के आधार पर यदि देखें तो उससे नतीजा निकल सकता है कि निश्चित रूप से इसके अन्दर कितनी परेशानी पैदा होने वाली है।

बजट भाषण में राजस्थान की गृह निर्माण की और आवास की समस्या की बात भी कही गई है। यह भी कहा गया है दो तीन वर्षों में 5184 के लगभग नए मकान बनाने की योजना रखी है आवासन बोर्ड के द्वारा। क्या में पूछ सकता हूं कि इस बोर्ड को बनाने के बाद कितने मकान और बनाने की बात सोच रहे हैं या सारे राजस्थान के बारे में आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण राजस्थान के बारे में इस बात को सोच रहे हैं कि किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जायगा? आज जो शहरों में मकानों की स्थिति है, गांवों में भी मकानों की स्थिति हो सकती है, किसी गांव की भी पिछड़ी हालत हो सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों की इस सम्बन्धी समस्यायें हैं उनको अगर हल नहीं कर पायेंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह आप सबको चैलेंज हैं कि अगले पन्द्रह बीस वर्षों में भी आप इस समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। आज हम देखते हैं कि आज लोगों की रहने की समस्या बढ़ गई है और इस समस्या के कारण ही लोग नाजायज कब्जे करते हैं। आज हम देखते हैं हैं कि मुख्य मंत्रीजी जिस दिन यह घोषणा कर देते हैं कि हम इतनी तारीख तक लोग बस गए हैं उनके कब्जों को रेगुलराइज कर देंगे तो उनकी हिम्मत इसी बात से बढ़ जाती है और वे नाजायज कब्जे करते हैं। हम लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है, वे जानते हैं कि उनको कोई हटाने वाला नहीं है। सरकार उनको आगे जाकर रेगुलराइज कर देगी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन देती है लोगों को नाजायज काम करने का और इसी प्रकार से लोग नाजायज कब्जे करके बस जाते हैं। ऐसी ही स्थिति जयपुर की है। मैं जयपुर शहर के बारे में निवेदन करता हूं कि जिस क्षेत्र से हम चुन कर आए हैं उनके बारे में हमारी जिम्मेदारी है और हमें उनके बारे में यहां कहना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के इस गलत प्रोत्साहन से ही इस प्रकार की समस्यायें उठ खड़ी हो रही हैं और यही हमारे विकास में बाधक हो रही हैं। आज जयपुर में सौ सवा सौ से ऊपर हाउसिंग

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कोआपरेटिव सोसायटीज बन गई हैं। आज हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज के नाम पर धन्धा चल गया हैं। उनका धन्धा इस बात का चल गया है कि कम कीमत पर किसानों से जमीन खरीदी। किसानों की कम कीमत पर जमीन खरीद कर एक ओर तो किसानों को नुकसान पहुंचाया, कम कीमत पर किसानों से जमीनें खरीदी, उसको कम पैसा दिया और किसान को खेती करने से वंचित कर दिया और दूसरी तरफ गरीबों से, मध्यम वर्ग के लोगों से, नौकरी पेशा लोगों से, बाबू लोगों से, ऊंची दर पर पैसा वसूल करते हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका अपना मकान हो। आपने संविधान में अधिकार दिया है कि निश्चित तौर पर खाने को रोटी मिलनी चाहिए पहिनने को कपड़ा हो, रहने को मकान दिया जाय, तो ऐसी स्थिति में उसकी भी मंशा होती है कि उसको रहने के लिए मकान मिले। ऐसी हालत में अगर उसने इन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज से जमीनें खरीद लीं तो इसमें क्या अन्याय किया, क्या गलती की? इन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज को राजस्थान सरकार ही रजिस्टर्ड करती है तो पहले तो आपने इनको रजिस्टर्ड ही क्यों किया? इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है लेकिन यह प्रश्न राजस्थान की आवास की समस्या से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार को विशेष तौर से इस ओर ध्यान देना चाहिये और हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज की समस्या को निश्चित तौर से हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जो आबादी में कन्वर्ट करने के लिए रेट्स लगायी हैं, प्रति स्क्वायर गज 30 रुपये, 12 रुपये और 18 रुपये की इनको देने की स्थिति में आज गरीब वर्ग नहीं है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं और जिन्होंने इन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी से जमीनें खरीदी हैं वे इतने ऊंचे कन्वर्शन चार्जेज देने की स्थिति में नहीं हैं। एक चपरासी है जिसकी आमदनी सौ डेढ़ सौ रुपया माहवार है वह निश्चित तौर से इस तीस रुपये पर स्क्वायर की रेट को नहीं चुका सकता। अगर वह चुकाने की कोशिश करता है तो मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि वह अपने कपड़े वेच कर या वाइफ के जेवर बेच कर भी इस जमीन को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इस मामले पर आपको विचार करना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

शहरों के अन्दर पेयजल की योजना के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं निश्चित तौर से यह मानकर चलता हूं कि जो गांवों के अन्दर चारसौ नल कूप लगाने का जिक्र किया गया है, वह ऐसी योजना है जिसका निश्चित तौर से स्वागत करना चाहिए। खास तौर से चन्दनमलजी, जो वित्त मंत्री होने के साथ साथ जल प्रदाय विभाग के मंत्री भी हैं उनको इस अवसर पर, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है। वे चाहते हैं कि इस बारे में कार्यवाही हो और वे इसके लिए प्रयत्नशील हैं। उनके इस प्रयत्न से जहां गांवों की पानी की समस्या हल होगी वहां शहरों की समस्या का भी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कुछ समाधान होगा मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता ।

इसके अलावा जो हमारे राजस्थान की विकास की स्थिति है उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ । विकास के नाम पर आपने जनता पर कर लगाये हैं । जनता के ऊपर चार करोड़ के टैक्स लगाये हैं इन चार करोड़ के टैक्सों में हम देखते हैं कि इन चार करोड़ में से सवा तीन करोड़ तो कर चुकाने में ही चला जाएगा । चार करोड़ में से सवा तीन करोड़ जाने के बाद विकास के नाम पर क्या बच जाता है ? आपने विकास के लिए 70 लाख का प्रावधान किया है । मैं समझ नहीं पाता कि इस 70 लाख में राजस्थान का विकास किस प्रकार हो सकेगा ? मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि हमारे वित्त मंत्रीजी की, आज राजस्थान की जैसी स्थिति है, ओवर ड्राफ्ट और कर्जे की जैसी स्थिति है और इस स्थिति में उन्होंने जो बजट रखा है उसके अन्दर मैं समझ सकता हूँ कि उनको बडी परेशानी होगी । लेकिन खास तौर से ओवर ड्राफ्ट की जैसी स्थिति है और उसके अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन का जिस प्रकार का रवैय्या है, उसके बारे में इस सदन के कई और माननीय सदस्यों ने भी कहा है और मैं भी इस बारे में कहे बिना नहीं रह सकता कि हमारी सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे एक भूखी बिल्ली खुद के बच्चों को ही खा जाती है । आज हमारे सरकारी अधिकारी तंत्र की, हमारे आफिसर्स की, ऐसी स्थिति हो गई है कि वे किसी के सुझाव को मानने को तैयार नहीं है, उनकी स्वयं की जो अपनी राय होती है, अपने दिमाग में जो ढांचा बना रखा है, उसी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। कोई भी वर्ग या नीचे का तबका कोई सुझाव देता है तो उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं । यहां तक कि मंत्री महोदय ने भी कोई मानस बना रखा है और उसके अनुसार काम करना चाहते हैं तो भी सरकारी मशीनरी उनको भी काम नहीं करने देती है । आज शासन की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हो रही है जैसे भूखी बिल्ली अपने ही बच्चों को खाती है । सरकारी तंत्र अपने ही बच्चों को खा रहा है । राजस्थान को इस शासन तंत्र से राहत नहीं मिल सकती जब तक कि आप इसका शुद्धिकरण नहीं करेंगे । आज राजस्थान के प्रशासन को चलाने के लिए दस मंत्री पर्याप्त मात्रा में हो सकते हैं लेकिन जो अन्य अधिकारियों की संख्या है, जिनके बारे में सदन के और माननीय सदस्यों ने भी कहा है और मैं भी यहां कहे बिना नहीं रह सकता कि आपके यहां सेक्रेट्रीज हैं, डिप्टी सेक्रेट्रीज हैं, असिस्टेंट सेक्रेट्री और जोइन्ट सेक्रेट्री हैं, इनका इतना बड़ा अमला खड़ा हुआ है । आज कोई एप्लीकेशन देता है तो उसे नीचे से ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ? कितने समय में जाकर उसकी किस्मत का फैसला होगा ? धीरे 2 फाइल ऊपर तक पहुंचती है । डिप्टी सेक्रेट्री अगर किसी पोइन्ट पर सहमत हो जाता है तो सेक्रेट्री उसको रोक लेता है और वह उससे सहमत नहीं होता । अगर सेक्रेट्री सहमत हो जाता है और फाइल मंत्री के पास भेज देते हैं तो मंत्री उसको वापिस लौटा देते हैं और कोई बात की जानकारी करते हैं तो फिर वही क्रम शुरू हो जाता है जहां से एप्लीकेशन शुरू

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

होती है वहीं पर वापिस पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में, मैं तो यह मानता हूं कि यह शासन तंत्र हमारी नीतियों को कार्यान्वित करने में सहायक नहीं बल्कि बाधक है। अगर हम कांग्रेस की नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते हैं, इन्दिराजी की नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस शासनतंत्र में सुधार करना होगा।

हमारी सरकार ने अपने बजट में खास तौर से इन बातों का जिक्र किया है कि हरएक आदमी की जो नागरिक आवश्यकतायें हैं वह उसको मिलनी चाहिए। शिक्षा के बारे में भी बजट में जिक्र किया गया है। आज हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि 75 के अन्दर सारे राजस्थान के अन्दर प्राईमरी शिक्षा को पूरा कर सकेंगे। स्कूलों के लिए जो 59-60 से एप्लीकेशन्स दे रहे थे वह जाकर अब इस साल के बजट में यह घोषणा की गई है कि इतनी प्राईमरी स्कूलें और मिडिल स्कूलें खोली जावेंगी। सरकार की घोषणा निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। बड़ी 2 जगहों पर तो कई स्वायत्त शासी संस्थायें स्कूलें चलाती हैं, बड़े 2 सेठ लोग पैसा लगा कर स्कूलें चला लेते हैं लेकिन राजस्थान के अन्दर जो स्कूलें खोलने की घोषणा की गई है वह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।

इसी तरह से इस बजट से खास तौर से पानी का सवाल भी जुड़ा हुआ है जिसका नागरिकों से सीधा सम्बन्ध है। गांवों में पानी पहुँचाने के लिए जो दस करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस सदन में हमारे मित्रों ने और इस सदन के सम्मानीय सदस्यों ने कहा है कि जयपुर शहर को और बड़े बड़े शहरों को तो छोड़ दीजिये और गांवों के अन्दर पानी पहुंचाने और गांवों के विकास की ओर ध्यान दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने बात कही है मैं उनको गलत नहीं बताना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह उनका भ्रम है। आप जयपुर के चांदपोल बाजार में चले जाइए, एम. आई. रोड़ पर चले जाइए, जौहरी बाजार में निकल जाइए, त्रिपोलिया बाजार से निकल जाइए लेकिन आपको उन गलियों की और उन मोहल्लों की हालत से परिचय नहीं है। जब तक वे यहां के अन्दर की गलियों और मोहल्लों में से नहीं निकलेंगे उनको यहां की सही स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। उन्होंने अन्दर जाकर देखा नहीं है। आज आदर्शनगर की क्या हालत है। गांवों के अन्दर क्या हालत हैं। इस जयपुर शहर के आसपास के 19 गांव जो पहले पंचायतों के अन्दर थे और अब उनको शहर की नगरपरिषद् के अन्दर मिला दिया गया है। आज उनके लिए पीने के पानी की बात तो दूर रही, सड़कों का प्रश्न दूर रहा, बिजली का एक बल्ब तक उनके यहां नहीं पहुंचा है, आज आप जयपुर नगर की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि यहां की क्या हालत है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। सम्पूर्ण राजस्थान के ही नहीं, हिन्दुस्तान और विश्व के लोग यहां आते हैं। यह शहर तो ऐसा दर्पण की

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

तरह होना चाहिए कि जिससे राजस्थान का नाम ऊंचा हो सके। जयपुर ऐसा नगर है जो गुलाबी नगर कहलाता था। आज यह गुलाबी नगर तो क्या यहां की स्थिति इतनी खराब है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सम्मानीय सदस्यों द्वारा जो बात कही गई है उनका मैं विरोध तो नहीं करना चाहता हूं किन्तु यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार गांवों का विकास निश्चित तौर से करे, उनका विकास होना चाहिये लेकिन उसके साथ ही साथ शहरों को भी नहीं भूलना चाहिये। कई सम्माननीय सदस्यों ने नगर विकास न्यास का उनके क्षेत्रों में गठन करने की बात कही है, परन्तु मैं यहां पर इनकी समाप्ति की बात कहना चाहता हूं। मैं इनकी समाप्ति की बात इसलिये कर रहा हूं कि आज नगर विकास न्यास प्रशासनिक तंत्र से जुड़ गया है जिसका सम्बन्ध सरकारी अधिकारियों से ही रह गया है और उससे जनता को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार आज इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। यही हालत आज जयपुर के नगर विकास न्यास की हो रही है। अगर इस न्यास के स्थान पर सरकार कोई नया न्यास गठित करना चाहती है तो सरकार कम से कम इसके ढांचे में परिवर्तन करे और उसके द्वारा ऐसी योजनाओं का निर्माण कराया जाये जिससे जयपुर शहर के लोगों को राहत पहुँचे। आज के न्यास की जो स्थिति है वह सरकार से छिपी नहीं है।

कई माननीय सदस्यों ने शराब बन्दी की बात कही है। मैंने भी इसका विरोध नहीं किया है। मैं भी शराब बन्दी के पक्ष में हूं मैंने भी इसके पक्ष में हस्ताक्षर किये हैं। शराब बन्दी होनी चाहिये। पिछले सत्र के अन्दर घोषणा की गई थी और कुछ जिलों और कुछ क्षेत्रों के अन्दर शराबबन्दी लागू की गई थी। उसमें सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है, इसको भी देखना चाहिये। मेरा अनुमान है कि वहां पर ज्यादा करप्शन फैला है और इसका नतीजा यह हुआ कि जितनी आय पहले उस क्षेत्र से सरकार को होती थी उससे दुगुना सरकार का व्यय उसको रोकने में हो गया और उसके बाद भी शराब का चलन चलता रहा। जयपुर के आस पास के गांवों में जिनका कि मेरे से सीधा सम्बन्ध है, वहां पर लोग नाजायज रूप से शराब बनाते हैं। अभी मैं जोगला गांव गया था वहां पर मैंने देखा कि लोग नाजायज शराब सड़क के ऊपर बना रहे हैं। इस प्रकार गांवों के अन्दर नाजायज रूप से शराब बन रही है और इस तरह से खुले रूप से बन रही है। मैं तो चाहता हूं कि राजस्थान के एक एक गांव में शराब बंदी हो परन्तु इसके पहले हमें जनता का मानस बनाना होगा, ऐसी एजेन्सियां कायम करना होंगी जो लोगों में शराब-खोरी के विरुद्ध प्रचार करें और लोगों का जनमानस बनावें, दिमाग बनाये, हमारे माननीय सदस्यगण इस काम में लगें और ऐसा वातावरण बनावें कि लोग शराब से स्वयं ही घृणा करने लगें। गोकुल भाई भट्ट ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। मैं सोचता हूं कि यह गांधी-वादी युग की बात है। हमारे सिद्धान्त यह मानते हैं कि यह खतम होना चाहिये। मेरी तो मान्यता है कि निश्चित तौर से भूख

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

हड़तालों का क्रम खतम होना चाहिये। कुछ प्रान्तों के अन्दर शराबबन्दी लागू की गई थी और उन प्रान्तों ने भी अपने अनुभवों के पश्चात् इस पाबन्दी को वापिस हटा दिया है। ऐसी स्थिति वहां पर क्यों हुई इस पर भी सरकार को सोचना चाहिये और उसके बाद ही इस दिशा में पग उठाना चाहिये जब तक लोगों का मानस न बन जाये तब तक इसको लागू करने से कोई फायदा न होगा और इससे बजट पर बुरा असर होगा। मैं कोई ज्यादा लम्बी बात तो नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार कोई वार्षिक योजना इस मुतल्लिक बनावे और उस दृष्टि से उस पर शनैः शनैः अमल करे।

हमारे वित्त मंत्रीजी ने हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया है और हमारे सामने ओवर ड्राफ्ट की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि ऐसी विषम वित्तीय स्थिति में उन्होंने बजट पेश कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके साथ ही साथ सब बातों को जोड़ने को कोशिश की है और सभी वर्गों को मद्दे नजर रखकर उन चीजों पर ही टैक्स लगाया है जिनकी कि टैक्स देने की स्थिति है। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं उनका इस बात के लिये समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि वे खास तौर से कालाबाजारी को, जो कि सही मायने में दिन प्रति दिन फैल रही है, उस पर छापा मारे और इसको रोकने का प्रयत्न करें। इस कालाबाजारी का पैसा बाहर निकलवावें जिससे कि योजनाओं का पूरा अमल हो सके। आज कई व्यापारी दो, तीन बहियाँ रखते हैं और इस प्रकार वे काला धन बना रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का इस बजट में ध्यान नहीं रखा गया है। पंचायत समितियों के लिये किसी प्रकार का प्रावधान इस बजट में नहीं है। आज इनकी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। यदि हम पंचायती राज को चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बजट में इसके लिये प्राविजन रखकर चलना चाहिये। मेरी तो ऐसी मन्यता है कि पंचायती राज राजस्थान में सफल रहा है और ऐसी स्थिति में बजट में उसका जिक्र होना चाहिये था और उसके लिये कोई न कोई प्रावधान होना चाहिये था।

इसके अलावा ज्यादा बात न कह कर एक और बात कहना चाहूंगा। वह कृषि भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में। सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर कृषि की भूमि बेकार पड़ी है। राज्य में आवास की गम्भीर समस्या है। मैं सोचता हूं कि कृषि भूमि का आबादी लेन्ड में कनवर्शन किया जाये तो राज्य सरकार को 12 करोड़ रुपयों की आमदनी हो सकती है। इतना रुपया सरकार को मिल सकता है। तब क्यों नहीं सरकार अपनी आय को बढ़ाना चाहती है? इस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिये और कनवर्शन की बात भी बजट में रखनी चाहिये थी। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय गम्भीरता से इस पर सोचेंगे और कृषि भूमि को आबादी में कनवर्ट करने के लिये

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
घोषणा करेंगे। इससे राज्य की आय भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधा भी। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने आय-व्ययक का लेखा देखा और वित्त मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया उसको भी देखा। ये दोनों ही अपर्याप्त हैं, चिन्ताजनक हैं, और साथ ही सराहनीय भी हैं। मैं पहले यह बजट अपर्याप्त क्यों है, इसके लिये आपके सामने आंकड़े पेश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में एक टेन्टेटिव, एक अनुमानित, संतुलित, चित्र बनाया है और वह वित्त मंत्रीजी के भाषण में नहीं है। इसका आधार मैंने इस किताब को बनाया है। यह किताब संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 के अन्तर्गत भारत के आडिटर एण्ड कन्ट्रोलर जनरल, ने प्रकाशित की है, इस पर हस्ताक्षर है श्री एस. रंगनाथन फाईनेन्स अकाउन्ट, वित्त लेखे 70–71। इसमें विवरण दिया गया है, वह संविधान में जो अलग–अलग बताया गया है, उसके मुताबिक है। व्यापारिक संस्थानों का जैसे एक संतुलित चित्र होता है उस तरह से इसको बनाने की मैंने कोशिश की है। संतुलित चित्र में देनदारियां होती हैं, याने लाइबिलिटीज और असेटस् होती हैं, याने सम्पत्ति। मैंने इस विवरण में देनदारियों और सम्पत्ति को अलग–अलग निकाल लिया है और यह देखा है कि कितना राज्य सरकार पर कर्ज है और एक तरह से हमारे विरोधी माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि राज्य सरकार दिवालिया हो गई है, उसको भी देखा है, तो कितनी राज्य को देनदारियां हैं, कितनी हमारे राज्य को सम्पत्ति है, यह ज्यादा है या कम है, इसका जिक्र मैं यहां पर बता देना चाहता हूं।

विवरण संख्या 4, कुल उधार ऋण, इसमें बताया है कि 31–3–71 तक लोक ऋण में 677 करोड़ 53 लाख और अनिधबद्ध ऋण 25 करोड़ 23 लाख याने राजस्थान पर कुल ऋण 702 करोड़ 76 लाख रुपये था।

अब सम्पत्ति की ओर जाइये। विवरण संख्या 2, इसमें राजस्व लेखे से बाहर पूंजी की लागत है, यह दो भागों में है 70–71 के अन्त तक पूंजी की लागत है 381 करोड़ 71 लाख और अस्थाई रूप से पंजीकृत किया गया राजस्व व्यय है 64 करोड़ 64 लाख।

विवरण संख्या 5, यह है राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम, 31 मार्च, 71 तक 206 करोड़ 20 लाख रुपये।

विवरण संख्या 7, इसमें नगद शेष तथा नगद शेषों का विनियोजन, यह कुल बताया गया है 2 करोड़ 90 लाख का।

विवरण संख्या 14, इसमें 1970–71 के अन्त तक परिनियत निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य ज्वाईंट स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं में

(श्री अमृतलाल गहलोत)

सरकारी विनियोजनों का विवरण है यह कुल मिलाकर 15 करोड़ 55 लाख का होता है।

इस तरह से मैंने राजस्थान सरकार की सम्पत्ति को जोड़ा है और पाया कि 607 करोड़ के बराबर वह होती है, यानी राजस्थान सरकार पर 31-3-71 को कुल ऋण था 702 करोड़ का और कुल सम्पत्ति है 607 करोड़, तो 95 करोड़ अधिक चुकाने थे। एक साल और गुजरा यानी पिछले वर्ष में कन्सोलिडेटेड एमाउन्ट में 22-25 करोड़ का घाटा रहा। यदि यह भी इसमें जोड़ दिया जाय और ऐसा मानकर चलें कि जितना ऋण लिया उतना वापिस दिया और कोई विशेष नहीं हुआ—सही आकड़े तो आडिट होगा तब मालूम पड़ेंगे, तो यह अनुमान लगता है कि 724 करोड़ का ऋण 31-3-72 तक राजस्थान सरकार पर हुआ है। लेकिन जब हम ऋण के पैरे को देखते हैं, वित्त मंत्रीजी के भाषण में तो वह 643 करोड़ और 16 लाख का है। यह फर्क दोनों के बीच में आ रहा है लगभग 100 करोड़ का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस 100 करोड़ की गड़बड़ के बारे में खुलासा करें। इनका सही है या आडिटर एण्ड कन्ट्रोलर जनरल की रिपोर्ट सही है, क्या चीज है?

अपने भाषण के पैरा 14 में उन्होंने ओवर ड्राफ्ट बताया है 89-82 करोड़ का परन्तु केन्द्रीय सरकार ने 31 मार्च, 1972 तक राजस्थान सरकार पर 68 करोड़ 62 लाख का ओवर ड्राफ्ट आंका था जब कि वास्तविक ओवर ड्राफ्ट 89-82 करोड़ का था। गणित में एक प्रश्न का उत्तर एक होता है और उसको निकालने के मैथड अलग-अलग हो सकते हैं तो यह 31 करोड़ के लगभग फर्क आ रहा है। दोनों में समान क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में भी वित्त मंत्रीजी खुलासा करेंगे कि आपकी मेथडोलाजी क्या है और उनकी मेथडोलाजी क्या है?

पैरा नं. 16 के अन्त में उन्होंने बताया है कि इस वर्ष यह राशि 164 करोड़ होने का अनुमान है। यह विकास कार्य में लगाने का है। उन्होंने एक पुस्तिका और निकाली है उसमें 160.83 का उल्लेख है तो तीन करोड़ का इसमें फर्क आ रहा है जिसका खुलासा हो।

यह जो परिवर्तित बजट का लेखा पेश किया गया है इसमें भी पब्लिक एकाउन्ट के हैड में 21.62 लाख का फर्क आ रहा है। उसके बारे में कोई शेड्यूल नजर नहीं आता है। इसके बारे में बजट आफिसर महोदय कुछ खुलासा करवायेंगे।

तो यह जो चीजें, उपाध्यक्ष महोदय, नजर आई हैं ये चीजें कुछ चिन्ता पैदा करती हैं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जो सरकार को दिवालिये की पोजीशन ले रहे हैं तो क्या वास्तव में हमारी वित्तीय परिस्थिति यह हो चुकी है? निरन्तर घाटा लग रहा है तो यह हमारी वित्तीय स्थिति बराबर चिन्तनीय होती जा रही है।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

हम समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं और बड़े जोरों से इसकी रट लगा रहे हैं, परन्तु यह तो पता होना चाहिए कि समाजवादी समाज कैसा होगा ? मैं समाजवादी समाज के लिए तीन बातें आवश्यक समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि समाजवादी समाज में सम्पत्ति और आय में कम से कम अन्तर हो, दूसरी यह है कि समाज के जो सदस्य हैं उनको कम से कम जीवन की आवश्यकताओं का न्यूनतम स्तर मिलना चाहिये । एक मिनिमम ह्यूमन स्टेण्डर्ड होना चाहिए। वह न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं– भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें बताइये कि कोई भी इस तरह की व्यवस्था बन पाई है ? तीसरी बात है कि सब को प्रगति करने का समान अवसर मिल सके। जो देश अपने को समाजवादी नहीं कहते हैं, जिनको पूंजीवादी कहते हैं, जिनको पूंजीपतियों का गढ़ कहते हैं, उन मुल्कों में भी बहुत बड़ी बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलती हैं। जबसे बच्चा जन्मता है और कब्र में पहुंचता है उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती है। यही वजह है कि पश्चिम जर्मनी, फिनलैण्ड और स्वीडन में समाजवाद नहीं पनप पाया है। वहां पर सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। कोई आदमी बीमार हो तो कौन रक्षा करे ? उसकी रक्षा करना समाज का काम है। हमारे यहां ओल्ड एज पेन्शन के अलावा और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं सामाजिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो कि अपने यहां महाराष्ट्र सरकार ने दी है। वह भी राज्य नौकरियों के बारे में है। सरकारी नौकरियों में विशेष आकर्षण है। सरकारी नौकरियों में सत्ता, प्रतिष्ठा और प्रभाव मिलता है, पावर, प्रेस्टीज एण्ड इन्फल्युएन्स' ...

एक माननीय सदस्य : सिक्योरिटी होती है।

श्री अमृतलाल गहलोत : सिक्योरिटी तो होती ही है। मैं महाराष्ट्र सरकार की जो चीज है उसको पेश करूंगा। यह मेरे पास मैगजीन योजना है जो कि प्लानिंग कमीशन ने प्रकाशित की अक्तूबर, 1971 में–

"80 % of the vacancies in the State Government service or in Government owned, sponsored and aided corporation, cooperatives Zila Parishads and Government operated industrial units, will be reserved for persons belonging to families having not a single earning member. This was announced by the State Finance Minister in the Legislative Council. For this purpose, a family will comprise of a husband, wife, their children and unmarried sisters.

This reservation will apply to persons belonging to families whose assured monthly income is less than Rs. 200 or whose agricultural holding is less than the family holding and they will have to make an affidavit to that effect before the recruiting agency."

उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा और

(श्री अमृतलाल गहलोत)
राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस चीज को हमारे यहां के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए इस तरह का कोई प्रावधान करें।

मैं अब कहता हूँ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। अब इस बजट में हम सड़क के कोटे को देखते हैं तो मुझे बड़ी निराशा हुई। इसमें 1 करोड़ रुपया रखा गया है। इस वर्ष में मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने राजस्थान में चलने वाली 1 लाख मोटरों से प्रत्यक्ष और परोक्ष में जो आमदनी होती है वह 19 करोड़ केन्द्रीय सरकार की और 11 करोड़ राज्य सरकार की है। डिटेल्स तो जब मैं सड़क की डिमाण्ड पर कहूँगा तब बताऊंगा। परन्तु आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया है उसमें सड़कों पर एक–एक करोड़ एक–एक साल में खर्च करके आप केवल 5 करोड़ ही खर्च करेंगे। दूसरे राज्यों देश भर में कुल तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग 420 करोड़ रखे हैं स्टेट सेक्टर में और 418 करोड़ रखे हैं सैन्ट्रल सैक्टर में। आबादी के अनुपात से राजस्थान में 27 करोड़ चाहिए जबकि आप 5 करोड़ ही खर्च कर पायेंगे.....

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीसरी पंच वर्षीय योजना समाप्त हो गई।

श्री अमृतलाल गहलोत : सारी, चौथी पंच वर्षीय योजना।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो स्पेशल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम का मैंने बताया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : कितना है आप बताइये ?

श्री चन्दनमल बैद : सारे आंकड़े जगह जगह रखे हैं मेरे पास में नहीं हैं। यह तो स्पेशल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम के हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : शहरों की सड़कें हैं वहां पर भारी गाड़ियां भी चलती हैं और कारें भी चलती हैं। सड़कें टूट रही हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। हमारे एरिया के अन्दर क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और इन्जीनियर्स कहते हैं थोड़े से मरम्मत के पैसे दिये जाते हैं.....

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह पैरा तो वह है जिसमें रोजगार का विशेष प्रोग्राम है उसपर 2 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। उसमें से एक करोड़ रुपया स्पेशली सड़कों के लिए खर्च कर रहे हैं। बाकी सड़कों का जो प्रावधान है वह अलग है। वह सब प्लान सीलिंग के बाहर नान-प्लान के ऊपर खर्च होता है उसके ओवर एण्ड अबवाऊ यह स्पेशल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम में है।

श्री अमृतलाल गहलोत : वह क्रेश प्रोग्राम में है......

श्री चन्दनमल बैद : क्रेश प्रोग्राम अलग है। 3 करोड़ 25 लाख क्रेश प्रोग्राम के अलग हैं और एक करोड़ स्पेशल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम के अलग हैं।

श्री **गुमानमल लोढा** (जोधपुर) कुल कितनी सड़कों का आप का प्रावधान है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह अलग अलग हैं मैं कल आप को बता दूंगा। प्लान में अलग हैं, स्पेशल में अलग है।

एक **माननीय सदस्य** : इकट्ठा कर देंगे तो आपको परेशानी हो जायेगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : हमारी परेशानी यह है कि...

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : कहने का मतलब यह है...

श्री चन्दनमल बैद : हमारी परेशानी यह है कि फिर दूसरे गहलोत भी पूछेंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : मुझे यह अच्छी तरह से याद है कि रोड ट्रान्सपोर्ट रिओर्गनाइजेशन कमेटी है। जिसमें आप थे। यातायात सड़कों का अध्ययन आप ने किया है। आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी की बात थी। आप के हाथों में मुझे बहुत उम्मीद थी। आप ने निराश किया है। मैं करों के बारे में कहना चाहूंगा कि हमें किस प्रकार के कर लगाये जाने चाहिये। जयपुर की जो नगर परिषद् है, इसके अन्दर काफी राशि तो तनख्वाह में चली जाती है। आज से 15 वर्ष पहले डा. जानमथाई की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा था। उसने दो तीन सुझाव दिये थे। पहला सुझाव यह था कि जो व्यक्ति रेल से आता है, उससे तो रेल विभाग कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो सड़क से आता है, उस पर कुछ नहीं होता है। दूसरे ट्रांसफर आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी पर सरचार्ज के बारे में, जिसे नगर पालिका लगाये। तीसरे आक्ट्राय ड्यूटी को अबोलिश करें। यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। अन्य कुछ प्रदेशों में भी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवा : अगर आक्ट्राय खत्म की तो कल स्टाफ की तनख्वाह भी नहीं बंट पायेगी।

श्री **अमृतलाल गह...** : तनख्वाह भी है, ये हैवी चार्जेज हैं।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): यह नगर परिषद् संस्था आज भी सरकार पर आश्रित है। अगर आक्ट्राय समाप्त कर दिया गया तो यह और भी सरकार पर निर्भर हो जायेगी।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : आक्ट्राय एवोलिश होने के बाद उसको सैल्सटैक्स के साथ जोड़ दिया जाये। वह हिस्सा नगर परिषद् को दे दिया जाये।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देहात से आते हैं। उनको शहरों का अनुभव नहीं है।

श्री **उपाध्यक्ष** : उनको अपने विचार व्यक्त करने दें।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : माननीय सदस्य को शायद अधिक अनुभव है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय सदस्य शहरों की जो परिस्थितियां हैं, व अलग हैं।

श्री **अमृतलाल गहलोत** अगर हमारी म्युनिस्पिलटी की आमदनी कम नहीं हो और

(श्री अमृतलाल गहलोत)
खर्च ज्यादा मिल जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं बेकारी की समस्या पर बोलना चाहता हूं। पांच मिनट, उपाध्यक्ष महोदय यह समस्या बहुत लोगों ने रखी है। कोई भी सरकार इस परिस्थिति को पूर्णतया हल नहीं कर सकती है। यह मैं आप के सामने रखता हूं। यह एक देशव्यापी समस्या है हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 वार्षिक योजनाएं और 3 चौथी पंचवर्षीय योजना के वर्ष अर्थात् कुल 21 वर्ष पूरे किये हैं। 45 हजार करोड़ रुपये कुल व्यय किया गया है। नतीजा क्या हुआ? यह योजना आयोग ने भी पुरानी चौथी पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट में मन्जूर किया है कि इसके अन्त तक 14 करोड़ व्यक्ति बेकार हो जायेंगे। नयी चौथी पंचवर्षीय योजना बनी तो यह ओमिट कर दिया है। बाद में श्री भगवती की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई जो यह असेस करेगी। इस समय में देश में दो करोड़ बेकार हैं।

एक माननीय सदस्य: यह पढ़े लिखे बेकार हैं या कैसे हैं?

श्री अमृतलाल गहलोत: पढ़े लिखे भी हैं।

जब आप को यह पता चलेगा कि हमने 25 वर्षों में कितना आर्थिक विकास किया है तो आप आश्चर्य में पड़ जायेंगे। हमारे देश में तीस प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय बढी है। दूसरे देशों में, यूनाइटेड किंगडम में, बेलजियम में, स्वीटजरलैण्ड में, 2.5 गुना आय बढ़ी हैं। फ्रांस, हालेण्ड, और नार्वे में 3 गुना आय बढी है। इटली में 4 गुना बढी है। प्रशान्त महासागर में एक छोटासा देश है, जापान। जो डालर से बना है पर राज डालर को खरीद सकता है। पिछले 20 वर्षों में उसकी 8 गुनी आय बढी है। जो डालर के सहारे बना था वह डालर को खरीद सकता है, इतनी ताकत आज वह रखता है। जितनी इन्कम हम एक वर्ष में बढ़ाते हैं उतनी वह एक महीने में बढ़ाता है। इतनी ग्रोथ आफ नेशनल इन्कम हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह देश इतना समृद्धिशाली देश है कि कोयला आस्ट्रेलिया से होता है, चीन से लेता है। दुनिया में सबसे अच्छा स्टील बनाता है। हर साल भर में छः मिलियन टन बनाते हैं तो वह साठ मिलियन टन बनाता है। जापान के एक अर्थशास्त्री ने एक विचित्र बात कही। वह देश पूर्णतः समाजवादी नहीं हैं, वैसे वहां सहकारिता है और कोर्पोरेशन भी है, परन्तु कुछ अर्से पहले उन्होंने एक बात कही कि वहां एक चीज है जो दुनियां के दूसरे देशों के पास इतनी नहीं है, We have got good human beings. हमारे पास भले आदमी हैं। भले आदमी के लिए बताया कि भला आदमी किसको कहते हैं, जैसा कि जार्ज बर्नाडशा ने कहा है, मैं उन्हीं के शब्दों में कहता हूं, A gentleman is he who gives more than he takes. भला आदमी वह है जो समाज को देता ज्यादा है, लेता कम है। ऐसे कितने भले आदमी हमारे अपने देश में हैं, चाहे राजनैतिक क्षेत्र में हों, चाहे राज्य कर्मचारियों में हों, चाहे किसानों में हों और चाहे मजदूरों में हों। सब यह सोचें कि उन्होंने समाज से क्या लिया है और

(श्री अमृतलाल गहलोत)
समाज को क्या दिया है ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भले आदमियों का देश ही तरक्की करेगा, क्योंकि जापान में भले आदमी हैं इसलिये उसने इतनी तरक्की की है। धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द !

श्री गोकुल चन्द (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1972–73 के वित्तीय वर्ष के लिए माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भाषण पढ़ा उसमें कई बातें ऐसी हैं जो सदन को प्रभावित करती हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कल्याणकारी बातें हैं, कुछ अच्छे कदम हैं–जिनकी तरफ सरकार ने इशारा किया। लेकिन उसमें कुछ बात ऐसी भी हैं जो आज से नहीं पिछले कई वर्षों से चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। हम अच्छी बातों की तारीफ करें-यह बात ठीक है, हमें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन यदि हम उन बातों को, जो हम खराबियां पा रहे हैं, कमजोरियां देख रहे हैं, सरकार की तरफ से, ध्यान में न लायें तो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। हम यहां आये हैं तो हमारा फर्ज है कि उन बातों को सरकार के ध्यान में लायें।

इस वर्ष तक वैसे तो यह चिन्ता का विषय है कि 643.16 लाख रुपये का गवर्नमेंट पर कर्ज है। वह कर्ज क्यों हुआ ? उन कारणों को विस्तार से बताना माननीय वित्त मन्त्रीजी ने उचित नहीं समझा···

श्री चन्दन मल वैद : कल बता दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब बतायेंगे ?

श्री गोकुल चन्द : बहुत महरबानी। यह भी चिन्ता का विषय है कि 46.90 लाख रुपया ब्याज का देना पड़ेगा यह भी चिन्ता का विषय है कि सरकार को आमदनी बढ़ाने के लिए हर साल टैक्स लगाने पड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ सोलह साल से कि हर साल एक करोड़ के, दो करोड़ के, तीन करोड़ के, चार करोड़ के टैक्स लगाने पड़ते हैं। अब मैं नहीं समझा कि कौनसा खर्च अतिरिक्त बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ? हम अपने इलाकों में देख रहे हैं कि पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, नई सड़कें बनती हैं यह बात ठीक है, बिजली लगाई जा रही है, नये काम भी हो रहे हैं लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि पुराने रास्तों और पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। सरकार को यह करना चाहिये कि ऐसे जो काम हैं, जिनके लिए बहुत बड़े खर्च की जरूरत है, उनको रोके और कुछ पुराने काम हैं उनको ठीक कराये, उनको दुरुस्त कराये तो एक परेशानी से बच जाय। ऐसे कामों को यदि एक साथ पूरा नहीं कर सके तो अगले साल के लिए उनको रख लिया जाय। सवाल यह है कि यह कल्याणकारी सरकार है, लोकतंत्रीय प्रणाली से चुनी हुई सरकार है, अगर यह काम नहीं करती है तो जनता और विधायक खाल खींचेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि यह काम करायें। लेकिन बिना पैसे के काम होते नहीं है। तो काम कराने के लिए यह देखना चाहिए कि बहुत जरूरी काम कौनसा है जनता के लिए, उस काम को ही कराना चाहिये और उसमें जो भी पैसा खर्च हो वह करना चाहिए। जैसे अस्पताल हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि गांव गांव में अस्पताल नहीं हो सकते

(श्री गोकुलचन्द)
लेकिन कम मे कम ऐसे कस्बे जो हैं, जिसकी आबादी पांच हजार से ऊपर है, या कुछ और अधिक है, जहां नगरपालिकायें हैं, वहां जब जब भी मैं जाता हूं तो वहां से बराबर मांग आती है, वहां नगरपालिका है जैसे खेडली है, वहां नगरपालिका है और आस पास गांव लगे हुए हैं, वहां जच्चा खाना खुल जाय तो काफी राहत मिल सकती है। अभी जच्चा खाना नहीं होने की वजह से वहां और आस पास के लोगों को परेशानी होती है वह दूर हो सके खैरथल मण्डी है, खैरथल कस्बा है, उसके अन्दर कहीं, मेरे ख्याल में प्रसूति गृह नहीं हैं। इसके अलावा कुछ बड़े गांव हैं वहां आयुर्वेदिक औषधालय हो, डिस्पेन्सरी हो, कोई न कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिये पांच मील, चार मील के फासले पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय तो उससे ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। अभी लोगों को अलवर जाना पड़ता है, भरतपुर जाना पड़ता है। इसलिये औषधालय, जो बड़े गांव हैं, जहां ज्यादा आबादी है, ऐसे गांव हैं वहां जरूरी खोले जाने चाहिये क्योंकि सरकार को नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिये। मेरे ख्याल में सरकार ने कुछ इस ओर ध्यान दिया होगा।

नल बिजली की बात आती है। बिजली बहुत कुछ दी है सरकार ने, यह बात ठीक हैं। लेकिन इसकी रफ्तार भी इतनी तेज नजर नहीं आ रही है जितनी कि लोग मांग करते हैं। आवश्यकता जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं एक दूसरा पाइन्ट सरकार के ध्यान में लाता हूं। सरकार की यह जिम्मेदारी तो है कि वह बिजली पहुंचा दे, पैसा खर्च करे, पानी पहुंचा दे, सड़क बना दे। लेकिन मैं दूसरा तजुर्बा बता रहा हूं, बिजली पहुंच गई, अब जिस किसान को बिजली मिली सिंचाई के साधन मिले उसको दूसरे नुकसान का जो खतरा पैदा हो रहा है वह अब की बार देखने में आया है। खेडली मण्डी है और खेडली गांव भी है, वहां के किसानों ने चुनाव के दिनों में बताया कि हम दस बीस किसान हैं जिन पर इल्जाम लगाया गया है कि सील तोड दी, और हम पर दो सौ रुपया जुर्माना कर दिया·····

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : कहां की सील तोड़ दी ?

श्री **गोकुलचन्द** : मुझे परेशानी हुई। मैंने पूछा टेलीफोन पर कि कैसे हुआ, कहां सील तोड़ दी। उत्तर आया, भाई सील तोड़ी इसलिए जुर्माना हुआ। एक्स. ई. एन. जाने हम क्या करें ? मीटर रीडर ने रिपोर्ट कर दी, इसलिए हमने जुर्माना कर दिया। मैंने कहा अभी जुर्माना वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दें। तो कहा, यह कर सकते हैं, कनेक्शन नहीं कटेंगे। उसके बारे में लिखा पढ़ी करते हुए एक महीना हो गया, मैं भट्ट जी से मिला था, मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिये इस सम्बन्ध में कई एप्लीकेशन दी हैं। झगड़ा यह है किसान अपने इन्ट्रेस्ट में सील कैसे तोड़ सकता है। दूसरी तरफ यह भी पहलू है कि कर्मचारी परेशान उनको बराबर कर रहे हैं। मेरे सामने यह बात आई, मैंने प्रार्थन-पत्र में लिख कर दिया है

(श्री गोकुलचन्द)

वह लोग कहते हैं दो मन अनाज पैदावार का दें, या फिर पैसा दें। इस दरख्वास्त में मैंने यह कहा है कि कनेक्शन देते समय भी उन किसानों से दो दो सौ अढ़ाई अढ़ाई सौ रुपये लिये हैं। बाद में नहीं देते है तो कहते हैं तुमने सील तोड़ दी। मैं आपको बताऊं मीटर रीडर जाता है, वह लोग अनपढ़ आदमी होते हैं, वह जाकर कह दे कि सील तोड़ दी। कहने का मतलब यह है, वास्तव में पूरी देखभाल नहीं होती है और किसान और अनपढ़ लोग फंस जाते हैं। उनको कहते हैं कि दो सौ रुपया दो। वह महीनों तक अलवर जाते हैं और खेड़ली से अलवर तक भागते फिरते हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद कुछ समाधान हो गया हो, मुझे जानकारी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहां गड़बडी हो रही है, किसान को कैसे राहत दे सकते हैं यह सरकार को सोचना चाहिये। वह बड़ी मुसीबत में है, उनके पन्द्रह कनेक्शन काट दिये, जब दरख्वास्त दी तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। भरतपुर में एक्स. ई. एन. के पास गये तो यह विश्वास दिला दिया, उसने कहा हमारा कसूर नहीं है, एक अधिकारी का है। एक्स. ई. एन. इस बात से कन्विन्स हो गये थे कि किसानों के साथ जादती हुई। उन्होंने कहा कि तुमने कनेक्शन क्यों काटने दिया, क्यों नहीं मना किया ? लेकिन काट दिया, यह उसके अधिकार की बात है। लेकिन यह परेशानी की बात है किसानों के लिये। तो किसानों को जो सुविधा दी है उसका नतीजा यह सामने आ रहा है, उनका कहना है कि कन्जम्प्शन कम आने के लिए किसान सील तोड़ देते हैं, लेकिन उनके कन्जम्प्शन की मात्रा का बिल वही आ रहा है, सौ फरवरी में दिये, सौ का मार्च में आ गया। तो सील तोड़ने की बात कैसे समझ में आ सकती है सील तोड़े और कन्जम्प्शन कम आये तो कह सकते हैं, लेकिन कन्जम्प्शन उतना ही बराबर आ रहा है। भरतपुर में जाकर एक्स. ई. एन. से लोग मिले और बताया कि यह परेशानी पैदा की जा रही है। जो सुविधा आज सरकार दे रही है, उसका रिएक्शन और प्रतिक्रिया क्या हो रही है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ?

गृह निर्माण की बात है। एकदम सरकार ने निर्णय लिया, हजारों दरख्वास्तें अलवर जिले में हरिजनों की पड़ी हैं। उन्होंने नक्शे बनवाये हैं, पंचायत एरिया में है तो मंजूरी हासिल की है, नगरपालिका में हैं तो नगरपालिका की मंजूरी हासिल की है लेकिन सारी दरख्वास्तें समाज कल्याण विभाग में पड़ी हुई है। कह दिया, प्रोसीजर बदल दिया है, अब रुपया, कर्ज बैंक से मिलेगा बजट स्पीच में आपने कहा यह रुपया 4 हजार तक मिलेगा। अच्छी बात है। मैं कंडम नहीं कर रहा हूं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन परेशानी तो है। आप उनको कोआपरेटिव का सदस्य बनाना चाहते हैं और 75 प्रतिशत सरकार सहायता के रूप में देगी यह ठीक है लेकिन क्या गारंटी है ? सभी को सदस्य बनाकर सभी को कर्जा देंगे और वे लोग कहां भागते फिरेंगे ? तहसील वाइज कोआपरेटिव बनायेंगे या किसी दूसरी तरह से ? रूल्स हों तो हम देखेंगे लेकिन समाज कल्याण विभाग उन लोगों को दरअसल रुपया देना चाहता है तो

(श्री गोकुलचन्द)

उनको विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मदद करनी चाहिए। नहीं तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जायेंगे।

जहां तक छात्रवृत्ति की बात है, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के आफिस में जाकर कहा कि यह बच्चा है, आपने इसको छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा रेन्यूएल के लिए ही पैसा नहीं है तो फ्रेश को कहां से दें? अब की बार रेन्यूअल के लिए भी छात्रों को पैसा नहीं दिया। यह एक अजीब बात है। जिसको पिछले साल मिला है, उसे इस साल नहीं मिल रहा है, यह सरकार को देखना चाहिए।

भूमिहीनों की बात इस बजट में कही गई है। बड़े जोरों से कही गई है लेकिन माफ करेंगे, हर साल सुनते आए हैं, हर साल पढ़ते आए हैं, कि भूमिहीनों को जमीन देंगे। आप भूमिहीनों की बात कहते हैं। मैं विश्वास कर लेता हूं क्योंकि सरकार प्रयास करेगी, नई सरकार बनी है, नई सरकार तेजी से चलना चाहती है। सब तरह विश्वास कर लेता हूं लेकिन यूं विश्वास नहीं हो रहा है कि दो लड़ाइयां देश ने लड़ीं, जितने मिलटरीमैन थे, जो मारे गए, उनके परिवार को सहायता के रूप में जमीनें दी हैं, दूसरा स्वर्णकारों का धंधा ठप्प हो गया उनको भी जमीनें दे दीं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है, वह जमीन है वह भी काश्त में आएगी। इसके अलावा एक बात और। आपने 15 बीघा हरेक पंचायत को दे दी और 150 बीघा पंचायत समिति को दे दी, तो हम कैसे इस बात को मानें कि आप भूमिहीनों को जमीन देंगे? पंचायत समितियों व पंचायतों को जमीन क्यों देते हैं? सरकारी फार्मों में कौनसा मुनाफा हो रहा है? कितने गरीबों का भला हो सकता है अगर 5–5 बीघा जमीन भूमिहीनों को दे दें तो बहुत सों को रोजगार मिल सकता है, फिर कहते हैं भूमिहीनों को जमीन देंगे, समझ में नहीं आता कैसे देंगे?

एक बात और है। पानी और बिजली जो हरिजनों को देने की बात है वह भी कई वर्षों से चली आ रही है। आपने कहा है, अनिवार्य रूप से हरिजनों के मोहल्लों को पानी देंगे। बिजली के लिए भी ऐसा कर दीजिए। यह बड़ा कदम होगा अगर सारे हरिजन मोहल्लों को आप बिजली दे दें। दो साल से मैं देख रहा हूं खैरथल कान्सटीट्यूएन्सी में हरिजन बस्ती का एस्टीमेट बनाकर इंजीनियर को दिया। कहा यह सही नहीं है, मंत्री महोदय ने कहा कि आप देखें। उन्होंने विभाग को कागज लौटाया। जब तक इंजीनियर एस्टीमेट नहीं देंगे तब तक कार्यवाही नहीं होगी। तो उसमें स्पेशल तरीके से उनसे कहिए कि एस्टीमेट वगैरह सही और शीघ्र बनाकर दें।

एक विशेष बात जो जरूरी है, मेरे देखने में आई। हरिजन गांवों में जहां पर पानी की दिक्कत है न तो वे स्वर्णों के कुओं पर जा सकते हैं न पुलिस मदद करती है, न सरपंच बोलता है, तो झगड़े ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। कभी ऐसा न हो कि जनता सरपंच से नाराज हो जाए कि हरि-

(श्री गोकुलचन्द)

जनों को कुओं पर चढ़ने देते हैं तो वोट कम हो जायेंगे। एम. एल. ए. भी सरपंच को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। जहां पर सूखा है, वहां पर पानी की व्यवस्था आप कर रहे हैं और बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, नल भी गांवों को दे रहे हैं। कम से कम उन गांवों में समाज कल्याण विभाग से सर्वे करायें कि किन-किन गांवों में कुए जरूरी हैं। उनको दो-दो हजार रुपये दे दो ताकि सारे राजस्थान में इस समस्या का समाधान हो जाए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं जो अजीब है। समाज कल्याण विभाग से इसका कितना सम्बन्ध है समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे ? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ है कि अमरीका का केयर संस्थान एक अच्छी रकम हरिजनों की भलाई के लिए देता है, उसका हिसाब मैंने मोटे तौर पर समाज कल्याण अधिकारी से मालूम किया है वह सुन लीजिए। एक महीने का खर्चा 5895) उन्होंने बताया है। अलवर शहर में 25 केन्द्र हैं। रसोइया रखा है जिसको 40) रु. प्रति माह देते हैं, एक महिला है जिसको 20) रु. प्रति माह देते हैं। जितनी खाद्य सामग्री है, सोयाबीन है, नमकीन है, एक दिन नमकीन, एक दिन मीठा, वह बांटने जाती है। एक दिन मैं स्कूल की तरफ से जा रहा था तो वह औरत छोटा सा थाल लेकर जिसमें थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था, एक चबूतरे पर चढ़कर बांटने लगी। मैं कहता हूं यह भिखमंगापन से कम नहीं है। औरत आती है, बच्चे आकर मांगते हैं, वह खड़ी हो जाती है। जरा-जरा सा सबको देती हैं, बच्चे भिखमंगों की तरह मांगते हैं। सरकार को विचार करना चाहिये। अगर सहायता देनी है गरीबों को तो आप उनको सर्दी में रजाई दें, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दें लेकिन अमरीका के पास कहां से पैसा आया है? आप मना कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग बीच में आता है। सारे कर्मचारी उसमें काम करते हैं। वहां 3 ट्रक्स माल के एक महीने में आते हैं। 600 रु. उनको महीने का भाड़ा देना पड़ता है। एक बार गबन का केस पकड़ा भी गया क्योंकि केन्द्र जहां सामान रखा हुआ है वह बिना किराए के है। मालिक से कहते हैं कि आप हमें सामान रखने दीजिए उसके एवज में कहते हैं कि तुम्हारे पास आदमी है तो दो उसको 20) प्रति मास उनको देंगे। उस धौंस में कितना सामान बनता है, कितना बिकता है, कोई सबूत नहीं, क्योंकि कितना माल बना, किसके पल्ले पड़ा ? रजिस्टर भर कर दिया कि इतना हलवा बना, इतना नमकीन। 200 बच्चों व स्त्रियों को रोजाना बांटना चाहिए पर 20 को भी नहीं बांटते। सवाल इस बात का है कि पैसा तो बहुत दिया जा रहा है और जहां कहीं से आया, मुझे मालूम है कि उसमें समाज कल्याण विभाग का भी कन्ट्रीब्यूशन है, आप मालूम करें। चाहे कुछ भी है लेकिन यह भिखमंगापन है...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य माफ करें। आपको मालूम होगा कि यह सारा पैसा केयर का आता है, अमरीका का पैसा है।

श्री गोकुलचन्द : मैंने सही कहा है रुपया हमारा नहीं, अमरीका का है लेकिन

(श्री गोकुलचन्द)

यह भिखमगापन है। समाज कल्याण विभाग क्यों नहीं वकालत करता ? अमरीका दान-दाता है पैसा उनके पास है किन्तु हमारे बच्चों के लिये व हमारे लिये यह अपमान-जनक स्थिति हैं। गर्भवती स्त्रियां बेशक पौष्टिक आहार खायें तभी बच्चों को जन्म देंगी। लेकिन उनके तौर तरीकों को बदलना चाहिए, मुझे बुरा लगा। गबन होता है, जितना माल आता है गलत तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। जितना माल आता है, जितना रुपया आता है, वह पूरा खर्च नहीं होता है बल्कि उसका दुरुपयोग होता है। यह दोनों दृष्टि से वाजिब नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अधिकारी लोगों के काम आता है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की बात भी कही है और इसी प्रकार हजार मिडिल स्कूल में अपग्रेड करने की बात कही है। यह अच्छा कदम है। बच्चे पढ़ेंगे, लाभ होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दस महीने मजदूरों को रोजगार देने की बात कही गयी है। यह भी अच्छी बात है। सरकार का कदम रोजगार देने के माने में सराहनीय है। लेकिन इससे सिर्फ जिम्मेदारी इतनी ही नहीं है कि बजट पास कर लें और उसको तकसीम कर दें। मैं विशेष यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतन्त्रीय सरकार है। जनता से चुन कर आये हैं। कांग्रेस के 145 सदस्य चुन कर आये हैं और विरोधी सदस्य भी चुन कर आये हैं। सरकार हमारी है। सरकार चलाने के लिये मिनिस्टरों को कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है। कोई विशेष डिप्लोमा नहीं होता है, वह हम में से चुन कर आते हैं। मेजोरिटी हमारी है। कोई खूबसूरती के आधार पर मिनिस्टर नहीं चुने जाते हैं और कोई पढ़ाई लिखाई पर भी नहीं चुने जाते हैं। उनको बड़ी इमानदारी से काम करना चाहिये। जनता न्याय चाहती है और भलाई की आशा करती है। विधायकों को उनके विचार सुन कर उनको न्याय देना यह सरकार का काम होना चाहिये क्योंकि यह लोकतन्त्रीय सरकार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नये युग में, नये विचार लेकर चलें, न्यायप्रियता और निष्पक्षता से चलेंगे तो सदन के अन्दर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जनता के अन्दर छाप बैठेगी सरकार इसलिये चुनी है कि सबको नहीं तो बहुमत को संतुष्ट करके चलें, सदन को संतुष्ट करके चलें। हम आपका समर्थन करेंगे। अनुशासन मानेंगे, हम आप से दूर नहीं हो सकते लेकिन कम से कम हमारी आवाज और जनता की आवाज को पहिचाने। सभी अच्छे कामों में हमारा समर्थन सरकार को मिलता है, और मिलेगा। जनता का फायदा हो इस प्रकार के एक्शन्स सरकार के होने चाहिये।

ये बातें कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से। बजट पढ़ने को मिला लोक कल्याणकारी कदम उठाये गये लेकिन मैंने बातें कहीं वे दुःखी होकर कहीं हैं। मैं, अनुशासन में रहा हूं, रहूंगा। मैं आपका हूं, रहूंगा अतः आशा करता हूं इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने जो बातें कहीं हैं उनकी

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

ओर सरकार की ओर से अवश्य ध्यान दिया जावेगा।

श्री **चन्दनमल बैद** : मैं भी आपका ही हूँ।

श्री **खेतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत सदस्य बोलने वाले हैं इसलिये एक घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री **रणजीत सिंह** (ओसियां): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने राजस्थान की परिवर्तित परिस्थिति में सन् 1972-73 का बजट प्रस्तुत किया है। पूरे राजस्थान की नजरें नयी सरकार जो बनी है उस पर और विधान सभा पर लगी हैं। इस बात पर लगी हैं कि जब गांधीजी ने आन्दोलन चलाया अंग्रेजों को निकालने के लिये और भारत स्वतन्त्र हुआ तो उनके मन की धारणा थी कि गांवों को स्वावलम्बी बनाया जायगा, गांवों में सुख सुविधा जो होनी चाहिये वह होगी, ग्राम पंचायत होगी सहकारी नीति होगी, आयुर्वेद शफाखाना होगा, पीने के पानी के साधन होंगे और पाठशाला होगी और गांवों को बनाने का जो उनका आशय था उनमें से कुछ बातें आज सुनने को मिलीं। लेकिन अभी काफी अधूरी हैं। अधूरी बातों को पूरा करने के लिये सरकार की जिम्मेदारी है सरकार अपने रिसोर्सेज से, भारत सरकार के आश्रय से, राजस्थान की जनता को इस ओर आगे बढ़ाये और इस नजर से यह बजट प्रस्तुत हुआ है। इस ओर राजस्थान की 2 करोड़ 50 लाख जनता की नजरें हैं। इस बार जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया, न इतना कभी पहले आया और भविष्य में पता नहीं इतना आये या नहीं।

श्री **गुमानमल लोढा** : अब आगे नहीं आने वाला है।

श्री **रणजीत सिंह** : पता नहीं इससे भी ज्यादा आजाय। जनता की जो आशायें हैं यदि वे पूरी नहीं हुईं तो उल्टा नतीजा निकल सकता है।

इस बजट को समाजवादी अपने कह रहे हैं और जिस बुद्धिमता से वित्त मंत्रीजी ने आंकड़ों के आधार पर बजट पेश किया है इससे आशायें जगी हैं। मैं इस बजट की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। आप शहर की ओर देखें और गांव की ओर देखें। अगर कोई भी विधायक शहर में रहने वाला है वह गांव में जावेगा तो पता लगेगा कि गांव की क्या हालत है और इसी प्रकार गांव का आदमी शहर में आवेगा तो पता चलेगा कि कितना अन्तर है। इस बजट से अन्तर कम होता तो संतोष होता किन्तु इससे तो अन्तर और बढ़ेगा। इसलिये बढ़ेगा कि शहर में आन्दोलन होते हैं और सरकार को झुकाते हैं गांवों में एक धारणा है। गांव तो बिखरे हुए हैं और शहर एक समूह में हमेशा रहते हैं।

आज बजट में आय के श्रोत कम हैं और व्यय ज्यादा है। आय और व्यय के आंकड़ों को देखें तो वित्त मन्त्रीजी ने खुलासा सूची पेश की है खर्च करना और

(श्री रणजीत सिंह)

प्राप्त करना। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरी है। राजस्थान तीन भागों में बंटा हुआ है। एक भाग ऐसा है जहां नहरी क्षेत्र है, दूसरा भाग ऐसा है जहां सिंचाई साधन कुओं से हैं और तीसरा भाग ऐसा भूमि का है जहां रेत के टीले ही टीले हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भिन्न 2 प्रकार की है। और उस भौगोलिक स्थिति में अगर एक समानता से सब तरफ देखा जावेगा तो यह न्यायोचित नहीं होगा।

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

5.00 म.प.

आज गंगानगर में जिसने जन्म लिया है या कोटा में लिया है या भरतपुर, जयपुर, झुंझुनूं और जोधपुर की तरफ लिया है तो उनकी सब की अपनी अलग अलग मुश्किलें हैं। भौगोलिक आधार पर इनकी मुश्किलों में बड़ा अन्तर है। आज पश्चिमी राजस्थान की यह हालत है कि अधिकांश में पीने के पानी को उनके सामने निरन्तर समस्या बनी हुई है सदियों से, अज्ञात समय से। तो बाकी के हिस्सों में नदियां हैं काफी पानी है और उनके सामने बाढ़ की समस्याएं हैं। आज आजादी के पच्चीस वर्ष बाद भी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में पीने के पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है वैज्ञानिक साधनों के इस युग में भी पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार का परम कर्तव्य है। यह सरकार की जिम्मेदारी है।

बहुत से एम. एल. ए. क्वार्टरों में हम उधर के लोग यहां रहते हैं और वापिस गांवों में जब जाते हैं और वहां की पानी की स्थिति की तुलना यहां के रहन सहन से करते हैं तो बड़ा अन्तर मालूम होता है। यहां हम लोग जितना पानी फ्लश में बहा देते हैं उतना तक पानी वहां लोगों को पीने के लिये उपलब्ध नहीं होता। यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। आज इस समस्या का समाधान करने के लिये वित्त मन्त्रीजी ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पर इतनी बड़ी समस्या का इस छोटी सी राशि से भी कुछ नहीं होने वाला है।

दूसरी तरफ अकाल की समस्या बनी हुई है उस हिस्से में। इसलिये भी सरकार को काफी पैसा उधर खर्च करना पड़ता है और इस पर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में रहने वालों को यह अनुभव होता है कि उनके हिस्से की रकम पश्चिमी हिस्से को पानी पिलाने में ही खर्च की जा रही है या अकाल राहत में खर्च की जा रही है। तो इस तरह से राजस्थान की सरकार अगर अकाल और पानी की वहां की समस्या का उचित हल नहीं निकाल पाई है। हम भी नहीं चाहते कि पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान के लिये त्याग करना पड़े।

जिस तरह से सरकार आज तक इस समस्या का समाधान सोचती रही है उस तरह से तो कई पीढ़ियों तक वहां पानी का प्रबन्ध नहीं कर पावेगी और न अकाल का समाधान कर पावेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा इस सरकार से कि वह इन दोनों समस्याओं के हल के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले।

वैज्ञानिकों ने यह तो सिद्ध कर दिया है कि इस पश्चिमी इलाके में पृथ्वी के काफी

(श्री रणजीत सिंह)

नीचे अथाह जल भरा पड़ा है जिसे आज के विज्ञान के साधनों से हमें ऊपर लाना है और प्यासी धरती और उस धरती के निवासियों दोनों की प्यास बुझानी है।

सरकार वहां नलकूप लगाने की बात कह रही है। पर वहां के लोगों की सामर्थ्य से बाहर की बात है यह। वहां का किसान नहीं चला सकता हां, अगर सरकार स्वयं इनके संचालन का भार वहन करे तो किसान इसके खर्च में अपना योगदान दे सकता है।

सरकार ने अपने बजट में 400 नलकूपों की योजना रखी है। जो नलकूप फेमिन के वक्त वहां बने थे वे भी आज बन्द पड़े हैं। उनको न सरकार चला रही है न किसान। किसान तो चला भी नहीं सकता। इसलिए सरकार स्वयं इनको चलाने की गारन्टी ले। करजा काश्तकार चुका देगा। ऐसी व्यवस्था अगर आप करके चलेंगे तब तो बात समझ आने वाली है। नल कूप लग भी जावेंगे और चल भी जावेंगे। नहीं तो अकेले किसान के बलबूते का काम यह नहीं है।

कुए अगर ये लगते हैं तो बिजली इनके आवश्यक होगी। नहरी सिचाई, नलकूप की सिचाई इन दोनों में बहुत अन्तर है। इसलिए 400 नलकूपों का प्रावधान तो अच्छा है पर बिजली की व्यवस्था भी साथ ही होनी चाहिए। इससे मैकेनिकल इन्जीनियर इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर दोनों को काफी काम भी मिल जावेगा, उनकी बेकारी भी दूर होगी। इनसे सरकार इन नल कूपों को चलाने की जिम्मेदारी स्वयं लेगी तब तो ठीक है, नहीं तो इस इलाके की पानी की समस्या वैसी ही बनी रहेगी।

आज समस्यायें बहुत हैं उनको मिटाने के लिए इन्दिराजी ने देश का आह्वान किया और उसको सुन समझकर जनता, ने आज कांग्रेस को वोट दिया है। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया है। यह वोट इन्दिराजी की नीति को दिया है। तो जिस नीति पर वोट मिले हैं उस नीति को अगर आप क्रियान्वित करेंगे तब तो ठीक है वरना तो टैक्सों का भार जैसा पहले जनता पर पड़ रहा है, आप भी थोड़ा और उस पर डाल देंगे।

आज सौ में से 90 आदमी गरीब हैं। सौ में से पांच आदमी बहुत ही बड़े अमीर हैं, और पांच आदमी मध्यम वर्ग के हैं। बाकी तो सब गरीब हैं। पर टैक्स सबको देना पड़ता है। इसलिए टैक्स प्रणाली इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि जो जितना वजन उठाने की क्षमता रखता है उस पर उतना ही भार पड़े। अधिक भी नहीं और कम भी नहीं।

लोग कर देते हैं। किस लिए ? इसलिए कि वह कर सरकार जनहित के कामों में खर्च करे। अगर वह सही रूप से खर्च होता है तो देने वाला राजी खुशी से देगा। पर जब वह देखता है कि जो कर के रूप में अपनी गाढ़े पसीने की कमाई सरकार को वह देता है उसका भयंकर दुरुपयोग होता है, गबन होता है शराब में और अधिकारियों के मंत्रियों के ऐश आराम में पानी की तरह बहाया जा रहा है, जनोपयोगी कामों में खर्च होने के बजाय अधिकांश भाग ठेकेदार और सरकारी अधिकारी बीच में ही गबन

(श्री रणजीतसिंह)
कर जाते हैं, इन्जीनियर खा जाते हैं, तो उनका माथा ठनकता है और वह कर देना बहुत बुरा लगता है।

आज अमेरिका को देखिये। वहां पचास प्रतिशत कर भार है पर वे भी राजी खुशी दे देते हैं क्योंकि वहां इस धन का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होता जैसा हमारे देश में होता है। तो यह दुरुपयोग कड़ाई से रोकना होगा हमें। इसके लिए आवश्यक हो तो कड़े कानून और नियम बनाये जावें।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : मन्त्रीगण सदन में एक भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री सभापति : आजावेंगे, आप बोलने दीजिए।

श्री रणजीतसिंह : आज सरकारी पैसे का दुरुपयोग खुल कर होता है। जिनके पास कोई काम नहीं है, जो चालबाज हैं, हराम-खोरी जिनके मुंह लगी हुई है, ऐसे लोग सरकारी तन्त्र में घुस गये हैं। काम करने की उनकी क्षमता बिल्कुल नहीं है। तो जनता आज जान गई है कि वह अपने टैक्सों के पैसे से केवल सरकारी हाथियों को पाल रही है इसलिये टैक्स देने में उसको बड़ा ऐतराज हो रहा है।

इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता को यह विश्वास दिलाया जाय कि उसके पैसे का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग करने वालों को कठोरता से दबा दिया जायगा, चाहे फिर वे कितने ही पहुँच वाले क्यों न हों, कोई भी क्यों न हों, कितने ही ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए क्यों न हों तो जनता कर का पैसा पूरा का पूरा चुका देगी और अधिक से अधिक देने के लिए तत्पर रहेगी।

आज सरकारी कर्मचारियों को काफी पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने स्ट्राइक की। सवा चार करोड़ रुपया उनको देना पड़ा। मैं मान सकता हूं कि उनकी कुछ जिनुआइन कठिनाइयां होंगी पर जिनको टैक्स देना पड़ता है उनकी कठिनाइयों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अगर एक काम के लिए एक आदमी से काम चल सकता है तो उसके लिये दस आदमी रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी तन्त्र में आज नौकरों की भरमार है, अधिकारियों की भरमार है। इसकी छटनी करनी होगी। तन्त्र का संचालन व्यय कम करना होगा। राजस्थान की गरीब जनता इतना भार उठाने में असमर्थ है। प्रजातन्त्र में प्रजा का महत्व होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी उससे नीचे हैं। पर आज तो उल्टी गंगा बह रही है। आज वोट देने वाली प्रजा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से नीचे गिनी जाती है। सरकारी कर्मचारी ऊपर हैं इसलिये मैं यही अर्ज करूंगा कि जहां अगर इस चीज को मिटाना है तो विधायकों में विश्वास पैदा किया जाना चाहिये, जनता में विश्वास पैदा होना चाहिये और इसके लिये एक कमेटी बनानी चाहिये एम.एल.एज. की कि किस डिपार्टमेंट के अन्दर किस जगह हमारी जनता का पैसा फिजूल जा रहा है। जरूरत एक आदमी की है एक सेक्रेटरी की जरूरत है और वहां पर ज्वाइन्ट सेक्रेटरी भी लगा हुआ है, डिप्टी सेक्रेटरी भी लगा हुआ है, असिसटेन्ट सेक्रेटरी भी लगा हुआ है, क्या जरूरत है इन सबकी और फिर उनके लिये इतने साधनों की क्या जरूरत

(श्री रणजीतसिंह)

है, इतनी व्हिकिल्स की क्या जरूरत है ? जनता अनाज खाती है वह सोचती है, समझती है और यहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती है, वह यह सब समझती है, जनता ने अपनी अवाज पहुंचाने के लिये 184 प्रतिनिधि यहां भेजे हैं। हम यहां पर सही बात कहें ताकि जनता हमारा विश्वास करे और दो करोड़ 50 लाख की जनता को हमारा सही प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन वह समझती है हमारे पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आज चार करोड़ के टैक्स लगाये और वह टैक्स उन आदमियों पर जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा है। सरकार गरीब आदमी पर टैक्स लगावे और मजा धनवान लेवें इसलिये यहां पर बैठकर गरीबों की हित की बात नहीं सोचें तो उचित नहीं होगा। आज वित्त मंत्रीजी ने हालांकि दोनों बात रखी है। उन्होने इस बजट में कुछ अमीरों को भी लिया है और कुछ गरीबों को भी लिया है। अमीर टैक्स देने की शक्ति रखते हैं पर इस बजट में इससे समाजवाद नहीं चलता, समाजवाद चलेगा जिसमें गरीबों पर बोझ कम से कम हो जो धनवान हैं वे टैक्स दे सकते हैं, परन्तु आज काश्तकार को मसला जा रहा है आगे ही काश्तकार बहुत दबा हुआ है। आपको शायद भ्रम होगा कि काश्तकार इस जमाने में बहुत मालदार हो गया है। बीच में एक बहस चली थी तथा पूंजीपति फार्म लेकर खेती करने लग गये और मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े सेठ ने खेती की लेकिन वास्तव में खेती नहीं की और खेती के नाम से बहुत कमाई की। पांच हजार का रिटर्न नहीं दिया। मैंने कहा बहुत बड़ा धोखा है। यह काले धन को सफेद करना चाहता उसने खेत में गन्ना बोया, गन्ना दो लाख का बोया और एक लाख का गेहूं और मिरची बोई ताकि ब्लेक मनी उस ठेकेदार की व्हाइट बन जाय। आपको दिखता है काश्तकार बहुत मालदार हो गया है। काश्तकार जगह जगह कर्ज से दबा हुआ है। काश्तकार कई आदमियों के पेट को पालता है आज भी बनिया उसकी जान को बैठा है। वह उसको पनपने नहीं देता है। काश्तकारों को जरूरत के वक्त साधन मिलते नहीं हैं। काश्तकार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो गाढ़ी कमाई करके अपना पेट पालकर दूसरों का भी पेट पालता है। इसके अलावा भी भाव काश्तकार को मारते रहते हैं। अभी कुछ साथियों ने कहा है भाव बढ़े क्यों नहीं ? भाव घटे हुये चल रहे हैं। आप 12 साल का अन्दाज निकाल लीजिये और आज भी अन्दाज लगा लीजिये गेहूं के भाव घटे हैं और दूसरी चीजों के भाव बढ़े हैं। फिर भी काश्तकार नहीं बोलता है। उसके पास आपके पास तक आने का समय कहां। यहां हम बैठकर फिजूल की बातें कर दें। उनके टैक्स की बात करें तो उनके लिये कितना बुरा होगा। आज उसके फर्टीलाईजर पर भी कर लगा दिया, यह कितने शर्म की बात है। आज अमेरिका में भी 30 प्रतिशत सब्सीडी देते हैं फर्टीलाईजर की व्यवस्था है। आज अमेरिका को देखिये वह अपना पेट पालने के बाद हिन्दुस्तान को अनाज देता है।

आज आप अगर अपने काश्तकार पर भार डालेंगे तो काश्तकार पनप नहीं सकेगा। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि एक तो ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं लगावें। बीच में हमने एक मेला लगाया था और काश्तकार की बात सुनकर मुख्य मंत्री ने

(श्री रणजीतसिंह)
टैक्स रद्द किया था। चांदी पर आपने टैक्स बढ़ा दिया। चान्दी के जेवर गरीब लोग ही पहनते हैं। किसी गरीब आदमी ने चांदी का छल्ला बना दिया तो उस पर टैक्स। इस टैक्स से कोई ज्यादा आमदनी भी नहीं होने वाली है। तो समाजवादी बजट यह है तो समाजवाद के अन्दर गरीब वर्ग का ध्यान रखना चाहिये, जब तो बात समझ में आती है वर्ना नहीं आती है।

और फिर रोटी पर टैक्स। एक साधारण आदमी कैसे हिसाब रखेगा? बीच में आपने एग्रीकल्चर टैक्स लगाया था, तो जगह-जगह लोगों ने आपके कपड़े फाड़े। क्या आप वैसी बात लाना चाहते हैं? आटो रिक्शा पर आपने टैक्स बढ़ा दिया। क्या आटो रिक्शा चलाने वाला आदमी मालदार है? यह तो बैंक्स ने कुछ कर्जा दिया है जिससे वह बेचारे टैम्पों चला रहे हैं। टैक्स आप हैसियत वालों पर लगावें।

इसलिये मेरा निवेदन है कि एक तो आप पश्चिमी राजस्थान मे पेय जल की समस्या को दूर करिये। अगर यह आप से नहीं सुलझ सकती है तो वह लोग अपना अलग प्रदेश की मांग करेंगे। वे केन्द्रीय शासन के नीचे जाना पसन्द करेंगे कि हमारी समस्या राजस्थान सरकार हल नहीं कर सकती उस पर इतना ओवर-ड्राफ्ट चल रहा है। आज जिस गांव में भी हम जाते हैं, लोग त्राहि-त्राहि करते हैं, फैमिन है, सरकार एक गैलन पानी दे रही हैं। तो एक गैलन पानी से कैसे काम चल सकता है? लेकिन करें क्या? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पानी की समस्या हल करिये और जो टैक्स गरीब तब के पर लगाये हैं वे हटावें। जेवरात पर, खास तौर से चान्दी पर, जो टैक्स लगाया है, वह हटाना चाहिये और चांदी को कर से मुक्त करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को यह विश्वास दिलाऊंगा कि यह समाजवादी बजट है लेकिन इसमें थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है तब तो हम राजस्थान में मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। इस पर सरकार को चिन्तन करना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढा : व्यवस्था का प्रश्न। क्या कांग्रेस के सदस्यों से आलोचना सुन कर हमारे वित्त मंत्रीजी वाक आउट कर गये हैं?

श्री सभापति : मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है।

श्री शंकरसिंह!

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : सभापति महोदय, राजस्थान का 1972-73 का जो मोडीफाइड बजट बनाया गया और सदन में पेश किया गया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री का आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होने कांग्रेस की नीतियों और अपने देश के प्रधान मंत्री ने जो घोषणाएं की थीं, और पंच वर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा था उसको कियान्वित करने की बात रखी है। इतना जरूर है कि हमारे कुछ सुझाव हैं जो माने जावें तो उससे और भी परिवर्तन आ सकता है।

जहां तक हमारे अजमेर जिले का सम्बन्ध है, अजमेर जिला एक ऐसा जिला

(श्री शंकरसिंह)

है जहां तीन बरस में एक फसल अच्छी होती है और जहां तक मालगुजारी का सवाल है, क्योंकि अजमेर पहले केन्द्र शासित था, इसलिये जब से राजस्थान में वह शामिल हुआ है तब से वहां के लिये कम ध्यान दिया गया है। जहां तक मालगुजारी का सवाल है, राजस्थान सरकार ने आठ लाख रुपये लगा कर अजमेर जिले के लिये तरमीम करवाई थी और तरमीम करवाने के बाद अब जमाबन्दी बनने जा रही है। अभी भी एक किसान सम्मेलन हुआ था, तो किसानों की यह मांग थी कि जो शत प्रतिशत मालगुजारी वसूल की जाती है, उसमें तीस प्रतिशत छूट देनी चाहिये। और 30 प्रतिशत घास, कड़बी इत्यादि की छूट थी। इस प्रकार से 60 प्रतिशत छूट थी। उसके बाद में जो अलाटमेंट अनुसूचित जाति और गरीब भूमिहीनों को की गयी है उसमें हम चाहते हैं कि वह छूट उन्हें दी जाये।

इसके अलावा जहां तक बजट का सवाल है और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारा राज्य काफी घाटे में जा रहा है और हर वर्ष वही बजट सामने आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी के घर में हमेशा घाटा चलता रहे तो वह घर तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिये सोचना पड़ेगा कि घाटा किस जगह और क्यों है? अभी बजट के अन्दर 1-10-71 से 1-2-72 तक 4 करोड़ का आर्थिक भार पड़ा क्योंकि कर्मचारियों को तदर्थ राहत दी गयी और वह छोटे कर्मचारियों को दी गयी है। मैं समझता हूं कि हम अगर समाजवाद लाना चाहते हैं तो उसके पहले समाजीकरण करना पड़ेगा और समाजीकरण ही समाजवाद की पहली सीढ़ी है। अगर हम छोटे कर्मचारियों को लें जिनमें छोटे अध्यापक भी आते हैं जो 8 घन्टे पढ़ाते हैं और उनको 150 रुपया मिलता है और दूसरी तरफ 2 घन्टे पढ़ाने वाले लेक्चरार को हजार रुपया मिले तो मैं समझता हूं कि यह उचित प्रतीत नहीं होता? तो हमें समाजीकरण तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें डट कर रहना पड़ेगा। आज छोटे कर्मचारियों को हम छोटी तनख्वाहें देकर राजी करते हैं और उसके 5 बच्चे हैं जब कि दूसरी तरफ आई. ए. एस. और आर. ए. एस. हैं उसके भी 5 बच्चे हैं तो दोनों में कितना अन्तर हमने रखा है। इसका प्रमाण साफ है कि जहां भी हमने आन्दोलन देखे कि छोटे कर्मचारी ही विधान सभा के समक्ष आये और जुलूस निकाला लेकिन मैंने नहीं देखा कि आई. ए. एस. या आर. ए. एस. कोई विधान सभा के सामने कभी आये हों। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी पहले ही पूर्ति हो जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर समाजवाद की पहली सीढ़ी को प्राप्त करना चाहते हैं तो साधनों में, जीपों में और दूसरी चीजों में कटौती करनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो आप हजार, पन्द्रह सौ रुपया तनख्वाह देते हैं और नीचे वाले को उसके गुजारे के लायक भी नहीं देते तो मेरा ख्याल है कि समाजीकरण करना पड़ेगा। तो सभापति महोदय, हमें वित्तीय आय के सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि वेतन और अन्य साधन फर्नीचर आदि में भी कटौती करनी पड़ेगी। अगर 20 रुपये की कुर्सी है उसके ऊपर बैठ कर काम कर सकते हैं त

(श्री शंकरसिंह)

फिर क्या जरूरत है कि 150-200 रुपये की कुर्सी घूमने वाली दी जाये। हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम 250 रुपये की कुर्सी पर बैठें। आज सभापति महोदय, सौभाग्य की बात है कि 145 सदस्यों का बहुमत पहली बार हुआ और आज तक नहीं हुआ और मुझे आशा है कि काम होगा और जो काम हमने हाथ में लिये हैं उनकी क्रियान्विति कर देते हैं तो शायद 145 से बढ़ कर आगामी चुनावों में और भी ज्यादा बहुमत मिल सकता है। तो इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन था कि कई विभाग ऐसे हैं कि जिनके लिए मैं निवेदन करूं जैसे वन विभाग को ले लें सदन के सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि वन तो कट चुके हैं और वन कट जायें और विभाग खड़ा रहे तो उस विभाग को क्यों रखा जाये? फिर उस विभाग के रखने से क्या फायदा? या तो उस विभाग को हटा दें क्योंकि वन तो कट गये जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं। इसी प्रकार से आप परिवार नियोजन विभाग को ले लें। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन तो हमें शिक्षा के द्वारा या प्रचार के आधार पर करना है कि ज्यादा संतान पैदा करने से हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है। यह काम प्रचार के जरिये हो सकता है और अब लोग इसको अच्छी तरह से जानने लग गये हैं। अगर परिवार नियोजन को विधवा आश्रम में बतायें तो उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इन बातों को लेकर और खर्चा करके परिवार नियोजन करते रहें तो इससे फायदा होने वाला नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि इस विभाग से हमें क्या लाभ है? हमारे बुजुर्ग जानते थे कि ज्यादा इन्सान और ज्यादा मकान भी अच्छे नहीं हैं। आज हम सम्पत्ति पर सीलिंग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अब हमें एक व्यक्ति के पास ज्यादा सम्पत्ति बुरी लगने लग गयी है। अब ज्यादा इन्सान हो गए तो वह भी बुरे लगने लग गए। इस विभाग के कारण हम लाखों रुपयों का खर्चा करते रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी यह मान्यता है कि जैसे वन विभाग हैं इसी तरह से परिवार नियोजन विभाग हैं इनमें भी हमें कटौती करनी पड़ेगी।

इसके अलावा मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कृषकों का सवाल है हम कहते हैं कि 80 प्रतिशत खेती करने वाले हैं और वे गांवों में रहते हैं और बाकी की 20 प्रतिशत जनता शहरों में रहती है। पर हमें न तो गांवों से मतलब है और न शहरों से मतलब है। हमें तो इन्सान के लिए काम करना चाहिए। शहरों का काम शहरों के लायक होना चाहिए और गांवों का काम गांवों के लायक होना चाहिए। जहां तक अन्न का सवाल है यह जरूर है कि हम अमेरिका वगैरह से अनाज मंगाते थे और आज हम उनके ऊपर निर्भर नहीं हैं क्योंकि हमने ज्यादा अनाज पैदा किया है लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हम बिजली देते हैं और आज बिजली की हालत यह है कि एक गांव में हमने पांच कुओं पर बिजली दे दी तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमने फलां गांव को बिजली दे दी। होना यह चाहिये कि जिले के एक भाग को हम पहले ले लें

(श्री शङ्करसिंह)
और उसमें विद्युतिकरण करते जायें और उस कार्यक्रम को पूरा करें तो हम यह कह सकते हैं कि इस जिले के आधे भाग में विद्युतिकरण हो चुका है। लेकिन एक कुए पर बिजली चली गयी तो हम कह देते हैं कि पूरे गांव को बिजली दे दी। आज काश्तकार जब कि बड़ी मुश्किल से कुए पर पम्पिंग सेट लगाता है, ऋण की व्यवस्था करता है, खाद और बीज की व्यवस्था करता है और उसके बाद भी उसको विद्युत् नहीं दी जाये तो मेरा आपसे निवेदन है कि विद्युत् मंत्रीजी इस बात को जरूर ख्याल में रखें कि हमने जनता से बहुत वादे किये हैं और हमने काश्तकारों के अन्दर उनको समझाया है कि हम गरीबी दूर करेंगे, गांव-गांव में बिजली और पानी का प्रबन्ध करेंगे--कहीं ऐसा न हो कि गरीब मर जाये और जब गरीब मर जायेगा तो फिर हम गरीबी क्या मिटायेंगे? आज कृषकों के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक कृषकों का सवाल है किसानों के लिए तो हमारी सरकार ने कहा था :

"किसान डरकर दुख उठाए और जालिमों की लातें खाए उससे मुझे शर्म आती है। मेरे जी में आता है कि किसान को कंगाल न रहने देकर खड़ा कर दूं और स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके चलने वाला बना दूं। इतना करके मरूं तो अपना जीवन सफल समझूं।"

ये सरदार पटेल के शब्द हैं। इसलिए मोटे अनाज के ऊपर टैक्स आप लगाते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि क्या यह अच्छी बात है? जिस मोटे अनाज को वह खाता है उसी पर टैक्स। जो गरीब है उसके ऊपर आप टैक्स लगायें तो हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि काश्तकार का सीधा सम्बन्ध राज्य से है, लेकिन जो किसान छोटा मोटा खाना खाता है उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगा दे तो उसकी भी आस्था सरकार में नहीं रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो विद्युत् का प्रकाश लाना चाहते हैं और एक गांव में किसी कुए को बिजली दे देते हैं तो आप कह देते हैं कि हमने गांव का विद्युतिकरण कर दिया, यह उचित नहीं है।

जहां तक उद्योगों की बात है मैं थोड़ा नसीराबाद के लिए कह देना चाहता हूं। सभापति महोदय, वहां पर सारे लोग बीड़ी बनाने का धन्धा करते हैं। 19 जुलाई, 71 को हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने कहा था कि हम यहां पर बीड़ी का उद्योग स्थापित करेंगे और उन्होंने इसकी घोषणा की थी। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने भी नसीराबाद में कहा कि जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन अभी उद्योग मंत्री महोदय से भी मैंने विधान सभा में क्वेश्चन पूछा तो मुझे बताया गया कि पहले टोंक में करेंगे। टोंक में करना चाहते हैं तो जरूर करें लेकिन नसीराबाद से इतनी नफरत क्यों है? वहां पर भी गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। उद्योगों का जहां तक सवाल है मेरा कहना है कि खेतों पर बिजली देते हैं तो वहां पर जो अभी पांच

(श्री शङ्करसिंह)

आदमी काम करते हैं उनकी जगह दो आदमी ही काम करेंगे तो बाकी के तीन आदमियों के लिए काम की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसके लिए उद्योगों को पनपाना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त शिक्षा का जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, गांव में शिक्षा देना चाहते हैं और बजट में एक हजार स्कूलें खोलने का रखा है। इसके लिए वित्त मंत्री जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह होना चाहिए लेकिन इसके लिए जहां हम बिल्डिंग्स बनाएं, आज शिक्षा पंचायत समितियों को दे रखी है, गांवों में जो मकान बनाए तो उसके लिए पहले यह कहा जाता है कि गांव वाले श्रमदान करें जब शहरों में ऐसा नहीं होता तो गांवों के लिए ही यह क्यों हो? यह चीज नहीं होनी चाहिए। गांवों में ही ऐसा क्या है? एक तरफ तो गांवों को उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जाती हैं। यह जरूर है कि आज तो हानि ही हानि की बात करते हैं। हानि को भी हमें सहन करना पड़ेगा यदि गरीबों को ऊपर उठाना है। आज कोई डूबता है पानी में तो उस डूबते हुए को निकालने के लिए पहले खुद को डूबना पड़ेगा तभी जाकर उसको निकाल सकेंगे। आर्थिक वजन अगर आता है तो गांवों के लिए उसको भी सहन करना पड़ेगा। कई और भी सोर्सेज हैं जिनसे यह कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जहां तक शिक्षा का सवाल है अजमेर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, मैं अजमेर प्रोपर के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर दो दो महान तीर्थ स्थान हैं। ख्वाजा साहिब की दरगाह है और पुष्कर का तीर्थ स्थान भी है, जहां भारत के कौने कौने से और विदेशों से भी लोग आते हैं। आज वहां की सड़कें इस प्रकार रखी जायं यह कहां तक उचित है? विश्वविद्यालय के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने खुद ने घोषणा की है कि अजमेर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जावेगी लेकिन इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के लिए विश्वविद्यालय के बारे में भी इसमें अंकित करना चाहिए।

इसके अलावा यातायात का जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, बारह लाख रुपये हर साल अजमेर जिले को दिया जाता रहा है। आज यह सुन कर दुःख हुआ कि अजमेर जिले को बारह लाख की जगह दो लाख रुपया ही कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसे तीर्थ स्थान पर जिसने कि राजस्थान सरकार को और केन्द्रीय सरकार को भी फायदा होता है, वहां का यातायात सुचारु रखने के लिए कम से कम हमें बारह लाख देना चाहिए और हमारी इस मांग को पूरा करना चाहिए।

इसके अलावा चिकित्सा का जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, आज इन्सान के लिए स्वास्थ्य सर्वोपरि है। एक पुरानी कहावत में भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह क्या कार्य करेगा। आज नसीराबाद के अन्दर क्या स्थिति है?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री शङ्करसिंह)

नसीराबाद वह स्थान है जहां आबादी के साथ साथ फौजी भी रहते हैं, फौजियों की छावनी है, केन्टोन्मेंट बोर्ड है। ऐसी जगह पर आप वहां का अस्पताल किराये को बिल्डिंग में चलावें यह सोचने की बात है। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्रीजी से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम किराये के भवन को छोड़ कर अस्पताल का भवन बनाने की शुरूआत तो करिए और नसीराबाद के लिए कम से कम यह घोषणा करिये ताकि वहां अस्पताल का अपना भवन हो सके। आज वहां पर फौजी रहते हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी दी है और उनके आधार पर हम यहां विधान सभा में बैठे हुए हैं, तो वह तो ऐसा स्थान है जो सबको बचाने का स्थान है, देश की सुरक्षा का तीर्थ स्थान मान कर ही इसकी व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं तो ज्यादा लम्बा चौडा भाषण नहीं देना चाहता, अभी समाप्त कर रहा हूं। आज अस्पतालों में दवाइयों के लिए क्या है? केवल वेतनों के अलावा बाकी इन्सान के लिए कुछ नहीं है। डाक्टर बैठा है कोई मरीज जाता है तो उसको चिट्ठी लिख देते हैं कि बाजार से दवाई ले आओ। जब अस्पताल हैं तो उसमें गरीबों के लिए दवाइयों की सुविधा भी होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

जहां तक अजमेर जिले की सिंचाई की सुविधाओं का संबंध है, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के अन्दर कम से कम हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है। आज जैसा कि 11 जिलों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है तो अजमेर जिले को भी घोषित किया जाना चाहिए था। यह जरूर है कि वहां पर मार्जिनल फार्मिंग शुरू की गई है लेकिन वहां की जो विशेष स्थिति है उसको देखते हुए 11 जिलों के साथ अजमेर जिले को बारहवां जिला अकाल ग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए और सिंचाई के जो ज्यादा साधन हैं, उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। चम्बल के अन्दर से लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा अजमेर जिले को जोड़ने की बात है तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा और बातों पर नहीं जाकर मैं चान्दी के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजा और महाराजाओं के राज में अनुसूचित जाति के लोगों को चान्दी पहनने की सख्त मनाई थी। वे कहते थे कि चान्दी के गहने तुम पहनने लग गए तो हम कहां जायेंगे। अगर आज वही परिस्थिति गरीबों के साथ होती है तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं हो सकती।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके लिए भी सोचना पड़ेगा।

और इसके साथ ही जहां तक पेयजल का सम्बन्ध है, सभी माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है। अजमेर जिले के लिए मैं निवेदन करूं कि अजमेर जिला पिछड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय में पहले यह जिला अंग्रेजों के साथ था, फिर यह केन्द्रीय सरकार के साथ रहा और आज राजस्थान के साथ

(श्री शङ्करसिंह)
है। इसलिए आपको अजमेर जिले को सारी बातों की सुविधा देने के लिए सोचना चाहिए।

मैं पुनः वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट रखा है, उसके लिए कहना चाहता हूँ कि बजट तो जरूर रखना चाहिए लेकिन इसका जरूर ध्यान रखें कि जो बजट रखा है उसका सही सदुपयोग हो। फेमिन के टाईम में भी देखा है कि जितनी सड़कें बनाई उनका यह हाल है कि एक दिन में पी. डब्ल्यू. डी. रेट से जितनी धनराशि खर्च होकर एक माइल की सड़क बनती है। तो उसकी जगह आधा माइल सड़क ही फेमिन में बनी है। इस प्रकार जो खर्चा होता है वह हर इन्सान, हर नागरिक के पास से निकलता है, यह टैक्स के रूप में निकले चाहे किसी रूप में निकले इसकी जिम्मेदारी सबकी है। इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैं पुनः वित्त मंत्री महोदय का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि आपने जो भी बजट बनाया है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए सुझावों को ध्यान में रख कर परिवर्तन करेंगे और खास कर कृषि, शिक्षा, विद्युत् इन पर ज्यादा जोर देकर, ज्यादा बजट को दूसरी तरफ से घटा कर इधर की तरफ खर्च करने की कृपा करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन के अन्दर सारे वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने इस वर्ष के बजट के अन्दर इस बात को जरूर इंगित किया है कि वह समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण के अन्दर गरीबी मिटाने के लिए और बेरोजगारी मिटाने के लिए प्रयास किया है। इस कार्य के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सहयोग मिला, जो प्रोग्राम चालू किया है, उसका भी उल्लेख किया है और जो प्रयास किया जा रहा है, वह निश्चय ही उल्लेखनीय है। लेकिन इसमें शुरूआत पिछले वर्ष से की गई थी इसलिए अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते कि इसका हमें क्या लाभ मिलने वाला है और बेरोजगारी मिटाने के अन्दर हम उस प्रोग्राम के जरिए कहां तक सफल हो पाए हैं? मैं समझता हूं अभी तक हमारे मन में इस बारे में आशंका बनी हुई है।

हमारे राजस्थान की एक विशेष भौगोलिक स्थिति है और विशेष भौगोलिक स्थिति होने के कारण कुछ विशेष आर्थिक समस्यायें भी हैं। इसलिए राजस्थान पर हमेशा आर्थिक दृष्टि से सवाल बना रहता है, बहुत बड़ा बोझ राजस्थान सरकार पर बना रहता है। पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, कि सरकार हमेशा घाटे का बजट बना रही है और जो भी वित्तीय साधन जुटाये जाते हैं, जो प्रोग्राम और तरीके काम में लिए जाते हैं, वे दकियानूसी और पुराने हैं। इस प्रकार के साधनों से मैं यह नहीं मान सकता कि हमें समाजवाद की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। आज, सभापति महोदय, यह बहुत ही

(श्री भगराज चौधरी)

गम्भीर विषय है। हमें सोचना होगा कि प्रान्त की इस प्रकार की आर्थिक स्थिति होने का कारण क्या है? वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में इस साल कुल मिला कर राज्य की जो आय बताई है वह 211 करोड़ 51 लाख है और इसी साल मे जो खर्चा बताया है वह 228 करोड़ 30 लाख बताया है। यह उन्होंने राजस्व खाते की आय और खर्च बताया है। इस तरह आय और खर्चे का अनुमान लगाते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आय कम हुई है और खर्चा हमें ज्यादा करना है। दोनों का मिलान करने से मालूम पड़ता है कि कुल मिलाकर 17 करोड़ के आसपास हमारे राजस्व खाते में घाटा रह जाता है। राजस्व खाते के अलावा पूंजी खाते में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसके अन्दर भी 14 करोड़ के आसपास घाटा बताया है दोनों मदों को मिलाने के बाद राजस्व खाते में घाटा होता है और इन दोनों को मिलाने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह घाटा कुल मिलाकर 31 करोड़ के आस-पास पहुँच जाता है। इतना घाटा होने के बावजूद आज ओवरड्राफ्ट की समस्या हमारी सरकार के सामने है, यह उसका सिरदर्द बनी हुई है। यह एक शोचनीय स्थिति है। हमने देखा है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कर्जा लिया है और वह उसका चुकारा कर रही है और राज्य सरकार को 40 करोड़ के आस-पास उसका ब्याज देना पड़ता है और कुल मिला कर 41 करोड़ के आस-पास पुराना कर्जा है। इसके पेटे सरकार को ब्याज देना पड़ रहा है। यह शोचनीय बात है। जब हम इस साल के शिक्षा के बजट को देखते हैं तो वह करीब 40 करोड़ के आसपास है याने जितना शिक्षा पर हम खर्च करने वाले हैं उतना का उतना पैसा केन्द्रीय सरकार को ब्याज के रूप में दे रहे हैं। इसके अलावा भी केन्द्रीय सरकार के अलावा और भी कर्जा है राज्य सरकार पर। इसकी भी बड़ी धन राशि है। वह कुल मिलाकर 643 करोड़, ऐसा बताया गया है तो और घाटा जुड़ता है और ओवरड्राफ्ट की रकम जुड़ती है और तीनों मदों को मिलाकर यह राशि 750 करोड़ के आस-पास पहुंच जाती है। इस साल का जो घाटा है वह भी पूरा नहीं कर पायेंगे। जो ओवरड्राफ्ट है वह भी कर्जे के रूप में है। उसके चुकारे के रूप में 0 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में देनी पड़ रही है। कुल मिलाकर यह 750 करोड़ के आस-पास पहुंच गया है। ऐसी हालत नहीं लगती जिससे हम कह सकें कि दस साल के बाद यह सारी राशि हम चुका पायेंगे। मैं समझता हूं कि कोई सरकार, चाहे वह प्रान्त की हो, देश की हो, जब आय कम होगी और खर्चा अधिक होगा तो वह सरकार कभी भी उस घाटे को पूरा नहीं कर पायेगी। यह खुशी की बात है कि हमारे वित्त मंत्रीजी ऐसे वर्ग में से आये हैं जो कि व्यापारी वर्ग है और व्यापारी का यह कर्तव्य होता है कि वह खर्चे और आय को देख कर कदम उठावे और उसी के अनुरूप हमारी योजनाओं पर खर्चा हो। यह हो सकता है कि हमारी सरकार की कुछ मजबूरियां रही हों। हमारा राज्य विकास के दौर से गुजर रहा है और जनता की आंकाक्षाओं और भावनाओं को हमें पूरा करना पड़ेगा और इसके

(श्री भगंराज चौधरी)

लिये सरकार को साधन जुटाने पड़ेंगे और खर्चा भी अधिक करना पड़ेगा और इस तरह सरकार को घाटे में चलना पड़ता है, यह मैं मानता हूं। परन्तु इसके अलावा इस सरकार की भी कुछ कमजोरियां हैं। वे कमजोरियां क्या हैं, इसका मैं यहां पर संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

सरकार ने जो भी आय के साधन बताये हैं उन सब में सब से बड़ा सहारा कर प्रणाली का लिया है। इस प्रकार को कतई कोशिश नहीं की है कि जो नान टैक्स रेवेन्यू है, जो कर रहित रेवेन्यू है, उसके जरिये सरकार अपनी आय को बढ़ावे। तो कर रहित कौन से साधन हो सकते हैं ? मैं समझता हूं कि इसमें हमारी माइन्स हो सकती हैं, मेटल्स हो सकते हैं। हमारे जंगलात हो सकते हैं, हमारी खेती-बाड़ी हो सकती है, सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग धन्धे हो सकते हैं। यानी वे सारे धन्धे जिनमें कि आम तौर से बड़ी पूंजी लगा है और पूंजी लगने के बाद जो फायदा मिलना चाहिये, वह सरकार नहीं ले पाती है। मैं समय को देखते हुए ज्यादा समय नहीं लेना चाहता सभापति महोदय, सिर्फ एक दृष्टांत रूप में माननीय सदस्यों और सरकार के रिप्रिजेन्टेटिव, मन्त्री महोदय जो बैठे हुए हैं, उनका ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार का एक मद है, जिसे आर्थिक मद कहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण को समझाने के लिये खर्चा कर रहे हैं अन्यथा खर्चा करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और वह है जंगलात। 15-20 वर्षों से हम इस पर खर्चा कर रहे हैं। इसका मैं खास तौर से वर्णन करना चाहूंगा और आप देखेंगे कि लगातार इस पर घाटा हो रहा है। 51 से लगातार इसमें घाटा हो रहा है और अब कुल पैदा हुई है तो वह 5 लाख की पैदा हुई है। जो मद धीरे-धीरे घाटे में चला गया और उससे कितनी आय पैदा हो गई ? पैदा हो गई 33 परसेन्ट और उस पर खर्चा हो गया 100 परसेन्ट सिर्फ 65-66 के मद में 103 करोड़ का खर्चा हुआ और हमारी पैदा हुई 108 करोड़ कुल मिला कर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है इस जंगलात की उस पर आज 290 लाख का खर्चा हो रहा है और पैदा हो रही है उससे 90 लाख सालाना। यह उस जंगलात का हाल है जिसे कि हम आर्थिक मद कहते हैं। सरकार जिसे हमारी आय का साधन मान कर चलती है उस पर हमें दो करोड़ का घाटा हो रहा है। इस जंगलात की शुरूआत की स्थिति क्या थी ? वे उस समय पैदा करते थे। इस पर हमने खर्चे की राशि बढ़ाई और उसका नतीजा हमको मिल गया। हम कहते है कि जंगलात के बिना बरसात कम होती है। इसके लिये हमने प्लान बनाया। माफ कीजिये मुझे यह कहने से, जिस प्रान्त की स्थिति आर्थिक दृष्टि से शोचनीय हो, वह आखिर ऐसी कोरी भावनाओं में बह कर कितना पैसा इस पर खर्च करेगा ? मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये और आखिरकार इस पर सोचना होगा। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं सभापति महोदय, वहाँ के जंगलात पर 2 लाख रुपयों से ज्यादा खर्च होता है, यह स्टेबलिशमेन्ट और स्टाफ पर खर्च है और उनके दूसरे कई प्रकार के एक्सपेन्डीचर और खर्च हैं और कुल पैदावार होती है

(श्री भगराज चौधरी)

उससे 18 हजार रुपये। तो यह स्थिति क्यों हैं, जंगलात की इस पर आपको विचार करना चाहिये और कोई रास्ता निकालना चाहिये। (समय समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, थोड़ा माफ करें, कुछ समय और लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने खर्च के साधनों को घटाये और उसमें कमी करे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कमी करनी चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने सविस्तार से इस विषय पर कहा है। मेरे विचार में सरकार का यह एक व्हाइट ऐलीफेन्ट है और सरकार इनके लिये नये नये पद कायम कर के ऊंचे दर्जे के अधिकारीगणों को यहां पर बैठा रही है। राजस्थान एक गरीब प्रान्त है, इसकी ढ़ाई करोड़ की आबादी है और राज्य के सीमिति साधनों को देखते हुए इतने बड़े आई. ए. एस. आफीसरों को हमारे यहां पर जरूरत नहीं है। आई. ए. एस. में सिलेक्शन होने के बाद कोई हमारे प्रान्त का आप्शन देता है और हमारी सरकार उनको लेना मन्जूर कर लेती है तो सरकार को उनसे यह मन्जूर करवाना चाहिये कि जो आई.ए. एस.आफिसर को सीनियर स्केल हमारे यहां पर है, वही 800 की ग्रेड उनको दी जायेगी। दूसरे प्रान्तों की सीनियर स्केल देना जरूरी नहीं है। आखिर में जो नये आफिसर आते हैं उन्होंने ही कोई बुद्धि का ठेका नहीं ले रखा है? इसलिये हमें प्रशासन के खर्च में कमी करनी चाहिये।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें कुछ ऐसी योजनाओं के मद पर इस प्रकार से खर्च करना चाहिये जिससे कि उनसे आगे जाकर पैदा हमें मिल सके। खेती बाड़ी, सिंचाई, बिजली इन पर हमें ढंग से खर्च करना चाहिये ताकि आगे जाकर इनसे हमें फायदा मिले (घंटी) हमारे प्रान्त की 50 फीसदी पैदा खेती से होती है। इसको सुधारे तो हमारे प्रान्त को फायदा मिलेगा। एक साल 70–71 में हमारी कृषि पैदावार में कमी हो गई। खेती की पैदावार में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति की आय में गिरावट आ गई और हमारे राज्य की आय में भी गिरावट आई। याने खेती की पैदावार कम होने से हमारे राज्य की आय भी गिर गई। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला सब से मोटा अंग है खेती। इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिये। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) इसको सुधारने के लिये टैक्स प्रणाली का सहारा लिया गया है और एक विकासशील देश को टैक्स का ही सहारा लेना पड़ता है। तो टैक्स कौन कौन से लगाये जायें, जिनसे कि समाजवाद की तरफ बढ़ने का हमारे राज्य का लक्ष्य है वह पूरा हो सके। हमारे वित्त मंत्री महोदय समाजवाद की बात करते हैं परन्तु उनके बजट को देखने से ऐसा लगता है कि यह बजट पूंजीवादी है, इसके विचार भी पूंजीवादी हैं। जितने आइटम पर उन्होंने टैक्स लगाये हैं, उसमें एक भी ऐसा आइटम नहीं है जिससे उच्च वर्ग के लोग प्रभावित होते हों, जो मालदार आदमी हैं, उन पर यह टैक्स पड़ता हो। उन्होंने दाल, अनाज पर टैक्स लगाने की बात कही है। संक्षेप में मैं यह बताना चाहता हूं इसके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं

(श्री भगराज चौधरी)

माननीय वित्त मंत्रीजी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आप टैक्स लगायें तो ऐसे लगायें जिनका असर गरीब तबके पर न पड़े और उस तबके के ऊपर पड़े जो देने की हालत में है आप इलेक्ट्रिक गुड्स, रेफ्रिजिरेटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, कूलर्स, टयूबलाइट, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वाटर मीटर्स, ये हैं और इनके अलावा कास्मेटिक्स हैं, रेशमी क्लाथ है, रेडियो, पैट्रोल, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, आइल, मोटर्स. मोटर पार्ट्स आदि हैं, इन पर आपने बिक्री कर नहीं लगाया है । मोटरों की बिक्री होती है तो मोटरों की बिक्री के मोस्ट इम्पार्टेण्ट आइटम को आपने छोड़ दिया । इसका मतलब यह है कि आप व्यापारी वर्ग के हैं इसलिए सोचते हैं कि कैसे उन्हें फायदा दिलाया जाय, कैसे उच्च क्लास को फायदा दिलायें ? इसलिए आपने मोटर सेल्स पर टैक्स नहीं लगाया है। स्कूटर्स पर नहीं लगाया है । मोटर व स्कूटर्स के पार्ट्स पर नहीं लगाया है, फर्नीचर पर नहीं लगाया है, लेदर है और लेदर से बने हुए गुड्स हैं उन पर नही लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि वे अमीर वर्ग के काम में आते हैं। इन पर टैक्स लगाने की जरूरत है । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और सुझाव रखूंगा . .

श्री उपाध्यक्ष : फिर अनुदान मांगों पर कह दें।

श्री भगराज चौधरी : रोडवेज का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और जितने भी खनिज उद्योग हैं माइन्स एण्ड मेटल्स के उनको सरकार अपने हाथ में ले ताकि सरकार को ज्यादे से ज्यादा आय हो। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) और देश और प्रान्त का कल्याण करें और अपने प्रान्त की तरक्की करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी ।
(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र सिकराय ।

श्री मुन्शीलाल ।
(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंहजी।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : श्री रामचन्द्रजी (सिकराय) खड़े हुए हैं।

श्री रामचन्द्र (सिकराय) : 5 मिनिट ही रह गये हैं ।

कई माननीय सदस्य : और बढ़ा देंगे।

श्री रामचन्द्र (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में समर्थन करते हुए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं । बिजली लगाने के बारे में निवेदन करूंगा कि बिजली लगाने के बारे में इस इस साल बजट में प्रावधान रखा है जो कि बड़ी खुशी की बात है। बहुत से किसानों को कुओं पर बिजली लगाने का मौका मिलेगा। मेरे क्षेत्र सिकराय में 19 पंचायतें आती हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा कि सन् 1954 में दौसा से लालसोट तक बिजली के खम्भे गाढ़ दिये गये थे, वे आज तक ज्यों के त्यों गढ़े हुए हैं, लेकिन उन पर तार आज तक नहीं खिंच पाये हैं और हर साल बजट पास होता रहता है। क्या यह

(श्री रामचन्द्र)

राज्य सरकार की कमजोरी नहीं है ? इस साल भी क्या वह लाइन ऐसे ही रह जायगी या उसमें कामयाबी मिलेगी ? वे सन् 54 से खम्भे खड़े हुए हैं। दौसा से तीन मील दूर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री जयनारायण जी व्यास के वक्त में रामकरणजी की कोठी पर जाने की उनकी तारीख तय हुई थी तो इस वजह से तीन मील तक तो बिजली पहुंच गई है उसके अलावा आज वहां पर कोई काम नहीं हुआ। उससे गवर्नमेंट का ही नुकसान हो रहा है, सरकार का उससे नुकसान ही हुआ है। तो क्या 54 से आज तक इन 18 सालों में राजस्थान सरकार ने, हमारी समाजवादी सरकार ने सोचा है कि वे खम्भे खड़े हैं उन पर तार खिचवादें तो क्या हो ?

हमारे इलाके में सड़कों की यह हालत है आज तक राज्यों के जमाने की बनी हुई रोड्स ही हैं। उसके आसपास कहीं भी राजस्थान सरकार ने कोई दूसरा विकास का काम नहीं बढ़ाया है। एक छोटी सी सड़क दौसा से 5–6 मील पर लवाण कस्बा पड़ता है जो कि बन्सीलालजी के इलाके में जाती है वह भी 2–3 साल से बन रही है। इस तरह से बनाने का मतलब यह है कि रास्ते को और खराब कर दिया है जिसकी वजह से बैलगाड़ी वाले वहां से निकल नहीं सकते हैं। दूर होकर रास्ता निकालना पड़ता है। अभी मैंने इन्जीनियर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस साल एक मील तो हो ही जायगी। अच्छा साहब, एक मील सही, दो मील सही। मोटर निकलने के बाद वह रास्ता एकदम खराब हो जाता है और चौमासे में तो रास्ता इतना खराब हो जाता है कि बस तो क्या मेरे ख्याल से पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता है। मेरे क्षेत्र में राजाओं के राज्य के अलावा आज तक एक पैसे का भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। किसी वक्त में मिनिस्टर साहब को ले चलूंगा और दिखाऊंगा। आज तक वहां के लोगों को मालूम नहीं हुआ कि राजाओं का राज्य खत्म हो गया है और समाजवादी सरकार बन गई है क्या फर्क आया है यह नहीं मालूम पड़ा है। स्कूल वगैरह तो बने हैं। यह तो मेरा मतलब नहीं है कि कुछ भी विकास नहीं हुआ हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं उनसे कोई लाभ वहां के लोगों को हुआ हो ऐसा नहीं दिखता है। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा कि यह जो बिजली या सड़क वाली बात है वह वाजिब तरीके की है और राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देने की कृपा करेगी। हमारे वहां पर पानी काफी है और पानी मीठा भी है। अगर बिजली मिलेगी तो अधिक उत्पादन बढ़ सकता हैं और उसमें हमें कामयाबी मिलेगी।

स्कूलों के बारे में कुछ निवेदन नहीं करना है। अच्छी बात है कि आप प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाना चाहते हैं। वह सराहनीय बात है।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, जब तक माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त न करें तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक का बढ़ाया जाता है।

श्री रामचन्द्र : जल-प्रदाय योजना के बारे में निवेदन करूंगा। इसका भी हर साल बजट पेश होता रहता है, लेकिन जयपुर के जल की समस्या आज तक हल नहीं हो सकी है। जमुआ रामगढ़ के बन्धे से हमारे इलाके की सैंकड़ों एकड़, शायद हजारों एकड़ जमीन में पिलाई हुआ करती थी। जमुआ-रामगढ़ के बन्धे से जमुआ-रामगढ़, बस्सी और दौसा इन तीन तहसीलों की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हुआ करती थी। उसके बन्द होने से वह जमीन बेकार हो गई है और कुओं में पानी पर्याप्त नहीं मिलता है और मिलता है तो खारा पानी निकलता है। इससे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या राजस्थान सरकार इस पर पुनः विचार नहीं कर सकती है कि जिस तरह से जयपुर को पानी दिया गया है और हमें यह जवाब दे दिया गया है इसका पानी नहीं दिया जायगा क्योंकि जयपुर वालों के लिए पानी कहां से आये-मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जयपुर वालों को पानी नहीं दिया जाय, लेकिन जयपुर वालों के पानी का इन्तजाम दूसरी जगह से किया जाय और बन्धे का पानी उनके लिए रोका नहीं जाय और उसका पानी वापिस इन तहसीलों को दे दिया जाय जयपुर वालों के लिए बन्धा नहीं था। इस बारे में राजस्थान सरकार ने आज तक विचार नहीं किया होगा।

तीसरी बात यह है कि आवास गृह निर्माण के लिए प्रावधान रखा गया है यह एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि जो हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जायंगी और उनके जरिये से अनुदान और ऋण पंचायत समितियों से मिलेगा तो इसमें मेरा अर्ज करना इतना ही है कि सहकारी विभाग का पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए तब तो यह काम सफल हो सकता है।

चौथा सवाल है यह, आपने पिछड़ी जातियों के लिए बजट में प्रावधान रखा है। राज्य सेवा के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। वह स्थान उन्हीं के उपयोग में आयें, इसलिए सुरक्षित रखे जाते हैं। लेकिन उनकी कागजी पूर्ति करके उन स्थानों से उनको वंचित रखा जाता है।

इसके अलावा मैं टैक्स के बारे में निवेदन करूंगा। रासायनिक खाद पर जो टैक्स लगा दिया गया है, उसके बारे में कहूंगा कि काश्तकारों की टैक्स देने की हालत नहीं है। सरकार ने किसानों का कोई सुधार नहीं किया है। पांच साल पहले से अब हालत और ज्यादा खराब हो गई है। सन् 66 के आसपास जो एक कट्टा 16 रुपये के भाव से मिलता था, अब उसका 32 रुपये का भाव हो गया है। जहां तक पैदावार बढ़ाने का सवाल है, तो जो सांगानेर कृषि फार्म का उन्नत बीज आता है तो वह एक क्विण्टल 800 रु. में मिलता है। 800 रु. क्विन्टल बीज लेकर किसान बोता है। उससे पैदावार तो बढ़ती है लेकिन किसान को फायदा इसलिए नहीं हुआ है कि उसको 800 रु. क्विण्टल बीज का देना पड़ा। एक क्विण्टल बीज के लिए उसको 11 क्विन्टल गेहूं अदा करना पड़ता है। जितनी पैदावार बढ़ती है, उतना

(श्री रामचन्द्र)

ही बीज में बराबर हो जाता है । इसलिए मैं अर्ज करूंगा, इस वक्त पश्चिमी राजस्थान में बरसात की वजह से, अकाल की वजह से गड़बड़ हो गई है । दूसरी जगह किसानों की हालात क्या हो गई है ? गिरदावरी जो हुई तो हमने पटवारियों के साथ में रहकर करवाई है । इसलिए मुझे मालूम है कि 12 आने खराबी हुई है । अगर कहीं पर कलेक्टर साहब आ गये तो अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाता है । अब की गेहूं में रुपये में 4 आना पैदावार निकलेगी । तो मैं निवेदन करूंगा, क्या राज्य सरकार ध्यान देगी ? पूर्वी राजस्थान के लिए क्या किया जा रहा है ? काश्तकारों के दिन कैसे निकलेंगे ? क्या बीज और खाद में सब्सिडी दी जाएगी ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अगर आप खाद पर टैक्स लगाते हैं तो आप को यह भी सोचना चाहिए कि इसके लिए आगे क्या किया जाये ? वह सोचें ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके आगे मैं थोड़ा सा निवेदन और करूंगा जो राजस्थान सरकार की स्थिति है, उसके अनुसार बजट बनाना पड़ता है । पर मैं दुख के साथ कहूंगा कि यह बजट तो पास होगा ही इसके पास होने के बाद ही मन्त्रियों को खर्चा करने का अधिकार है । मेरा यह निवेदन है कि इस बजट को समानता की दृष्टि से खर्च करें ताकि जो और लोग हैं उनको यह मालुम हो कि समानता की दृष्टि से हमको भी बजट का एक एक हिस्सा मिलता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक छोटी सी बात और है, राजस्थान में 26 जिले हैं । इसमें जयपुर जिले में जो लगान की रेट है, बन्दोबस्त में यह लगाई गई थी । महाराजा मानसिंहजी ने पहले ही प्रति बीघा लगान की जो रेट लगाई है, वह बहुत हाई रेट है । राजस्थान के बाकी जिलों में इससे कम है । मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे जितना ही और जिलों का हो जाये । यह मेरा मतलब नहीं है । मेरा मतलब यह है कि इसका समानीकरण होना चाहिए । गंगानगर में नहर से सिंचाई होती है । यहां पर कुओं के पानी से सिंचाई होती है । कुओं और बैलों से खेती करते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह तो राजाओं के जमाने की बात है । जनतन्त्र में ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कि समानीकरण हो जाये तो हम को सन्तोष हो । हमारी सरकार को लोकतन्त्र प्रणाली से यह दूर करना चाहिए, लगान में फर्क नहीं होना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह सब ने मान लिया है कि लगान एक समान होना चाहिए ।

श्री **सभापति** : सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 3 मई, 1972 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सायंकाल 6 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक, 3 मई, 1972 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 191 की सूची)

सन् 1971 में (4 बी. बटा. आर. ए. सी.) के कान्स्टेबलों के पदोन्नति की सूची:–

नं.	नाम	भर्ती की तारीख	योग्यता
1	2	3	4
1.	मुनीर खां नं. 174	3–4–65	लिट्रेट
2.	महावीर सिंह नं. 148	3–3–65	6 ठी पास
3.	देवीसिंह नं. 169	1–5–65	7 वीं पास
4.	रानीदान सिंह नं. 185	5–5–65	लिट्रेट
5.	गुलाब सिंह नं 266	8–5–65	8 वीं पास
6.	इन्द्रसिंह न. 214	8–5–65	लिट्रेट
7.	पूरनमल नं. 384	14–5–65	,,
8.	सकत सिंह नं. 381	17–5–65	,,
9.	केशरसिंह नं· 335	17–5–65	,,
10.	शिश पालाराम नं. 535	18–5–65	,,
11.	हरीसिंह नं. 592	20–5–65	5 वीं पास
12.	धर्मसिंह नं. 626	22–5–65	9 वीं पास
13.	राधेश्याम नं. 600	24–5–65	लिट्रेट
14.	धूलसिंह नं. 665	28–5–65	मिडिल
15.	बाबूसिंह नं 661	1–6–65	लिट्रेट
16.	जगदीशसिंह नं 445	6–7–68	एम. ए.
17.	हुकुम सिंह नं. 399	1–8–68	मैट्रिक
18.	सुखाराम नं. 274	1–8–68	हायर सेकेण्डरी
19.	सीताराम नं 334	1–8–68	मैट्रिक
20.	केशरसिंह नं. 319	19–1–69	,,

1972

1.	नं. 500 धीरसिंह	20–8–69	10 वीं पास
2.	नं. 545 पीरदानसिंह	19–7–68	मैट्रिक
3.	नं. 530 भागीरथ सिंह	17–9–65	9 वीं पास

1	2	3	4
4.	नं 514 बंशीधर	18-5-65	9 वीं पास
5.	नं. 571 रघुवीरसिंह	19-7-68	मैट्रिक
6.	नं 231 शुभ सिंह	3-7-67	8 वीं पास
7.	नं. 234 अमनसिंह	24-5-65	हिन्दी की जानकारी
8.	नं. 460 लक्ष्मन तिवारी	1-8-68	9 वीं पास
9.	नं. 176 समुदंर सिंह	10-3-65	8 वीं पास
10.	नं. 147 श्रवणसिंह	1-8-68	9 वीं पास
11.	नं. 468 संतराम	8-9-69	"
12.	नं 401 जगदीशानंद	29-1-68	8 वीं पास
13.	नं. 224 राजे सिंह	15-5-65	नान मैट्रिक
14.	नं. 300 जगरसिंह	15-5-65	7 वीं पास
15.	नं. 520 मदनसिंह	12-7-68	8 वीं पास
16.	नं 628 सुगनसिंह	28-10-68	9 वीं पास
17.	नं. 724 कल्याणसिंह	25-8-69	"
18.	नं 751 सुरयासिंह	10-8-67	8 वीं पास
19.	नं 186 रतनसिंह	14-8-67	मैट्रिक
29.	नं. 391 भगवानसिंह	10-1-67	"
21.	नं. 599 सुरेन्द्र सिंह	24-5-65	8 वीं पास
22.	नं 332 दलजीतसिंह	5-1-50	लिट्रेट
23.	नं. 579 हीरासिंह	22-5-66	"
24.	नं. 539 चंदीराम	18-5-65	5 वीं पास
25.	नं. 606 इन्द्रसिंह	24-5-66	8 वीं पास
26.	नं. 362 भीमसिंह	20-8-69	"
27.	नं 473 सुगनाराम	20-8-69	"
28.	नं. 571 शिवराजसिंह	20-5-65	"
29.	नं. 685 रेवतसिंह	24-5-65	8 वीं पास
30.	नं. 476 बाबूखां	28-8-69	10 वीं पास
31.	नं. 686 बहालसिंह	16-8-65	लिट्रेट
32.	नं. 262 मंगेजसिंह	1-8-68	9 वीं पास
33.	नं. 639 बुद्धीराम	23-5-65	"
34.	नं. 354 बालूखां	1-9-68	8 वीं पास
35.	नं. 648 टीकाराम	28-5-65	लिट्रेट
36.	नं. 463 गनपतसिंह	20-8-69	8 वीं पास

1	2	3	4
37. नं. 709	ईश्वरसिंह	1–7–65	लिट्रेट
38. नं. 658	बहादुरसिंह	21–11–50	,,
39. नं. 678	हरीसिंह	6–6–65	8 वीं पास
40. नं. 672	राजवीरसिंह	31–5–65	,,
41. नं. 480	देवीसिंह	1–9–57	लिट्रेट
42. नं. 179	विरमाराम	20–8–69	8 वीं पास
43. नं. 352	तुलसीराम	,,	मैट्रिक
44. नं. 492	खेतसिंह	19–3–68	8 वीं पास
45. नं. 382	मलमसिंह	17–5–65	लिट्रेट
46. नं. 470	भंवरसिंह	20–8–69	9 वीं पास
47. नं. 277	रामकुमार	6–7–67	,,
48. नं. 731	सुमेरसिंह	11–1–67	,,
49. नं. 483	करणसिंह	20–8–69	10 वीं पास
50. नं. 145	शैतानसिंह	10–8–67	8 वीं पास
51. न. 397	पाबुदानसिंह	19–5–56	3 री पास हिन्दी
52. नं. 502	नत्थीसिंह	7–4–53	3 री कक्षा उर्दू
53. नं. 679	श्रीराम	31–5–65	लिट्रेट
54. नं. 765	पिथाराम	26–5–51	हिन्दी जानता है
55 नं. 766	मजीद खां	25–12–65	लिट्रेट

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 192 की सूची)

Details of grant-in-aid received from Rajasthan Government and Government of India (Ministry of Education)

FINANCIAL YEAR	RAJASTHAN GOVERNMENT AMOUNT	GOVT. OF INDIA AMOUNT
1957—58	Rs. 20,000/—	—
1958—59	Rs. 60,000/—	—
1959—60	Rs. 2,00,000/—	Rs.19,931/39
1960—61	Rs. 3,00,000/—	Rs.30,218/38
1961—62	Rs. 3,93,100/—	Rs.21,683/39
1962—63	Rs. 4,25,000/—	Rs.20,000/—
1963—64	Rs. 4,50,000/—	Rs.20,000/—
1964—65	Rs. 5,32,900/—	Rs.20,000/—
1965—66	Rs. 5,45,200/—	Rs.20,000/—
1966—67	Rs. 5,00,000/—	Rs. 20,000/—
1967—68	Rs. 5,25,000/—	Rs.20,000/—
1968—69	Rs. 5,50,000/—	Rs.15,000/—
1969—70	Rs. 6,50,000/—	Rs.25,000/—
1970—71	Rs. 11,96,550/—	Rs.20,400/—
1971—72	Rs. 11,50,000/—	Rs.95,300/—

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 193 की सूची)

Statement of Expenditure incurred on the Head 'Reception to Journalist' for the year 1969-70.

Original Grant Rs. 8000/-

		Amount
1.	Public Relations Office, Ajmer	100
2.	Information Centre, Ajmer	100
3.	Rangmanch, Ajmer	50
4.	Public Relations Office, Alwar	100
5.	Information Centre, Alwar	100
6.	Public Relations Office, Barmer	100
7.	Public Relations Office, Bharatpur	100
8.	Public Relations Office, Bhilwara	100
9.	Public Relations Office, Bikaner	100
10.	Information Centre, Bikaner	100
11.	Public Relations Office, Churu	100
12.	Public Relations Office, Chittor	100
13.	Public Relations Office, Delhi	100
14.	Public Relations Office, Dungarpur	100
15.	Asstt. Public Relations Office, Banswara	50
16.	Public Relations Office, Ganganagar	100
17.	Public Relations Office, Jaipur	200
18.	Public Relations Office, Jaisalmer	100
19.	Public Relations Office, Jhunjhunu	100
20.	Asstt. P. R. O., Sikar	50
21.	P. R. O., Jhalawar	100
22.	P. R. O., Jodhpur	100
23.	Information Centre, Jodhpur	100
24.	P. R. O., Kota	100
25.	Information Centre, Kota	100
26.	P. R. O., Nagaur	100
27.	P. R. O., Pali	100
28.	P. R. O., Sawaimadhopur	100
29.	P. R. O., Sirohi	100
30.	P. R. O., Udaipur	100
31.	Office of the Deputy Director, Jodhpur	200
32.	Office of the Deputy Director, Udaipur	200
33.	Information Centre, Jaipur	200
34.	Headquarter, Jaipur	4448
35.	Information Centre, Udaipur	100
	TOTAL :	8098

Statement of Expenditure Incurred on Reception to Journalists for 1970-71.

Original Grant Rs. 8000/-

By Reappropriation Rs. 5000/-

TOTAL-*Rs.* 13000/-

		Amount
1.	Public Relations Office, Ajmer	100
2.	Information Centre, Ajmer	100
3.	Rangmanch, Ajmer	50
4.	P. R. O., Alwar	100
5.	Information Centre, Alwar	100
6.	P. R. O., Barmer	100
7.	P. R. O., Bharatpur	100
8.	P. R. O., Bhilwara	100
9.	P. R. O., Bikaner	100
10.	Information Centre, Bikaner	100
11.	P. R. O., Churu	100
12.	P. R. O., Chittor	100
13.	P. R. O., Dungarpur	100
14.	Asstt. P. R. O., Banswara	50
15.	P. R. O., Ganganagar	100
16.	P. R. O., Jaisalmer	100
17.	P. R. O., Jaipur	200
18.	P. R. O., Jhunjhunu	100
19.	Asstt. P. R. O., Sikar	50
20.	P. R. O., Jhalawar	100
21.	P. R. O., Jodhpur	100
22.	Information Centre, Jodhpur	100
23.	P. R. O., Kota	100
24.	Information Centre, Kota	100
25.	P. R. O., Nagaur	100
26.	P. R. O., Pali	100
27.	P. R. O., Sawaimadhopur	100
28.	P. R. O., Sirohi	100
29.	P. R. O., Udaipur	100
30.	Information Centre, Udaipur	100
31.	Rangmanch, Jaipur	50
32.	Information Centre, Jaipur	200
33.	Headquarter, Jaipur	10439
	TOTAL	13639

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 198 की सूची)

Position of Losses in the Proforma Accounts of the Rajasthan Ground Water Board, Jodhpur Year 1962-63 & 1964-65 & 1965.

S. No.	Year	Total amount of loss.	Items creditable to Govt. A/C Depreciation included in the total loss.				Total	NET RESULTS Items creditable of Govt. & depreciation net considered.		Remarks
			Audit fee	P. F. & pension contribution	Depreciation	Interest on capital		Profit	Loss	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1962-63	8,17,606	3,744	4,898	3,40,895	2,08,183	5,57,718	..	2,69,888	
2.	1963-64	8,43,591	4,527	31,527	3,48,532	3,18,389	7,02,958	..	1,40,633	
3.	1964-65	7,42,006	6,372	35,560	5,57,921	3,58,399	9,58,252	2,16,240	..	
4.	1965-66	8,66,215	5,762	38,513	7,74,370	5,60,971	11,79,616	3,13,401	..	
5.	1966-67	18,21,211	11,509	49,052	8,85,309	9,71,010	19,16,880	95,669	..	
6.	1967-68	39,52,385	14,733	54,742	14,78,996	14,01,260	29,49,731	..	10,02,654	
7.	1968-69	41,98,877	30,072	63,457	13,15,030	16,46,579	30,55,138	..	11,43,739	
8.	1969-70	38,35,384	36,622	1,33,948	15,26,922	18,90,491	35,87,983	..	2,47,401	

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

दांतरू ग्राम की जल योजना

202. श्री झाबर मल (फतेहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गांव दांतरू में जल योजना का पूरा खर्च सरकार ने वहन करने का वचन नहीं दिया था? अगर नहीं तो कितना खर्चा सरकार ने देना स्वीकार किया था ?

(2) क्या यह सही है कि योजना तैयार करते समय गांव का सर्वे नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि हरिजन बस्ती में प्रावधिक कारणों से पानी नहीं पहुँचता ? अगर हां, तो सर्वे के वक्त इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा ?

(4) क्या हरिजन बस्ती में पानी पहुँचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(5) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने अपनी मर्जी से पानी की टंकी की ऊंचाई 92' के स्थान पर 40' कर दी ?

(6) क्या यह सही है कि चालीस परिवारों की अगाऊ रकम जमा हुए एक साल से अधिक हो गया तथा एक भी कनेक्शन किसी भी उपभोक्ता को नहीं दिया गया ?

(7) क्या सरकार उपभोक्ताओं को निकट भविष्य में कनेक्शन देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जल योजना दांतरू की अनुमानित लागत रु. 48,000) है एवं अभी तक का व्यय 54,416) है तथा स्वीकृत योजनानुसार समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है, अर्थात् राज्य सरकार योजना पर पूर्ण व्यय कर चुकी है।

(2) गांव की सर्वे होने के पश्चात् ही योजना तैयार की गई एवं स्वीकृति प्रदान की हुई है ।

(3) यह सही नहीं है कि हरिजन बस्ती में प्रावधिक कारणों से पानी नहीं पहुँचता। योजना के प्रारम्भ से ही हरिजन बस्ती के लिए निर्माण की हुई सार्वजनिक नल से बस्ती को जल वितरण किया जा रहा है। प्रचार हरिजन बस्तियों में सार्वजनिक नल व पाइप लाईन और बिछाने के लिए रु. 7,250) का तखमीना बनाया गया है उसमें से 2,000) रु. की स्वीकृति की सूचना समाज कल्याण विभाग से प्राप्त हो गई है। शेष रकम जल प्रदाय विभाग खर्च करके यह काम इसी साल में पूरा कर दिया जायेगा।

(5) यह सही नहीं है । योजना व टंकी की 20' ऊंचाई का प्रावधान था एवं उसी के अनुसार निर्माण किया गया है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(6) अभी तक कुल 44 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के लिए रकम जमा करवाई है उनमें से 8 उपभोक्ताओं ने मकान में फिटिंग करवा कर कनेक्शन प्राप्त कर लिए हैं, शेष ने फिटिंग मौजूदा पाइप लाइन से कनेक्शन नहीं दिया जा सका है।

(7) स्वीकृत योजना में अब अन्य पाईप लाइने डालने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि 50 से अधिक कनेक्शन की मांग हो और लाईन डालना तकनीकी दृष्टि से संभव हो तो सरकार और पाईप लगाने का विचार कर सकती है।

नागरिक सुरक्षा के नाम पर एकत्रित की गई राशि

203. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) :–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर परिषद्, जयपुर ने नागरिक सुरक्षा के नाम पर 1–1 रुपये के कूपन छपवा कर धन संग्रह किया है ? यदि हां, तो अब तक कितने कूपन बेचे गये ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन कूपनों पर क्रम संख्या नहीं थी न ही इनकी कार्यालय प्रति रखी गई ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि लेखा शाखा ने इन कूपनों के छपवाने व बेचने पर आपत्ति की थी ?

(4) क्या यह सत्य है कि नगर परिषद को इस प्रकार का धन संग्रह करने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो सरकार नगर परिषद् के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। 8247 कूपन बेचे गये हैं।

(2) जी हां। न तो कूपनों पर क्रम संख्या अंकित की गई थी और न ही इनकी कोई प्रतिलिपि रखी गई थी।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

चित्तौड़गढ़ जिले में नये उद्योग

204 **श्रीमती निर्मला शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में नये वृहत तथा लघु उद्योगों को प्रारम्भ करने की सरकार की क्या योजना है ?

(2) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए ऋण देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक कितना ऋण वितरित किया गया ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ में नये वृहत तथा लघु उद्योग लगाने की कोई राजकीय योजना नहीं है।

(उद्योग मंत्री)

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) सारे राजस्थान के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए ऋण देने का प्रावधान है। लघु उद्योग नियम 1963 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ में सन् 1970 तक विभाग द्वारा 85100/–रुपये का लोन वितरित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध

205. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल कितने कालेज हैं? तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले कालेज कितने हैं?

(ख) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने कालेज हैं?

(ग) क्या यह सही है कि ग्रामीण जनता को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारी आर्थिक खर्चा करना पड़ता है?

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करने के विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(क) सामान्य शिक्षा:

राजकीय	49
सहायता प्राप्त	22
विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत	8
ला–कालेज	8
निजी कालेज	9
	योग:–96

प्राविधिक शिक्षा:

कालेज	3
पोलोटेक्निक	6
	9

संस्कृत शिक्षा:

कालेज	24

(ख) सामान्य शिक्षा:

राजकीय	1
सहायता प्राप्त	3

प्राविधिक शिक्षा: निल

संस्कृत शिक्षा:

राजकीय

(ग एवं घ) 11

राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कालेज हैं। कुछ कालेज छोटे स्थानों पर भी है। कालेज शिक्षा प्रसार के लिये राज्य सरकार उदासीन नहीं है। परन्तु इस कार्य के लिये अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है और इन साधनों की सीमितता के कारण हर ग्रामीण क्षेत्र में कालेज खोलना संभव नहीं है।

बूंदी जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजना

206. **श्री नन्द लाल बैरवा (पाटन):** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(1) बूंदी जिले में कौन-कौन सी तहसीलों के कौन कौन से ग्राम व कस्बों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना का कार्य पूरा हो गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बूंदी जिले के कौन कौन से ग्रामों की जल प्रदाय योजना का सर्वे हो गया है और अब किन किन गांवों में ग्रामीण जल-प्रदाय योजना का कार्य शुरू किया जा रहा है?

उत्तर

(1) बूंदी जिले की जिन-जिन ग्रामों व कस्बों की ग्रामीण जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण हो गया है उनकी सूची मय तहसील के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बूंदी जिले के ग्राम बड़ाखेड़ा का सर्वे हो गया है व योजना बनाई जा चुकी है। यह योजना विचाराधीन है। ग्राम गोटड़ा की योजना बनाई जा रही है।

बूंदी जिले में जिन-जिन ग्राम व कस्बों की योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं निम्न प्रकार है:-

शहरीय जल प्रदाय योजनाएं	तहसील
बूंदी	बूंदी
लाखेरी	केशोरायपाटन
नैनवां	नैनवां
केशोरायपाटन	केशोरायपाटन

(फिल्टर आदि का कार्य बाकी है)

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं:-

हिण्डोली	हिण्डोली
करबर	नैनवां
बांसी	नैनवां
देई	नैनवां

ग्राम सहकारी समितियों में गबन की शिकायतें

207. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सहकारी समिति ओडियाखेडी पंचायत समिति पिड़ावा तथा ग्राम सहकारी समिति लसोडिया शाह, पंचायत समिति डग (जिला झालावाड़) में गबन होने की शिकायतें विभाग के पास आई थीं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) जिला झालावाड़ की किन-किन सोसाइटियों में गबन होने की सूचना विभाग के पास आई और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., ओडियाखेडी पंचायत समिति पिडावा तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति लसोडिया शाह पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ में गबन होने की शिकायत सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झालावाड़ के कार्यालय में आई थी। ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,

(सहकारिता मंत्री)

ओडिया खेड़ी पंचायत समिति पिडावा की शिकायतों पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत जांच करवाई जा सके, धारा 74 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है। मामला पुलिस में भी दर्ज करा दिया गया है लसोडिया शाह ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., की शिकायतों पर धारा 74 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की गई। एक मामले में अपील किये जाने पर स्थगन आदेश हो गये हैं अन्य मामलों में वसूली की कार्यवाही जारी है।

(2) झालावाड़ जिले की जिन-जिन सोसाइटियों में गबन होने की सूचना प्राप्त हुई है और उन पर की गई कार्यवाही का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट में कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बालघाट में टेलीफोन की व्यवस्था

208. श्री **विश्वम्भर दयाल बोहरा** (महुआ) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बालघाट जैसे बड़े कस्बे में आज तक भी तार व टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो सरकार वहां पर यह व्यवस्था कब तक करवाने का इरादा रखती है ?

(स्थगित किया गया)

सराडा तहसील में फसल को क्षति

209. श्री **देवीलालसराडा**- क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्षा के अभाव के कारण जिला उदयपुर तहसील सराडा में सन् 1971-72 की खरीफ की फसल में खराबा हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितना कितना नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी आबादी वाले गांवों में खरीफ और रबी की दोनों फसलों में नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना तथा राज्य सरकार वहां क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्षा के अभाव के कारण जिला, उदयपुर की तहसील सराडा के 59 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हो जाने के कारण अभाव की स्थिति की घोषणा की गई। अभावग्रस्त घोषित गांवों में जितना नुकसान हुआ है, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सराडा तहसील की रबी में खराबे के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी तक जिलाधीश से प्राप्त नहीं हुई है। अतः रबी की फसल में नुकसान हुआ या नहीं कहा नहीं जा सकता। खरीफ के अभावग्रस्त गांवों के लोगों को चावण्ड प्रसाद सडक पर रोजगार उपलब्ध है।

Page No. 140

खरीफ में अभावग्रस्त घोषित गांवों की आनावार खराबा सूची

क्र. सं.	नाम गांव	खराबा आनों में
1	2	3
(1)	केवडा कला	10
(2)	केवडा खुर्द	10
(3)	बांबर नाल	10
(4)	पखोदडा	10
(5)	नलुवाडा	10
(6)	दवाणा	10
(7)	अदवास	10
(8)	अजबरा	10
(9)	गापडी	10
(10)	स्यानपुरा	10
(11)	बुटवास	10
(12)	झाडोल	10
(13)	थाना	10
(14)	डायली	10
(15)	लालपुरा	10
(16)	केरपुरा	10
(17)	सरसीया	10
(18)	मुडेला	10
(19)	खोडी महुडी	10
(20)	झालरबडी	10
(21)	नाल अलकार	10
(22)	सल्लाडा	10
(23)	माडवा	10
(24)	निमोदापाल	10
(25)	डाकनबावडी	10
(26)	खरबड	10
(27)	पालरपर	10
(28)	बलूजा	10
(29)	धनकवाडा	10
(30)	सदाडी	10
(31)	टोकर	10

1	2	3
(32)	भोरई	10
(33)	घाडासर	10
(34)	रबड	10
(35)	आतूडा	10
(36)	सगतपुर	10
(37)	ओडा	10
(38)	इटाली	10
(39)	बडावली	10
(40)	मल्लाडा	10
(41)	गोपालपुरा	10
(42)	नीमडीपाल	10
(43)	सेनथल	10
(44)	सीरपुर गांव	10
(45)	परसाद	10
(46)	माखर	10
(47)	कोलर	10
(48)	बैंसूली	10
(49)	सैंकडी	10
(50)	उदयपुरिया जा	10
(51)	उदयपुरिया खां	10
(52)	कुण्डा	8
(53)	चावण्ड	8
(54)	अम्बाला	8
(55)	सातजा	8
(56)	डाकरजा	8
(57)	वजगांव	8
(58)	बाणखुर्द	8
(59)	करेली	8

ग्रामीण क्षेत्र में रेल्वे क्रासिंग का प्रबन्ध

210. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर)-क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गंगानगर, सूरतगढ कैनाल लूप लाईन क्षेत्र में जिन गांवों की आबादी लाईन के दोनों तरफ है वहां पर रेल्वे क्रासिंग (Railway Crossing) का कोई प्रबंध नहीं है ? जिसके कारण

(श्री गुरुदयालसिंह)
किसानों को अपने खेतों में आने जाने व यातायात में असुविधा पैदा होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार, भारत सरकार से अनुरोध करेगी कि वह अधिक से अधिक ऐसे क्रासिंग बनाये जिससे किसानों को सुविधा मिल सके ?

उत्तर

जी हां–इस क्षेत्र में रेल्वे क्रासिंग्स के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय को फरवरी, 1971 में अनुरोध किया गया है।

हिण्डौन में महाविद्यालय

211. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कालेज खोलने के लिये हिण्डौन की जनता से भवन निर्माण के लिये कहा था जिसके आधार पर हिण्डौन की जनता ने श्रम, धन व चन्दा इकट्ठा करके करीबन ढाई लाख रुपये का भवन बनवाया फिर भी महाविद्यालय नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को विदित है कि महाविद्यालय के अभाव में वहां के विद्यार्थी व अभिभावक दोनों को ही भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है ?

(2) क्या सरकार की हिण्डौन में महाविद्यालय इस सत्र में खोलने की कोई योजना है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने हिण्डौन में जनता द्वारा भवन निर्माण कराये जाने पर कालेज खोलने के सम्बन्ध में यदि हिण्डौन की जनता को कोई आश्वासन दिया हो तो इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है।

(2) इस वर्ष के बजट में नये कालेज खोलने के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

जायल व नागौर तहसील के ग्रामों की जल प्रदाय योजनाएं

212. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील जायल व तहसील नागौर में दो–दो हजार की आबादी के कितने ऐसे गांव हैं, जिनकी ग्रामीण जलप्रदाय योजना बनाना शेष है ?

(2) तहसील जायल व तहसील नागौर में ग्राम रूण, खजवाणा, संखवास, रोल, तरणाऊ, फरडोस, कठोती, खियाला, व लूणसरा की ग्रामीण जल प्रदाय योजना व सर्वे का काम हुआ या नहीं ? यह योजनाएं अब किस स्टेज पर हैं ?

उत्तर

(1) सन् 1961 की जन गणना के अनुसार दो हजार और अधिक की आबादी वाले तहसील नागौर में केवल 3 ग्राम हैं तथा त. जायल में कोई भी ग्राम नहीं है जिसकी ग्रामीण योजना नहीं बनी।

(2) तहसील जायल व तहसील नागौर में ग्राम रूण, खाजवाणा, संखवास, रोल, तरणाऊ कठोती की योजनाएं बनाई जा-

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

चुकी है, रोल क्षेत्रीय योजना रूरल वकर्स प्रोग्राम में सम्मिलित हैं बाकी की योजनाओं की तकनीकी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है फरड़ोद, खियाला व लूणसरा के ग्रामों की योजना का अभी सर्वे कार्य नहीं किया गया है।

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राप्त राशि

213. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान प्रान्त को रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत दो करोड़ रुपये की राशि अलग अलग सूखाग्रस्त जिलों में चौथी पंच-वर्षीय योजना के बाकी वर्षों में व्यय करने का प्रावधान किया है ?

(2) उक्त रूरल प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में किस किस मद में कितनी राशि अब तक व्यय हुई ? क्या कार्य कार्यान्वित हुए, का विवरण एवं आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में सन् 1972–73 में कितनी राशि किस मद में व्यय की जायगी और किन किन कार्यों को हाथ में लिया जायगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरण द्वारा क्रियान्वित कार्यों एवं उन पर हुए व्यय के विवरण की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में सन् 1972–73 में व्यय की जाने वाली राशि का बजट प्रावधान निम्न प्रकार रखा गया है :—

कृषि वि. के अभिकरण से	12–71 लाख
सा. नि. वि. अभिकरण से	273·70 लाख
वन वि. के अभिकरण से	123·90 लाख
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के अभिकरण से	184·00 लाख
सिंचाई विभाग के अभि. से	230–76 लाख
योग	824–37

पुराने चल रहे कार्यों के अतिरिक्त जिन नये कार्यों को हाथ में लिया जायगा उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

महालक्ष्मी मिल ब्यावर के श्रमिकों का वेतन

214. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महालक्ष्मी मिल ब्यावर के प्रत्येक श्रमिकों को करीब 40) रु. माहवार कम दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिल के श्रमिक को विशेष ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार मंहगाई भत्ता और ग्रेच्युएटी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री केसरीमल)

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिल के श्रमिकों को वेतन मण्डल की सिफारिशों के आधार पर वेतन बढ़ा कर नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इन श्रमिकों पर कब से ये फैसले लागू करा कर उन्हें बकाया राशि का भुगतान करायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी हां, क्योंकि महालक्ष्मी मिल ब्यावर को रिलीफ अन्डरटेकिंग घोषित किया हुआ है, जिसके कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा कुछ अन्य श्रम कानून इस पर लागू नहीं होते, इस कारण विशेष ट्रिब्यूनल का फैसला भी लागू नहीं होता।

(3) जी हां, यह मिल रिलीफ अन्डरटेकिंग के रूप में चलाई जा रही है, अतः इस मिल के आर्थिक स्थिति बढे हुए वेतन देने की नहीं है। इसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाने पर मजदूरों के लिए वेतन मण्डल की सिफारिशें लागू की जा सकेंगी।

प्रतापगढ़ में बडी टंकी का निर्माण

215. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ शहर की बढ़ती हुई जन संख्या तथा बढते हुए नल कनेक्शन्स को देखते हुए नगरपालिका द्वारा बनाई हुई मौजूदा पुरानी टंकी बहुत छोटी है?

(2) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स विभाग द्वारा प्रतापगढ़ शहर में बड़ी टंकी बनाने की कोई योजना है तथा इसके लिए धन राशि भी स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक चालू किया जायगा?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां, टंकी बनाने के लिये निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जावेगा?

सर्दी से फसलों को क्षति

216. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि एक माह पूर्व जो कड़ी सर्दी पड़ी थी, उसमें राज्य के लगभग सभी भागों में सभी प्रकार की फ़सलों को भारी क्षति हुई थी?

(ख) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट, चाकसू आदि तहसीलों में इस सर्दी से फसलों को विशेष नुकसान पहुंचा है?

(ग) यदि हां, तो सरकार तत्काल किसानों को क्या सहायता दे रही है? इस नुकसान का ब्यौरा अलग अलग तहसीलों (जयपुर जिला) का क्या है?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता नुकसान का ब्योरा सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

तहसीलवार क्षति के विवरण की सूची

सूची (क)

नाम तहसील		क्षति का विवरण
1	2	3
1.	जयपुर	कोई क्षति नहीं हुई।
2.	सांगानेर	जिन्स चना में सर्दी के असर से कुछ क्षति हुई–जो कुल उपज में नगण्य है।
3.	बस्सी	फसल रबी में चने की फसल में 5 आने से 6 आने तक की क्षति हुई।
4.	चाकसू	फसलों को आंशिक क्षति हुई। चने व सरसों की फसल को न्यूनाधिक क्षति हुई, जो नगण्य है। पटवार हल्का देहलावाला व ठीकरिया गूजरान में गस्त गिरदावरी के आधार पर चने की फसल में 1।2 क्षति हुई है, जो कुल उपज के 1/4 से कम है।
5.	आमेर	क्षति जो हुई वह नगण्य है।
6.	जमवारामगढ	सरसों, धनियां, जो कि, बहुत कम तादाद में पैदा किया जाता है, नष्ट हो गया। चनें की फसल को करीब एक तिहाई ग्रामों में क्षति हुई। और जौ व गेहूं की फसलों की करीब 40 गांवों में क्षति हुई।
7.	दौसा	कोई क्षति नहीं हुई।
8.	बसवा	केवल फसल चना को 4 आने प्रति रुपये की क्षति हुई है।
9.	लालसोट	9% क्षेत्रफल में फसल गेहूं, जो तारामीरा है जिसमें कोई नुकसान नहीं है केवल चना की फसल में 1।4 नुकसान है।
10.	सिकराय	चना व सरसों की फसल को किसी किसी गांव में 2 आने से 4 आने क्षति प्रति रुपया का नुकसान हुआ है।
11.	फुलेरा	चनें में 4 आने तथा अन्य फसलों में 3 आने तक का नुकसान हुआ है जो नगण्य है।
12.	दूदू	केवल चने में 8 आने से 16 का नुकसान हुआ है

1	2	3
13.	फागी	गैर आबवास गांवों में केवल चना को आंशिक क्षति हुई है।
14.	कोटपूतली	केवल चने की फसल में 50% तथा सरसों में 75% हानि हुई है।
15.	बैराठ	कोई क्षति की रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त सूचना की गई जानकारी के आधार पर है, अभी तक जिन्सवार प्राप्त नहीं हुई है। सही जिन्सवार प्राप्त होने पर मालूम होगा।

ग्राम श्रीनगर में डकैती

217. श्री नत्थीसिंह (नदबई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम श्रीनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर में फरवरी, 1972 में डकैती डाली गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस डकैती में नौ परिवारों को तथा चौदह औरतों के जेवरात लूटे गये ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस डकैती में मुलजिमानों ने सर्व श्री सुखचन्द, कल्याण, अमरसिंह, केला चमी, भदाय और बुद्धा जाटव के सात मकानों में डाका डाल कर उनकी औरतों के जेवरात कीमतन रु. 3000) लूट लिया। पुलिस द्वारा इस घटना का मुकदमा नं. 24 दिनांक 11–2–72 धारा 395/397 आई. पी.सी. थाना बयाना में दर्ज कर तफतीस शुरू की गई। तफतीस अभी जारी है और पुलिस माल व मुलजिमान का पता लगाने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

सहकारी क्षेत्र में कृषकों को ऋण

218. श्री भीम सेन (लूणकरनसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में मध्यम एवं दीर्घकालीन अवधि के लिये सहकारी क्षेत्र में कृषकों को कुल कितनी राशि ऋण के रूप में देने का लक्ष्य है ?

(2) अब तक कुल कितनी राशि देय थी तथा वास्तव में कुल कितनी राशि ऋण के रूप में कृषकों को दी गई है ?

उत्तर

(1) चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण वितरण करने का लक्ष्य 30 करोड़ रुपये का है वर्ष 1969–70 से वर्ष 1973–74 तक इसका लक्ष्य निम्नानुसार रखा गया था :—

69–70	14.00 करोड़
70–71	20.50 करोड़
71–72	23.00 करोड़
72–73	23.00 करोड़
73–74	30.00 करोड़

(सहकारिता मंत्री)

इसी प्रकार दीर्घ कालीन ऋण का लक्ष्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 17.00 करोड़ का है जिसका प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

1969–70	3.00 करोड़
1970–71	4.00 करोड़
1971–72	4.50 करोड़
1972–73	7.50 करोड़
1973–74	17.00 करोड़

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल के वर्षों में जो ऋण अल्पकालीन एवं मध्य-कालीन वितरण किया गया है वह निम्न प्रकार है :

1969–70	13.86 करोड़
1970–71	16.33 करोड़

दीर्घकालीन ऋण

1969-70	3.62 करोड़
1970–71	4.04 करोड़

निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 30–6–71 ई. तक 34.50 करोड अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण की राशि देय थी तथा वास्तव में 30.19 करोड रु. की राशि दी गई है। दीर्घकालीन ऋण की राशि 7.78 करोड रु. की देय थी और वास्तव में 8.42 करोड रुपये की राशि दी गई है।

नाथद्वारा तहसील के ग्रामों की जल प्रदाय योजनाएं

219. श्री **मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नाथद्वारा तहसील के कुछ गांवों की जल प्रदाय योजना के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कृपया उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी प्रस्ता-वित योजनाओं के लिये विभिन्न ग्रामवासियों की ओर से जन-सहयोग के रूप में 2500/-रुपये की राशि पंचायत समिति के माध्यम से जमा करा दी गई है ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी और उनका कार्य कब तक प्रारम्भ किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केवल ग्राम पंचायत सेवा से 1000) रु. की धनराशि मार्च 72 में जनसहयोग के रूप में प्राप्त हुई है।

(3) योजना के बन जाने आवश्यक जन सहयोग प्राप्त होने व सरकार द्वारा स्वीकृति की जाने पर ही योजना का कार्य शुरू किया जा सकेगा।

[redacted]

सूची

(1) ग्राम सेवा का सर्वे किया जा चुका है व योजना बनाई जा रही है।

(2) ग्राम खामनोर की योजना की तकनिकी जांच की जा रही है।

(3) निम्न ग्रामों की सर्वे की जानी है।

ग्रामों का नाम	सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जन संख्या
मालों का मदार	2379
गुठां गांव	1298
कोसीवाड़ा एवं बीच के अन्य ग्राम।	1419

श्री डूंगरगढ़ कस्बे में ड्रेनेज की व्यवस्था

220. श्री **लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ कस्बे में वर्षा का तथा गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है?

(2) क्या यह सही है कि इससे उत्पन्न गन्दगी की निकासी के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था की मांग बहुत अरसे से की जा रही है? यदि हां, तो सरकार कब तक योजना बना कर इस समस्या का हल निकालने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। योजना बनाई जा चुकी है, योजना की अनुमानित लागत 2.00 लाख रुपये है। धनाभाव के कारण अभी योजना का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका।

कोटपूतली तहसील में अकाल राहत कार्यों के लिये स्वीकृत राशि

221. श्री **सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील में अकाल राहत कार्यों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कौन-कौन से कार्य आरंभ किये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत राजनौता से गोरधनपुरा सडक का कार्य शुरू किया गया था और केवल मिट्टी गिरा कर काम बन्द कर दिया गया है?

(3) क्या सरकार का उक्त अधूरी सड़क को पूरी कराने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील में इस वर्ष अभाव स्थिति नहीं होने के कारण कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है न कोई कार्य आरम्भ किया गया है।

(2) जी हां, अभाव वर्ष सं. 2025 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत राजनौतपुरा से गोरधनपुरा सड़क का कार्य शुरू किया गया था।

(3) चूंकि इस वर्ष इस तहसील में अभाव स्थिति नहीं है। अतः दुर्भिक्ष मद से इस कार्य को लिया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार के पास अब प्रावधान उपलब्ध होगा तब इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

भिनाय की जल-प्रदाय योजना

220. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सत्य है कि भिनाय में जो जल प्रदाय योजना चल रही है वह इस ग्रीष्म ऋतु में पानी के अभाव में नहीं चल पायेगी जिससे स्थानीय जनता को पीने के पानी की बड़ी कठिनाई होगी?

(2) क्या यह सत्य है कि आज भी पीने के पानी की भिनाय में कमी है?

(3) क्या यह सत्य है कि जिस कुए से यह योजना चल रही है उसे गहरा करा देने से यह योजना सफलता पूर्वक काम कर सकेगी और पेय जल समस्या हल हो जावेगी? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बाबत क्या सोच रही है एवं कब तक इस कुऐ को गहरा करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) योजना के बन्द होने की सम्भावना नहीं है।

(2) जी हां।

(3) इस कुए को और ज्यादा गहरा करने से पानी की मात्रा में विशेष वृद्धि की सम्भावना न्यूनतम है। विभाग ने एक दूसरा कुआ और लेकर पानी की सप्लाई बढ़ाई है।

ट्रैक्टरों का एलाटमेंट

223. श्री **नाथूराम** (बागीडोरा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1969-70,71 में कितने ट्रैक्टर एलाट किये गये तथा दिनांक 31-12-71 को कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा जिले में जिन व्यक्तियों को ट्रैक्टर एलाट किये थे वे फर्जी थे? यदि नहीं, तो गत 3 वर्षों में इस जिले के जिन जिन व्यक्तियों को ट्रैक्टर एलाट किये गये उनके नाम, पते व व्यवसाय के साथ यह भी अवगतकराये कि क्या अभी भी वे ट्रैक्टर उन व्यक्तियों के पास है और बांसवाड़ा जिले में ही कृषि के काम में लगे हैं।

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1969–70 व 71 दिसम्बर तक आवंटित ट्रैक्टरों की वांछित सूचियां व दिनांक 31-12-71 को विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की जिलेवार सूचि क्रमशः 'अ' 'ब' 'स' संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जाता था, जब कि उस पर तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी का प्रमाण-पत्र होता था।

निगम की स्थापना दिनांक 1 अगस्त 1969 के बाद से 31–12–71 तक बांसवाड़ा जिले जिन जिन व्यक्तियों को ट्रैक्टर का आवंटन किया उनकी सूची द' संलग्न है।

(3) आवंटन किये गये ट्रैक्टर अभी भी किन-किन व्यक्तियों के पास है यह सूचना निगम के पास उपलब्ध नहीं है। यह सूचना जिले के रजिस्ट्रेशन अधिकारी से प्राप्त की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 186 की सूची)

सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्राप्त हुए आवेदन–पत्रों की सूची

वर्ष	प्राप्त रजिस्ट्रेशन पत्रादि की संख्या
1967–1968	247
1968–1969	349
1969–1970	409
1970–1971	340
1971–1972	526
योग	1871

साझेदारी कानून के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन–पत्रों की सूची

क्र. सं.	वर्ष	आवेदन पत्रों की संख्या
1.	1967	2090
2.	1968	1966
3.	1969	2766
4.	1970	4240
5.	1971	3398
		14460

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 60 की सूची)

तालिका 'क

बिक्री कर विभाग की राज्य के सरकारी विभागों में बकाया की सूची
दिनांक 1-4-71

क. सं.	विभाग का नाम	राशि
1.	पंचायत समितियां	31,275.03
2.	कृषि विभाग	52,617.35
3.	कारागार विभाग	27,121.28
4.	वन विभाग	1,72,795.82
5.	पशुपालन विभाग	7,863.76
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	15,272.41
7.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	2,392.39
8.	लेखन व छपाई विभाग	9,876.36
9.	चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा	95,766.96
10.	राजस्थान नहर परियोजना	2,526.90
11.	उपनिदेशक, केमीकल इन्डस्ट्रीज	2,251.04
12.	राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल, झोटवाड़ा	44,431.24
13.	विविध विभाग	28,000.00
	कुल योग:	4,91,393.27

तालिका 'ख'

केन्द्रीय सरकार के विभागों के विरुद्ध बिक्री कर की बकाया राशि की

सूची दिनांक 1-4-71

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि
1.	जिला अफीम अधिकारी, कोटा	2,37,605.77
2.	एन. सी. सी. उदयपुर	65.00
3.	आफिसर कमांडिंग, 75 मीडियम, अलवर	45.00
4.	सहायक डिपो स्टोरकीपर पश्चिम रेल्वे, भरतपुर	1,947.54
5.	नादर्न रेल्वे डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट कन्ज़ूमर्स स्टोर, जोधपुर	2,658.72
6.	आयल एण्ड नेचूरल गैस कमीशन-जोधपुर,	500.00
7.	सहायक अभियन्ता, सी. पी. डब्ल्यू. डी., जैसलमेर	10.00
8.	सेन्ट्रल स्टोरेज डिपो, नई देहली	675.00
	कुल योगः–	2,43,707.13

परिशिष्ट 8

(अ.प्र.सं. 62 की सूची)

सूची 1

ए. आर. सी. द्वारा स्वीकृत योजनायें

	योजनाओं के नाम	स्वीकृति दिनांक	पुनः निर्धारण का दिनांक	योजनाओं के लक्ष्य रु. लाखों
	1	2	3	4
(अ)	कार्य चालू है।			
1.	भूमि विकास योजना पंचायत समिति इटावा (कोटा)	23–12–68	17–[illegible]–71	118–92
	लघु सिंचाई योजनायें :			
2.	पं. स. सांगोद (कोटा)	3–2–69	13–1–71	80–02
3.	पं. स. नदबई (भरतपुर)	6–[illegible]–69	–	42–085
4.	पं. स. गोविन्दगढ़ (जयपुर)	28–8–69	20–2–71	76–26
5.	पं. स. कठूमर (अलवर)	13–9–71	16–1–71 3–5–71	147–23
6.	पं. स. टोंक (टोंक)	15–12–70	27–8–71	6–2575
7.	पं. स. शाहपुरा (जयपुर)	1[illegible]–12–70	–	14–19
8.	पं. स. रामगढ़ (अलवर)	18–1[illegible]–70	[illegible]–5–71	109–175
9.	पं. स. राजाखेड़ा (भरतपुर)	18–12–70	–	46–0161
10.	पं. स. सवाई माधोपुर	19–3–71	–	46–16
			योग	786–3.156
(आ)	नई योजनायें कार्य चालू हो रहा है।			
	लघु सिंचाई योजनायें :—			
11.	पं. स. रेलमगरा (उदयपुर)	20–12–71	–	42–125
12.	पं. स. धोलपुर (भरतपुर)	1–1–72	–	58–35
13.	पं. स. सांभर (जयपुर)	3–1–72	–	15–20

	1	2	3	4
14.	प. स. सायला (जालोर)	12–1–72	–	54–00
15.	पं. स. महुआ (सवाई माधोपुर)	3–3–72	–	20–275
16.	पं. स. जैतारण (पाली)	28–2–72	–	47–47
17.	नारंगी उत्पादन योजना झालरापाटन व सुकेत (झालावाड़)	4–3–72	–	38–80
			योग	275–220
			योग	1062–5356

परिशिष्ट—2 मई, 1972—परिशिष्ट

सूची—2:—लघु सिंचाई योजनाओं में संस्थागत ऋण वितरण सम्बन्धी सूचना—

(वर्ष जून से जुलाई तक)

(रुपये लाखों में)

के नाम	1968-69 लक्ष्य	1968-69 वितरित ऋण	1968-69 लक्ष्य पूर्ति में कमी	1969-70 लक्ष्य	1969-70 वितरित ऋण	1969-70 लक्ष्य पूर्ति में कमी	1970-71 लक्ष्य	1970-71 वितरित ऋण	1970-71 लक्ष्य पूर्ति में कमी	1971-72 लक्ष्य	1971-72 वितरित ऋण (31-3-72 तक)
कास योजना पं.सं. (कोटा)	10-80	1-36	9-14	12-00	2-37	9-63	28-26	4-10	24-16	18-84	4-32
ई योजनाएं:—											
सागोंद (कोटा)	32-07	6-95	25-12	31-115	29.00	3-115	17-42	9-69	7-73	26-70	4-58
नदबई (भरतपुर)	—	—	—	8-395	9-02	0-625	16-845	16-23	0-615	16-845	1-550
गोविन्दगढ (जयपुर)	—	—	—	55-50	28-34	27-16	51-26	31-86	19-40	48-50	9-56
कठूमर (अलवर)	—	—	—	34-18	18-00	16-09	42-18	18-48	23-70	37-57	7-52
टोंक (टोंक)	—	—	—	—	—	—	6-2575	1-258	4-9995	4-9995	1-513
शाहपुरा (जयपुर)	—	—	—	—	—	—	4-19	1-02	3-17	10-00	1-25
रामगढ (अलवर)	—	—	—	—	—	—	23-025	3-12	19-905	72-45	9-21
राजाखेडा (भरतपुर)	—	—	—	—	—	—	13-1301	1-03	12-1001	16-544	1-88
सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	—	—	5-42	1-31	4-11	15-275	1-90
योग :	42-87	8-31	34-56	142-90	86-820	54-370	207-9876	88-098	119-8896	237-6235	42-283

लघु सिंचाई योजनाओं के लिये निर्धारित बजट एवं खर्च का विवरण (प्रशासनिक व्यय)

नाम योजना	1968–69		1969–70		1970–71		1971–72	
	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	वा. व्यय
भू-संरक्षण योजना								
1. इटावा	3,54,400	1,33,699	3,07,000	1,20,335	1.56,100	1,29,815	1,61,000	
लघु सिंचाई योजनाएं (सामूहिक)	–	–	3,07 000	73,266	17,20,000	7,20,940	19,88,000	

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 63 की सूची)

Statement showing the Revenue obtained during the Years 1963-64 to 1971-72 of Forest Division District-Banswara

S. No.	Year	Name of ranges & Division Office							
		Banswara Division	Range Banswara	Ghantol	Shergarh	Kushalgarh	Dungra	Garhi	Salam garh
1.	1963-64	28915/93	200292/06	72210/17	34000/15	43376/49	19481/27	28469/13	34790/75
2.	1964-65	1358/42	149651/14	54594/20	35812/62	37834/21	33891/66	19407/07	42282/75
3.	1965-66	6483/10	193934/57	110940/27	72126/89	83213/27	26802/43	26385/55	30153/37
4.	1966-67	35043/90	154385/43	84998/06	37507/93	67440/01	15983/50	17766/92	35223/43
5.	1967-68	3929/08	205354/41	98606/63	42044/38	70781/26	25331/69	15872/16	26220/49
6.	1968-69	4447/69	141769/20	88990/29	39129/21	38543/74	22907/85	15891/75	23722/25
7.	1969-70	8651/71	66416/76	47093/93	13332/99	44549/88	28545/87	5766/91	24627/32
8.	1970-71	1191/21	68733/13	80426/02	50737/20	42309/65	28411/60	23233/—	46778/76
9.	1971-72	3088/27	236115/01	86144/29	244248/63	86511/42	38158/31	31439/16	53398/72
		106109/31	1416641/71	724003/86	569934/—	514559/93	239513/73	184226/65	317197/42

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 67 की सूची)

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominantly a producer of food-grains/Cash crops.

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita Industrial output (gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

Indicators for Industrial Development in Backward Areas.

Districts	Per capita (Rural population) value of principal crips	Number of Non-agri cultural workers per 1000 workers	Per capita value of industrial out-put (Gross) for 1966, Rs.	Number of Factory employees per lakh of population for 1966	Per capita consumption of electricity (Kwh) for 1967-68	Road Kilometrage per lakh of population as on 31-3-68	Total of indices of Cols. 2 to 7	Ranking (in ascending order) of below, State average Distt.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ajmer	197 (86)	382 (171)	118.85 (228)	1643 (456)	30.75 (148)	128.28 (143)	(1231)	...
2. Alwar	236 (103)	189 (85)	4.49 (9)	30 (8)	10.19 (49)	109.63 (122)	(376)	IX
3. Banswara	221 (96)	88 (40)	3.28 (6)	18 (5)	2.04 (10)	62.95 (70)	(227)	III
4. Barmer	184 (80)	98 (44)	5.77 (11)	15 (4)	1.86 (9)	49.23 (55)	(203)	II
5. Bharatpur	304 (132)	158 (71)	77.56 (149)	261 (73)	14.73 (71)	116.52 (130)	(626)	...

Page No. 161

6.	Bhilwara	194 (84)	172 (177)	47.07 (90)	468 (130)	8.02 (39)	82.33 (92)	(512)	XVIII
7.	Bikaner	146 (63)	434 (195)	74.8 (143)	679 (198)	38.56 (186)	108.11 (120)	(996)	—
8.	Bundi	314 (137)	252 (113)	109.81 210	583 (162)	7.46 (36)	123.96 (138)	(976)	
9.	Chittor	273 (119)	161 (72)	18.17 (35)	125 (35)	20.88 (101)	97.66 (108)	(470)	XII
10.	Churu	190 (83)	169 (76)	1.18 (2)	2 (1)	10.38 (50)	117.30 (131)	(343)	VIII
11.	Dungarpur	206 (90)	90 (40)	.. ..	..	3.33 (16)	79.12 (88)	(234)	IV
12.	Ganganagar	426 (185)	215 (96)	72.94 (139)	469 (130)	24.57 (119)	111.76 (124)	(793)	..
13.	Jaipur	227 (99)	353 (158)	104.05 (199)	893 (249)	41.80 (202)	70.56 (79)	(985)	—
14.	Jaisalmer	42 (18)	485 (217)	.. ..	.. ..	7.72 (37)	138.57 (154)	(426)	XI
15.	Jalore	197 (86)	156 (70)	.. ..	.. ..	2.16 (10)	25.41 (28)	(194)	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Jhalawar	247 107	179 (80)	34.15 (96)	185 (51)	13.89 (67)	128.92 (141)	(514)	XIV
17. Jhunjhunu	130 (57)	174 (78)	1.75 (3)	11 (3)	13.48 (65)	7.83 (68)	(274)	V
18. Jodhpur	174 (76)	244 (109)	37.78 (72)	247 (69)	37.31 (180)	82.51 (92)	(598)	XVI
19. Kota	298 (230)	341 (153)	241.40 (462)	857 (238)	106.04 (512)	106.25 (118)	(1613)	—
20. Nagaur	202 (88)	144 (65)	7.90 (15)	93 (26)	4.85 (23)	55.94 (62)	(279)	VII
21. Pali	191 (83)	301 (135)	68,58 (131)	549 (153)	5.84 (28)	81.39 (91)	(621)	..
22. Sawaimadhopur	230 (100)	188 (84)	87.00 (166)	275 (76)	8.96 (43)	78.81 106	(575)	XV
23. Sikar	194 (84)	216 (97)	1.33 (3)	19 (5)	3.85 (19)	67.68 (75)	(283)	VLI
24. Sirohi	205 (89)	401 (180)	5.22 (10)	59 (16)	6.79 (33)	127.27 (142)	(470)	XII

25.	Tonk	320 139	211 (95)	0.57 (1)	6 (2)	4:86 (23)	112.85 (126)	(386)	X
26.	Udaipur	195 (85)	167 (75)	24.49 (47)	175 (49)	24.22 (117)	87.11 (97)	(470)	XII
	Rajasthan State	230 (100)	223 (100)	52.29 (100)	360 (100)	20.72 (100)	89.83 (100)	(600)	

Notes:— 1. 1961 Census daa has been used throughout in this table.
2. Figures in brackets represent indices for districts, treating State figures equal to 100.

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 70 की सूची)

Modern Scale of Annual Requirements of Stationery Articles in General Use.

S. No.	Name of Article	Police Station		
		A	B	C
1.	White Paper	96 Q	72 Q	60 Q
2.	Brown Paper	100 S	100 S	50 S
3.	Pencil Carbon	24	24	24
4.	Blotting Paper	24	24	24
5.	Pencil Rubber	1	1	1
6.	Blue Ink	288 T	240 T	192 T
7.	Red Ink	144 T	120 T	96 T
8.	Stamp Ink	4	4	4
9.	Lead Pencil	36	36	36
10.	Copying Pencil	48	48	36
11.	Pen Holder Superior	..	..	..
12.	Pen Holder Ordinary	12	12	12
13.	Pin Sheets	12 P	12 P	12 P
14.	Nibs	192	192	144
15.	Tabs.	100	100	100
16.	File laces.	25	25	25
17.	Natthi Dore	1/2 S	1/2 S	1/2 S
18.	Ink Pot	6	6	6
19.	Gum	2 S	2 S	2 S
20.	Envelops	100	100	100
21.	File Covers	25	25	25
22.	Red Blue Pencil	4	4	4
23.	Gem Clip	..	..	..
24.	Gloy	..	..	..
25.	Pen Knife	1	..	..
26.	Waste Paper Basket	2	2	2
27.	File Pads	5	5	5
28.	Spung Pot.	1	..	..
29.	Scissors	1	1	1
30.	Blotting Pad.	1	1	1
31.	Roller Wooden.	1	1	1
32.	Candles.	12	8	6
33.	Ceiling Wax.	24	18	12

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 2 मई, 1972)

स्तम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
9	अन्तिम से	1	चाहिने	चाहिये
16		1	श्रमती	श्रीमती
19		3	क ई अनु नदेती है ?	कोई अनुदान देती है ?
25	अन्तिम से	2	पत्र ार	पत्रकार
,,	,,	1	लि	लिए
,,	,,	1	196	1969
28	,,	6	उके	उसके
,,	,,	3	क्य	क्या
32		9	गया	लिया गया
34	अन्तिम से	1	ई	कई
35			राजस्व	राजस्व
,,		20	मामल	मामला
47	अन्तिम से	6	मौर	और
48	,,	8	एक्ववर	एक्वायर
49	,,	17	दिखाते	दिलाते
50		3	किस कस	किस किस
,,	अन्तिम से	5	प्रतिनिधत्व	प्रतिनिधित्व
,,	,,	2	। बना रखे हैं	ने बना रखे हैं
54		10	अनुपस्थित सदस्यों के-अतारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
57	अन्तिम से	12	आ ार	आधार
65		शीर्ष	अनु. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
68	अन्तिम से	3	प्रस्तव	प्रस्ताव
71		6	ययक	व्ययक
72	अन्तिम से	1	निवेन	निवेदन
73	,,	2	हीं	नहीं

स्कम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
75	अन्तिम से	2	पेटने	पैटर्न
77	,,	3	आपना	अपना
83		6	दाजिये	दीजिये
,,		7	पांचाख	पांच लाख
92	अन्तिम से	17	चार बिन	चार दिन
,,	,,	7	बहादी हैं	बहां दी है
95	,,	16	सात	साल
97	,,	2	गराब्र	गरीब
100		12	पहनन	पहनने
113	अन्तिम से	11	गंगानगर	गंगानगर
136		7	हलात	हालात
142		5	लोनों	लोगों
149		2	ये	में
,,		18	किती	कितनी
157	अन्तिम से	15	विध्यायल	विद्यालय
161		13	हास्टिल	होस्टल
182		13	देखते हैं हैं	देखते हैं
183		3	कोआपरेटिय	कोआपरेटिव
193		5	श्री अमृतलाल गलोत	श्री अमृतलाल गहलोत
197		5	कैया	कैसा